TRAI

सत्यमेव जयते

# वार्षिक रिपोर्ट

## 2013-14

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएस/आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

## वार्षिक रिपोर्ट
## 2013-14


महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002
दूरभाष : +91-11-23236308
फैक्स : +91-11-23213294
ई–मेल : ap@trai.gov.in
वेबसाइट : http://www.trai.gov.in

# संप्रेषण पत्र

**माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार की सेवा में**

यह मेरा सौभाग्य है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए मुझे, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वर्ष 2013–14 की सत्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट भेजने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में वह सूचना सम्मिलित है जो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 2000 में यथासंशोधित) के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार को भेजी जानी अपेक्षित है।

इस रिपोर्ट में, अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों के विशेष उल्लेख के साथ, दूरसंचार व प्रसारण क्षेत्र का परिदृश्य तथा भादूविप्रा द्वारा विनियामक मुद्दों पर की गई महत्वपूर्ण पहलों का सारांश समाविष्ट है। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण का लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी शामिल है।

**(राहुल खुल्लर)**

**अध्यक्ष**

दिनांक : दिसम्बर, 2014

# अनुक्रमणिका


| क्रमांक | विवरण | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| | परिदृश्य | 1-10 |
| भाग–I | नीतियां तथा कार्यक्रम | 11-73 |
| | क. दूरसंचार क्षेत्र के सामान्य परिवेश की समीक्षा | |
| | ख. नीतियों तथा कार्यक्रम की समीक्षा | |
| | भाग–I के अनुबंध | |
| भाग–II | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कामकाज और प्रचालनों की समीक्षा | 75-120 |
| भाग–III | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भादूविप्रा के कार्य | 121-132 |
| भाग–IV | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य–निष्पादन | |
| | क. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले | 135-148 |
| | ख. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2013–2014 के लेखापरीक्षित लेखे | 149-182 |
| | ग. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अंशदायी भविष्य निधि 2013–2014 के लेखापरीक्षित लेखे | 183-203 |
| | प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची | 204-208 |

# दूरसंचार एवं प्रसारण सेक्टरों का परिदृश्य

# परिदृश्य

1. वर्ष 2013–14, दूरसंचार एवं प्रसारण सेक्टरों के लिए एक घटनापूर्ण वर्ष रहा है। दूरसंचार सेक्टर में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण का मुद्दा हल किया और भिन्न–भिन्न बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए उपयुक्त आरक्षित मूल्यों पर सरकार को सिफारिशें की, जो इस सेक्टर में प्रगति और स्थायित्व पुनः स्थापित करेंगी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने स्पेक्ट्रम की उपलब्धता, उपयोग के उदारीकरण, स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों और स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग आदि पर अपनी सिफारिशें दी। प्रसारण सेक्टर में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सरकार को अनेक सिफारिशें की। ये सिफारिशें, टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों, केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार / बाज़ार प्रभुत्व, एफएम रेडियो प्रसारकों के चरण-II से चरण-III में अंतरण और भारत में प्रसारण सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) के लिए दिशानिर्देशों से संबंधित हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से, इस सेक्टर में व्यवस्थित प्रगति, बेहतर निवेश अवसरों और प्रतियोगिता तथा स्वच्छता लाने की दृष्टि से इस सेक्टर पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की आशा है। केबल टीवी सेक्टर का डिजिटलीकरण, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता को सशक्तीकरण और उसे बेहतर किस्म की सेवा और मूल्यवर्धित विकल्प उपलब्ध कराना है, को निरंतर आगे बढ़ाया गया और विभिन्न विषमताओं और चुनौतियों के प्रति उनकी मॉनीटरिंग की गई। तथापि, प्रबल अनुवर्तन के साथ, सेट टॉप बॉक्सों के प्रारंभण और उपभोक्ता प्रबंधन प्रगतियों के प्रचालनरत होने का कार्य, डिजिटलीकरण के प्रथम और द्वितीय चरणों के अंतर्गत कवर किए गए पूरे देश में अधिकांश प्रमुख शहरों और नगरों में पूरा किया जा सका।

2. वर्ष 2013–14 के दौरान दूरसंचार और प्रसारण सेक्टरों से संबंधित महत्त्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित थीं :–

## I. दूरसंचार सेक्टर

(i) दूरसंचार सेक्टर में, वर्ष 2013–14 के दौरान उपभोक्ताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि देखी गई। वित्तीय वर्ष के अंत में उपभोक्ता आधार 933.00 मिलियन था, जिसमें से 904.51 मिलियन वायरलेस उपभोक्ता थे। वर्ष के दौरान, वायरलेस

उपभोक्ता आधार में 36.71 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि समग्र टेलीघनत्व 73.32 से बढ़कर 75.23 हो गया। इस वर्ष में ग्रामीण टेलीघनत्व भी 41.02 से बढ़कर 43.96 हो गया, जबकि शहरी टेलीघनत्व 145.78 से गिरकर 146.96 हो गया। सेवा प्रदाताओं द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2014 के अंत तक लगभग 117.01 मिलियन मोबाइल उपभोक्ताओं ने, अपने मोबाइल नंबर संवहन करने के लिए भिन्न–भिन्न सेवा प्रदाताओं को अपने–अपने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। देश में इंटरनेट उपभोक्ता आधार, 31 मार्च 2013 को यथास्थिति 164.81 मिलियन कि तुलना में 31 मार्च 2014 के यथास्थिति 251.59 मिलियन रहा। जहां तक ब्रॉडबैंड का संबंध है, केंद्र सरकार ने दिनांक 18 जुलाई, 2013 की अधिसूचना के अंतर्गत ब्रॉडबैंड की परिभाषा निम्नलिखित रूप में संशोधित कर दी थी :–

"ब्रॉडबैंड एक डाटा कनेक्शन है, जो इंटरनेट पहुंच सहित अन्योन्यक्रिया संबंधी सेवाओं को समर्थन देने में समर्थ है और ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने की इच्छा रखने वाले सेवा प्रदाता के पॉइंट ऑफ प्रजेंस (पीओपी) से किसी अलग उपभोक्ता को 512 केबीपीएस की न्यूनतम डाउनलोड गति की क्षमता रखता है।"

ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए न्यूनतम डाउनलोड गति 256 केबीपीएस से बढ़ाकर 512 केबीपीएस कर दी गई थी और वायरलेस आंकड़ा सेवाओं को भी सरकार द्वारा अधिसूचित ब्रॉडबैंड सेवा की संशोधित परिभाषा में शामिल कर लिया गया था। 31 मार्च, 2013 को यथास्थिति 15.05 मिलियन (संशोधन–पूर्व परिभाषा के अनुसार) की तुलना में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2014 को यथास्थिति देश का कुल ब्रॉडबैंड उपभोक्ता आधार (संशोधित परिभाषा के अनुसार) 60.87 मिलियन है।

(ii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत अधिदेशाधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है – इस सेक्टर में बाज़ार ढांचे और नए प्रचालकों के प्रवेश, लाइसेंसिंग ढांचे, स्पेक्ट्रम जैसे विरल संसाधनों के प्रबंधन, उपभोक्ता का बचाव और सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों पर सरकार को सिफारिशें करना। वर्ष के दौरान, इस अधिदेश के अंतर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण नीतिगत विनियामक सिफारिशें की गई थीं, जिनमें 'स्पेक्ट्रम के भिन्न–भिन्न बैंडों में नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण', 'मोबाइल नंबर की पूर्ण संवहनीयता', 'स्पेक्ट्रम की उपलब्धता', 'उपयोग के उदारीकरण', 'स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों', 'स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग' आदि पर सिफारिशें शामिल हैं।

(iii) 22 लाइसेंस सेवा क्षेत्रों हेतु 1800 मेगाहट्र्ज और दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता एलएसए हेतु 900 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के लिए आरक्षित मूल्य की सिफारिश करते समय 'स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य' पर दिनांक 09 सितंबर, 2013 की अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने यह सिफारिश भी की कि नीलामी से पहले, दूरसंचार विभाग को एक ऐसा स्पष्ट रोड मैप तैयार करना चाहिए, जिसमें उस स्पेक्ट्रम की प्रमात्रा दर्शाई गई हो, जो समय सीमा के साथ–साथ भविष्य में उपलब्ध होगा ताकि ऐसे लाइसेंसधारी, जिनके लाइसेंस 2015/2016 में नवीकरण के लिए निश्चित हैं, 1800 मेगाहट्र्ज बैंडों में स्पेक्ट्रम के लिए बोली देने के बारे में एक संसूचित निर्णय ले सकें। ग्रामीण क्षेत्रों का तीव्रतर कवरेज सुनिश्चित करने के अलावा, प्राधिकरण ने एक्सेस स्पेक्ट्रम (800/900/1800 मेगाहट्र्ज बैंडों में स्पेक्ट्रम) वाले लाइसेंसों के लिए शामिल किए जाने वाले कुछ रोलआउट दायित्वों के लिए भी सिफारिश की।

(iv) "एक राष्ट्र – पूर्ण मोबाइल नंबर संवहनीयता" (एफएमएनपी) के संबंध में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में दिए गए उपबंधों के अनुसार, इसमें शामिल विभिन्न मुद्दों की जांच करने और परामर्श प्रक्रिया पर विचार करने के पश्चात भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 25 सितंबर, 2013 को पूरे लाइसेंस सेवा क्षेत्र में एफएमएनपी पर अपनी सिफारिशें अग्रेषित की।

(v) दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि वह सिक्किम राज्य सहित पूर्वोत्तर राज्यों (एनईआर) में दूरसंचार सेवाओं की वृद्धि/पुनरुद्धार करे, कमी के संबंध में अध्ययन करे और दूरसंचार योजना बनाने के लिए अपेक्षित निवेश करे। विभिन्न पणधारियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श करने के पश्चात भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 26 सितंबर, 2013 को "पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करना : निवेश योजना" पर अपनी सिफारिशें अग्रेषित की। पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार अवसंरचना की कमी कवर करने के लिए एक समग्र निवेश आवश्यकता के रूप में प्राधिकरण ने लगभ 2918 करोड़ रुपए की धनराशि की सिफारिश की। प्राधिकरण ने सिफारिश की कि सरकार को राज्य सरकारों, डब्ल्यूपीसी, राजमार्ग प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वतोन्मुखी और अति आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निवेश योजनाओं को सफल बनाने हेतु सहयोग करें।

(vi) आपदाओं/आपातकाल स्थितियों के दौरान दूरसंचार यातायात में काफी वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नेटवर्क संकुलन हो जाता है। ऐसे संकुलन आपातकालिक प्रतिक्रिया करने वाले व्यक्तियों की संसूचन और समन्वय करने की क्षमता में गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न करते हैं। एक ऐसी प्रणाली तैयार करने के लिए, जो उनकी कॉलों को प्राथमिकता देकर नेटवर्क संकुलन के दौरान ऐसी आपातकालिक स्थितियों के प्रति प्राथमिकता के लिए जिम्मेदार लोगों के बीच संसूचन में सुविधा प्रदान कर सके, प्राधिकरण ने स्वयं अपनी ओर से 26 नवंबर, 2013 को "आपातकालिक स्थितियों/आपदाओं के दौरान दूरसंचार नेटवर्क विफलताएं – प्रतिक्रिया और प्रतिप्राप्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों की कॉलों की प्राथमिकता रूटिंग" पर अपनी सिफारिशें जारी की।

(vii) दिनांक 09 सितंबर, 2013 की "स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य" पर अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने यह सिफारिश की थी कि देश में स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। दूरसंचार विभाग से "सिद्धांततः स्वीकार्यता" प्राप्त होने पर प्राधिकरण ने 28 जनवरी, 2014 को "स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग पर कार्यचालन दिशानिर्देश" पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और अग्रेषित किया। अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने स्पेक्ट्रम के केवल पूरी तरह अंतरण अर्थात क्रेता को उपयोग के स्वामित्व का अंतरण के लिए सिफारिश की है। प्राधिकरण ने स्पेक्ट्रम पट्टाकरण की सिफारिश नहीं की।

(viii) सभी सेवा क्षेत्रों में 800 मेगाहट्र्ज बैंड के लिए आरक्षित मूल्य पर दूरसंचार विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर, परामर्श प्रक्रिया और आंतरिक विश्लेषण पर विचार करने के पश्चात प्राधिकरण ने 22 फरवरी, 2014 को "800 मेगाहट्र्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य" पर अपनी सिफारिशें तैयार की और अग्रेषित की।

(ix) इस वर्ष के दौरान उपर्युक्त सिफारिशों के अलावा प्राधिकरण ने (क) कार्ड सेवाएं मंगाने के लिए

राजस्व साझेदारी व्यवस्थाओं (ख) घरेलू पट्टाकृत सर्किटों के लिए प्रशुल्क की समीक्षा और (ग) माइक्रोवव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ कॉरनर्स के आबंटन और मूल्य निर्धारण पर परामर्श प्रक्रिया आरंभ की।

(x) एक्सेस प्रदाताओं द्वारा एमएनपी विनियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्राधिकरण ने वित्तीय जुर्माने लगाने के लिए उपबंध शामिल करके, एमएनपी विनियमों में संशोधन किया, जहां संवहन संबंधी अनुरोध अस्वीकार करने में उल्लंघन सिद्ध हुए और विनियमों में समय–सीमा भी विनिर्दिष्ट की।

(xi) दूरसंचार विभाग ने 01.04.2002 से पहले संस्थापित अपने ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के लिए यूएसओ निधि से भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को समर्थन जारी रखने के संबंध में प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी थीं। बीएसएनएल से प्राप्त इनपुटों पर सावधानीपूर्वक विचार और पणधारियों के साथ परामर्श करने करने के बाद प्राधिकरण ने यह सिफारिश की कि 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों को बनाए रखने के लिए यूएसओ निधि से बीएसएनएल को दी जाने वाली सहायता पहले वर्ष के लिए 1500 करोड़ रुपए और दूसरे वर्ष के लिए 1250 करोड़ रुपए की दर से जुलाई 2011 से दो वर्ष की अगली अवधि के लिए जारी रखी जा सकती है।

(xii) उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की प्रधान अनिवार्यताओं में से एक है। प्राधिकरण ने अनेक क्षेत्रों में विनियामक ढांचे स्थापित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जो दूरसंचार उपभोक्ताओं के कल्याण और हितों का अतिक्रमण करते थे। अच्छे उपभोक्ता अनुभव और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा मानकों की गुणवत्ता विनिर्धारित करता है।

(xiii) सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरसंचार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के प्रभावीपन में सुधार करने के लिए 05 जनवरी, 2012 को दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012 जारी किये गए। ढांचे को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 11 सितंबर, 2013 को दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013 जारी किया गया। इन विनियमों में यह उपबंध किया गया है कि शिकायत केंद्र भी ई–मेल, डाक और व्यक्ति के जरिए उपभोक्ताओं को उपगम्य होंगे। व्यक्तिगत रूप से शिकायत केंद्र की उपगम्यता में ग्राहक सेवा केंद्रों, बिक्री केंद्रों, ब्रांड दुकानों, संबंध केंद्रों, टच पॉइंटों आदि के जरिए सेवा प्रदाताओं द्वारा सुविधा प्रदान की जा सकती है और इन उपगम्यता पॉइंटों को विनियमों के अनुसार शिकायत की अभिस्वीकृति करने और डॉकेट नंबर जारी करने मे समर्थ होना चाहिए। इसके अलावा, अपीलीय प्राधिकरण की उपगम्यता लाने में शिकायत केंद्र के जरिए अपीलों के पंजीकरण में सुविधा प्रदान की गई है।

(xiv) अपने गुणवत्ता प्रवर्तन तंत्र के प्रभावीपन को आकने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सेवा की गुणवत्ता की उपभोक्ता की संकल्पना का आवधिक रूप से मूल्यांकन करता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय विनियमों और आदेशों के जरिए विनिर्धारित मानकों के कार्यान्वयन की आवधिक फील्ड जांचें करते हैं। वे लेखा–परीक्षा और सर्वेक्षण की रिपोर्टों का विश्लेषण और मॉनीटरिंग भी करते हैं। इस संबंध में प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों और प्राधिकरण द्वारा नियुक्त लेखा–परीक्षा एजेंसियों को हर महीने, प्रत्येक आगामी महीने की 5 तारीख तक सेवा

कार्य–निष्पादन के आंकड़ों की गुणवत्ता उपलब्ध कराने के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपीज) को 18 अक्तूबर, 2013 को निर्देश जारी किए गए थे।

(xv) वित्तीय लेन–देन करने के लिए ग्राहकों के लिए मोबाइल फोन एक उपयोगी उपकरण के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने भारत की बड़ी जनसंख्या को वित्तीय रूप से शामिल करने के लिए मोबाइल फोन को समर्थन देने के प्रयास में एक सुविधा प्रदायक की भूमिका संभाली है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने पिछले कुछ वर्षों में बैंकों और पीएसपीज के लिए इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना पर मिलकर कार्य करने के लिए विस्तृत परामर्श करने की व्यवस्था की है। प्रक्रिया को चलाने के लिए विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए मोबाइल बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंकों और उनके प्राधिकृत एजेंटों को एकीकृत वॉयस रेस्पांस (आईवीआर) शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) और असंरचित अनुपूरक सेवा आंकड़ा (यूएसएसबी) आधारित संयोजनीयता में सुविधा प्रदान करने के लिए सभी टीएसपीज को निर्देश देने हेतु मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) विनियम में संशोधन किया गया है।

(xvi) विनियामक प्रवर्तन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यचालन का एक अभिन्न पहलू है। बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अनेक विनियम और आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें उल्लंघनों जैसे पोर्टिंग अनुरोधों को गलत रूप से अस्वीकार करना, प्रशुल्क रिपोर्टिंग शर्तों के अनुपालन में विफलता या दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ) के उपबंधों का उल्लंघन करके उपभोक्ताओं पर अधिक प्रभार लगाने, लेखांकन सप्रेशन रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण में विलंब या उनमें गलत सूचना प्रस्तुत करने, नेटवर्क सेवा गुणवत्ता पैरामीटरों और ग्राहक सेवा गुणवत्ता मापदंडों का अनुपालन न करने, ब्रॉड बैंड सेवाओं के लिए सेवा के मापदंडों की विनिर्धारित गुणवत्ता पूरी करने में विफलता आदि के लिए वित्तीय जुर्माने विनिर्धारित किए गए हैं।

## II. प्रसारण सेक्टर

(i) प्रसारण सेक्टर में टेलीविज़न और रेडियो सेवाएं शामिल होती हैं। चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चात भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। उद्योग अनुमानों के अनुसार मार्च, 2014 को यथास्थिति 270[1] मिलियन घरों में से लगभग 169[1] मिलियन घरों में टेलीविज़न सेट्स हैं, जिनमें केबल टीवी प्रणालियों, डीटीएच सेवाओं, आईपीटीवी सेवाओं और दूरदर्शन के स्थलीय टीवी नेटवर्क द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। पे टीवी यूनिवर्स में लगभग 99[1] मिलियन केबल टीवी उपभोक्ता, 64.82[2] मिलियन पंजीकृत डीटीएच उपभोक्ता (37.19[2] मिलियन सक्रिय उपभोक्ताओं सहित) और लगभग आधे मिलियन आईपीटीवी उपभोक्ता शामिल हैं। दूरदर्शन का स्थलीय टीवी नेटवर्क स्थलीय ट्रांसमीटरों के एक बड़े नेटवर्क के जरिए देश की लगभग 92 प्रतिशत जनसंख्या को कवर करता है।

(ii) प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवा सेक्टर में फ्री टू एयर टीटीएच सेवा रखने वाले एक लोक सेवा प्रसारणकर्ता – दूरदर्शन के अलावा, 55[2] पे प्रसारणकर्ता, लगभग 60,000 केबल प्रचालक, 6000 बहु–प्रणाली प्रचालक (एमएसओज) (डीएएस में पंजीकृत 144 एमएसओज सहित) 6 पे डीटीएच प्रचालक शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

[1] एमपीए रिपोर्ट, 2013 पर आधारित।

[2] मार्च, 2014 को यथास्थिति भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रिकॉर्डों के अनुसार।

में 793 टीवी चैनल पंजीकृत थे, जिनमें से 187[2] एसडी पे टीवी चैनल, 34 एचडी पे टीवी चैनल और 4 विज्ञापनमुक्त पे चैनल थे।

(ii) भारत का टेलीविज़न उद्योग वर्ष 2012 में 37010[3] करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2013 में 41720[3] करोड़ रुपए हो गया जिससे लगभग 12.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। टीवी उद्योग के समग्र राजस्व का प्रमुख हिस्सा अंशदान राजस्व के कारण है। अंशदान राजस्व वर्ष 2012 में 24500[3] करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2013 में 28100[3] करोड़ रुपए हो गया। भारत में टीवी सेक्टर में विज्ञापन राजस्व वर्ष 2012 में 12500[3] करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2013 में 13600[3] करोड़ रुपए हो गया।

(iv) एफएम रेडियो सेक्टर में भी एक प्रभावी वृद्धि देखी गई। 413 स्टेशनों के नेटवर्क और 584 प्रसारण ट्रांसमीटरों {148 एमडब्ल्यू (मीडियम वेव), 236 एफएम और 48 एसडब्ल्यू (शॉर्ट वेव)}[4] वाले पब्लिक सेवा प्रसारणकर्ता – ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के अलावा मार्च, 2014 तक 242 निजी एफएम (फ्रक्वेंसी मॉडुलेशन) रेडियो स्टेशन प्रचालनरत थे। एआईआर सेवा का कवरेज देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 92 प्रतिशत है, जो 99.18 प्रतिशत जनसंख्या को सेवा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, मार्च 2014 को यथास्थिति कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए जारी किए गए 194 लाइसेंसों में से 161 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन प्रचालनरत थे। रेडियो उद्योग, जो पूरी तरह विज्ञापन राजस्व पर निर्भर है, में वर्ष 2013 के दौरान लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस उद्योग ने वर्ष 2012 में 1270[3] करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2013 में 1460[3] करोड़ रुपए का विज्ञापन राजस्व अर्जित किया।

(v) पिछले दशक में केबल और सैटेलाइट (सी एंड एस) टीवी बाजार की गतिशीलता में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रगतियों में एक भारत में केबल टीवी सेक्टर का डिजिटलीकरण रहा है। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है। मार्च, 2014 तक 22 मिलियन से अधिक सेट टॉप बॉक्स लगा दिए गए थे। ऐड्रेसेबिलिटी के साथ डिजिटलीकरण का कार्यान्वयन निर्णायक होने जा रहा है और एक संरचित तरीके से देश में प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं की वृद्धि को अभिप्रेरित करेगा। साथ ही साथ, डीटीएच सेक्टर में उपभोक्ता आधार में लगभग एक मिलियन उपभोक्ता की वृद्धि दर्ज की जा रही है। इससे स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि डिजिटल ऐड्रेसेबल मंचों की लोकप्रियता और स्वीकार्यता में वृद्धि हो रही है, जिससे सभी पणधारियों को कुछ और अधिक मिलेगा।

(vi) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने भारत में प्रसारण सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमाओं के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी हैं। प्रसारण सेक्टर में निधियों/निवेशों के अति आवश्यक अंतर्प्रवाह के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 22 अगस्त, 2013 की अपनी सिफारिशों में "समाचार और समसामयिक समाचार" टीवी चैनलों को और एफएम रेडियो सेवाओं को असम्बद्ध करते हुए प्रसारण कैरिज सेवाओं हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की थी। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने यह सिफारिश भी की थी कि अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया जाए और इसे समयबद्ध किया जाए।

[3] फिक्की–केपीएमजी रिपोर्ट, 2014 पर आधारित।
[4] स्रोतः एआईआर वेबसाइट – www.air.org.in

(vii) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि वर्तमान टेलीविजन रेटिंग प्रणाली की कमियों का हल निकाला जाए और रेटिंग एजेंसियों द्वारा विश्वसनीय टेलीविजन रेटिंग सृजित की जाए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि वह इस विषय पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु सरकार को 11 सितंबर, 2013 को अपनी सिफारिशें दे दी थीं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। ये दिशानिर्देश पात्रता संबंधी मापदंड, पंजीकरण प्रक्रिया, क्रॉस होल्डिंग प्रतिबंध, रेटिंग संबंधी पद्धति, शिकायत निवारण तंत्र, रेटिंग्स की बिक्री और इस्तेमाल के संबंध में उपबंध और लेखा–परीक्षा के लिए उपबंध, विगोपन, रिपोर्टिंग शर्तें और शास्तियां कवर करते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने यह सिफारिश भी की कि टेलीविज़न रेटिंग एक उद्योग के नेतृत्व वाले निकाय के जरिए स्वयं विनियमित होनी चाहिए।

(viii) केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/बाज़ार प्रभुत्व से जुड़े मुद्दों के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र के प्रत्युत्तर में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 26 नवंबर, 2013 को सरकार को अपनी सिफारिशें भेज दी थीं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एक सुसंगत बाजार में एक एमएसओ के बाज़ार हिस्से पर आधारित बाज़ार प्रभुत्व के निर्धारण की सिफारिश की और नियंत्रण की नई परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए सुसंगत बाज़ार में एमएसओ के बीच या एमएसओ और एलसीओ के बीच नियंत्रण के अधिग्रहण तथा एमएंडए के लिए नियम विनिर्धारित किए।

(ix) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक अन्य पत्र का उत्तर देते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 20 फरवरी, 2014 को एफएम रेडियो प्रसारणकर्ता के चरण-II से चरण-III में अंतरण की सिफारिश की। शहरों की भिन्न–भिन्न श्रेणियों के लिए अंतरण शुल्क का परिकलन करने के लिए फार्मूला विनिर्धारित करने के अलावा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने चरण-II से चरण-III में अंतरण पर वर्तमान एफएम चैनलों के लिए लाइसेंस अवधि पर भी अपनी सिफारिशें की। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 19 अप्रैल, 2012 को जारी की गई, एफएम रेडियो प्रसारण के लिए 400 किलोहट्र्ज की न्यूनतम चैनल स्पेसिंग पर अपनी सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन पर भी जोर दिया जिससे नीलामी के लिए प्रत्येक शहर में फ्रीक्वेंसियों की संख्या की उपलब्धता में वृद्धि होने की आशा है।

(x) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 27 मई, 2013 को दो प्रशुल्क आदेश अधिसूचित किए, नामतः दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (पांचवां) (डिजिटल ऐड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली) प्रशुल्क आदेश और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (6) (गृह सेवाओं को प्रत्यक्ष) प्रशुल्क आदेश। इन आदेशों में सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी)/ग्राहक परिसर उपकरण (सीपीई) के संस्थापन और आपूर्ति के लिए मानक प्रशुल्क पैकेजों का उपबंध किया गया है। इन प्रशुल्क आदेशों का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं, जो किसी भी कारण से किसी भिन्न सेवा प्रदाता के पास जाने के इच्छुक हैं, को स्पष्ट, समझने में आसान शर्तों पर वाणिज्यिक इंटर–ऑप्रेबिलिटी में सुविधा प्रदान करना है।

(xi) किसी डिजिटल ऐड्रेसेबल प्रणाली की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता उपभोक्ताओं को प्रभावी विकल्प का प्रस्ताव देना है। इसे सुनिश्चित

करने के लिए और सेवा प्रदाताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 20 सितंबर, 2013 को ऐड्रेसेबल मंचों के लिए लागू प्रशुल्क आदेश में एक संशोधन जारी किया। इस संशोधन में चैनलों और बुके के अ–ला–कार्टे के मूल्य निर्धारण के बीच एक संबंध विनिर्धारित किया गया है, जिसमें ये चैनल एक हिस्सा हैं। अपने प्रस्तावों का मूल्य निर्धारण करने के लिए सेवा प्रदाताओं को छूट की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त संबंध यह सुनिश्चित करता है कि चैनलों के अ–ला–कार्टे मूल्य काल्पनिक न हो जाएं।

(xii) दिनांक 19 अक्तूबर, 2012 के दूरसंचार विवाद एवं निपटान अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) के निर्णय को ध्यान में रखते हुए और डीएएस में हेड एंड्स की क्षमता वाले न्यूनतम अधिदेशाधीन चैनलों से संबंधित मुद्दों, डीएएस में कैरिज शुल्क और प्लेसमेंट शुल्क प्रभारित करने पर अंतिम निर्णय लेने की दृष्टि से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 20 सितंबर, 2013 को डीएएस पर लागू इंटरकनेक्शन विनियमों में संशोधन अधिसूचित किया।

(xiii) प्रसारणकर्ताओं से वितरण प्लेटफार्म प्रचालकों (डीपीओज) में टीवी चैनलों के वितरण को सरल और कारगर बनाने की दृष्टि से और टेलीविज़न सेक्टर का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 10 फरवरी, 2014 को वर्तमान विनियामक ढांचे में संशोधन अधिसूचित किए। यह कार्य प्रसारणकर्ताओं के प्राधिकृत एजेंटों (ऐग्रीगेटरों) द्वारा संभाली गई भूमिका के कारण हुई बाज़ार संबंधी विकृतियों का हल निकालने के लिए किया गया था।

(xiv) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के लिए प्रभारों पर सीमाएं विनिर्धारित की हैं। मुद्रास्फीति के कारण समायोजन करने की दृष्टि से प्राधिकरण समय–समय पर वर्तमान सीमाओं में मुद्रास्फीति संबद्ध बढ़ोत्तरी की अनुमति देता रहा है। इस संबंध में एक संशोधन, नामतः दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) प्रशुल्क (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, 2014 दिनांक 31 मार्च, 2014 को जारी किया गया था।

(xv) डीएएस का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित विनियामक ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर सेवा प्रदाताओं को अनेक निर्देश जारी किए गए थे। कुछ मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और कुछ मामलों में और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के उपबंधों के अनुसार न्यायालयों में शिकायतें भी दायर की गई थीं।

## भाग-I

# नीतियां एवं कार्यक्रम

# (क) दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिस्थिति की समीक्षा

1.1 दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष 2013–14 के दौरान उपभोक्ताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत तक 898.02 मिलियन समग्र दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या की तुलना मे वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत में 933.00 मिलियन की वृद्धि हुई है जो कि 34.94 मिलियन की कुल वृद्धि को प्रदर्शित करता है। समग्र उपभोक्ता आधार और टेलीघनत्व **तालिका–1** में दिखाया गया है।

**तालिका–1: समग्र उपभोक्ता आधार और टेलीघनत्व**

| विवरण | वायरलैस | वायरलाइन | कुल वायरलैस+ वायरलाइन |
|---|---|---|---|
| **कुल उपभोक्ता** (मिलियन में) | **904.51** | **28.49** | **933.00** |
| **शहरी उपभोक्ता** (मिलियन में) | **532.73** | **22.53** | **555.26** |
| **ग्रामीण उपभोक्ता** (मिलियन में) | **371.78** | **5.96** | **377.73** |
| **कुल टेलीघनत्व** | **72.94** | **2.30** | **75.23** |
| शहरी टेलीघनत्व | 139.86 | 5.91 | 145.78 |
| ग्रामीण टेलीघनत्व | 43.27 | 0.69 | 43.96 |
| शहरी उपभोक्ताओं का हिस्सा | 58.90% | 79.09% | 59.51% |
| ग्रामीण उपभोक्ताओं का हिस्सा | 41.10% | 20.91% | 40.49% |
| **ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)** | **46.01** | **14.86** | **60.87** |

वायरलैस, वायरलाइन खंड, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए अनुरोध, टेलीघनत्व, इंटरनेट उपभोक्ता, दूरसंचार टैरिफ में रुझान, तिमाही दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक, और दूरसंचार क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में उपभोक्ता आधार के विवरण का ब्यौरा आगे के पैराग्राफ में दिया गया है।

## (क) वायरलैस

1.1.1 वायरलैस उपभोक्ता आधार 31 मार्च, 2013 को 867.80 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2014 तक उपभोक्ता आधार 904.51 मिलियन था, जो वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान 4.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाता है। पिछले 6 वर्षों के दौरान वायरलैस उपभोक्ता आधार की स्थिति **चित्र–1** में दिखाई गयी है।

**चित्र–1: वायरलैस उपभोक्ता (मिलियन में)**

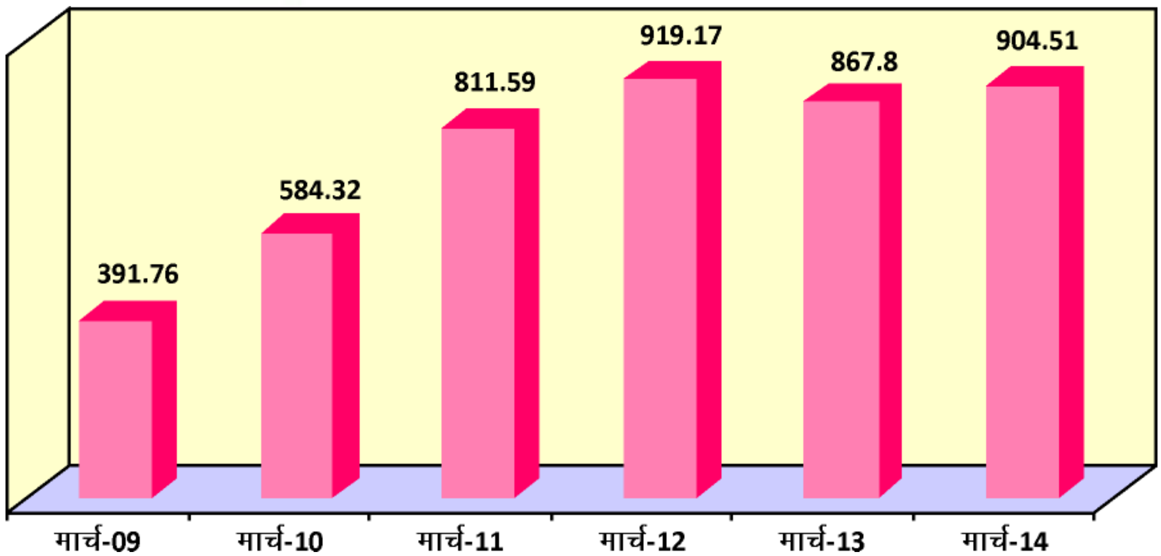


## (ख) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

1.1.2 वर्ष 2013–14 के दौरान, 27.32 मिलियन उपभोक्ता ने विभिन्न सेवा प्रदाताओं से एमएनपी सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने पोर्टिंग अनुरोध जमा किये है। इसके साथ मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अनुरोध मार्च 2013 के अंत में 89.70 मिलियन उपभोक्ता से बढ़कर मार्च 2014 के अंत में 117.01 मिलियन हो गई है। वर्ष 2013–14 में सेवा क्षेत्रानुसार पोर्टिंग अनुरोध **तालिका–2** में दिखाया गया है।

**तालिका–2: वर्ष 2013–14 में सेवा क्षेत्रवार पोर्टिंग अनुरोध**

| लाइसेंस सेवा क्षेत्र | 2013–14 में प्राप्त पोर्टिंग अनुरोध (मिलियन में आंकड़े) |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 2.66 |
| असम | 0.06 |
| बिहार | 0.84 |
| दिल्ली | 1.43 |

| लाइसेंस सेवा क्षेत्र | 2013–14 में प्राप्त पोर्टिंग अनुरोध (मिलियन में आंकड़े) |
|---|---|
| गुजरात | 2.32 |
| हरियाणा | 1.16 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.07 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 0.01 |
| कर्नाटक | 2.65 |
| केरल | 0.82 |
| कोलकाता | 0.59 |
| मध्य प्रदेश | 1.35 |
| महाराष्ट्र | 1.87 |
| मुंबई | 1.66 |
| पूर्वोत्तर राज्य | 0.05 |
| ओड़ीशा | 0.53 |
| पंजाब | 1.10 |
| राजस्थान | 3.24 |
| तमिलनाडु | 1.64 |
| उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 1.03 |
| उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 1.07 |
| पश्चिम बंगाल | 1.17 |
| **कुल** | **27.32** |

## (ग) वायरलाइन

1.1.3 वायरलाइन उपभोक्ता आधार 31 मार्च 2013 को 30.21 मिलियन की तुलना में 31 मार्च 2014 तक उपभोक्ता आधार 28.50 मिलियन था, जिसमे वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान 1.17 मिलियन ग्रहकों की कमी दर्ज करवाता है। 28.50 मिलियन वायरलाइन उपभोक्ता में से 22.54 मिलियन शहरी वायरलाइन उपभोक्ता हैं और शेष 5.96 मिलियन ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान वायरलाइन उपभोक्ता की स्थिति **चित्र–2** में दिखाई गयी है।

## (घ) टेलीघनत्व

1.1.4 टेलीघनत्व मार्च 2013 को 73.32 मिलियन की तुलना में मार्च 2014 के अंत तक 75.23 मिलियन था, जिसमें 1.91 की वृद्धि दर्ज हुई। मार्च 2010 से टेलीघनत्व की प्रवृत्ति **चित्र–3** में दिखाई गयी है।

चित्र–2: वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)

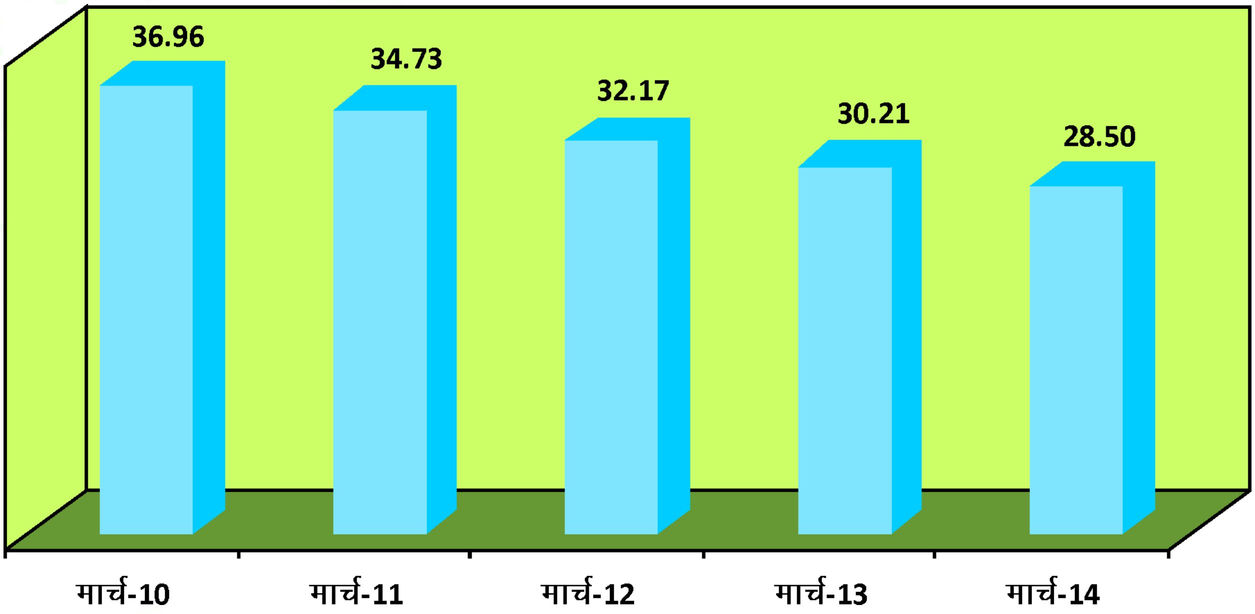


चित्र–3 टेलीघनत्व का संवृद्धि

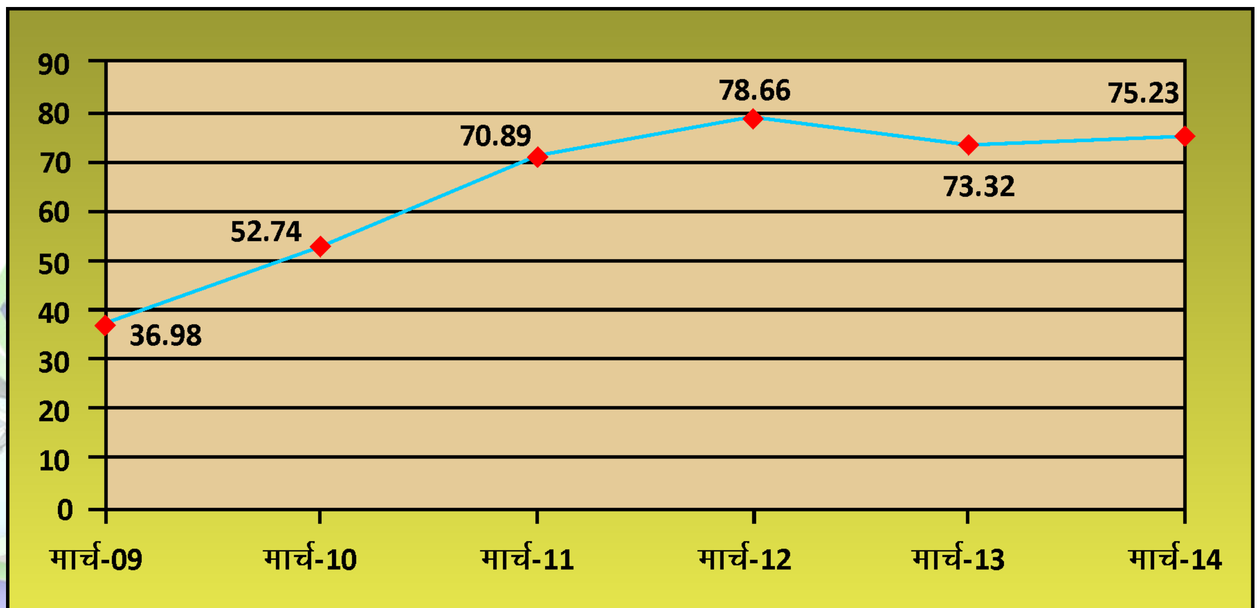


## (ड़) इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ता

इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या 31 मार्च 2013 को 164.81 मिलियन[1] की तुलना में 31 मार्च 2014 के अंत तक 251.59 मिलियन थी। ब्रॉडबैंड सेवाओं के मामले में, 18 जुलाई 2013 की अधिसूचना के अनुसार दूरसंचार विभाग ने ब्रॉडबैंड की परिभाषा का संशोधन इस प्रकार किया था :–

*"ब्रॉडबैंड डेटा कनेक्शन है, जो इंटरनेट के उपयोग, जैसी संवादात्मक सेवाओं को संभालने में सक्षम है और इसमे प्रत्येक उपभोक्ता को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता*

*के उपलब्धता के बिंदु (पीओपी) से 512 केबीपीएस की न्यूनतम डाउनलोड गति देने की क्षमता है।''*

सरकार द्वारा अधिसूचित ब्रॉडबैंड सेवा की संशोधित परिभाषा में वायरलैस डेटा सेवाओं और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए न्यूनतम डाउनलोड गति 256 केबीपीएस से 512 केबीपीएस की वृद्धि शामिल थी। देश में कुल ब्रॉडबैंड उपभोक्ता की संख्या 31 मार्च 2013 (पूर्व संशोधित परिभाषा के अनुसार) को 15.05 मिलियन थी, जबकि 31 मार्च 2014 (संशोधित परिभाषा के अनुसार) को 60.87 मिलियन थी।

## (च) भारतीय दूरसंचार सेवाओं के लिए निष्पादक संकेतक

भा.दू.वि.प्रा. (ट्राई) **'भारतीय दूरसंचार सेवाएं निष्पादक संकेतक'** पर एक तिमाही रिपोर्ट निकाल रहा है। यह रिपोर्ट दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं के प्रमुख मापदंडों और विकास के रुझान को प्रदर्शित करती है। वर्ष 2013–14 के लिए, दिसंबर, 2013 की आखिरी तिमाही के लिए रिपोर्ट जारी की गई है, उसी का सारांश **तालिका–3** में दिया गया है।

**तालिका–3 निष्पादक संकेतक (31 मार्च, 2014 तक के आंकड़े)**

| **दूरसंचार उपभोक्ता (वायरलैस + वायरलाइन)** | |
|---|---|
| कुल उपभोक्ता | 933.01 मिलियन |
| पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन | 1.95% |
| शहरी उपभोक्ता | 555.28 मिलियन |
| ग्रामीण उपभोक्ता | 377.73 मिलियन |
| निजी ऑपरेटरों की बाजार में हिस्सेदारी | 87.13% |
| पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार में हिस्सेदारी | 12.87% |
| टेलीघनत्व | 75.23 |
| शहरी टेलीघनत्व | 145.78 |
| ग्रामीण टेलीघनत्व | 43.96 |
| **वायरलैस उपभोक्ता** | |
| कुल वायरलैस उपभोक्ता | 904.51 मिलियन |
| पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन | 2.05% |
| शहरी उपभोक्ता | 532.73 मिलियन |
| ग्रामीण उपभोक्ता | 371.78 मिलियन |
| जीएसएम उपभोक्ता | 847.41 मिलियन |

| | |
|---|---|
| सीडीएमए उपभोक्ता | 57.10 मिलियन |
| निजी ऑपरेटरों की बाजार में हिस्सेदारी | 89.16% |
| पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार में हिस्सेदारी | 10.84% |
| टेलीघनत्व | 72.94 |
| शहरी टेलीघनत्व | 139.86 |
| ग्रामीण टेलीघनत्व | 43.27 |
| **वायरलाइन उपभोक्ता** | |
| कुल वायरलाइन उपभोक्ता | 28.50 मिलियन |
| पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन | -1.37% |
| शहरी उपभोक्ता | 22.54 मिलियन |
| ग्रामीण उपभोक्ता | 5.96 मिलियन |
| निजी ऑपरेटरों की बाजार में हिस्सेदारी | 22.70% |
| पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार में हिस्सेदारी | 77.30% |
| टेलीघनत्व | 2.30 |
| शहरी टेलीघनत्व | 5.92 |
| ग्रामीण टेलीघनत्व | 0.69 |
| ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) | 588.912 |
| सार्वजनिक टेलीफोन ऑफिस (पीसीओ) | 956988 |
| **इंटरनेट /ब्रॉडबैंड उपभोक्ता** | |
| कुल इंटरनेट उपभोक्ता | 251.59 मिलियन |
| नैरोबैंड उपभोक्ता | 190.72 मिलियन |
| ब्रॉडबैंड उपभोक्ता | 60.87 मिलियन |
| वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता | 18.50 मिलियन |
| वायरलैस इंटरनेट उपभोक्ता | 233.09 मिलियन |
| **प्रसारण और केबल सेवाएं** | |
| सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या | 793 |
| निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या | 242 |
| पंजीकृत डीटीएच उपभोक्ता | 64.82 मिलियन |
| सक्रिय डीटीएच उपभोक्ता | 37.19 मिलियन |

| दूरसंचार वित्तीय डेटा | |
|---|---|
| वर्ष के दौरान सकल राजस्व (जीआर) | रु. 233815 करोड़ |
| पिछले वर्ष की तुलना में जीआर में प्रतिशत परिवर्तन | 9.98 % |
| वर्ष का समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) | रु. 158042 करोड़ |
| पिछले वर्ष की तुलना में एजीआर में प्रतिशत परिवर्तन | 12.26% |
| एजीआर चलाने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की भागीदारी | 12.75% |
| सेवाओं को चलाने के लिए प्रति उपयोगकर्ता मासिक औसत आय (एआरपीयू) | रु. 115 |
| **राजस्व और उपयोग मापदण्ड (मार्च, 2014 की तिमाही समाप्ति के लिए)** | |
| मासिक एआरपीयू जीएसएम फुल मोबिलिटी सेवा | रु. 113 |
| मासिक एआरपीयू सीडीएमए फुल मोबिलिटी सेवा | रु. 105 |
| प्रति उपभोक्ता प्रति मासिक के लिए उपयोग के मिनट (एमओयू) जीएसएम फुल मोबिलिटी सेवा | 389 मिनट |
| प्रति उपभोक्ता प्रति मासिक के लिए उपयोग के मिनट (एमओयू) सीडीएमए फुल मोबिलिटी सेवा | 275 मिनट |
| इंटरनेट टेलीफोनी के लिए उपयोग के मिनट | 251 मिलियन |
| **मोबाइल उपयोगकर्ताओं के डेटा उपयोग (मार्च 2014 की तिमाही समाप्ति के लिए)** | |
| प्रति माह प्रति उपभोक्ता डेटा उपयोग – जीएसएम | 53.94 एमबी |
| प्रति माह प्रति उपभोक्ता डेटा उपयोग – सीडीएमए | 176.24 एमबी |
| प्रति माह प्रति उपभोक्ता डेटा उपयोग – कुल (जीएसएम + सीडीएमए) | 61.66 एमबी |

## (च) दूरसंचार क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन

वित्तीय जानकारी 53 दूरसंचार सेवा क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करता है। यह जानकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत परीक्षित/बिना जांची हुई वित्तीय जानकारी जो ट्राई को जमा की गई है, पर आधारित है। वित्तीय जानकारी में मुख्य रूप से भारतीय दूरसंचार सेवा क्षेत्र के राजस्व, ईबीआईटीडीए, पूंजी निवेश और अन्य लाभ मार्जिन शामिल हैं।

### राजस्व

दूरसंचार सेवा क्षेत्र का कुल राजस्व 2012–13 में 2,12,592 करोड़ रुपये की तुलना में 2013–14 में 2,33,815 करोड़ रुपये ऊपर चला गया था, जो कि 9.98 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत करता है। राजस्व से संबंधित आंकड़े इंट्रा ऑपरेटर के अंतःसंबधन शुल्क को समायोजित करने से 2012–13 में 2,07,498 करोड़ रुपये से 2013–14 में 2,19,357 करोड़ रुपये पर आ गए है जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.72 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है।

### ईबीआईटीडीए

ईबीआईटीडीए ब्याज, कर और मूल्यह्रास और परिशोधन से पूर्व आय को प्रदर्शित करता है। दूरसंचार सेवा क्षेत्र की ईबीआईटीडीए का वर्ष 2012–13 के लिए

तालिका 4: क्षेत्र–वार राजस्व

(रूपये करोड़ में)

| विवरण | 2013-14 | | | 2012-13[2] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सार्वजनिक | निजी | कुल | सार्वजनिक | निजी | कुल |
| दूरसंचार सेवा से राजस्व | 30,282 | 1,79,991 | 2,10,273 | 29,677 | 1,66,262 | 1,95,939 |
| कुल राजस्व | 32,606 | 1,86,751 | 2,19,357 | 31,509 | 1,75,988 | 2,07,498 |

टिप्पणी: वर्ष 2012–13 के लिए आंकड़े नई उन जुड़ी कंपनियों की सूचना के साथ अद्यतन किए जा चुके है, जिन्होंने तुलनात्मक विश्लेषण के लिए भा.दू.वि.प्रा. को 2013–14 से जानकारी दी थी।

चित्र–4: प्रमुख अभिगम दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का राजस्व

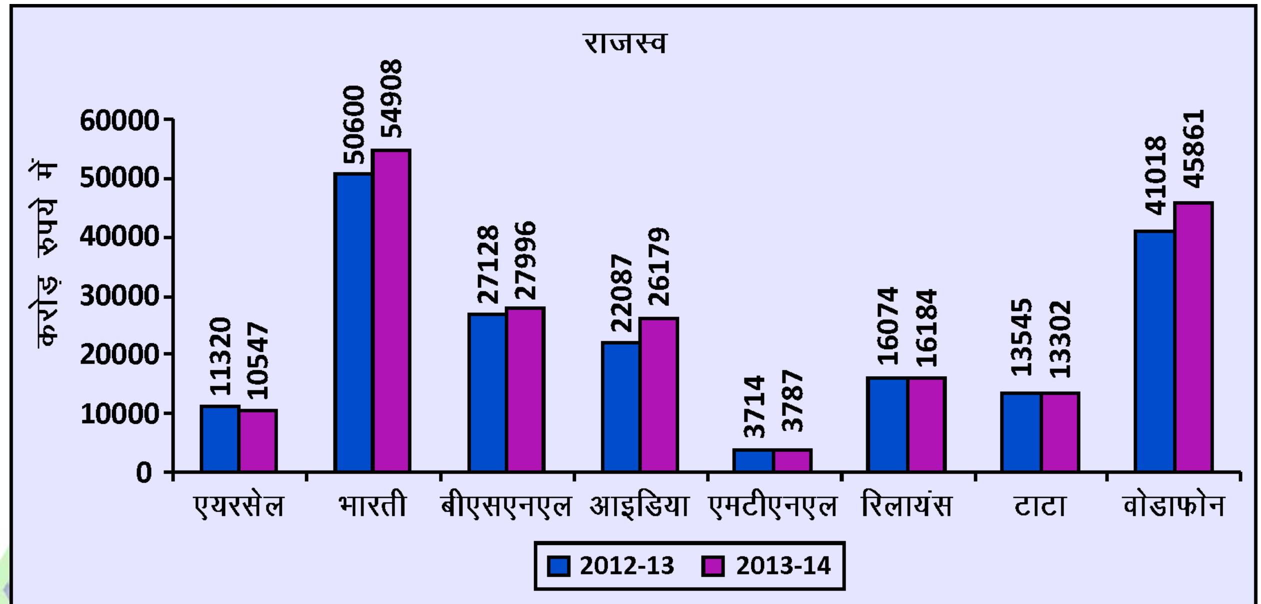


30,358 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2013–14 में 43,723 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 44.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2013–14 में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ईबीआईटीडीए में वृद्धि 41.65 प्रतिशत थी जबकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए 40.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2013–14 के लिए दूरसंचार सेवा क्षेत्र की ईबीआईटीडीए मार्जिन पिछले वर्ष 14.63 प्रतिशत की तुलना में 19.93 प्रतिशत रहा था। सार्वजनिक व प्राइवेट सेक्टर का ईबीआईटीडीए **तालिका–5** में तथा दूरसंचार सेवा सेक्टर का ईबीआईटीडीए मार्जिन **चित्र–5** में दर्शाया गया है।

## दूरसंचार सेवा क्षेत्र का परिचालन व्यय अनुपात

दूरसंचार सेवा क्षेत्र की कुल परिचालन व्यय अनुपात में 5.30 प्रतिशत की कमी आई है। इसे **तालिका–6** व **चित्र–6** में दर्शाया गया है।

## नियोजित पूंजी

नियोजित पूंजी व्यापार के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि या व्यापार को चलाने के लिए पूंजी को प्रदर्शित करती है।

## तालिका–5: 2012–13 और 2013–14 में क्षेत्र–वार ईबीआईटीडीए

(रुपए करोड़ में)

| विवरण | 2013-14 | | | 2012-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सार्वजनिक | निजी | कुल | सार्वजनिक | निजी | कुल |
| ईबीआईटीडीए | -799 | 44,522 | 43,723 | -1,370 | 31,728 | 30,358 |

चित्र 5: दूरसंचार सेवा क्षेत्र का ईबीआईटीडीए मार्जिन

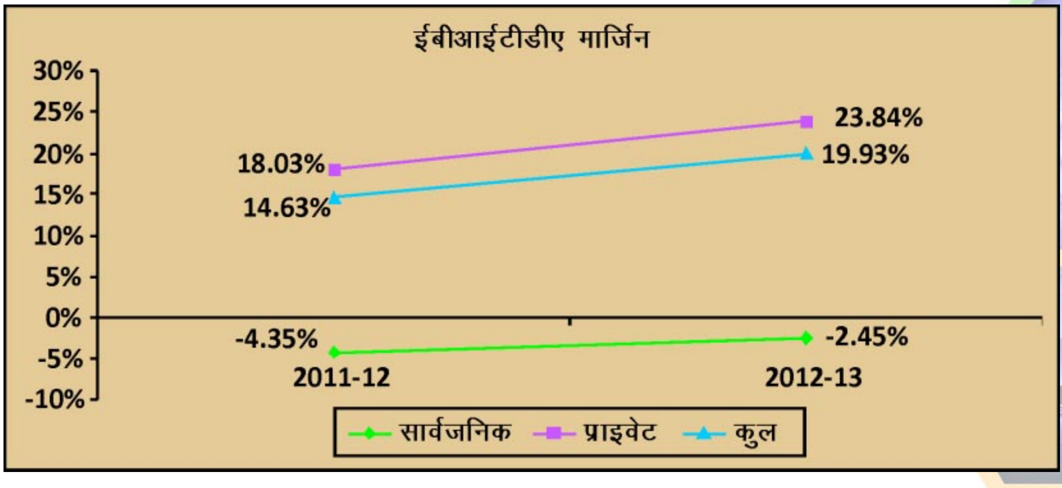


## तालिका 6: क्षेत्र–वार परिचालन व्यय और उसके अनुपात

| विवरण | 2013-14 | | | 2012-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सार्वजनिक | निजी | कुल | सार्वजनिक | निजी | कुल |
| परिचालन व्यय (रू. करोड़ में) | 33,406 | 1,42,229 | 1,75,635 | 32,879 | 1,44,260 | 1,77,140 |
| परिचालन व्यय अनुपात | 102.45% | 76.16% | 80.07% | 104.35% | 81.97% | 85.37% |

चित्र 6: परिचालन व्यय अनुपात

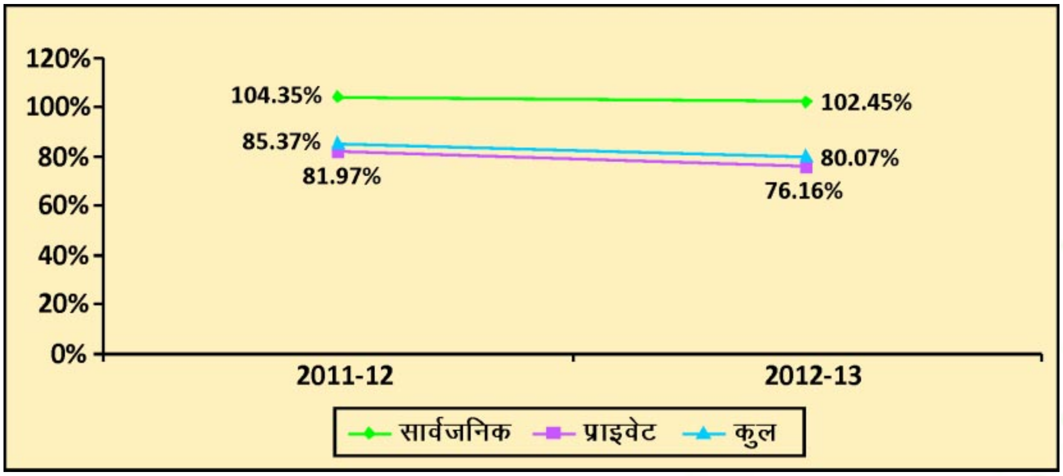

नियोजित पूंजी में पिछले वर्ष की तुलना में 16.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र ने 1.93 प्रतिशत की मामूली वृद्धि और निजी क्षेत्र ने 21.36 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसे **तालिका–7** व **चित्र–7** में दर्शाया गया है।

## पूंजी निवेश (सकल ब्लॉक)

दूरसंचार सेवा क्षेत्र में सकल ब्लॉक में 0.36 प्रतिशत की मामूली कमी हुई है। निजी क्षेत्र में 2.98 प्रतिशत की वृद्धि, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में 6.03 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है। इसे **तालिका–8** व **चित्र–8** में दर्शाया गया है। नियोजित पूंजी टर्नओवर अनुपात को **तालिका–9** व **चित्र–9** में दर्शाया गया है।

## निवल अचल परिसंपत्ति (नेट ब्लॉक) टर्नओवर अनुपात

अचल परिसंपत्ति (नेट) टर्नओवर अनुपातः दूरसंचार सेवा/नेट ब्लॉक से राजस्व। इसे **तालिका–10** व **चित्र–10** में दर्शाया गया है।

### तालिका 7: नियोजित पूंजी

(रुपए करोड़ में)

| विवरण | 2013-14 | | | 2012-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सार्वजनिक | निजी | कुल | सार्वजनिक | निजी | कुल |
| नियोजित पूंजी | 75,048 | 2,79,006 | 3,54,054 | 73,629 | 2,29,896 | 3,03,525 |

### चित्र 7: दूरसंचार सेवा क्षेत्र में नियोजित पूंजी

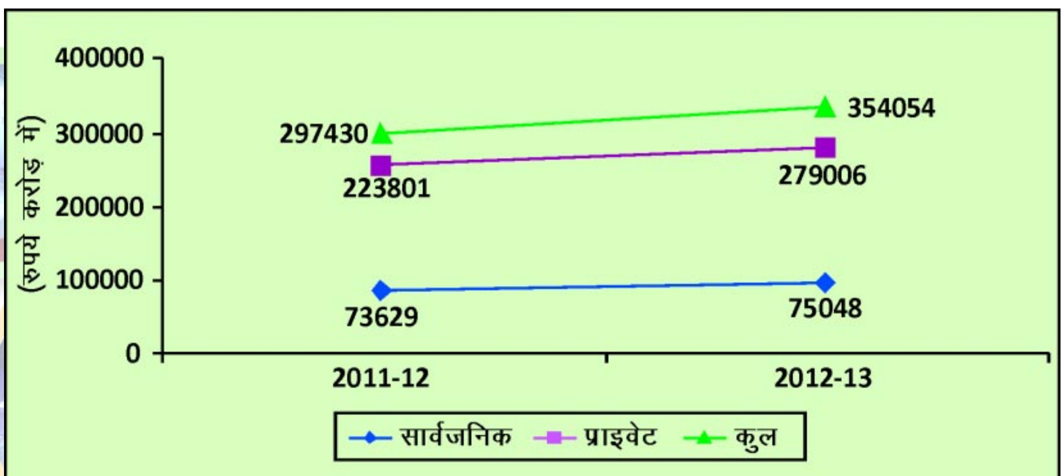


### तालिका 8: सकल ब्लॉक में क्षेत्रवार निवेश (अचल परिसंपत्ति)

(रुपए करोड़ में)

| विवरण | 2013-14 | | | 2012-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सार्वजनिक | निजी | कुल | सार्वजनिक | निजी | कुल |
| सकल ब्लॉक | 1,96,860 | 3,65,665 | 5,62,524 | 2,09,482 | 3,55,076 | 5,64,558 |

चित्र 8: प्रमुख अभिगम दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का सकल ब्लॉक (अचल परिसंपत्ति)

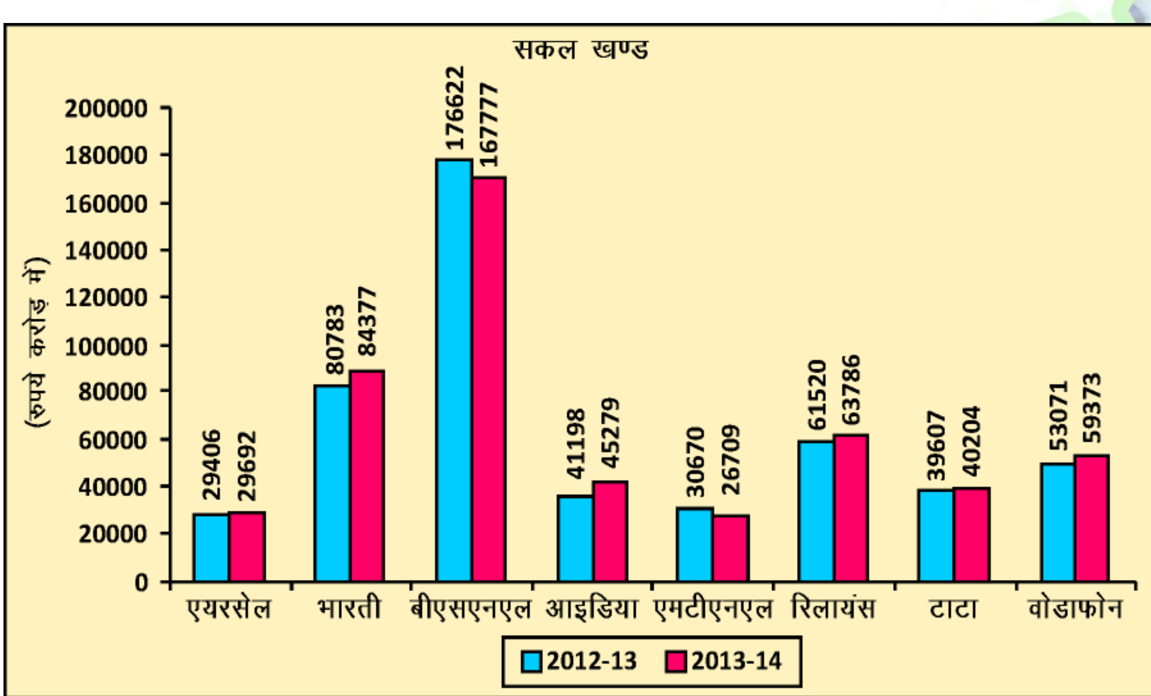


तालिका 9: नियोजित पूंजी टर्नओवर अनुपात

| विवरण | 2013-14 | | | 2012-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सार्वजनिक | निजी | कुल | सार्वजनिक | निजी | कुल |
| नियोजित पूंजी टर्नओवर अनुपात (% में) | 40.35% | 64.51% | 59.39% | 40.31% | 72.32% | 64.55% |

चित्र 9: नियोजित पूंजी टर्नओवर अनुपात

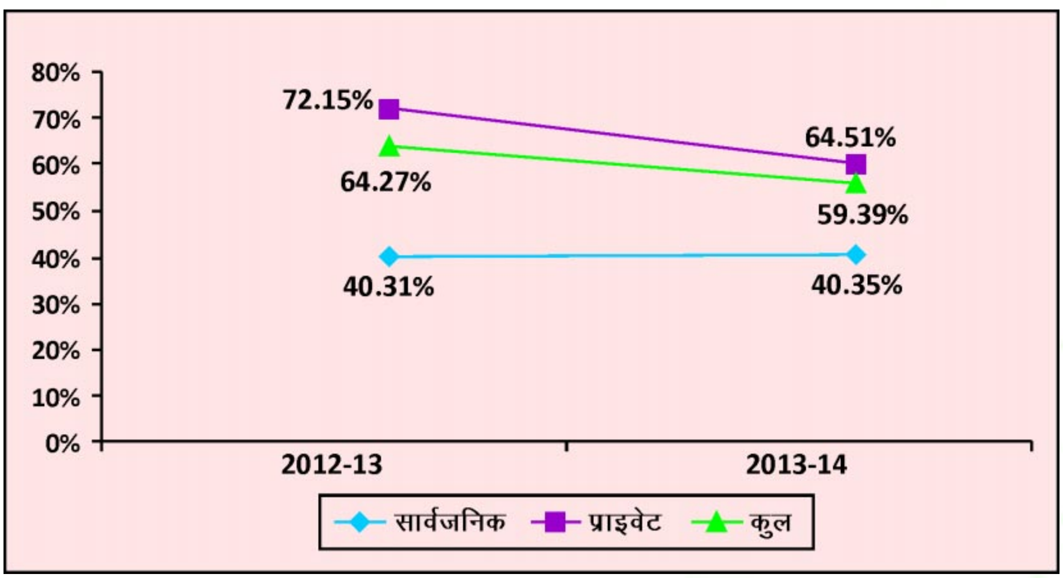

### तालिका 10: अचल परिसंपत्ति (नेट) टर्नओवर अनुपात

| विवरण | 2013-14 | | | 2012-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सार्वजनिक | निजी | कुल | सार्वजनिक | निजी | कुल |
| अचल परिसंपत्ति (नेट) टर्नओवर अनुपात (% में) | 47.94% | 88.12% | 78.63% | 36.75% | 77.28% | 66.22% |

### चित्र 10: अचल परिसंपत्ति (नेट) टर्नओवर अनुपात

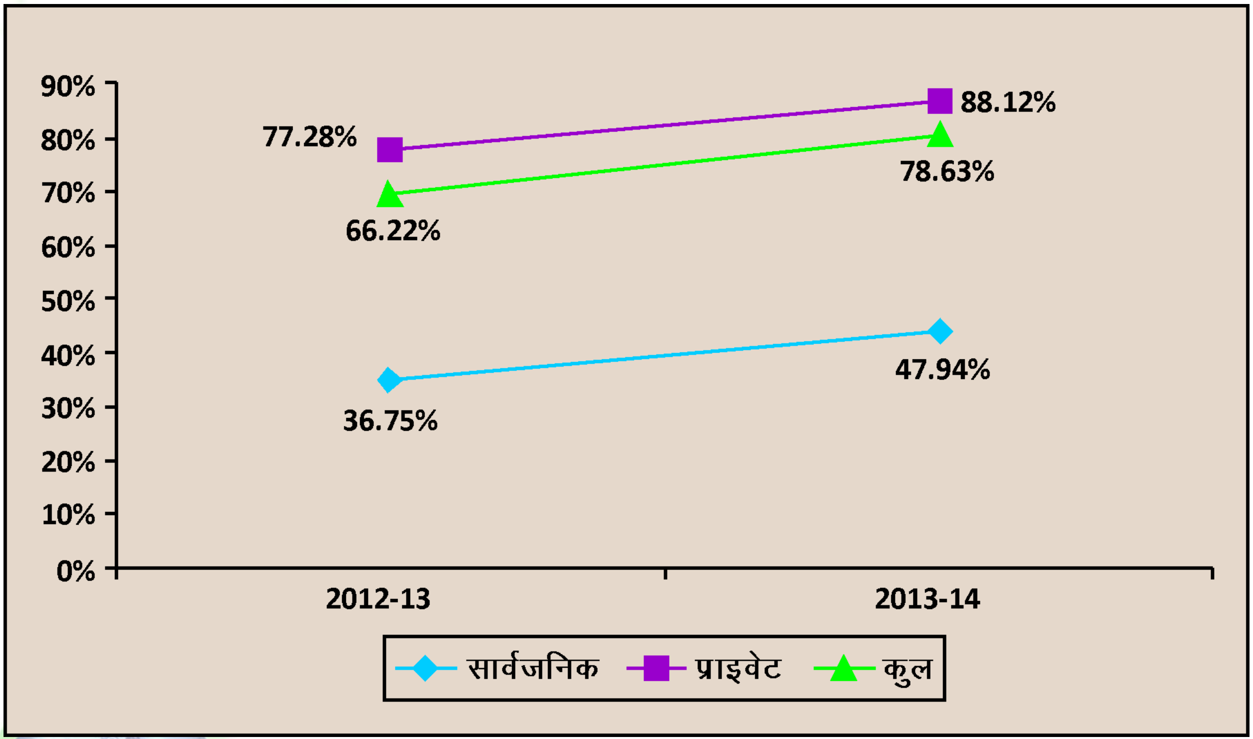


## ऋण इक्विटी अनुपात

2013–14 में दूरसंचार सेवा क्षेत्र का ऋण इक्विटी का अनुपात 1.26 तक थोड़ा बढ़ गया है। निजी क्षेत्र का ऋण इक्विटी अनुपात सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में काफी अधिक है। इसे **तालिका–11** व **चित्र–11** में दर्शाया गया है।

### तालिका 11: क्षेत्र–वार ऋण इक्विटी अनुपात

| विवरण | 2013-14 | | | 2012-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सार्वजनिक | निजी | कुल | सार्वजनिक | निजी | कुल |
| ऋण इक्विटी अनुपात (गुणा में) | 0.29 | 1.74 | 1.26 | 0.26 | 1.81 | 1.25 |

चित्र 11: ऋण इक्विटी अनुपात

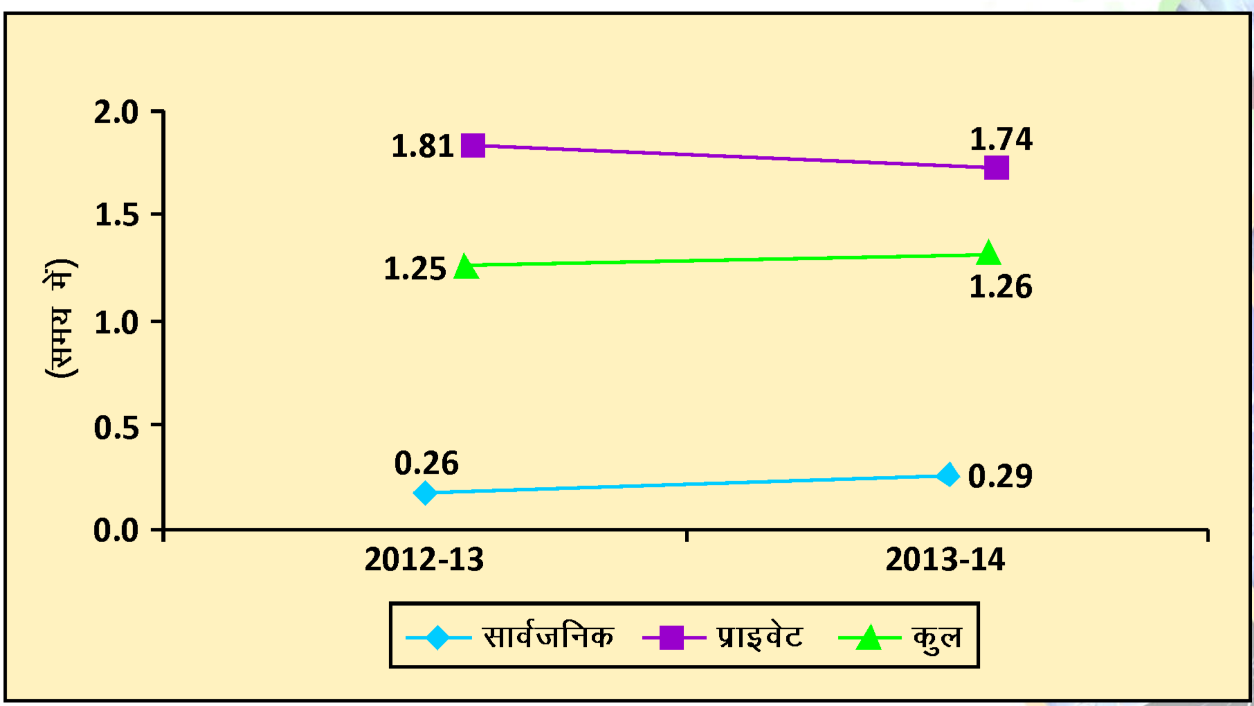

# (ख) नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा

1.2 दूरसंचार क्षेत्र (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क; (ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार; (ग) मूलभूत और मूल्यवर्धित दोनों सेवाओं में निजी क्षेत्र के प्रवेश; (घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतःसम्बद्धता; (ड.) दूरसंचार प्रौद्योगिकी; (च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन; (छ) सेवा की गुणवत्ता और (ज) सार्वभौमिक सेवा प्रतिबद्धता के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की नीतियों और कार्यक्रमों की व्याख्या नीचे की गई है :–

## 1.2.1 ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

### 1.2.1.1 वायरलैस

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, वायरलैस ग्रामीण {मोबाइल और डब्ल्यूएलएल(एफ)} बाजार 31 मार्च, 2013 के 342.50 मिलियन के स्थान पर 371.78 मिलियन तक पहुंच गया है। प्रदर्शन सूचक रिपोर्ट के अनुसार, 41.10 प्रतिशत कुल वायरलैस उपभोक्ता अब ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हैं। ग्रामीण उपभोक्ता आधार को मार्च 2009 से **चित्र–12** में दर्शाया गया है। सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलेस उपभोक्ता आधार और उनकी बाजार हिस्सेदारी को क्रमशः **तालिका–12** और **चित्र–13** में दर्शाया गया है।

**चित्र 12 : ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता आधार (मिलियन में)**

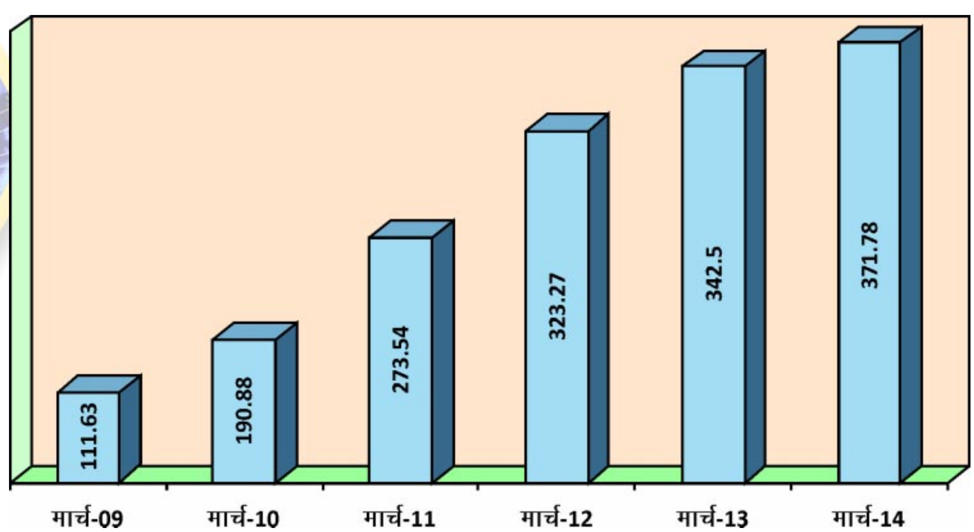

### तालिका–12: सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता और बाजार हिस्सा

| क्र.सं. | वायरलैस समूह | मार्च–14 को उपभोक्ता (मिलियन में) | मार्च–13 को उपभोक्ता (मिलियन में) | मार्च–14 को ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन में) | मार्च–13 को ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन में) | मार्च–14 को ग्रामीण उपभोक्ताओं का बाजार हिस्सा | मार्च–13 को ग्रामीण उपभोक्ताओं का बाजार हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भारती | 205.39 | 188.20 | 93.76 | 82.16 | 25.22 | 23.99 |
| 2. | वोडाफोन | 166.56 | 152.35 | 89.39 | 82.29 | 24.04 | 24.02 |
| 3. | आइडिया/ स्पाइस | 135.79 | 121.61 | 74.72 | 65.78 | 20.10 | 19.21 |
| 4. | रिलायंस | 110.89 | 122.97 | 27.32 | 29.34 | 7.35 | 8.57 |
| 5. | बीएसएनएल | 94.65 | 101.21 | 32.53 | 34.84 | 8.75 | 10.17 |
| 6. | एयरसैल | 70.15 | 60.07 | 25.51 | 22.33 | 6.86 | 6.52 |
| 7. | टाटा | 63.00 | 66.42 | 15.19 | 13.78 | 4.09 | 4.02 |
| 8. | टेलीविंग्स (पूर्व में यूनीटेक) | 35.61 | 31.68 | 11.20 | 10.04 | 3.01 | 2.93 |
| 9. | सिस्टेमा | 9.04 | 11.91 | 2.11 | 1.93 | 0.57 | 0.56 |
| 10. | वीडियोकॉन | 4.99 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | एमटीएनएल | 3.37 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | लूप | 2.90 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | क्वाड्रंट | 2.17 | 1.37 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| | **कुल** | **904.51** | **867.80** | **371.78** | **342.50** | **100.00** | **100.00** |

### चित्र–13: ग्रामीण वायरलेस उपभोक्ता आधार को सेवाप्रदाताओं का बाजार हिस्सा

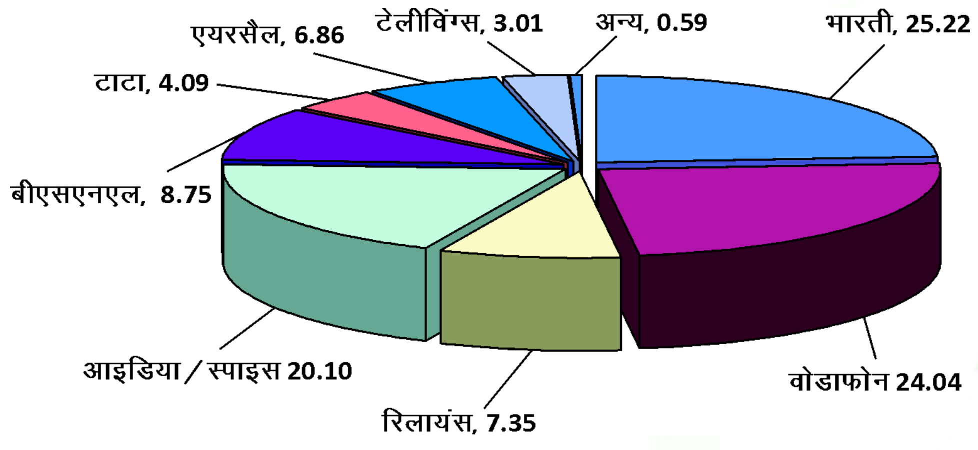


टिप्पणी: अन्य में सिस्टेमा और क्वाड्रंट

### 1.2.1.2 वायरलाइन

ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार घटता जा रहा है। ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार जो 31 मार्च, 2013 के अंत में 6.71 मिलियन था, 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार 5.96 मिलियन हो गया था। सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार और उनका बाजार हिस्सा और पिछली चार तिमाहियों के अंत में ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं को तालिका–13 और चित्र–14 में दर्शाया गया है।

**तालिका–13: सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्सा**

| क्र.सं. | वायरलाइन समूह | कुल वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में) | | ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में) | | ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं का बाजार हिस्सा (प्रतिशत में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मार्च, 13 | मार्च, 14 | मार्च, 13 | मार्च, 14 | मार्च, 13 | मार्च, 14 |
| 1 | बीएसएनएल | 20.45 | 18.49 | 6.65 | 5.89 | 99.13% | 98.98% |
| 2 | एमटीएनएल | 3.46 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | भारती | 3.28 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | रिलांयस | 1.24 | 0.21 | 0.002 | 0.000 | 0.03% | 0.00% |
| 5 | टाटा | 1.51 | 0.06 | 0.048 | 0.01 | 0.71% | 0.16% |
| 6 | क्वाड्रंट (एचएफसीएल) | 0.19 | 1.55 | 0.00 | 0.05 | 0.00% | 0.83% |
| 7 | सिस्टेमा श्याम | 0.05 | 1.24 | 0.009 | 0.00 | 0.13% | 0.03% |
| 8 | वोडाफोन | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | कुल | **30.21** | **28.50** | **6.71** | **5.96** | **100.00%** | **100.00%** |

**चित्र–14: पिछली चार तिमाही के अंत में ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता**

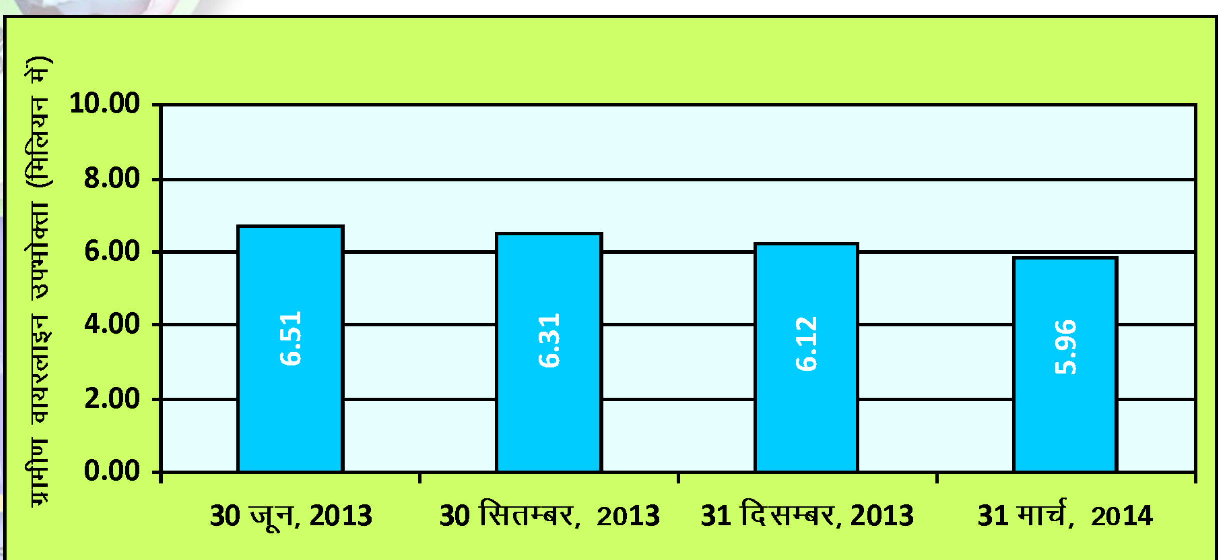

## 1.2.2. टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

### 1.2.2.1 वायरलैस सेवाएं

वायरलैस उपभोक्ता आधार 31 मार्च, 2013 को 867.80 मिलियन के उपभोक्ता आधार की तुलना में 31 मार्च, 2014 को 904.51 मिलियन था। वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपभोक्ता आधार में 36.71 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ वृद्धि हुई। वायरलैस सेवाओं का कुल उपभोक्ता आधार मार्च 2009 के 391.76 मिलियन से बढ़कर मार्च 2014 में 904.51 मिलियन हो गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत में 904.51 मिलियन उपभोक्ताओं में से 847.41 मिलियन (93.69 प्रतिशत) जीएसएम उपभोक्ता थे और 57.10 मिलियन (6.31 प्रतिशत) सीडीएमए उपभोक्ता थे। मार्च 2009 से मार्च 2014 तक उपभोक्ता आधार की प्रवृत्ति **चित्र–15** में दर्शाई गई है।

वर्ष 2008–09 से 2013–14 तक अलग–अलग वायरलैस सेवा प्रदाताओं (जीएसएम एवं सीडीएमए) का उपभोक्ता आधार तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान उनकी प्रतिशत वृद्धि को रिपोर्ट के इस भाग के अंत में **अनुबंध–I** में दिया गया है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी **चित्र–16** में दर्शाई गई है। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त वायरलैस सेवा प्रदाताओं की सूची रिपोर्ट के इस भाग के अंत में **अनुबंध–II** में दी गई है।

वायरलैस खंड में जीएसएम का उपभोक्ता आधार मार्च 2013 के अंत में 794.03 मिलियन था जिसकी तुलना में मार्च 2014 के अंत में यह 847.41 मिलियन उपभोक्ता हो गया। जीएसएम उपभोक्ता आधार इस वर्ष के दौरान लगभग 53.38 मिलियन बढ़ गया है।

**चित्र–15: 31 मार्च, 2014 को वायरलैस ऑपरेटरों का उपभोक्ता आधार (मिलियन में)**

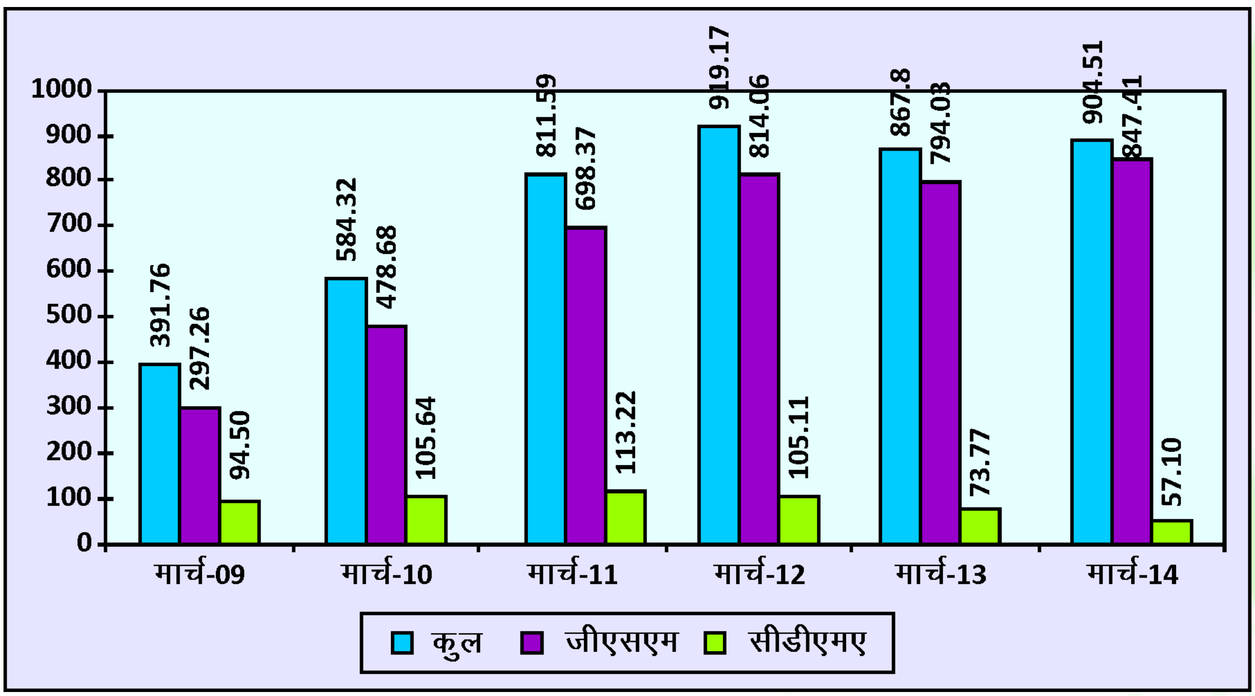

चित्र 16: वायरलैस सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा (31 मार्च, 2014 को)

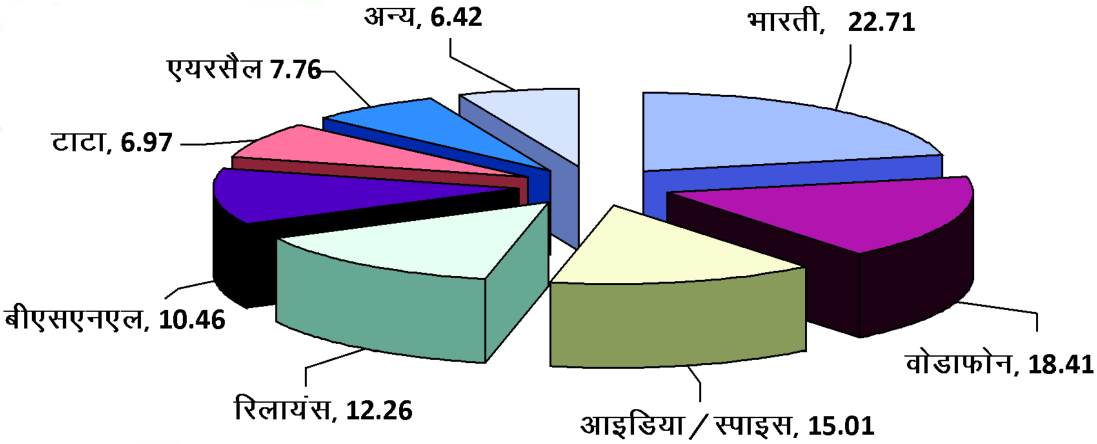


जीएसएम सेवाओं के उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्सेदारी की दृष्टि से, 205.39 मिलियन उपभोक्ता आधार के साथ मैसर्स भारती सबसे बड़ा जीएसएम सेवा प्रदाता बना रहा जिसके बाद 166.56 मिलियन, 135.79 मिलियन और 92.40 मिलियन के साथ क्रमशः मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स आइडिया/स्पाइस, और मैसर्स बीएसएनएल का स्थान रहा। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार विभिन्न जीएसएम ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी **चित्र–17** में दर्शायी गई है।

सेल्युलर सीडीएमए सेवाओं में, उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्सेदारी की दृष्टि से, 28.95 मिलियन उपभोक्ता आधार के साथ मैसर्स रिलायन्स सबसे बड़ा सीडीएमए ऑपरेटर रहा जिसके बाद 16.74 मिलियन, और 9.04 मिलियन के उपभोक्ता आधार के साथ क्रमशः मैसर्स टाटा और मैसर्स सिस्टेमा का स्थान रहा। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार विभिन्न सीडीएमए ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी **चित्र–18** में दर्शायी गई है।

तालिका–17: (31 मार्च 2014 को) जीएसएम ऑपरेटरों का बाजार हिस्सा (%)

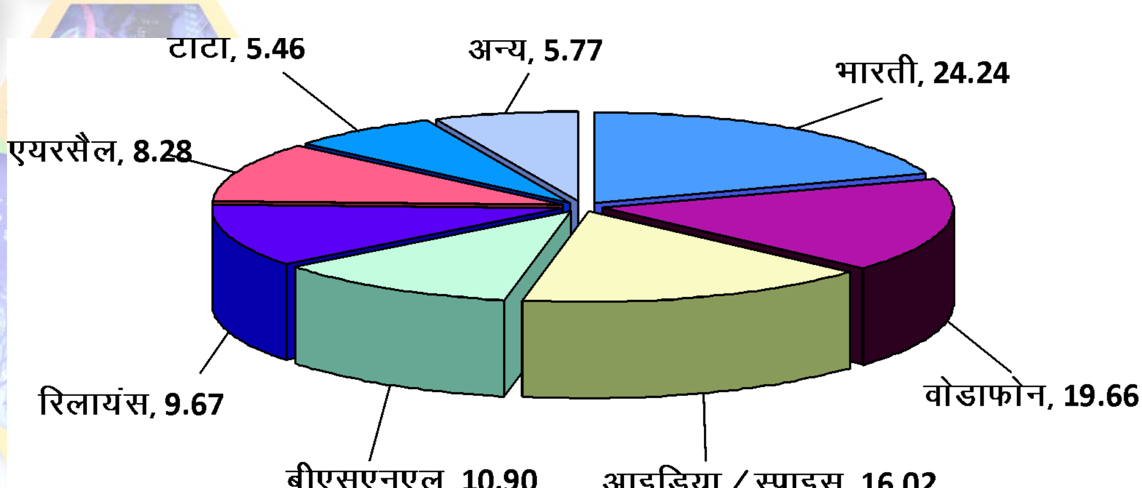

चित्र 18: (31 मार्च 2014 को) सीडीएमए ऑपरेटरों का बाजार हिस्सा (%)

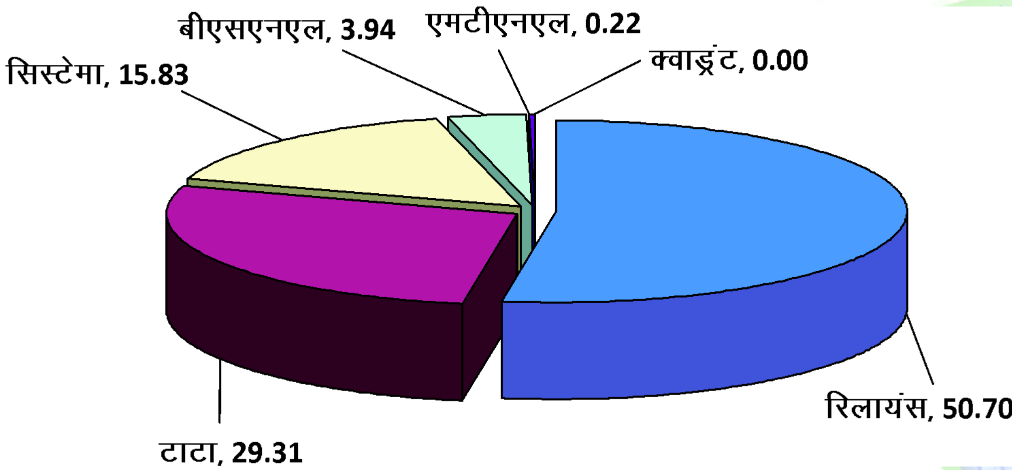


चित्र 19: मार्च, 2009 से 31 मार्च, 2014 तक महानगरों एवं सर्किल में वायरलैस सेवाओं का उपभोक्ता आधार (आंकड़ें मिलियन में)

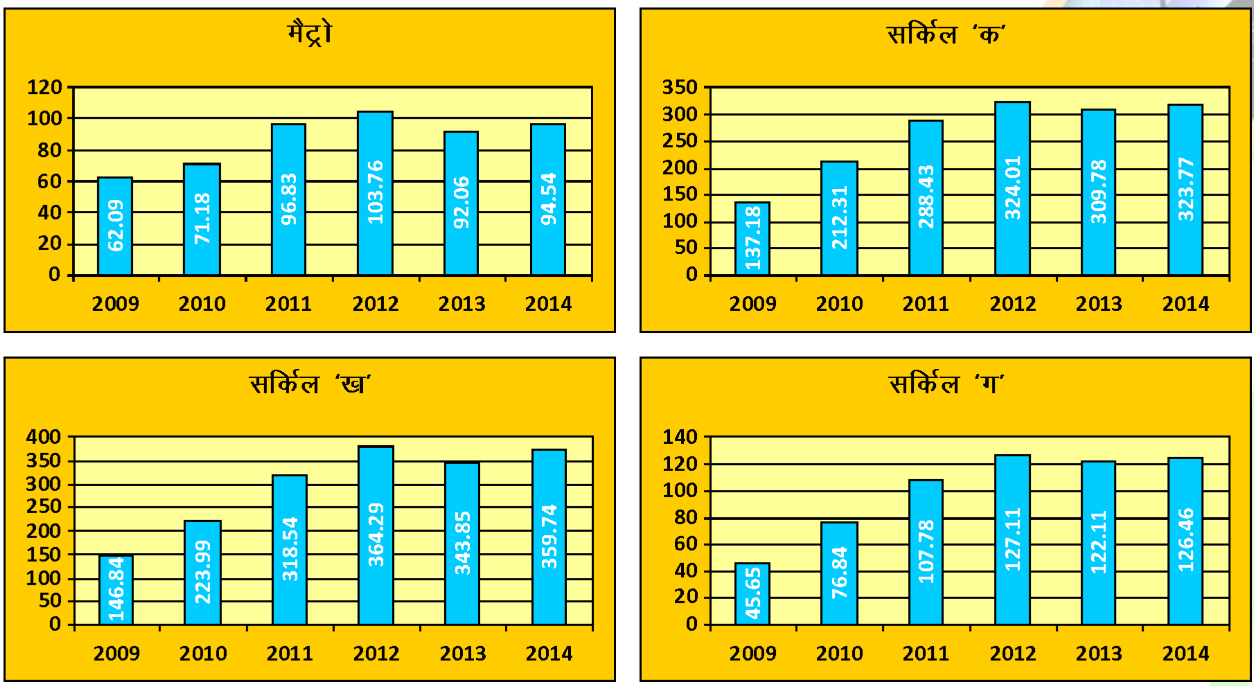


मार्च 2009 से मार्च 2014 की अवधि के लिए विभिन्न श्रेणियों के सेवा क्षेत्रों में सेल्युलर वायरलैस सेवाओं का उपभोक्ता आधार ग्राफ के रूप में **चित्र–19** में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13 और 2013–14 के दौरान विभिन्न सर्किलों में वायरलैस उपभोक्ताओं में वृद्धि और वार्षिक वृद्धि दर रिपोर्ट के इस भाग के अंत में **अनुबंध–III** में दर्शायी गई है। वायरलैस सेवाओं हेतु कुल उपभोक्ता आधार 4.23 प्रतिशत बढ़ गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान श्रेणी 'ख' सर्किलों में 4.62 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि देखी गई।

### 1.2.2.2 वायरलाइन सेवाएं

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, कुल वायरलाइन उपभोक्ता आधार 28.50 मिलियन था। वायरलाइन उपभोक्ताओं की सेवा प्रदातावार स्थिति **तालिका–14** में दर्शायी गई है। मौजूदा बीएसएनएल और एमटीएनएल उपभोक्ता आधार में क्रमशः 64.87 प्रतिशत और 12.43 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि सभी छह निजी ऑपरेटरों की 22.70 प्रतिशत हिस्सेदारी है। निजी ऑपरेटरों की हिस्सेदारी दिनांक 31 मार्च, 2013 को 20.88 प्रतिशत थी जो बढ़कर 31 मार्च, 2014 तक 22.70 प्रतिशत हो गई।

पिछले पांच वर्षों के दौरान वायरलाइन उपभोक्ता आधार **चित्र–20** में दर्शाया गया है।

**तालिका–14: 31 मार्च, 2014 को वायरलाइन उपभोक्ता आधार का सेवा प्रदातावार विवरण**

| क्र.सं. | सेवा प्रदाता का नाम | परिचालन का क्षेत्र | उपभोक्ता आधार (वायरलाइन) |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) | दिल्ली और मुंबई को छोड़कर संपूर्ण भारत | 1,84,88,147 |
| 2 | महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) | दिल्ली और मुंबई | 35,42,075 |
| 3 | भारती एयरटेल लिमिटेड और भारती हैक्साकॉम लिमिटेड | आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित) उ.प्र. (पूर्व), उ.प्र. (पश्चिम)। | 33,56,141 |
| 4 | क्वाड्रंट टेलीवेन्चर लिमिटेड (पूर्व में एचएफसीएल) | पंजाब | 2,12,549 |
| 5 | सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड | राजस्थान | 55,213 |
| 6 | टाटा टेलीसर्विसेज़ लिमिटेड एवं टाटा टेलीसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लिमिटेड | आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, महाराष्ट्र, मुंबई, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, ओडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उ.प्र. (पूर्व), उ.प्र. (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल। | 19,49,648 |
| 7 | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | आंध्र प्रदेश, बिहार, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उ.प्र. (पूर्व), उ.प्र. (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल। | 12,39,722 |
| 8 | वोडाफोन ग्रुप | आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुम्बई, ओडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उ.प्र. (पूर्व), उ.प्र. (पश्चिम), पश्चिम बंगाल, हरियाणा एवं पूर्वोत्तर | 55,350 |

**स्रोतः** सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार।

चित्र 20 : पिछले पांच वर्षों के लिए वायरलाइन उपभोक्ता आधार

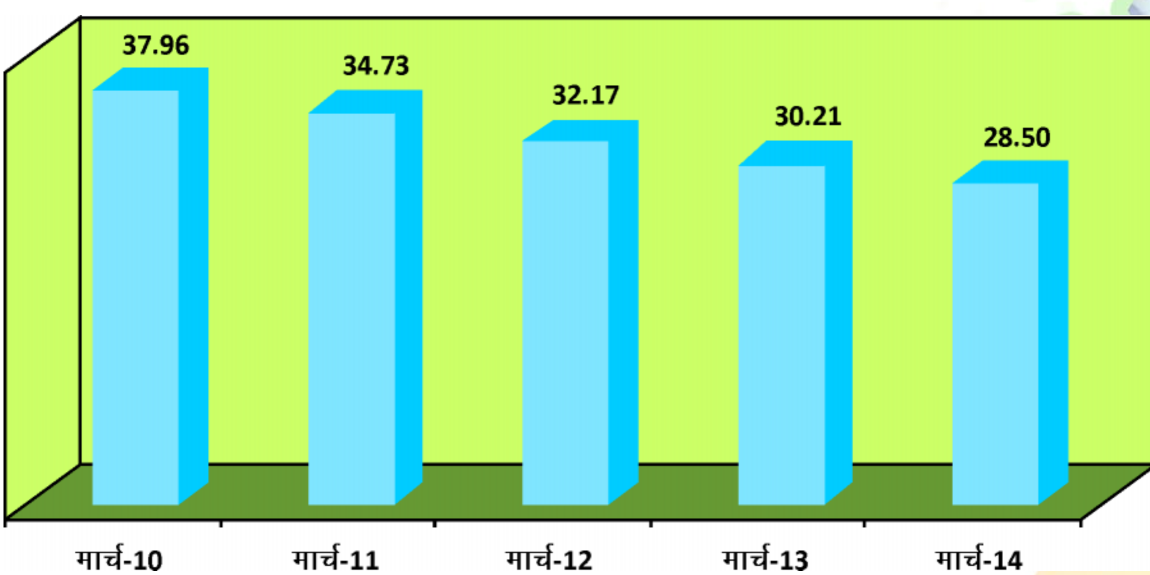


कुल वायरलाइन उपभोक्ताओं में सेवा–प्रदाता वार बाजार हिस्सेदारी **चित्र–21** में दर्शायी गयी हैं।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कुल शहरी वायरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या 22.54 मिलियन थी। शहरी क्षेत्रों में वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी **चित्र–22** में दर्शायी गयी है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कुल ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या 5.96 मिलियन थी। ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलाइन सेवा–प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी **चित्र–23** में दर्शायी गयी है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के अंत में ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार **चित्र–24** में दर्शाया गया है।

**चित्र–21: 31 मार्च 2014 को वायरलाइन सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा (% में)**

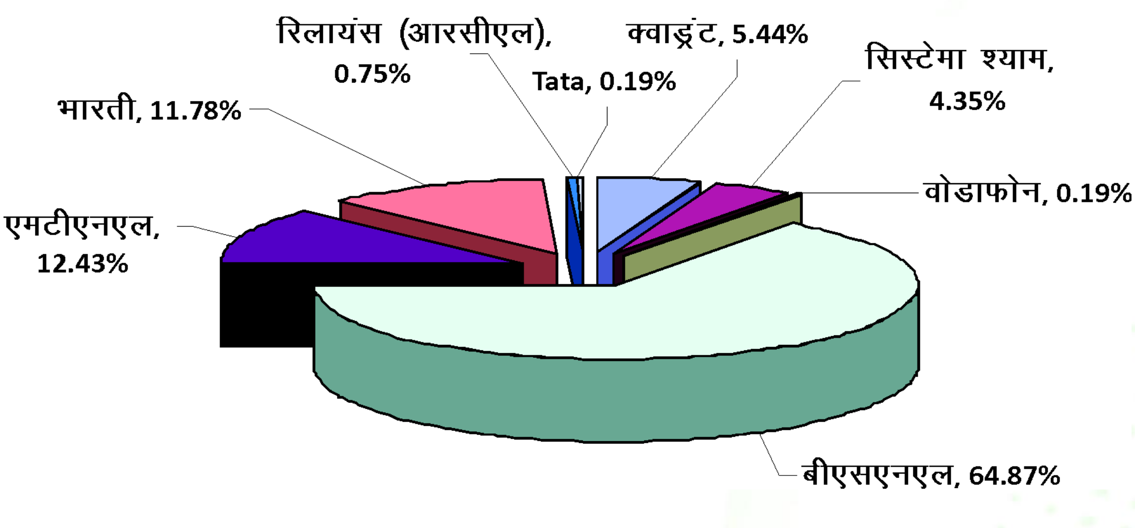

चित्र 22 : 31 मार्च, 2014 को शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा

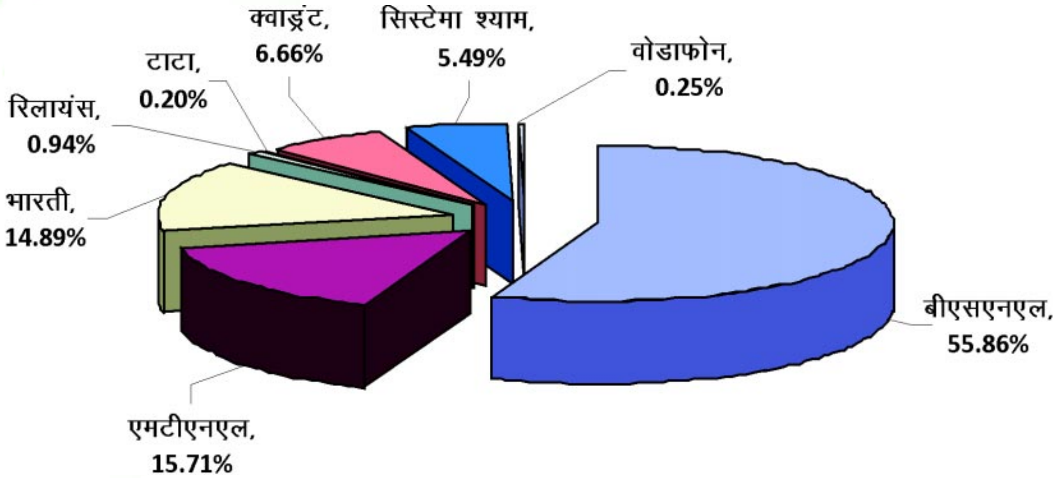


चित्र 23 : 31 मार्च, 2014 को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा

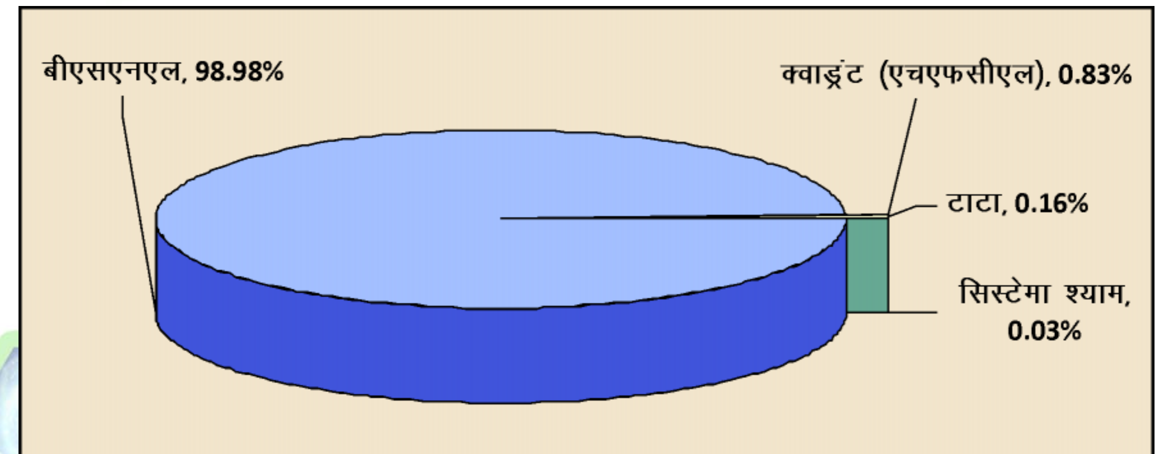


चित्र 24 : पिछले पांच वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता

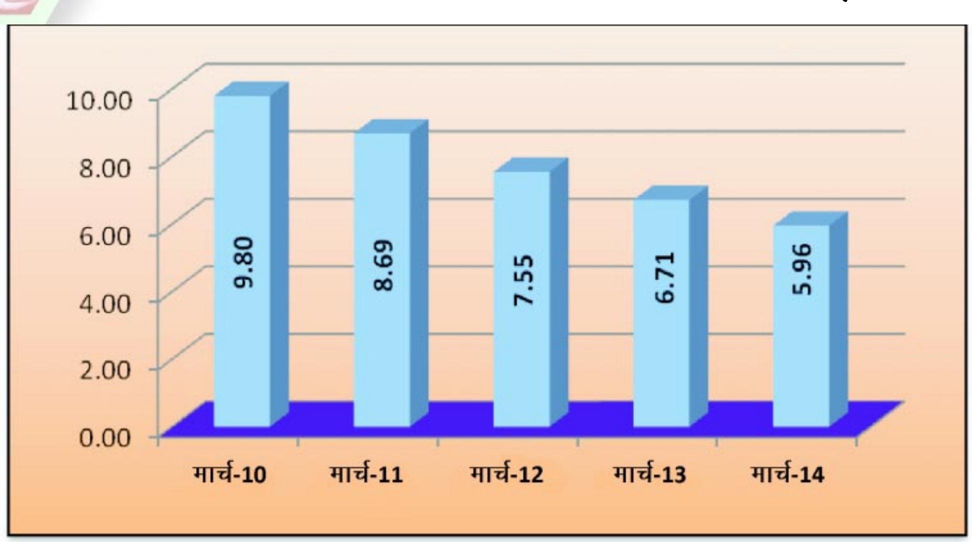

### 1.2.2.3 पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ):

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) की कुल संख्या 31 मार्च, 2013 के 1.26 मिलियन की तुलना में 0.96 मिलियन थी। बीएसएनएल, एमटीएनएल और निजी ऑपरेटरों द्वारा प्रदत्त पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) की संख्या **तालिका–15** में दर्शायी गई है।

### 1.2.2.4 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी):

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की कुल संख्या 31 मार्च, 2013 के 5.90 लाख की तुलना में 5.89 लाख थी। सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की संख्या **तालिका–16** में दर्शायी गई है।

**तालिका 15 : देश में पब्लिक कॉल ऑफिस**

| क्र.सं. | सेवा प्रदाता का नाम | 31 मार्च, 2013 को | 31 मार्च, 2014 को |
|---|---|---|---|
| 1 | बीएसएनएल | 7,96,171 | 6,15,124 |
| 2 | एमटीएनएल | 1,50,295 | 1,43,396 |
| 3 | निजी ऑपरेटर | 3,15,480 | 1,98,468 |
| | **कुल** | **12,61,946** | **9,56,988** |

**तालिका 16 : भारत में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन**

| क्र.सं. | सेवा प्रदाता का नाम | 31 मार्च, 2013 को | 31 मार्च, 2014 को |
|---|---|---|---|
| 1 | बीएसएनएल | 5,82,969 | 5,81,924 |
| 2 | एमटीएनएल | 0 | 0 |
| 3 | निजी ऑपरेटर | 6,662 | 6,988 |
| | **कुल** | **5,89,631** | **5,88,912** |

### 1.2.2.4 सुसज्जित स्विचिंग क्षमता:

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, सेवा प्रदातावार सुसज्जित स्विचिंग क्षमता और कार्यशील कनेक्शनों को **तालिका–17** में दर्शाया गया है।

### 1.2.2.5 इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ता

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, देश में इंटरनेट उपभोक्ता आधार 31 मार्च, 2013 के 164.81 मिलियन[3] की तुलना में 251.59 मिलियन था। ब्रॉडबैंड सेवा के संबंध में, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 18 जुलाई, 2013 की अधिसूचना के तहत ब्रॉडबैंड की परिभाषा का निम्नलिखित रूप से संशोधित किया था–

*''ब्रॉबैंड एक डेटा कनेक्शन है, जो इंटरनेट एक्सेस सहित परस्पर क्रियात्मक सेवाओं को समर्थ बनाने में सक्षम है और ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सेवा प्रदाता के उपस्थिति बिंदु (पीओपी) से एक वैयक्तिक ग्राहक को 512 केबीपीएस की न्यूनमत डाउनलोड स्पीड प्रदान करने की क्षमता रखता है।''*

### तालिका–17: सेवा प्रदातावार सुसज्जित स्विचिंग क्षमता

| क्र.सं. | सेवा प्रदाता का नाम | सेवा क्षेत्र | सुसज्जित स्विचिंग क्षमता | कार्यशील कनेक्शन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) | दिल्ली और मुंबई को छोड़कर संपूर्ण भारत | 3,83,99,163 | 1,84,88,147 |
| 2 | महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड | दिल्ली और मुंबई | 54,46,305 | 35,42,075 |
| 3 | भारती एयरटेल लिमिटेड और भारती हैक्साकॉम लिमिटेड | आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित) उ.प्र. (पूर्व), उ.प्र. (पश्चिम) उत्तरांचल सहित। | 1,08,74,000 | 33,56,141 |
| 4 | क्वाड्रंट टेलीवेन्चर लिमिटेड | पंजाब | 5,48,835 | 2,12,549 |
| 5 | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | आंध्र प्रदेश, बिहार, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उ.प्र. (पूर्व), उ.प्र. (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल। | 27,24,000 | 12,39,722 |
| 6 | सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड | राजस्थान | 64,000 | 55,213 |
| 7 | टाटा टेलीसर्विसेज़ लिमिटेड एवं टाटा टेलीसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लिमिटेड | आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पूर्वोत्तर, ओडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उ.प्र. (पूर्व), उ.प्र. (पश्चिम) उत्तरांचल सहित और पश्चिम बंगाल। | 28,96,207 | 15,49,648 |
| 8 | वोडाफोन | आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुम्बई, पूर्वोत्तर, ओडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उ.प्र. (पूर्व), उ.प्र. (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल | 2,25,000 | 55,350 |

**स्रोत:** *सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार।*

ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए न्यूनतम डाउनलोड गति को 256 केबीपीएस से बढ़ाकर 512 किलोबाइट्स प्रति सेकेंड (केबीपीएस) कर दिया गया है और ब्रॉडबैंड सेवा की सरकार द्वारा अधिसूचित परिभाषा में वायरलेस डेटा सेवाओं को भी शामिल किया गया है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल ब्रॉडबैंड उपभोक्ता आधार 31 मार्च, 2013 के 15.05 मिलियन (संशोधित परिभाषा के अनुसार) की तुलना में 60.87 मिलियन (संशोधित परिभाषा के अनुसार) था। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, देश में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं का विवरण **तालिका–18** में दर्शाया गया है–

2013–14 के लिए तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को **तालिका–19** में दर्शाया गया है।

**तालिका–18: 31 मार्च, 2014 को इंटरनेट/ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं का विवरण**

[मिलियन में उपभोक्ता]

| | सेगमेंट | | श्रेणी | इंटरनेट उपभोक्ता |
|---|---|---|---|---|
| क. | वायरड | | ब्रॉडबैंड | 14.86 |
| | | | नैरोबैंड | 3.64 |
| | | | **कुल** | 18.50 |
| ख. | वायरलेस | फिक्सड वायरलैस (वाई–फाई, वाई–मैक्स, रेडिया एवं वीसेट) | ब्रॉडबैंड | 0.40 |
| | | | नैरोबैंड | 0.04 |
| | | | **कुल** | 0.44 |
| | | मोबाइल वायरलैस (फोन + डोंगल) | ब्रॉडबैंड | 45.61 |
| | | | नैरोबैंड | 187.04 |
| | | | **कुल** | 232.65 |
| **कुल इंटरनेट उपभोक्ता** | | | **ब्रॉडबैंड** | **60.87** |
| | | | **नैरोबैंड** | **190.72** |
| | | | **कुल** | **251.59** |

**तालिका–19: 2013–14 की चार तिमाही के लिए ब्रॉडबैंड उपभोक्ता**

[मिलियन में उपभोक्ता]

| **सेवा** | **जून-13** | **सितम्बर-13** | **दिसम्बर-13** | **मार्च-14** |
|---|---|---|---|---|
| ब्रॉडबैंड | 15.20 | 15.35 | 55.20 | 60.87 |
| नैरोबैंड | 183.19 | 195.03 | 183.51 | 190.72 |
| **कुल इंटरनेट उपभोक्ता** | **198.39** | **210.38** | **238.71** | **251.59** |

टिप्पणी:

1. *ब्रॉडबैंड की पूर्व–संशोधित परिभाषा के अनुसार जून एवं सितंबर 2013 आंकड़े।*
2. *जून एवं सितंबर 2013 आंकड़े, गैर–रिपोर्टिंग के कारण बीएसएनएल मोबाइल उपकरण उपभोक्ताओं को छोड़कर।*

# 1.3 प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र में सामान्य परिदृश्य की समीक्षा

1.3.1 प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवा शामिल हैं। भारत दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद टेलीविजन का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। इससे जुड़े उद्योग के अनुमानों के अनुसार मार्च 2014 तक देश के 270[4] मिलियन घरों में से 1690 लाख घर केबल टीवी, डीटीएच सेवा, आईपीटीवी सेवा या फिर दूरदर्शन की स्थल सेवा से जुड़े हुए हैं। डीटीएच के 64.5 मिलियन पंजीकृत उपभोक्ता हैं (37.2 मिलियन सक्रिय उपभोक्ता हैं), आईपीटीवी लगभग पांच लाख लोगों तक पहुंचता है और केबल टीवी के 99 मिलियन उपभोक्ता हैं। दूरदर्शन का स्थलीय प्रसारण देश के 92 प्रतिशत आबादी तक अपने अनेकों स्थलीय ट्रांसमीटरों के जरिए पहुंचता है। प्रसारण और केबल टेलीविजन क्षेत्र में 55[2] शुल्क देने वाले प्रसारक, लगभग 60 हजार केबल ऑपरेटर, 6000 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (जिसमें 144 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर डीएएस के तहत पंजीकृत हैं), छह शुल्क देने वाले डीटीएच ऑपरेटर, और इसके अलावा दूरदर्शन की मुफ्त डीटीएच सेवा भी उपलब्ध है। वितीय वर्ष 2013–14 के अंत तक देश में 793 टीवी चैनल सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत थे। इनमें से 187 पे एसडी चैनल थे और 34 पे एचडी चैनल थे। भारत का टीवी उद्योग वर्ष 2012 के 37010[5] करोड़ रूपये पर लगभग 12.7 फीसदी की तेजी दर्ज करते हुए, वर्ष 2013 में बढ़कर 41720 करोड रूपये का हो गया। सदस्यता से होने वाली कमाई टीवी उद्योग के कुल कमाई का प्रमुख हिस्सा है। सदस्यता से होने वाली आय 2012 के 24500[4] करोड़ रूपये से बढ़कर 2013 में 28100 करोड़ रूपये हो गयी। भारत में टीवी क्षेत्र को विज्ञापन से होने वाली आय 2012 के 12000 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013 में

---

[2] इस रिपोर्ट में उल्लेख किए गए 2012–13 की वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाते हैं।
[4] एमपीए रिपोर्ट पर आधारित।
[5] फिक्की–केपीएमजी रिपोर्ट 2014 पर आधारित।

13800 करोड़ का हो गया। एफएम (फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन) रेडियो क्षेत्र में भी बेहतरीन वृद्धि दिखाई है। मार्च 2014 तक 242 निजी एफएम रेडियो स्टेशन कार्यरत थे। इसके अलावा लोक सेवा प्रसारक – आकाशवाणी के 413 स्टेशन और 584 ट्रांसमीटरों (140 मीडियम वेव, 236 एफएम और 48 शार्ट वेव)[6] भी कार्यरत हैं। आकाशवाणी की सेवा देश के 92 प्रतिशत भूभाग और 99.18 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है। रेडियो उद्योग, जो पूरी तरह से विज्ञापन पर निर्भर है, ने वर्ष 2013 में 15[4] प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इस उद्योग ने वर्ष 2013 में 1460 करोड़ रूपये की आय अर्जित की है जो इससे पहले 2012 में 1270 करोड़ रुपए थी। साथ ही मार्च 2014 तक कुल 194 कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों, जिन्हें लाइसेंस दिया गया था, में से 161 रेडियो स्टेशन कार्यरत थे।

1.3.2 पिछले दशक में केबल और टेलीविजन (सीएंडएस) बाज़ार के चलन और व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। डीटीएच के उपभोक्ताओं की संख्या प्रति महीने दस लाख उपभोक्ताओं की दर से बढ़ रही है। इससे साफ जाहिर है की लोगों के बीच डिजिटल मंच, जिससे उन्हें कई सेवाएं प्रदान की जा सकती है, की लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त ट्राई ने अपने 5 अगस्त 2010 के सुझावों में सरकार से केबल टीवी सेवा को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल करने को कहा। सरकार ने इन सुझाओं को स्वीकार और संसद ने केबल कानून में जरुरी बदलाव शामिल कर लिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा चार चरणों में केबल टीवी के प्रसारण को पूरे देश में डिजिटल करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गयी। पहले चरण में महानगरों में इस काम को पूरा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2012, दूसरे चरण में दस लाख से ज्यादा आबादी वाले 38 शहरों में डिजिटल सेवा लागू करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2013 थी। तीसरे चरण की अंतिम तारीख सितंबर 2014 और चौथे चरण की अंतिम तारीख दिसंबर 2014 है। डिजिटल प्रसारण सिस्टम (डीएएस) के पहले दो चरणों में मार्च 2014 तक 220 लाख से ज्यादा सेट टॉप बॉक्स लगाए जा चुके थे। डिजिटल सेवा के लागू होने से प्रसारण और केबल टीवी सेवा से इस क्षेत्र का नक्शा ही बदल जायेगा और इसमें संरचनागत तरीके से वृद्धि होगी।

## प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र

1.4 पिछले दो दशकों में हर साल प्रसारण एवं केबल टीवी सेवा क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में एनालॉग और डिजिटल केबल टीवी सेवा, डीटीएच सेवा, स्थानीय टीवी सेवा आईपीटीवी सेवा और रेडियो सेवा सम्मलित हैं। एफएम रेडियो सेवा में भी लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। उपभोक्ताओं की बढ़ती तादाद के अनुसार ही सेवा प्रदान करने वाले कंपनियों की संख्या भी बढ़ी है। प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न सेवाओं के विकास के बारे में आगे चर्चा की गई है।

[6] स्रोतः एआईआर वेबसाइट-www.air.org.in

### 1.4.1 सैटेलाइट टीवी चैनल

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत चैनलों की संख्या वर्ष 2009 के 449 से बढ़कर वर्ष 2014 में 793 हो गयी है। **चित्र 25** में इस अवधि में देश के सैटेलाइट चैनलों की संख्या साल दर साल के आधार पर दिखाया गया है। पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन टीवी चैनलों की संख्या 2009 में 130 से बढ़ कर 2014 में 187 हो गयी है। **चित्र 26** इस अवधि में देश के स्टैंडर्ड डेफीनेशन टीवी को सालाना दर से दिखाया गया है। एचडी चैनलों के साथ ही पिछले पांच सालों में प्रसारणकर्ताओं द्वारा अच्छी संख्या में पे हाई डेफीनेशन (एचडी) चैनल भी शुरू किए गए हैं। **चित्र 27** ट्राई को सूचित किए गए सालाना एचडी टीवी की संख्या को दिखता है। 2013 तक भारत में 33 कार्यरत एचडी टीवी चैनल थे। पे एचडी टीवी चैनलों की सूची इस रिपोर्ट के अंत में **अनुबंध– IV** में की गयी है।

### 1.4.2 डीटीएच सेवाएं

भारत में वर्ष 2003 में शुरू होने के बाद से ही डीटीएच सेवा में जबरदस्त वृद्धि हुई है। हर महीने लगभग दस लाख उपभोक्ताओं के जुड़ने के साथ मार्च, 2014 तक 6 डीटीएच सेवा प्रदान करने वाले कंपनियों के कुल उपभोक्ताओं की संख्या 648.2 लाख हो गयी है। इसके अलावा दूरदर्शन की मुफ्त डीटीएच सेवा के उपभोक्ता भी देश में मौजूद हैं। इस क्षेत्र के विकास को उपभोक्ता के आधार पर **चित्र 28** में दिखाया गया है।

**चित्र–25: भारत में वर्षवार सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या**

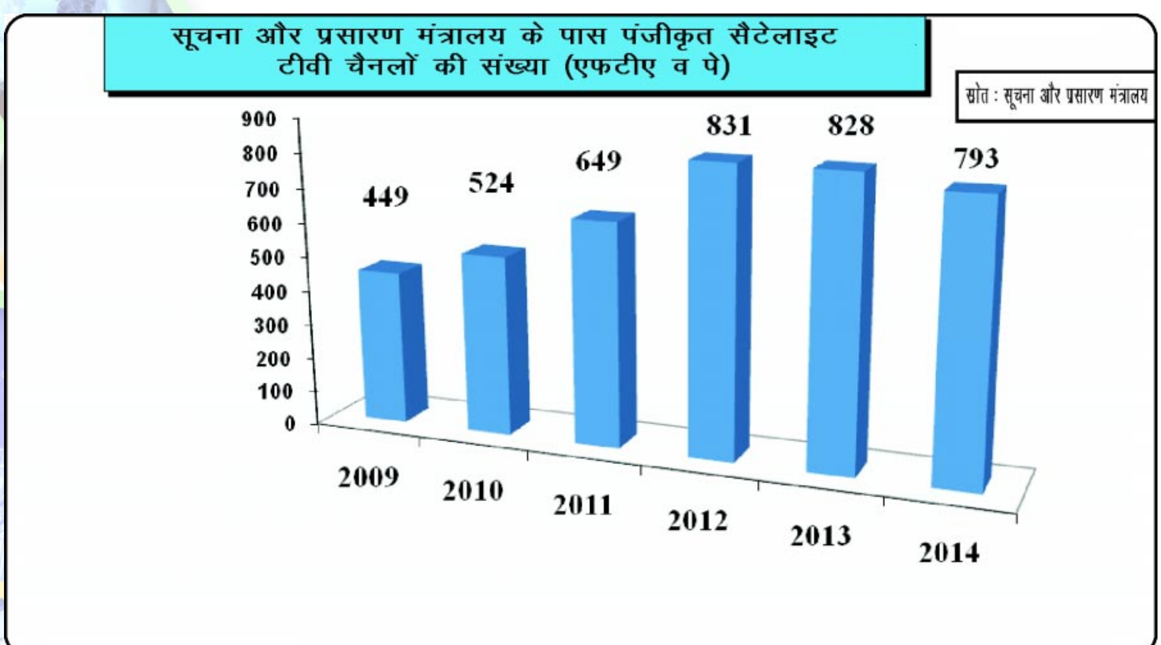

चित्र 26 : देश के स्टैंडर्ड डेफीनेशन पे–टीवी चैनलों वर्षवार वृद्धि

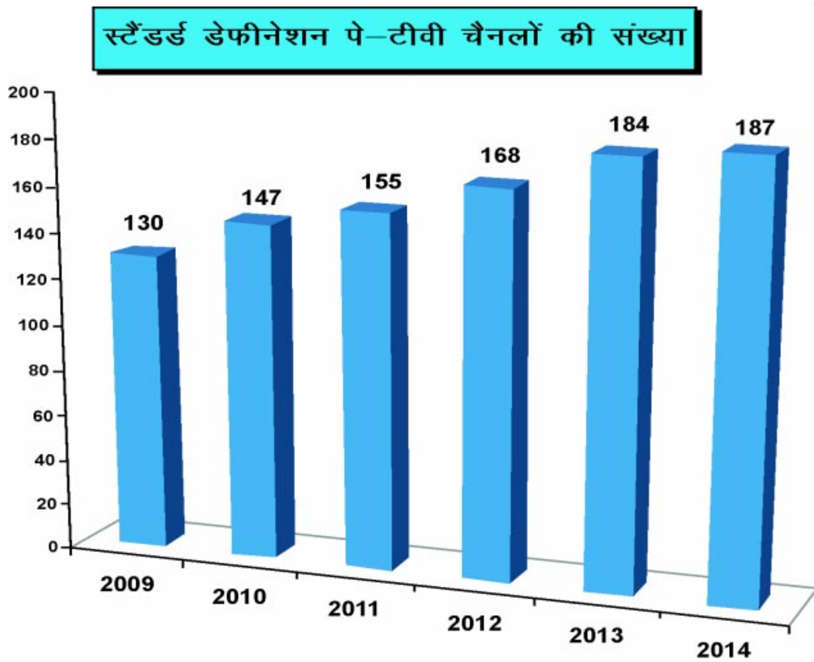


चित्र 27 : भारत में एचडी पे–टीवी चैनलों की वर्षवार वृद्धि

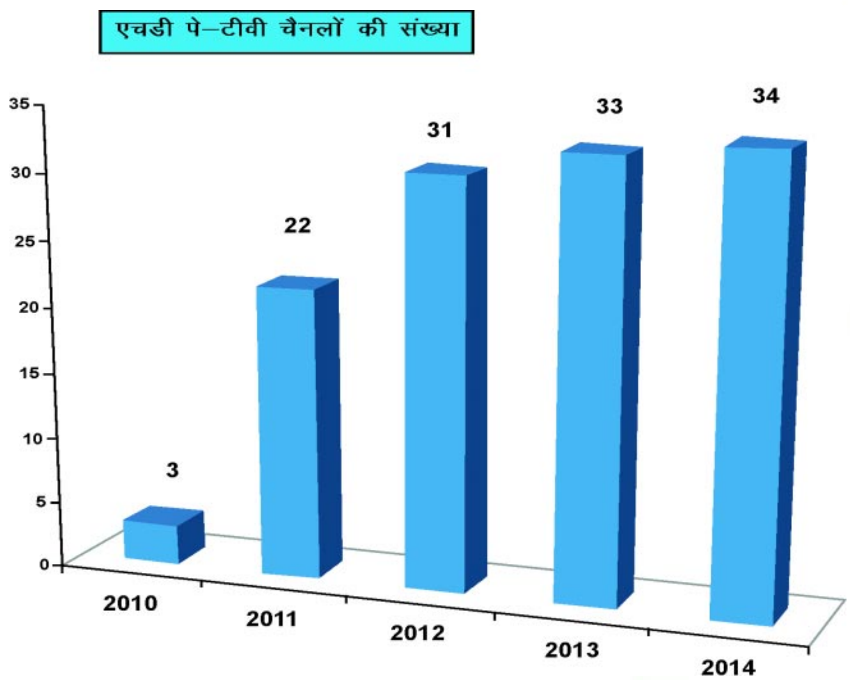


विगत में न केवल परंपरागत टीवी चैनलों की संख्या में वृद्धि हुई है बल्कि डीटीएच सेवा ऑपरेटरों ने अपनी सेवाओं के अंतर्गत नवीनतम पेशकशें जैसे मूल्यवर्धित सेवाएं (वीएएस), मूवी–ऑन डिमांड, गेमिंग, शॉपिंग सहित इंटरएक्टिव सेवाओं आदि की भी पेशकश की है।

चित्र 28 : पंजीकृत उपभोक्ता आधार के संदर्भ में डीटीएच क्षेत्र की वर्ष–वार वृद्धि

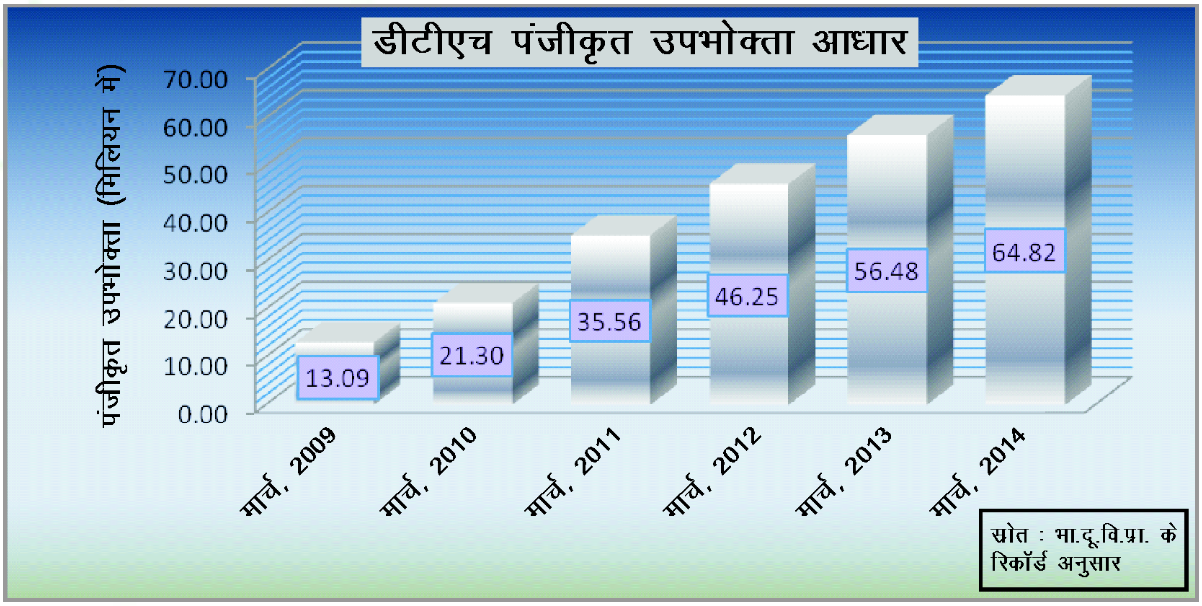


## 1.4.3 केबल टीवी सेवाएं

अनुमानतः 99 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ केबल टीवी सेवा सबसे बड़ा पे–टेलीविजन सेवा क्षेत्र है। पिछले एक दशक में उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर केबल टीवी के विकास को **चित्र 29** में दिखाया गया है।

## 1.4.4 डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम (डीएएस)

पिछले कुछ सालों में टीवी चैनलों की बढ़ती संख्या और एनलॉग केबल टीवी की स्वभाविक बाध्यताओं की वजह से केबल टीवी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खास कर

चित्र–29 : केबल टीवी उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि (मिलियन में)

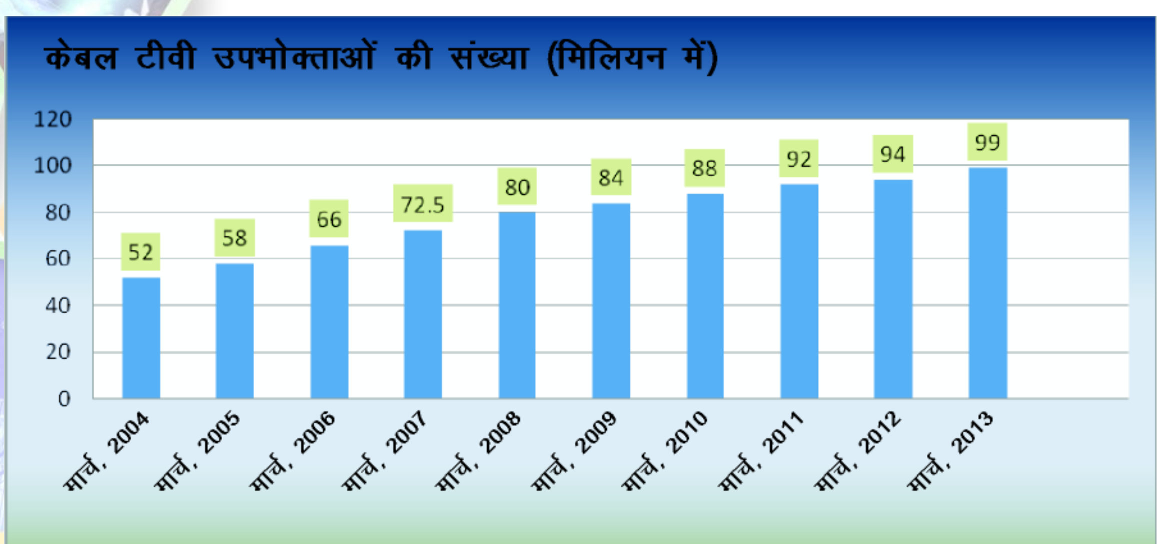


स्रोत : एमपीए रिपोर्ट–2013 के अनुसार

क्षमता की बाध्यता और गैर–एड्रेसेबलिटी की स्थिति। तकनीक में विकास की वजह से केबल टीवी क्षेत्र में डिजिटलीकरण और एड्रेसेबलिटी के रास्ते उत्पन्न हुए। इसके अनुसार विषय का विस्तार से अध्ययन करने और लोगों से विचार विमर्श के बाद प्राधिकरण ने 5 अगस्त 2010 को देश भर में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया और इसको पूरा करने के लिए एक रोड मैप भी सुझाया।

सरकार ने 25 अक्टूबर, 2011 को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संचालन) कानून 1995 में बदलाव लाने सम्बन्धी अध्यादेश जारी कर दिया। इस अध्यादेश से भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सेवा के लिया रास्ता खुल गया। इसके बाद 11 नवंबर, 2011 को एक सूचना जारी कर, इस सेवा को अक्टूबर[7] 2012 से दिसंबर, 2014 के बीच चार चरणों में पूरा करने की योजना का खुलासा किया। 25 अक्तूबर, 2011 का अध्यादेश, बाद में दिसंबर, 2011 को अधिनियम बन गया।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (संचालन) अधिनियम, 1995 के बदले हुए नियमों और 11 नवंबर, 2011 की अधिसूचना के तहत प्राधिकरण ने डिजिटल और एड्रेसेबल सेवा को लागू करने से संबंधित विचार–विमर्श शुरु कर दिया। इसके साथ ही ट्राई ने 30 अप्रैल, 2012 को दर–सूची और अंतर संबद्ध नियमों की घोषणा कर दी। इसके बाद 14 मई 2012 को डिजिटल केबल टीवी के सेवा और गुणवत्ता और उपभोक्ता शिकायत निवारण नियमों की भी घोषणा कर दी गयी।

डीएएस को देश भर में लागू करने की प्रक्रिया चरणों के हिसाब से चालू है। पहले चरण को पूरा करने की आखरी तारीख 31 अक्टूबर, 2012 थी और दस लाख से ज्यादा आबादी वाले 38 शहरों में इसे पूरा की तारीख 31 मार्च, 2013 थी। तीसरे चरण की आखरी तारीख सितंबर, 2014 और चौथे चरण की दिसंबर, 2014 है। विभिन्न एमएसओ द्वारा दिए गए सूचना के अनुसार पहले चरण में चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता और चेन्नई में 85 लाख सेट टॉप बाक्स लगाये गए थे। डीएएस के लागू करने के दूसरे चरण में 38 शहरों में 142 लाख सेट टॉप बाक्स मार्च, 2014 तक लगाये जा चुके थे।

## 1.4.5 रेडियो

रेडियो अपने अपने व्यापक प्रसार, टर्मिनल पोर्टेबिलिटी, कम स्थापना दर और कम कीमत के कारण जनसंचार का एक बेहद लोकप्रिय और सस्ता माध्यम है। रेडियो प्रसारण शार्ट वेव (एसडब्ल्यू), मीडियम वेव (एम् डब्ल्यू) और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन (एफ़एम) में उपलब्ध है। एफएम रेडियो प्रसारण अपनी बहुगुणी प्रतिभा के कारण, रेडियो क्षेत्र के भीतर मनोरंजन, सूचनाएं तथा शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख्य माध्यम माना जाता है। मार्च, 2014 तक मुख्य लोक सेवा प्रसारक–आकाशवाणी (एआईआर) जिसके नेटवर्क में 277 स्टेशन तथा 432 प्रसारण ट्रांसमीटर्स (148 एमडब्ल्यू, 236 एफएम तथा 48 एसडब्ल्यू) शामिल हैं, के अतिरिक्त 242 निजी एफएम रेडियो स्टेशन कार्यरत थे।

एफएम सेवा के अन्य शहरों में, खास कर जम्मू व कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वितीय क्षेत्रों में विस्तार भी दूसरे मुद्दों को सुझाने के विचार से सरकार ने 25 जुलाई को निजी एजेंसियों के द्वारा एफएम रेडियो के तीसरे चरण के विस्तार के नीतियों की घोषणा की। तीसरे चरण में एफएम रेडियो को 839 रेडियो स्टेशन के जरिये 294 शहरों तक पहुँचाने का है। इससे एफएम रेडियो का क्षेत्रीय विकास होगा। ऐसा अनुमान है की तीसरे चरण के बाद एफएम रेडियो देश के 85 प्रतिशत भूभाग तक पहुंच जायेगा। निजी प्रसारकों को जोड़ने की योजना के कारण रेडियो के श्रोताओं को बेहतर कवरेज और कार्यकर्म मिलने लगे हैं। इससे विभिन्न शहरों में स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन और रोज़गार मिला है। वर्ष–वार एफएम रेडियो के विकास को **चित्र 30** में दिखाया गया है, और एफएम रेडियो के विज्ञापन की आय की वृद्धि को (ट्राई के 239 स्टेशनों के आकड़ों के आधार पर) **चित्र 31** में दिखाया गया है।

कम्यूनिटी रेडियो स्टेशंस (सीआरएस) के खुलने से देश में रेडियो क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिला। भारत में पाए जाने वाले विशाल भू–दृश्य, अनेकों भाषाओं विभिन्न संस्कृतियों तथा असमान सामाजिक स्टार विन्यास के चलते भारत में सीआरएस स्थापित करने का अपार सामर्थ्य है। कम्यूनिटी रेडियो प्रसारण छोटे–छोटे समुदायों को जोड़ने का उद्देश्य पूरा करता है और आम आदमी की रोजमर्रा की चिंताओं को केंद्रित करते हुए उन्हें स्थानीय महत्वकांक्षाओं को हासिल करने

**चित्र–30 : निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या में वृद्धि**

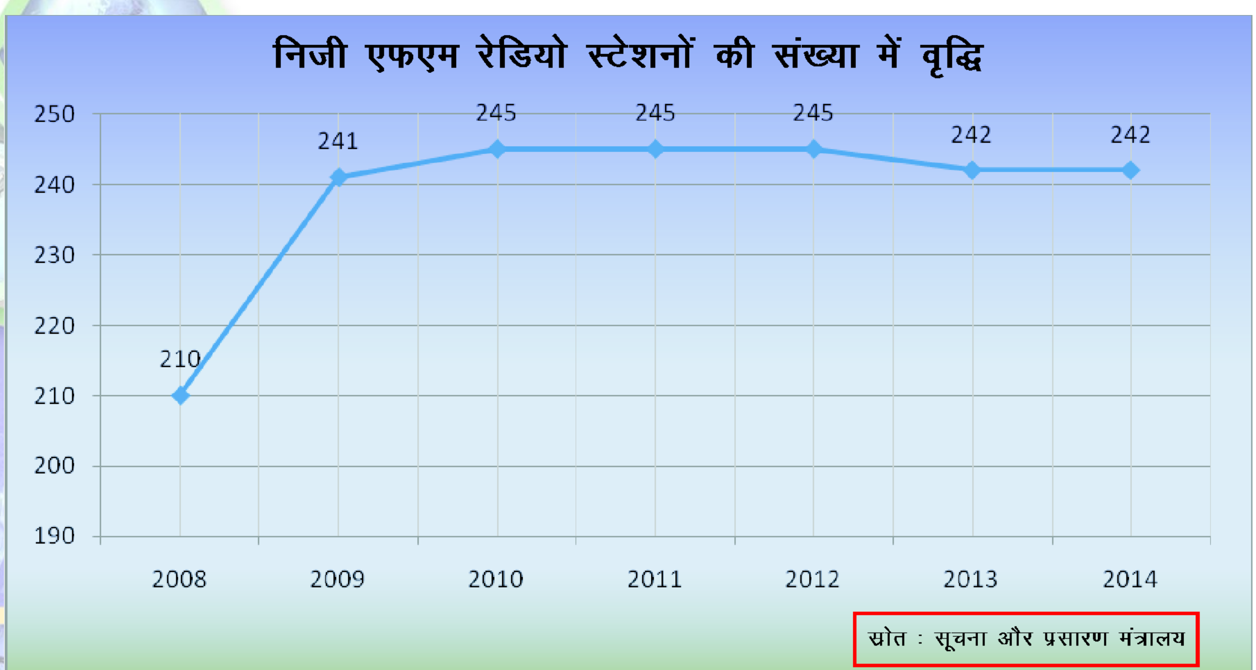

चित्र–31 : एफएम क्षेत्र विज्ञापन राजस्व (करोड़ रुपये में)

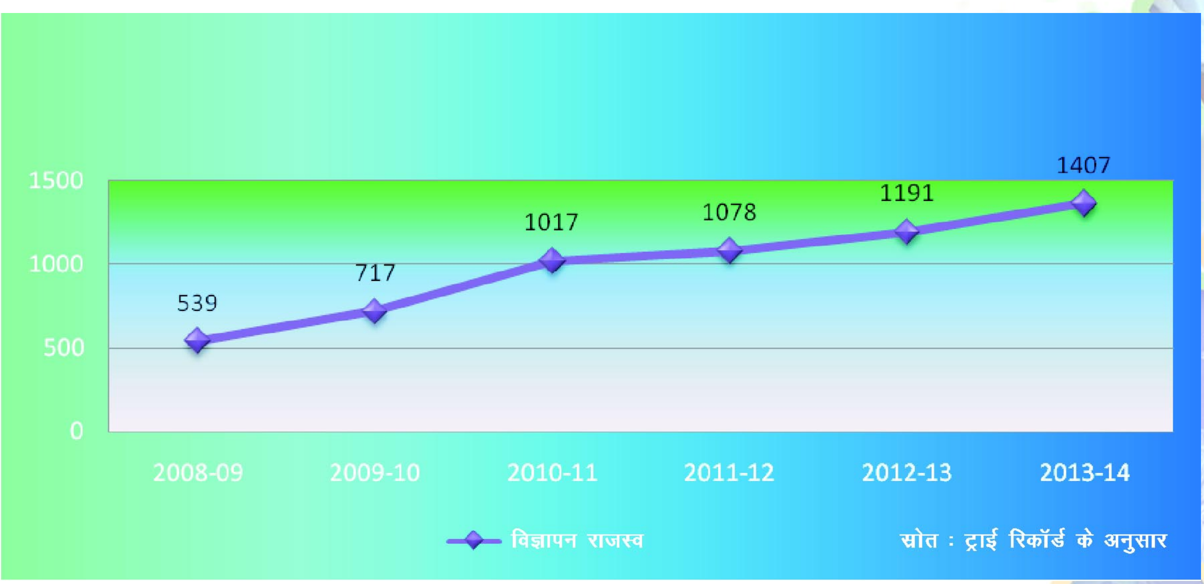


में भी मददगार साबित होता है। सीआरएस विभिन्न शिक्षण संस्थाओं एवं लोक सामाजिक संस्थाओं के सम्मिलन से स्थापित किए जाते हैं। मार्च 2014, में कम्यूनिटी रेडियो स्टेशंस स्थापित करने हेतु 194 जारी लाइसेंसों में से 161 स्टेशन कार्य कर रहे हैं। **चित्र 32** में कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन की वार्षिक वृद्धि को दिखाया गया है।

चित्र–32 : भारत में कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन की संख्या

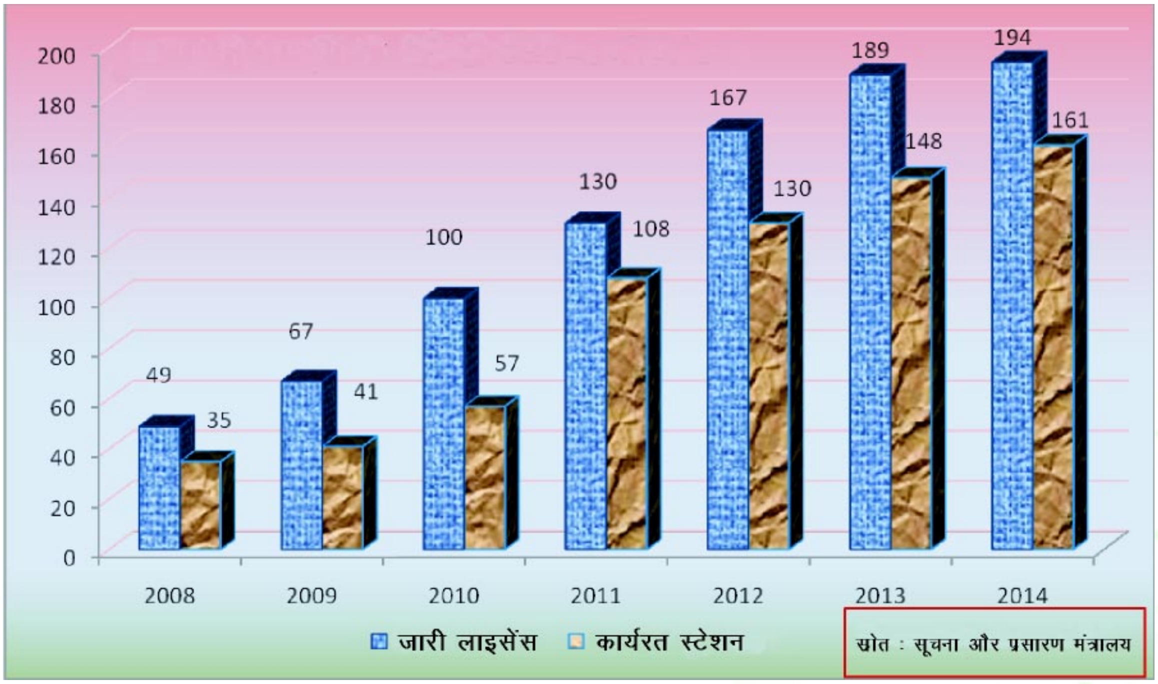

### 1.4.6 टेलीपोर्ट

विश्व में टेलीपोर्ट का उपयोग टीवी प्रोग्राम बनाने, कंटेंट को संभालने उसके प्रसार और सिस्टम के एकीकरण और नेटवर्क के संचालन जैसे कई जटिल स्थितियों के समाधान के लिए किया जाता है। भारत के उदार अप–लिंकिंग नियमों के कारण चैनलों की सोच में बदलाव आया है और विदेश से अप–लिंक होने वाले चैनल यहां आ रहे हैं। इसकी एक वजह प्रशिक्षित कारीगर और कम परिचालन खर्च भी है। अगर भारत को टेलीपोर्ट के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए तो उन विदेशी चैनलों को यहां से अप–लिंक किया जा सकता है, जिन्हें भारत में डाउन–लिंक करने जरुरत नहीं है। इससे जहां रोज़गार के अवसर पैदा होंगे वहीं देश में विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी। अपनी तकनीकी योग्यताओं और भूगौलिक स्थिति के कारण भारत से विश्व के दूसरे हिस्से में दिखाये जाने वाले चैनलों को अप–लिंक किया जा सकता है। इस अवसर को पहचानते हुए ट्राई ने 22 जुलाई, 2010 को "भारत में टीवी चौनलों के अप–लिंकिंग और डाउन–लिंकिंग से जुड़े मुद्दे" जिसमें भारत को टेलीपोर्ट का केंद्र बनाने का सुझाव सरकार को दिया है।

पिछले छह सालों में भारत में टेलीपोर्ट की संख्या में वृद्धि को **चित्र 33** में दिखाया गया है। ये वो टेलीपोर्ट हैं, जिन्हें सरकार से इसके लिए अनुमति मिली है और इनकी सूची इस रिपोर्ट के अंत में **अनुबंध–V** में दिया गया है।

### 1.4.7 प्रसारण क्षेत्र में दरों की प्रवृति

उपभोक्ता को उचित कीमत पर प्रसारण सेवा मुहैया करने के लिए ट्राई समय समय पर दरों को निर्धारित करने वाले विनियामक ढांचा जारी करता रहता है। गैर–एड्रेसेबल

**चित्र–33 : देश में अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट की संख्या**

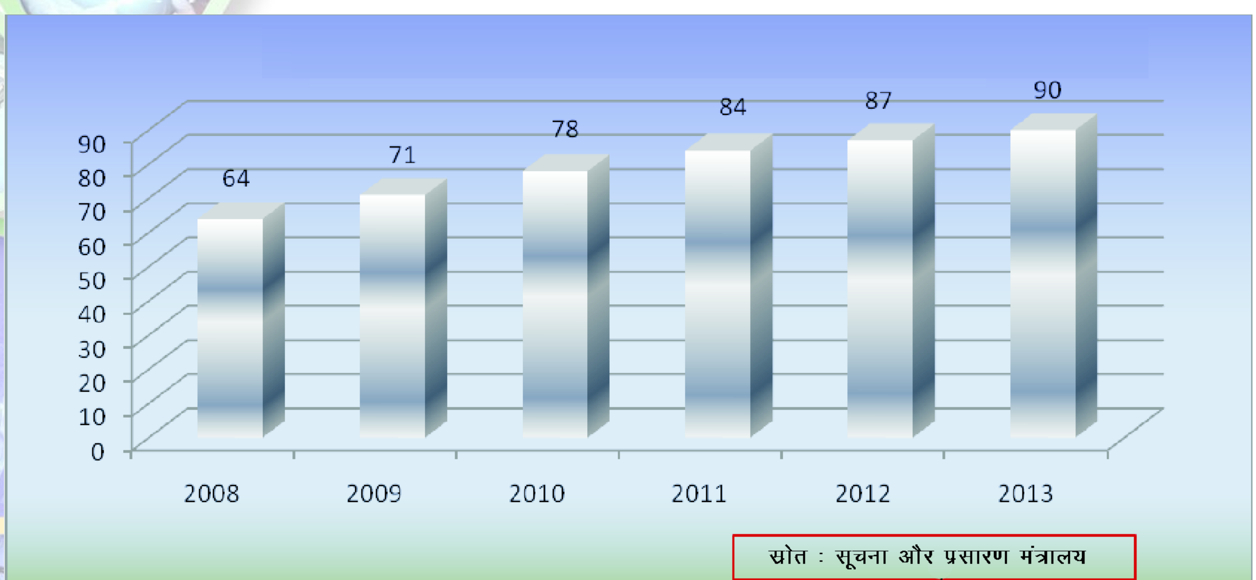

क्षेत्रों, चिन्हित डीटीएस क्षेत्रों और संबोधित व्यवस्था जैसे डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी आदि ट्राई द्वारा निर्धारित दरों से संचालित होते हैं। इसके अतिरिक्त, तेजी से डिजिटल हो रहे इस क्षेत्र में जल्द ही प्रचालक मूल्यवर्धित सेवाएं (वीएएस), मूवी ऑन डिमांड, गेमिंग, शॉपिंग आदि सहित इंटरएक्टिव सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। 21 जुलाई, 2010 के एड्रेसेबल मंच पर लागू संशोधित टैरिफ आदेश के अनुसार ऑपरेटरों को अपने मंच पर उपलब्ध रिटेल स्तर पर पेश किए जा रहे सभी चैनलों का टैरिफ अलग अलग दर्शाना होता है। इसके साथ ही थोक मूल्य निर्धारित अधिकतम सीमा के साथ, गैर–एड्रेसेबल मंच उच्चतम सीमा से लिंक करते हुए दर्शाने होते हैं। इससे जल्द ही ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जब वार्षिक दर उपभोक्ता के अनुसार निर्धारित किया जायेगा न की प्रसारक के अनुसार।

### 1.4.8 केबल और सैटेलाइट टीवी सेवा क्षेत्र के हितधारक

मार्च, 2014 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास पंजीकृत टीवी चैनलों की कुल संख्या 793 थी, जिसमें 187 एसडी पे चैनल, 34 पे एचडी चैनल, और चार मुफ्त पे चैनल शामिल थे। इन चैनलों का स्वामित्व 350 प्रसारकों (कंटेंट मालिक) के पास है जिसमें से 55 पे टीवी प्रसारक हैं। स्टैंडर्ड डेफीनेशन पे चैनलों, पे प्रसारकों और पे डीटीएच ऑपरेटरों की सूची **अनुबंध-VI से अनुबंध–VIII** में इस रिपोर्ट के आखिर में दिया गया है।

### 1.4.9 प्रसारण और केबल सेवा निष्पादन संकेतक

प्रसारण और केबल टीवी सेवा क्षेत्र की समग्र स्थिति को **तालिका–20** में दर्शाया गया है।

**तालिका–20: प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं की समग्र स्थिति**

| | |
|---|---|
| देश में परिवारों की संख्या (अनुमानित) | 270 मिलियन |
| टीवी धारक परिवारों की संख्या (अनुमानित) | 169 मिलियन |
| केबल टीवी उपभोक्ताओं की संख्या (अनुमानित) | 99 मिलियन |
| 31 मार्च, 2014 को प्राइवेट सेवा प्रदाताओं के साथ पंजीकृत पे–डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या | 64.82 मिलियन |
| 31 मार्च, 2014 को प्राइवेट सेवा प्रदाताओं के साथ सक्रिय पे–डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या | 37.19 मिलियन |
| केबल ऑपरेटरों की संख्या (अनुमानित) | 60,000 |
| मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों की संख्या (अनुमानित) | 6000 |
| डीएएस में पंजीकृत एमएसओ की संख्या | 144 |

| | |
|---|---|
| पे–डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या | 6 |
| 31 मार्च, 2014 को चैनलों की संख्या | 793 |
| 31 मार्च, 2014 को एसडी पे–टीवी चैनलों की संख्या | 187 |
| 31 मार्च, 2014 को एचडी टीवी चैनलों की संख्या | 34 |
| 31 मार्च, 2014 को एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या (आकाशवाणी को छोड़कर) | 242 |
| 31 मार्च, 2014 को लाइसेंसशुदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या | 194 |
| 31 मार्च, 2014 को प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या | 161 |
| 31 मार्च, 2014 को देश में अनुमति प्राप्त टेलीपोर्टों की संख्या | 90 |

पिछली चार तिमाहियों में, प्रसारण क्षेत्र का सेवा निष्पादक संकेतक **तालिका–21** में दर्शाया गया हैः–

**तालिका–21ः प्रसारण क्षेत्र का सेवा निष्पादन संकेतक**

| **प्रसारण और केबल सेवाएं** | **समाप्त तिमाही** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **जून, 2013** | **सितम्बर, 2013** | **दिसम्बर, 2013** | **मार्च, 2014** |
| सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास पंजीकृत चैनलों की कुल संख्या | 828 | 795 | 786 | 793 |
| एसडी पे–चैनलों की संख्या (परिचालन) | 184 | 187 | 187 | 187 |
| एचडी पे–चैनलों की संख्या (परिचालन) | 31 | 33 | 33 | 34 |
| डीटीएच पंजीकृत उपभोक्ता आधार (मिलियन में) | 58.89 | 60.71 | 62.97 | 64.82 |
| डीटीएच पंजीकृत उपभोक्ता आधार (मिलियन में) | 33.90 | 34.26 | 35.80 | 37.19 |
| प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या | 242 | 242 | 242 | 242 |

# भाग-I का अनुबंध

## 2009–10 से 2013–14 तक वायरलैस [जीएसएम एवं सीडीएमए] सेवाओं का उपभोक्ता आधार

(उपभोक्ता आधार मिलियन में)

| सेवा प्रदाता | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | वित्त वर्ष 2013 की तुलना में प्रतिशत अवस्था वृद्धि/कटौती |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भारती | 127.62 | 162.20 | 181.28 | 188.20 | 205.39 | 9.13 |
| वोडाफोन | 100.86 | 134.57 | 150.47 | 152.35 | 166.56 | 9.33 |
| आइडिया/स्पाइस | 63.82 | 89.50 | 112.72 | 121.61 | 135.79 | 11.66 |
| रिलायंस | 102.42 | 135.72 | 153.05 | 122.97 | 110.89 | -9.82 |
| बीएसएनएल | 69.45 | 91.83 | 98.51 | 101.21 | 94.65 | -6.48 |
| एयरसेल | 36.86 | 54.84 | 62.57 | 60.07 | 70.15 | 16.78 |
| टाटा | 65.94 | 89.14 | 81.75 | 66.42 | 63.00 | -5.15 |
| यूनीटेक/टेलीविंग्स | 4.26 | 22.79 | 42.43 | 31.68 | 35.61 | 12.41 |
| सिस्टेमा | 3.78 | 10.06 | 15.68 | 11.91 | 9.04 | -24.10 |
| वीडियोकॉन | 0.03 | 7.11 | 5.95 | 2.01 | 4.99 | 148.26 |
| एमटीएनएल | 5.09 | 5.47 | 5.83 | 5.00 | 3.37 | -32.60 |
| लूप | 2.84 | 3.09 | 3.27 | 3.01 | 2.90 | -3.65 |
| क्वाड्रंट | 0.33 | 1.47 | 1.33 | 1.37 | 2.17 | 58.39 |
| एस टेल | 1.01 | 2.82 | 3.43 | 0 | 0 | 0 |
| ईटीसलत | 0.0004 | 0.97 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल** | **584.32** | **811.59** | **919.17** | **867.8** | **904.51** | **4.23** |

*स्रोतः सेवा प्रदाता।*

## 31 मार्च, 2014 को वायरलैस सेवा प्रदाताओं की सेवा क्षेत्रवार सूची

| क्र. सं. | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | मोबाइल ऑपरेटर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | जीएसएम | सीडीएमए |
| 1 | महानगर | दिल्ली | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | एमटीएनएल | |
| | | | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | एयरसेल | |
| | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | |
| | | | | एमटीएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | सिस्टेमा श्याम लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 2 | | मुंबई | लूप | |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | एमटीएनएल | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | आइडिया | |
| | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | |
| | | | एयरसेल | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | | एमटीएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 3 | | कोलकाता | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | आरटीएल | |
| | | | डिशनेट वायरलैस लिमिटेड | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |

| क्र. सं. | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | मोबाइल ऑपरेटर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | जीएसएम | सीडीएमए |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | सिस्टेमा श्याम लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 4 | **सर्किल 'क'** | महाराष्ट्र | वोडाफोन | |
| | | | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | |
| | | | एयरसेल | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | टेलीविंग्स | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 5 | | गुजरात | वोडाफोन | |
| | | | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | वीडियोकोन | |
| | | | टेलीविंग्स | |
| | | | एयरसेल | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | सिस्टेमा श्याम लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 6 | | आंध्र प्रदेश | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | बीएसएनएल | |

| क्र. सं. | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | मोबाइल ऑपरेटर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | जीएसएम | सीडीएमए |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | एयरसेल | |
| | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | टेलीविंग्स | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 7 | | कर्नाटक | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | एयरसेल | |
| | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | सिस्टेमा श्याम लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 8 | | तमिलनाडु चेन्नई सहित | वोडाफोन | |
| | | | एयरसेल | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | |
| | | | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | सिस्टेमा श्याम लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 9 | **सर्किल 'ख'** | केरल | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |

| क्र. सं. | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | मोबाइल ऑपरेटर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | जीएसएम | सीडीएमए |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | डिशनेट वायरलैस लिमिटेड | |
| | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | सिस्टेमा श्याम लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 10 | | पंजाब | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | क्वाड्रंट | |
| | | | डिशनेट वायरलैस लिमिटेड | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | क्वाड्रंट |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 11 | | हरियाणा | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | वीडियोकोन | |
| | | | डिशनेट वायरलैस लिमिटेड | |
| | | | | बीएसएनएल |

| क्र. सं. | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | मोबाइल ऑपरेटर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | जीएसएम | सीडीएमए |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 12 | | उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | डिशनेट वायरलैस लिमिटेड | |
| | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | टेलीविंग्स | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | सिस्टेमा श्याम लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 13 | | उत्तर प्रदेश (पूर्वी) | वोडाफोन | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | डिशनेट वायरलैस लिमिटेड | |
| | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | टेलीविंग्स | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 14 | | राजस्थान | वोडाफोन | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |

| क्र. सं. | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | मोबाइल ऑपरेटर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | जीएसएम | सीडीएमए |
| | | | एयरसेल | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | सिस्टेमा श्याम लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 15 | | मध्य प्रदेश | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | डिशनेट वायरलैस लिमिटेड | |
| | | | वीडियोकोन | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 16 | | पश्चिम बंगाल | रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | डिशनेट वायरलैस लिमिटेड | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | सिस्टेमा श्याम लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 17 | **सर्किल 'ग'** | हिमाचल प्रदेश | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |

| क्र. सं. | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | मोबाइल ऑपरेटर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | जीएसएम | सीडीएमए |
| | | | डिशनेट वायरलैस लिमिटेड | |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 18 | | बिहार | रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | डिशनेट वायरलैस लिमिटेड | |
| | | | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | टेलीविंग्स | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 19 | | ओडीसा | रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | डिशनेट वायरलैस लिमिटेड | |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| | | | | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड |
| 20 | | असम | रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | डिशनेट वायरलैस लिमिटेड | |

| क्र. सं. | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | मोबाइल ऑपरेटर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | जीएसएम | सीडीएमए |
| 21 | | | वोडाफोन | |
| | | | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | पूर्वोत्तर राज्य | रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | बीएसएनएल | |
| | | | डिशनेट वायरलैस लिमिटेड | |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | | बीएसएनएल |
| 22 | | जम्मू एवं कश्मीर | बीएसएनएल | |
| | | | भारती एयरटेल लिमिटेड | |
| | | | डिशनेट वायरलैस लिमिटेड | |
| | | | वोडाफोन | |
| | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | |
| | | | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | |
| | | | | बीएसएनएल |
| | | | | रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |

*स्रोतः दूरसंचार विभाग/सेवा प्रदाता।*

## वित्तीय वर्ष 2011—12, 2012—13 और 2013—14 के दौरान विभिन्न सर्किलों में जोड़े गए वायरलैस उपभोक्ता तथा वार्षिक वृद्धि दर

| सर्किल | अप्रैल, 11 से मार्च, 12 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में) | 2011—12 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत | अप्रैल, 12 से मार्च, 13 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में) | 2012—13 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत | अप्रैल, 13 से मार्च, 14 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में) | 2013—14 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| महानगर | 6.93 | 7.16% | (-)11.70 | (-)11.28% | 2.48 | 2.69 |
| सर्किल 'क' | 35.58 | 12.34% | (-)14.23 | (-)4.39% | 13.99 | 4.52 |
| सर्किल 'ख' | 45.75 | 14.36% | (-)20.44 | (-)5.61% | 15.89 | 4.62 |
| सर्किल 'ग' | 19.33 | 17.93% | (-)5.00 | (-)3.93% | 4.35 | 3.56 |
| **संपूर्ण भारत** | **107.58** | **13.26%** | **(-)51.37** | **(-)5.59%** | **36.71** | **4.23** |

*स्रोतः सेवा प्रदाताओं की तिमाही रिपोर्टें।*

## भारत में एचडी पे–चैनलों की सूची

| क्र.सं. | प्रसारणकर्ता का नाम | चैनल का नाम |
|---|---|---|
| 1. | स्टार इंडिया प्रा. लिमिटेड | स्टार प्लस एचडी |
| 2. | स्टार इंडिया प्रा. लिमिटेड | स्टार वर्ल्ड एचडी |
| 3. | सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड | सन टीवी एचडी |
| 4. | सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड | जेमिनी टीवी एचडी |
| 5. | फॉक्स चैनल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड | फॉक्स ट्रैवलर एचडी |
| 6. | वायाकॉम 18 | क्लर्स एचडी |
| 7. | ज़ील | जी टीवी एचडी |
| 8. | स्टार इंडिया प्रा. लिमिटेड | स्टार गोल्ड एचडी |
| 9. | स्टार इंडिया प्रा. लिमिटेड | स्टार मूवीज एचडी |
| 10. | जूम एंटरटेनमेंट प्रा. लिमिटेड | मूवीज़ नाओ एचडी |
| 11. | सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड | केटीवी एचडी |
| 12. | ज़ील | जी सिनेमा एचडी |
| 13. | ज़ील | जी स्टूडियो एचडी |
| 14. | फोक्स चैनल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड | नेशनल ज्योग्राफिक चैनल एचडी (एनजीसी एचडी) |
| 15. | डिस्कवरी कम्यूनिकेशन (इं.) प्रा. लिमिटेड | डिस्कवरी एचडी वर्ल्ड |
| 16. | एईटीएन 18 नेटवर्क प्रा. लिमिटेड | हिस्ट्री टीवी 18 एचडी |
| 17. | ईएसपीएन सॉफ्टवेयर प्रा. लिमिटेड | ईएसपीएन एचडी |
| 18. | ईएसपीएन सॉफ्टवेयर प्रा. लिमिटेड | स्टार क्रिकेट एचडी |
| 19. | ताज टेलीविजन इंडिया प्रा. लिमिटेड | टेन एचडी |
| 20. | सेलेब्रिटीज मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड | ट्रेवल एक्सपी एचडी |
| 21. | टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड | सीएनबीसी टीवी 18 प्राइम एचडी |
| 22. | सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड | सन म्यूज़िक एचडी |
| 23. | मल्टी स्क्रीन मीडिया प्रा. लिमिटेड | सिक्स एचडी |
| 24. | मल्टी स्क्रीन मीडिया प्रा. लिमिटेड | सेट एचडी |
| 25. | इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्टार | लाइफ ओके एचडी |
| 26. | एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | नेट ज्यो एडवेंचर एचडी |

| क्र.सं. | प्रसारणकर्ता का नाम | चैनल का नाम |
|---|---|---|
| 27. | एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | नेट ज्यो वाइलड |
| 28. | एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्रा. लिमिटेड | बेबी टी वी एचडी |
| 29. | एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्रा. लिमिटेड | नेट ज्यो म्यूज़िक एचडी |
| 30. | टर्नर इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड | एचबीओ हिट्स एचडी |
| 31. | टर्नर इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड | एचबीओ डिफाइंड एचडी |
| 32. | स्टार इंडिया प्रा. लिमिटेड | स्टार वर्ल्ड प्रेमियर एचडी |
| 33. | बेनेट, कोलेमैन एंड कंपनी लिमिटेड | रोमेडी नाओ + |
| 34. | वायाकॉम 18 मीडिया सर्विसेज प्रा. लिमिटेड | एमटीवी इंडीज़ |

## अनुमति प्राप्त टेलीपोर्टों की सूची

| क्र.सं. | विवरण |
|---|---|
| 1 | टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली |
| 2 | सन टीवी लिमिटेड चेन्नई |
| 3 | एंटरटेनमेंट टीवी नेटवर्क लिमिटेड, मुंबई |
| 4 | उशोदय एंटरप्राइजेज लिमिटेड, हैदराबाद |
| 5 | एस्सेल श्याम कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा |
| 6 | एशियानेट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड, थिरुअनंतपुरम |
| 7 | एस्सेल श्याम कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा |
| 8 | सहारा संचार लिमिटेड, नोएडा |
| 9 | टेलीविजन एट्टीन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली |
| 10 | न्यू डेल्ही टेलीविजन लिमिटेड, नई दिल्ली |
| 11 | इंडियाविजन सैटेलाइट कम्यूनिकेशन लिमिटेड, कोच्ची (केरल) |
| 12 | नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा |
| 13 | डिश टीवी इंडिया लिमि., (पूर्ववर्ती एस्सेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड) नोएडा |
| 14 | पोजिटिव टीवी प्रा. लिमिटेड, गुवाहाटी |
| 15 | चैनल गाइड इंडिया लिमिटेड, मुंबई |
| 16 | इंडिया शाइन प्रा. लिमिटेड, गुड़गांव |
| 17 | एसोसिएटिड ब्राडकास्टिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड हैदराबाद |
| 18 | एवी एंटरटेनमेंट प्रा. लिमिटेड, भोपाल |
| 19 | टेलीविजन एट्टीन इंडिया लिमिटेड, मुंबई |
| 20 | अमृता इंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड, थिरूवनन्तपुरम |
| 21 | माविस सतकाम लिमिटेड, चैन्नै |
| 22 | वीएसएनएल, नई दिल्ली |
| 23 | वीएसएनएल, मुंबई |
| 24 | वीएसएनएल, चेन्नई |
| 25 | वीएसएनएल, कोलकाता |
| 26 | वीएसएनएल, कोचीन |

| क्र.सं. | विवरण |
|---|---|
| 27 | लामहास सैटेलाइट सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई |
| 28 | मलयालम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, थिरुवनन्तपुरम |
| 29 | संस्कार इन्फो टीवी प्रा. लिमिटेड, मुंबई |
| 30 | बैनेट कोलमैन एंड कम्पनी लिमिटेड, मुंबई |
| 31 | सीनियर मीडिया लिमिटेड |
| 32 | लोक प्रकाशन लिमिटेड, अहमदाबाद |
| 33 | कलकत्ता रिलेविजन नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, कोलकाता |
| 34 | कोहिनूर ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजपुरा (पंजाब) |
| 35 | टेलीविजन एट्टीन इंडिया लिमिटेड, मुंबई |
| 36 | कामयाब टीवी प्रा. लिमिटेड (पूर्ववर्ती एमडी टीवी प्रा. लिमिटेड के रूप में प्रसिद्ध), भुवनेश्वर |
| 37 | कस्तूरी मीडिया प्रा. लिमिटेड, बैंगलोर |
| 38 | एसएसटी मीडिया प्रा. लिमिटेड, कोलकाता |
| 39 | एस्सेल श्याम कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, मुंबई |
| 40 | एमएम टीवी लिमिटेड, अलपुझा |
| 41 | इन केबलनेट (आन्ध्रा) लिमिटेड, हैदराबाद |
| 42 | इंदिरा टेलीविजन लिमिटेड, हैदराबाद |
| 43 | सन टीवी लिमिटेड, चेन्नै |
| 44 | टाटा स्काई, नई दिल्ली |
| 45 | मीडिया सिन्टेन्ट एंड कम्यूनिकेशन्स सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, नोएडा |
| 46 | सतीश शुगर्स लिमिटेड, बंगलौर |
| 47 | शीतल फाइबर लिमिटेड, जालन्धर |
| 48 | एमएचवन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, दिल्ली |
| 49 | एसटीवी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, दिल्ली |
| 50 | एआईआरआर एक्स मीडिया लिमिटेड सूरत |
| 51 | ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली |
| 52 | विनिंग एज कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, हैदराबाद |
| 53 | इंडिया शाइन प्रा. लिमिटेड, चेन्नै |
| 54 | इंडिया शाइन प्रा. लिमिटेड, कोलकाता |

| क्र.सं. | विवरण |
|---|---|
| 55 | रचना टेलीविजन प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद |
| 56 | ओरटेल कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, भुवनेश्वर |
| 57 | एस्सेल श्याम कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, हैदराबाद |
| 58 | सौभाग्य एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, अरूर (केरल) |
| 59 | प्रज्ञा विजन प्रा. लिमिटेड, नोएडा |
| 60 | ब्रहमपुत्र टेली–प्रोडक्शन्स प्रा. लिमिटेड गुवाहाटी |
| 61 | ज़ी नेकस्ट मीडिया प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली |
| 62 | इंडिया शाइन प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद |
| 63 | टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (वीएसएनएल) चेन्नै |
| 64 | पोजिटिव टेलीविजन प्रा. लिमिटेड, नोएडा |
| 65 | ईस्टर्न मीडिया लिमिटेड, भुवनेश्वर |
| 66 | राजस्थान पत्रिका प्रा. लिमिटेड, जयपुर |
| 67 | प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्रा. लिमिटेड गुवाहाटी |
| 68 | इंडिया शाइन प्रा. लिमिटेड, नोएडा |
| 69 | विनटेज स्टुडियो प्रा. लिमिटेड नई दिल्ली |
| 70 | स्काईलाइन मीडिया टेली सर्विसेज प्रा. लिमिटेड नोएडा |
| 71 | इन्फारमेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली |
| 72 | यूनीलेजर एक्सपोर्ट्स एंड मैनेजमेंट कंसलटेंट्स लिमिटेड मुंबई |
| 73 | कास्टमैट सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद |
| 74 | भारती टेलीपोर्ट्स लिमिटेड, नोएडा |
| 75 | श्री वेंकटेश्वर भक्ति, तिरूपति |
| 76 | टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, चेन्नै |
| 77 | रॉयज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपीटीटिव एग्जामिनेशन प्रा. लिमिटेड, कोलकाता |
| 78 | इण्डिपिन्डेन्ट न्यूज सर्विसेस लिमिटेड नोएडा |
| 79 | राज टेलीविजन, नेटवर्क लिमिटेड, चेन्नै |
| 80 | एस्सेल श्याम कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड नोएडा |
| 81 | कनसन न्यूज प्रा. लिमिटेड, चंडीगढ़ |
| 82 | टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, चेन्नै |

| क्र.सं. | विवरण |
|---|---|
| 83 | डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, नोएडा |
| 84 | आस्था ब्राडकास्टिंग नेटवर्क लिमिटेड नोएडा |
| 85 | महुआ मीडिया प्रा. लिमिटेड, नोएडा |
| 86 | आरटीआर ब्रॉडकास्ट प्रा. लिमिटेड, गाजियाबाद |
| 87 | सिल्वर स्टार कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, चेन्नै |
| 88 | लमहास सेटलाईट सर्विस लिमिटेड |
| 89 | स्काइलाइन टेली मीडिया सर्विस लिमिटेड |
| 90 | भारती टेलीर्पोटस लिमिटेड |

# स्टैंडर्ड पे–टीवी चैनलों की सूची

| क्र.सं. | चैनल का नाम |
|---|---|
| 1 | ज़ी टीवी |
| 2 | ज़ी सिनेमा |
| 3 | कार्टून नेटवर्क |
| 4 | ज़ी मराठी |
| 5 | ज़ी न्यूज़ |
| 6 | सीएनएन |
| 7 | ज़ी कैफे |
| 8 | ज़ी स्टूडियोज़ |
| 9 | ज़ी बंगला |
| 10 | ज़ी पंजाबी |
| 11 | ज़ी ट्रेंड्ज़ |
| 12 | एचबीओ |
| 13 | पोगो |
| 14 | ज़ी बिजनेस |
| 15 | ज़ी क्लासिक |
| 16 | ज़ी एक्शन |
| 17 | ज़ी प्रीमीयर |
| 18 | ज़ी तेलगू |
| 19 | ज़ी कन्नड |
| 20 | ईटीसी पंजाबी |
| 21 | ईटीसी |
| 22 | जिंग |
| 23 | ज़ी जागरण |
| 24 | ज़ी स्माइल |
| 25 | 24 घंटे |
| 26 | 24 तास |

| क्र.सं. | चैनल का नाम |
|---|---|
| 27 | ज़ी टॉकिज़ |
| 28 | डब्ल्यूबी |
| 29 | ज़ी 24 घंटालू |
| 30 | ज़ी सलाम |
| 31 | 9एक्स |
| 32 | स्टार प्लस |
| 33 | स्टार गोल्ड |
| 34 | स्टार मूवीज़ |
| 35 | स्टार वर्ल्ड |
| 36 | विजय टीवी |
| 37 | एनजीसी |
| 38 | फाक्स ट्रैवलर चैनल |
| 39 | चैनल (वी) |
| 40 | लाइफ ओके |
| 41 | द एमजीएम |
| 42 | स्टार जलशा |
| 43 | स्टार आनंद |
| 44 | एफएक्स |
| 45 | फॉक्स क्राइम |
| 46 | बेबी टीवी |
| 47 | नैट जिओ वाइल्ड |
| 48 | नैट जिओ एडवेंचर |
| 49 | नैट जिओ म्यूज़िक |
| 50 | एशियानेट |
| 51 | स्टार प्रवाह |
| 52 | फोक्स एक्शन मूवीज़ |

| क्र.सं. | चैनल का नाम |
|---|---|
| 53 | मूवीज़ ओके |
| 54 | एनडीटीवी 24x7 |
| 55 | एनडीटीवी प्रॉफिट |
| 56 | एनडीटीवी गुड टाइम्स |
| 57 | सुवर्ना |
| 58 | एशियानेट प्लस |
| 59 | एनडीटीवी इंडिया |
| 60 | सेट (सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन) |
| 61 | मैक्स |
| 62 | डिस्कवरी |
| 63 | एनिमल प्लैनेट |
| 64 | एएक्सएन |
| 65 | एनीमैक्स |
| 66 | टीएलसी |
| 67 | सब टीवी |
| 68 | सेट पिक्स |
| 69 | आज तक |
| 70 | हेडलाइंस टुडे |
| 71 | तेज |
| 72 | चैनल 8 (सोनी आठ) |
| 73 | डिस्कवरी साइंस |
| 74 | डिस्कवरी टर्बो |
| 75 | नियो स्पोर्ट्स |
| 76 | न्यो प्राइम |
| 77 | डिस्कवरी चैनल– तमिल |
| 78 | मिक्स |
| 79 | डिस्कवरी किड्स |
| 80 | सिक्स |
| 81 | सन टीवी |

| क्र.सं. | चैनल का नाम |
|---|---|
| 82 | जेमिनी टीवी |
| 83 | उदय टीवी |
| 84 | के टीवी |
| 85 | जेमिनी कॉमेडी |
| 86 | उदय मूवीज़ |
| 87 | सन म्यूज़िक |
| 88 | जेमिनी म्यूज़िक |
| 89 | सन न्यूज़ |
| 90 | जेमिनी न्यूज़ |
| 91 | उदय वरथेगालू |
| 92 | जेमिनी मूवीज़ |
| 93 | चिंटू टीवी |
| 94 | उदय कॉमेडी |
| 95 | खुशी टीवी |
| 96 | छुट्टी टीवी |
| 97 | उदय II |
| 98 | आदित्य टीवी |
| 99 | सूर्या टीवी |
| 100 | किरन टीवी |
| 101 | दि डिज़्नी चैनल |
| 102 | डिज़्नी एक्सडी |
| 103 | हंगामा टीवी |
| 104 | आईबीएन 7 |
| 105 | आईबीएन लोकमत |
| 106 | कलर्स |
| 107 | एमटीवी |
| 108 | निक |
| 109 | वीएच 1 |
| 110 | सन न्यूज़ इंगलिश |

| क्र.सं. | चैनल का नाम |
|---|---|
| 111 | कॉमेडी सेन्ट्रल |
| 112 | सोनिक |
| 113 | सीएनबीसी टीवी 18 |
| 114 | सीएनएन–आईबीएन |
| 115 | सीएनबीसी आवाज |
| 116 | ईटीवी |
| 117 | ईटीवी 2 |
| 118 | ईटीवी बंगला |
| 119 | सीएनबीसी टीवी 18 |
| 120 | ईटीवी मराठी |
| 121 | ईटीवी कन्नड |
| 122 | ईटीवी गुजराती |
| 123 | ईटीवी उड़ीया |
| 124 | ईटीवी यूपी |
| 125 | ईटीवी बिहार |
| 126 | ईटीवी उर्दू |
| 127 | ईटीवी राजस्थान |
| 128 | ईटीवी एमपी |
| 129 | बिंदास |
| 130 | यूटीवी एक्शन |
| 131 | वर्ल्ड मूवीज़ |
| 132 | यूटीवी मूवीज़ |
| 133 | यूटीवी एक्शन– तेलगू |
| 134 | बीबीसी वर्ल्ड |
| 135 | बीबीसी एंटरटेनमेंट |
| 136 | सीबीबीज |
| 137 | ईएसपीएन |
| 138 | स्टार स्पोटर्स |
| 139 | स्टार क्रिकेट |

| क्र.सं. | चैनल का नाम |
|---|---|
| 140 | ईएसपीन्यूज |
| 141 | राज टीवी |
| 142 | राज डिजिटल प्लस |
| 143 | विसा टीवी |
| 144 | राज म्यूज़िक |
| 145 | राज न्यूज़ (24x7) |
| 146 | 9एक्सएम |
| 147 | 9एक्स झकास |
| 148 | 9एक्स |
| 149 | 9एक्स जलवा |
| 150 | सहारा वन |
| 151 | फिल्मी |
| 152 | बी4यू मूवीज़ |
| 153 | माँ टीवी |
| 154 | माँ म्यूज़िक |
| 155 | माँ मूवीज़ |
| 156 | माँ जूनियर |
| 157 | दिल्ली आज तक |
| 158 | ई–24 |
| 159 | बूमेरंग |
| 160 | टीसीएम टर्नर क्लासिक मूवीज़ |
| 161 | तरंग |
| 162 | तरंग म्यूज़िक |
| 163 | प्रार्थना |
| 164 | ईटी नाउ |
| 165 | टाइम्स नाउ |
| 166 | जूम |
| 167 | टेन स्पोटर्स |
| 168 | टेन क्रिकेट |

| क्र.सं. | चैनल का नाम |
|---|---|
| 169 | टेन एक्शन + |
| 170 | बिग सीबीएस प्राइम |
| 171 | बिग सीबीएस लव |
| 172 | बिग सीबीएस स्पार्क |
| 173 | बिग सीबीएस स्पार्क पंजाबी |
| 174 | बिगमैजिक |
| 175 | ब्लूमबर्ग टीवी |
| 176 | 9एक्स टशन |
| 177 | सार्थक टीवी |
| 178 | जया टीवी |

| क्र.सं. | चैनल का नाम |
|---|---|
| 179 | जया प्लस |
| 180 | जया मैक्स |
| 181 | जे मूवीज |
| 182 | मेगा टीवी |
| 183 | मेगा म्यूज़िक |
| 184 | मेगा 24 |
| 185 | ज़ी बंगला सिनेमा |
| 186 | एबीपी माझा |
| 187 | स्टार स्पोटर्स 2 |
| | |

## पे प्रसारणकर्ताओं की सूची

| क्र.सं. | प्रसारणकर्ता का नाम |
|---|---|
| 1 | 9एक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | एईटीएन 18 मीडिया प्रा. लिमिटेड |
| 3 | एलाइउ इंफोटेनमेंट प्रा. लिमिटेड (ई24 गलैमर लिमि.) |
| 4 | एशियानेट कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| 5 | बी4यू ब्रोडबैंड (इंडिया) प्रा. लिमिटेड |
| 6 | बंगला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 7 | बीबीसी ग्लोबल न्यूज इंडिया प्रा. लिमिटेड |
| 8 | बेनेट, कोलेमैन एंड कंपनी लिमिटेड |
| 9 | बिग आरटीएल ब्रोडकास्टिंग प्रा. लिमिटेड |
| 10 | बिजनेस ब्रोडकास्ट न्यूज प्रा. लिमिटेड |
| 11 | सेलिब्रिटीज मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड |
| 12 | दक्षिण गेमिंग मीडिया सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड |
| 13 | डिस्कवरी कम्यूनिकेशन्स इंडिया |
| 14 | इनाडू टेलीविजन प्रा. लिमिटेड |
| 15 | फोक्स चैनल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 16 | जेनएक्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड |
| 17 | आईबीएन 18 ब्रोडकास्ट लिमिटेड |
| 18 | आईबीएन लोकमत न्यूज प्रा. लिमिटेड |
| 19 | माँ टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड |
| 20 | माविस सतकॉम लिमिटेड |
| 21 | मीडिया नेटवर्क एंड कम्यूनिकशेन सर्विस (इंडिया) प्रा. लिमिटेड |
| 22 | एमजीएम नेटवर्क्स इंक |
| 23 | मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 24 | एनडीटीवी लाइफस्टायल लिमिटेड |
| 25 | नीओ स्पोर्ट्स ब्रोडकास्ट प्रा. लिमिटेड |
| 26 | न्यू डेल्ही टेलीविजन लिमिटेड |
| 27 | एनजीसी नेटवर्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |

| क्र.सं. | प्रसारणकर्ता का नाम |
|---|---|
| 28 | ओडीसा टेलीविजन लिमिटेड |
| 29 | पैनोरोमा टेलीविजन प्रा. लिमिटेड |
| 30 | पॉल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 31 | प्रिज्म टीवी प्रा. लिमिटेड |
| 32 | राज टेलीविजन लिमिटेड |
| 33 | रिलायंस बिग ब्रोडकास्टिंग प्रा. लिमिटेड |
| 34 | सहारा इंडिया कमर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड |
| 35 | सार्थक एंटरटेनमेंट प्रा. लिमिटेड |
| 36 | सिल्वरस्टार कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड |
| 37 | स्टार एंटरटेनमेंट मीडिया प्रा. लिमिटेड |
| 38 | स्टार इंडिया प्रा. लिमिटेड |
| 39 | स्टार स्पोर्ट्स इंडिया प्रा. लिमिटेड |
| 40 | सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड |
| 41 | ताज टेलीविजन (इंडिया) प्रा. लिमिटेड |
| 42 | व वाल्ट डिजनी कंपनी (इंडिया) प्रा. लिमिटेड |
| 43 | टाइम्स ग्लोबल ब्रोडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड |
| 44 | टर्मरिक विजन प्रा. लिमिटेड |
| 45 | टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लिमिटेड |
| 46 | टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड |
| 47 | टीवी18 ब्रोडकास्ट प्रा. लिमिटेड |
| 48 | यूनाइटिड होम एंटरटेनमेंट प्रा. लिमिटेड |
| 49 | यूटीवी एंटरटेनमेंट टेलीविजन प्रा. लिमिटेड |
| 50 | वायकॉम 18 मीडिया प्रा. लिमिटेड |
| 51 | विजय टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड |
| 52 | ज़ी आकाश न्यूज प्रा. लिमिटेड |
| 53 | ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड |
| 54 | ज़ी मीडिया कार्पोरेशन लिमिटेड |
| 55 | जूम एंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड |

## पे–डीटीएच ऑपरेटरों की सूची

| क्र.सं. | डीटीएच ऑपरेटर |
|---|---|
| 1. | मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड |
| 2. | मैसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड |
| 3. | मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी (प्रा.) लिमिटेड |

| क्र.सं. | डीटीएच ऑपरेटर |
|---|---|
| 4. | मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड |
| 5. | मैसर्स रिलायंस बिग टीवी प्रा. लिमिटेड |
| 6. | मैसर्स भारत बिजनेस चैनल्स लिमिटेड |

# भाग-II

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और परिचालन की समीक्षा

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और परिचालन की समीक्षा

2.1 रिपोर्ट के भाग-I ने, प्रसारण और केबल सेवाओं सहित, दूरसंचार क्षेत्र में प्रचलित सामान्य वातावरण का एक परिदृश्य दिया गया है और 2013–14 के दौरान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया है। भादूविप्रा अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए जनादेश के साथ पंक्ति में, भादूविप्रा ने दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। इसका प्रयास ऐसा कोई वातावरण प्रदान करना रहा है जो निष्पक्ष और पारदर्शी है, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए कोई बराबरी के स्तर पर कारोबार को बढ़ावा देता है, उपभोक्ताओं के हित संरक्षित करता है और हर एक व्यक्ति और सभी व्यक्तियों के लिए तकनीकी लाभ सक्षम करता है।

2.2 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत, भादूविप्रा को, *अन्य बातों के साथ (इण्टर एलिया)*, लाइसेंस की नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, टैरिफ नीति निर्दिष्ट करने और नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश के लिए शर्तों और साथ ही किसी सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस के नियम और शर्तों की अनुशंसा करने का आदेश दिया गया है। भादूविप्रा के काम के परिधि में टैरिफ नीति की निगरानी करने से सम्बन्धित मुद्दों, इंटरकनेक्शन के वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं, कॉल रूट करने और कॉल हैंडओवर करने के सिद्धांतों, जनता का विभिन्न सेवा प्रदाताओं का स्वतंत्र चयन और एक्सेस की बराबर सरलता, ऐसे संघर्षों का समाधान जो बाजार के घटनाक्रमों और विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए विविध नेटवर्क संरचनाओं के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, विद्यमान नेटवर्क और प्रणालियों के उन्नयन की आवश्यकता, और सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक क्रिया और प्राधिकरण की उपभोक्ता संगठनों के साथ पारस्परिक क्रिया के लिए प्लेटफार्म

के विकास पर विचार और निर्णय भी सम्मिलित है। सरकार ने एक अधिसूचना दिनांक 9 जनवरी 2004 जारी की, जिसके द्वारा प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं को भी दूरसंचार सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया था, इस प्रकार इन क्षेत्रों को भादूविप्रा के परिधि के अन्तर्गत लाया गया। सरकार ने, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, की धारा 11(घ) के अन्तर्गत, एक और अधिसूचना दिनांक 9 जनवरी, 2004 जारी की, जिसने कुछ अतिरिक्त कार्य भादूविप्रा को सौंपे। ये कार्य थे – ऐसे नियम और शर्तों जिन पर ग्राहकों को "एड्रेसेबल प्रणाली" प्रदान की जाएगी और पे–चैनलों और साथ ही अन्य चैनलों में विज्ञापन विनियमित करने के लिए मापदण्डों के सम्बन्ध में अनुशंसाएं करना।

2.3 अनुशंसाएँ सूत्रीकृत करने और नीतिगत पहलों का सुझाव देने के लिए, भादूविप्रा विभिन्न हितधारकों के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, जैसे कि सेवा प्रदाताओं, उनके संगठनों, उपभोक्ता समर्थक समूहों/उपभोक्ता संगठनों और इस क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञ। इसने एक प्रक्रिया विकसित की है, जो सभी हितधारकों और आम जनता को उनके विचारों की पेशकश करके नीति सूत्रीकरण के बारे में चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति देती है, जब कभी भी विचारों की माँग की जाती है। इस प्रक्रिया में सम्मिलित है – नीतिगत मुद्दों पर विभिन्न विचार और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए, मुद्दों पर प्रकाश डालने वाला एक परामर्श पत्र जारी करना और मुद्दों पर हितधारकों के विचार माँगना, देश के विभिन्न भागों में आयोजित की गई ओपन हाउस बैठकें रखना, ई–मेल पर और पत्रों के माध्यम से लिखित टिप्पणियाँ आमंत्रित करना, और हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ पारस्परिक क्रिया सत्रों को रखना। भादूविप्रा द्वारा जारी किए गए विनियमों/आदेशों में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन भी निहित होता है, जो उस आधार की व्याख्या करता है, जिस पर निर्णय लिए जाते हैं। भादूविप्रा द्वारा अपनाई गई सहभागिता और व्याख्यात्मक प्रक्रिया को व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है।

2.4 भादूविप्रा दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में उपभोक्ता संगठनों/गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ भी, उनके विचार प्राप्त करने के लिए, पारस्परिक क्रिया करता है। इसके पास दूरसंचार कार्यों के साथ जुड़े उपभोक्ता संगठनों/गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण करने की और नियमित अन्तरालों पर उनके साथ पारस्परिक क्रिया करने की एक प्रणाली है। भादूविप्रा उपभोक्ता संगठनों को मजबूत बनाने के लिए उपायों को लगातार अपना रहा है। यह विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ सेमिनार और कार्यशालाएँ भी आयोजित करता है और इन सेमिनारों में भाग लेने के लिए हितधारकों, उपभोक्ता संगठनों और अन्य अनुसंधान संस्थानों को आमंत्रित करता है।

2.5 भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11 (1) (क) के अन्तर्गत, प्राधिकरण को या तो *स्वप्रेरणा से* या फिर लाइसेंसदाता, अर्थात, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार मंत्रालय या प्रसारण और केबल सेवाओं के प्रकरण में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से किसी अनुरोध पर अनुशंसाएं देना आवश्यक है। 2013–14 के दौरान भादूविप्रा द्वारा सरकार को दी गई अनुशंसाएं नीचे दी गई हैं।

## दूरसंचार क्षेत्र

### अनुशंसाओं की सूची

- "स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य" पर अनुशंसाएं दिनांक 9 सितम्बर, 2013।

❒ "पूर्ण मोबाइल नंबर सुवाह्यता" (अखिल–भारतीय संख्या सुवाह्यता) पर अनुशंसाएं दिनांक 25 सितम्बर 2013।

❒ "पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लानाः एक निवेश योजना" पर अनुशंसाएं दिनांक 26 सितम्बर 2013।

❒ "स्पेक्ट्रम का मूल्याँकन और आरक्षित मूल्य" पर अनुशंसाओं दिनांक 9 सितम्बर 2013 पर डीओटी के वापस सन्दर्भ पर भादूविप्रा का प्रत्योत्तर दिनांक 23 अक्टूबर 2013।

❒ "आपातस्थिति/ आपदाओं के दौरान दूरसंचार नेटवर्क की विफलताएं – प्रत्योत्तर और बहाली में लगे हुए व्यक्तियों की कॉलें प्राथमिकता पर रूट करना" पर अनुशंसाएं दिनांक 26 नवम्बर 2013।

❒ "स्पेक्ट्रम व्यापार करने के लिए कार्यात्मक दिशानिर्देश" पर अनुशंसाएं दिनांक 28 जनवरी 2014।

❒ "800 मेगाहट्र्ज बैण्ड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य" पर अनुशंसाएं दिनांक 22 फरवरी 2014।

## स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य पर अनुशंसाएं दिनांक 9 सितम्बर, 2013

2.5.1 दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने, अपने पत्र दिनांक 10 जुलाई 2013 के माध्यम से, 1800 मेगाहट्र्ज, 800 मेगाहट्र्ज और 900 मेगाहट्र्ज बैण्डों में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य पर भादूविप्रा की अनुशंसाएं माँगी थीं। इसके आगे, डीओटी ने, अपने पत्र दिनांक 22 अगस्त 2013 के माध्यम से, स्पेक्ट्रम की व्यापार करने पर भादूविप्रा की अनुशंसाएं माँगी, जिसमें *अन्य बातों के साथ (इण्टर एलिया)* नीलामी के माध्यम से प्राप्त किए गए स्पेक्ट्रम का व्यापार करने की अनुमति देने के लिए शर्तें और समय, किसी ऑपरेटर द्वारा व्यापार करने के लिए स्पेक्ट्रम की मात्रा, कानूनी के अलावा देय राजस्व, विनियामक और तकनीकी ढाँचा सम्मिलित हो सकते हैं।

परामर्श प्रक्रिया से जाने और मुद्दे का विश्लेषण विवरण में करने के बाद, प्राधिकरण ने **"स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण और आरक्षित मूल्य"** पर अपनी अनुशंसाएं 9 सितम्बर, 2013 को सरकार को अग्रेषित कीं। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई हैं :–

● आगामी नीलामी से पहले, डीओटी को समय–समय पर, समय–रेखाओं के साथ, एक स्पष्ट रूपरेखा (रोडमैप) जारी करनी चाहिए, जो स्पेक्ट्रम की वह मात्रा दर्शाए, जो भविष्य में उपलब्ध हो जाएगा, ताकि ऐसे लाइसेंसधारी जिनका लाइसेंस 2015/16 में नवीकरण के लिए देय है, 1800 मेगाहट्र्ज बैण्ड में स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने के बारे में कोई सूचित निर्णय ले सकें।

● हाल ही में रखी गई नीलामियों (नवम्बर, 2012 और मार्च, 2013) में निर्धारित की गई पात्रता शर्तें आगामी नीलामी के लिए बनाए रखी जानी चाहिएँ।

● 900 या 1800 मेगाहट्र्ज बैण्ड में नवीकरण लाइसेंसधारियों के लिए स्पेक्ट्रम का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए।

● सीएमटीएस/यूएएसएल/यूएल (एएस)/यूएल में पहले से ही निर्धारित किए गए रोल–आउट दायित्वों के अलावा, निम्नलिखित रोल–आउट दायित्व भी पहुँच स्पेक्ट्रम (800/900/1800 मेगाहट्र्ज बैण्ड में स्पेक्ट्रम) होने वाले लाइसेंसधारियों के लिए सम्मिलित किए जाने चाहिएं।

▲ 5000 से अधिक की आबादी वाले सभी गांव स्पेक्ट्रम के आबंटन की प्रभावी तिथि के 5 वर्ष के भीतर पहुँच सेवाओं के लिए कवर किए

जाने हैं और 2000 से अधिक की आबादी वाले सभी गाँव स्पेक्ट्रम के आवण्टन की प्रभावी तिथि के 7 वर्ष के भीतर कवर किए जाने हैं।

▲ ये संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी किए जाने चाहिएँ। फिर भी, वर्ष 2008 से पहले सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंस रखने वाले टीएसपी के प्रकरण में, इन अतिरिक्त रोल–आउट दायित्वों को पूरा करने के लिए समय अवधि प्रभावी तिथि से दो वर्ष/चार वर्ष होगी, जबकि 2008 के बाद लाइसेंस प्राप्त करने वाले टीएसपी के लिए समय अवधि पाँच वर्ष/सात वर्ष होगी।

● 22 एलएसए के लिए 1800 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के लिए आरक्षित मूल्य वैसे होने चाहिएँ, जैसे नीचे दी गई तालिका में हैं :–

| **एलएसए** | **प्रति मेगाहट्र्ज आरक्षित मूल्य (रु. करोड़ में)** |
|---|---|
| दिल्ली | 175 |
| मुम्बई | 165 |
| कोलकाता | 59 |
| आंध्र प्रदेश | 130 |
| गुजरात | 115 |
| कर्नाटक | 124 |
| महाराष्ट्र | 138 |
| तमिलनाडु | 166 |
| हरियाणा | 27 |
| केरल | 52 |
| मध्य प्रदेश | 43 |
| पंजाब | 54 |
| राजस्थान | 26 |
| उ. प्र. (पूर्व) | 61 |
| उ.प्र. (पश्चिम) | 62 |
| पश्चिम बंगाल | 21 |
| असम | 7 |
| बिहार | 37 |
| हिमाचल प्रदेश | 6 |
| जम्मू और कश्मीर | 5 |
| उत्तर पूर्व राज्य | 7 |
| ओड़िशा | 16 |
| अखिल भारत | 1496 |

● दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता एलएसए के लिए 900 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के लिए आरक्षित मूल्य वैसे होने चाहिएँ जैसे नीचे दी गई तालिका में हैं:

| **एलएसए** | **प्रति मेगाहट्र्ज आरक्षित मूल्य (रु. करोड़ में)** |
|---|---|
| दिल्ली | 288 |
| मुम्बई | 262 |
| कोलकाता | 100 |

▲ ई–जीएसएम को अपनाने की व्यवहार्यता की खोजबीन समयबद्ध तरीके से की जानी चाहिए। 800 मेगाहट्र्ज बैण्ड में नीलामी इस समय नहीं की जानी चाहिए। इसलिए, वर्तमान में 800 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के लिए किसी मूल्याँकन या आरक्षित मूल्य निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

▲ नीलामी के माध्यम से आवंटित किए गए सभी स्पेक्ट्रम के लिए एसयूसी यहाँ से आगे किसी सपाट दर पर वसूल किया जाना चाहिए। प्राधिकरण यह अनुशंसा भी करता है कि नीलामी या व्यापार करने के माध्यम से प्राप्त किए गए स्पेक्ट्रम या जिन पर टीएसपी ने सरकार को निर्धारित किए गए बाजार मूल्य का भुगतान

किया है, उन्हें लागू स्लैब दर निर्धारित करने के लिए किन्हीं भी विद्यमान स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह नवम्बर, 2012 और मार्च, 2013 में की गई नीलामियों में आवंटित किए गए स्पेक्ट्रम पर भी लागू होगा।

- वायरलैस सेवाओं के एजीआर का 3% की कोई सपाट दर नीलामी किए गए सभी स्पेक्ट्रम के लिए एसयूसी की एक–समान दर होनी चाहिए। यह 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा।
- बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के लिए एसयूसी की दर भी 3% पर नियत की जानी चाहिए, जहाँ सेवाएँ सीएमटीएस / यूएएसएल / यूएल (एएस) / यूएल के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई हैं।
- एसयूसी की उच्चतम स्लैब दर 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होते हुए एजीआर के 5% तक नीचे लाई जा सकती है।
- देश में स्पेक्ट्रम व्यापार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रारम्भ में, स्पेक्ट्रम के केवल सीधे हस्तांतरण की अनुमति दी जानी चाहिए।
- केवल उस स्पेक्ट्रम का व्यापार किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसे पूर्व में नीलामी के माध्यम से प्राप्त किया गया है या जिस पर टीएसपी ने सरकार को निर्धारित किए गए बाजार मूल्य का भुगतान किया है।
- लेन–देन राशि या निर्धारित किए गए बाजार मूल्य के एक प्रतिशत (1%) का एक हस्तांतरण शुल्क, जो भी अधिक हो, सभी स्पेक्ट्रम व्यापार लेनदेनों पर लगाया जाना चाहिए। हस्तांतरण शुल्क हस्तांतरणकर्ता द्वारा सरकार को भुगतान किया जाना चाहिए।
- जब सरकार स्पेक्ट्रम के व्यापार करने पर भादूविप्रा की अनुशंसाएं स्वीकार करती है, उसके बाद प्राधिकरण, कार्यान्वयन मुद्दों के विवरणों को अन्तिम रूप देने के लिए, टीएसपी और उद्योग संघों से मिलकर बनी एक परिचालनकर्ता समिति का गठन करेगा।

### पूर्ण मोबाइल नंबर सुवाह्यता (अखिल–भारत नंबर सुवाह्यता) पर अनुशंसाएँ दिनांक 25 सितम्बर, 2013

2.5.2. दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 के माध्यम से, "एक राष्ट्र – पूर्ण मोबाइल नंबर सुवाह्यता" के सम्बन्ध में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति–2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार, लाइसेंस दिए गए सेवा क्षेत्रों के आर–पार पूर्ण मोबाइल नंबर सुवाह्यता अर्थात एमएनपी के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्राधिकरण की अनुशंसाएं माँगी थीं। विस्तृत परामर्श प्रक्रिया और सभी सम्मिलित मुद्दों के विश्लेषण के माध्यम से जाने के बाद, प्राधिकरण ने देश में 'पूर्ण मोबाइल नंबर सुवाह्यता (अखिल भारतीय नंबर सुवाह्यता)' पर अपनी अनुशंसाएं 25 सितम्बर, 2013 को सरकार को भेजीं।

अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–

क) जब पूर्ण मोबाइल नंबर सुवाह्यता (अन्तर–सेवा क्षेत्र सुवाह्यता) कार्यान्वित कर दी जाती है, उसके बाद, प्राप्तकर्ता परिचालक, सुवाह्यता अनुरोध को उस क्षेत्र के एमएनपीएसपी को अग्रेषित करेगा, जिसमें मूल संख्या विस्तार धारक (वह दूरसंचार सेवा प्रदाता जिसके पास संख्या, इसकी पहली सुवाह्यता से पहले, मूल रूप से थी) आता है।

ख) दूरसंचार सेवा प्रदाता को पूर्ण मोबाइल नंबर सुवाह्यता के क्रियान्वयन के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा।

ग) अन्तर–सेवा क्षेत्र सुवाह्यता को सुविधा देने के लिए, एमएनपी सेवा लाइसेंस में कुछ संशोधन अनुशंसित किए गए हैं (पूर्ण एमएनपी)

घ) पूर्ण एमएनपी में विभिन्न परिदृश्यों का परीक्षण करने के लिए परीक्षण शुल्क टीएसपी और एमएनपीएसपी के लिए वर्तमान निर्धारित किए गए शुल्क के 25% तक कम किया जा सकता है।

## "पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लानाः एक निवेश योजना" पर अनुशंसाएँ दिनांक 26 सितम्बर, 2013

2.5.3. दूरसंचार विभाग ने, उसके संदर्भ दिनांक 22 अप्रैल, 2013 के माध्यम से, प्राधिकरण से पूर्वोत्तर राज्यों में गुणवत्तायुक्त दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक अन्तराल विश्लेषण करने और एक निवेश योजना तैयार करने का अनुरोध किया। मंशा थी – पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने और विस्तार के लिए एक व्यापक दूरसंचार योजना सूत्रीकृत करना।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों से मिलकर बना है। क्षेत्र अपेक्षाकृत ख़राब आधारभूत सुविधाओं जैसे कि रेल, सड़क, बिजली और दूरसंचार, के साथ अत्यंत कठिन इलाके से लक्षणीकृत किया जाता है। क्षेत्र में दूरसंचार की कनेक्टिविटी और टेलीघनत्व बढ़ाने के लिए विगत में प्रयास किए गए हैं। परन्तु, परिणाम अब तक बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं। मई, 2013 की स्थिति के अनुसार, एनईआर में आठ राज्यों में से, पाँच राज्यों में टेलीघनत्व 70% के राष्ट्रीय औसत वायरलैस टेलीघनत्व से नीचे है। इसी प्रकार, चार राज्यों, नाम से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, में मोबाइल कवरेज नहीं होने वाले गाँवों का प्रतिशत 24.3% से लेकर 55.9% के विस्तार में है। यह बहुत उच्च है, जब इसकी तुलना अधिकांश अन्य राज्यों से की जाती है, जहाँ कवर नहीं हुए गाँवों का प्रतिशत 10% से कम है।

दूरसंचार के आधारभूत ढाँचे की वर्तमान स्थिति और एनईआर में अन्तरालों का आकलन करने के लिए, विभिन्न हितधारकों, नाम से, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि प्रशासक (यूएसओएफए), एनईआर में परिचालन करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी), एनईआर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम सौंपे गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नाम से, बीएसएनएल, रेलटेल और पीजीसीआईएल, के साथ विस्तृत परामर्श किया गया। क्योंकि राज्य सरकारें इस अभ्यास में अत्यावश्यक रूप से महत्वपूर्ण हितधारक हैं, इसलिए भादूविप्रा के वरिष्ठ अधिकारियों के चार दलों ने कुछ एनईआर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकार के शीर्ष स्तर के अधिकारियों से, उनके राज्यों में दूरसंचार के आधारभूत ढाँचे के बारे में उनके परिप्रेक्ष्य और चिंताओं को समझने के लिए, मुलाकात की।

प्राधिकरण की अनुशंसाएं तीन मुख्य घटकों में आधारित हैं:

(क) अन्तराल विश्लेषण;

(ख) राज्य–क्रमानुसार अनुशंसित दूरसंचार योजनाएँ;

(ग) अनुशंसित समग्र योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निवेश के आकलन।

दूरसंचार के आधारभूत ढाँचे में अन्तराल अनिवार्य रूप से चार श्रेणियों के अन्तर्गत आता है। ये हैं :–

(क) राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालयों में वांछित बैण्डविड्थ और विद्यमान संचरण बैण्डविड्थ;

(ख) आधारभूत 2जी मोबाइल कवरेज का समर्थन करने के लिए न्यूनतम आवश्यक आधारभूत ढाँचा और विद्यमान आधारभूत ढाँचा;

(ग) आँकड़ों के लिए 'अत्याधुनिक' कनेक्टिविटी होने के लिए वांछित आधारभूत ढाँचा और विद्यमान आधारभूत ढाँचा, और

(घ) राज्यों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के आर–पार वांछित कनेक्टिविटी और विद्यमान कनेक्टिविटी।

एनईआर में दूरसंचार के आधारभूत ढाँचे और सेवाओं के लिए अन्तराल विश्लेषण ऊपर बताई गई चार श्रेणियों के हिसाब से किया गया है, तदनुसार, आवश्यक निवेश की गणना की गई है।

प्राधिकरण ने अपनी अनुशंसा को अंतिम रूप दिया और इसे 26 सितम्बर, 2013 को सरकार को अग्रेषित किया। प्राधिकरण ने, *अन्य बातों के साथ (इण्टर एलिया)* यह अनुशंसा की है कि :–

- एनईआर में ब्रॉडबैण्ड के लिए आवश्यक भावी बैण्डविड्थ को ध्यान में रखते हुए, सभी राज्यों की राजधानियों और राज्य की राजधानियों और जिला मुख्यालयों के बीच अतिरेक (रिडण्डेन्सी)/विविधता (डायवर्सिटी) के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कोर नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया है।
- 250 से अधिक व्यक्तियों की आबादी वाले कस्बों और गाँवों में 2जी मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए निवेश का अनुमान लगाया गया है;
- क्योंकि एनईआर में 3जी सेवाओं की पैठ बहुत ख़राब है, प्रारम्भ में यह योजना बनाई गई है कि 3जी सेवाएँ एनईआर के सभी शहरी क्षेत्रों में प्रदान की जाएँ;
- इसके अलावा, प्राधिकरण ने एनईआर में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ–साथ समेकित कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निवेश की आवश्यकता की अनुशंसा भी की है।

एनईआर राज्यों में परिकल्पित योजना लागू करने के लिए आवश्यक कुल मिला कर निवेश के लगभग 2,918 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। अनुशंसाओं में कुछ नीति और समर्थन करने वाली कार्रवाई भी निहित है, जो इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होगी। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :–

(i) ऐसे टीएसपी के लाइसेंस शुल्क के एजीआर के 2% की छूट जो 250 की आबादी वाली बस्तियों के कम से कम 80% को कवर करते हैं;

(ii) उपग्रह कनेक्टिविटी के माध्यम से बैण्डविड्थ शुल्कों के लिए यूएसओ कोष से सब्सिडी प्रदान करना;

(ii) दूरसंचार टावरों पर सौर ऊर्जा इकाइयों की स्थापना के लिए सब्सिडी;

(iv) पीजीसीआईएल और बीएसएनएल उनके डार्क फाइबर अन्य टीएसपी को पट्टे पर देंगे और एनईआर में उनके बैण्डविड्थ पट्टे पर देने के शुल्क कम करेंगे, जिससे वो देश के अन्य भागों में लगाई गई वसूलियों से तुलनीय बन जाएँ;

(v) एनईआर में टीएसपी एनईआर राज्यों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ–साथ सभी बीटीएस के लिए छह महीने की किसी अवधि के भीतर आपस में सर्किल के बाहर और भीतर रोमिंग अनुबन्ध करेंगे;

(vi) राज्य सरकारों को निम्नलिखित सुनिश्चित करना है :–

(क) बीटीएस के लिए व्यावसायिक बिजली की प्राथमिकता के आधार पर उपलब्धता;

(ख) बीटीएस के निर्माण के लिए भूमि और सरकारी इमारतें प्रदान करना;

(ग) टीएसपी द्वारा डीजल जेनरेटरों (डीजी) के उपयोग पर करों/शुल्कों को लगाना रद्द करना;

(घ) राज्य विद्युत मण्डलों के संचारण टावरों/खंभे पर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने की अनुमति देना;

(ङ) टीएसपी को डीजल की पर्याप्त आपूर्ति की उपलब्धता की सुविधा देना, विशेष रूप से बंदों/हड़तालों के दौरान;

(च) जब कभी भी बीटीएस डीजी सेटों पर चल रहे हों, वे चौबीसों घंटे चलने में सक्षम हों ताकि जनता को निर्बाध दूरसंचार कनेक्टिविटी मिले;

(छ) दूरसंचार सम्बन्धी सभी मंजूरी/एनओसी के लिए कोई एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली स्थापित करना जैसे प्रदूषण/शोर नियंत्रण प्रमाण पत्र, पर्यावरण मंजूरी, साइट के अधिग्रहण, वाणिज्यिक बिजली की आपूर्ति आदि

### "स्पेक्ट्रम का मूल्याँकन और आरक्षित मूल्य" पर अनुशंसाओं दिनांक 9 सितम्बर, 2013 पर डीओटी के वापस सन्दर्भ पर भादूविप्रा का प्रत्योत्तर दिनांक 23 अक्टूबर, 2013

2.5.4 प्राधिकरण ने 'स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य' पर अपनी अनुशंसाएं दूरसंचार विभाग को 9 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत की थीं। 11 अक्टूबर 2013 को, डीओटी ने अनुशंसाओं में से कुछ पर स्पष्टीकरण/पुनर्विचारण की माँग की।

डीओटी द्वारा दी गई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने अपनी प्रतिक्रिया सरकार को प्रस्तुत की। प्राधिकरण ने अपनी पूर्ववर्ती अनुशंसाएं विवरणयुक्त तर्क के साथ दोहराई हैं। इन अनुशंसाओं में, अन्य बातों के साथ (इण्टर एलिया) निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

(i) 1800 मेगाहट्‌र्ज और 900 मेगाहट्‌र्ज के लिए आरक्षित मूल्य अपरिवर्तित बने रहेंगे, अर्थात, प्राधिकरण द्वारा पहले से ही अनुशंसित किए गए स्तर पर। क्योंकि विभिन्न एलएसए के लिए प्राप्त किए गए आरक्षित मूल्य पर अनुशंसाएँ विभिन्न आर्थिक कार्यप्रणालियों के अपनाने के माध्यम से मूल्याँकन से का, तार्किक अनुक्रम में, अनुसरण करती हैं, प्राधिकरण ने आरक्षित मूल्य पर "पुनर्विचार करने" के लिए कोई सम्भावना नहीं पाई, जैसा डीओटी ने सुझाव दिया था।

(ii) 900 मेगाहट्‌र्ज और 1800 मेगाहट्‌र्ज स्पेक्ट्रम की कोई खुली, पारदर्शी, वस्तुपरक, उत्तरदायी, अप्रतिबंधित और सफल नीलामी होने के लिए और बोली लगाने वालों के बीच एक समान स्तर सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण ने 900/ 1800 मेगाहट्‌र्ज बैण्ड में कोई भी आरक्षण/ प्राथमिकता न होने के बारे में अपनी अनुशंसा को दोहराया है।

(iii) रोल–आउट दायित्वों में विद्यमान शहर–केन्द्रित पूर्वाग्रह को सही करने के लिए और रोल–आउट दायित्वों को एनटीपी 2012 के उद्देश्यों के साथ लयबद्ध करने के लिए भी, प्राधिकरण ने ग्रामीण कवरेज बढ़ाने के लिए रोल–आउट दायित्वों पर अपनी अनुशंसाएं दोहराई हैं।

(iv) डीओटी ने स्पेक्ट्रम व्यापार करने पर अपनी सैद्धान्तिक स्वीकृति संचारित कर दी है। तदनुसार, प्राधिकरण स्पेक्ट्रम व्यापार करने पर विस्तृत दिशानिर्देशों को शीघ्र ही अन्तिम रूप देगा।

(v) 800 मेगाहट्‌र्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी पर, प्राधिकरण ने फिर से अनुशंसा की है कि सरकार को, जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले, ई–जीएसएम बैण्ड को अपनाने की व्यवहार्यता की खोजबीन पहले अवश्य करनी चाहिए।

स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्कों (एसयूसी) पर, प्राधिकरण ने विद्यमान रेजिमे से, इसकी कई सीमाओं के साथ, एक अधिक संतुलित, न्यायसंगत और तार्किक प्रणाली तक उत्तरोत्तर परिवर्तन के लिए अपनी अनुशंसाएं दोहराई हैं।

## आपातस्थिति/आपदाओं के दौरान दूरसंचार नेटवर्क की विफलताएँ – प्रत्योत्तर और बहाली में लगे हुए व्यक्तियों की कॉलें प्राथमिकता पर रूट करना पर अनुशंसाएं दिनांक 26 नवम्बर 2013

2.5.5 टेलीकॉम यातायात आपदाओं/आपातस्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाता है, जिसका परिणाम नेटवर्क संकुलन (कन्जेशन) में होता है। इस तरह का संकुलन (कन्जेशन) आपातकालीन प्रत्योत्तरदाताओं की संचार करने और समन्वय करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है और इस प्रकार से आपदा/आपातस्थिति के प्रति आधिकारिक प्रत्योत्तर को गंभीर रूप से क्षीण कर सकता है। कोई ऐसी प्रणाली बनाने के लिए, जो ऐसे लोगों के बीच संचार को सुविधा दे सकता है, जो ऐसी आपातस्थितियों के प्रति प्राथमिकता के लिए जिम्मेदार हैं, जिसे नेटवर्क संकुलता के दौरान ऐसे लोगों की कॉलों को प्राथमिकता देकर किया जाता है, भादूविप्रा ने *स्वप्रेरणा से* इस मुद्दे पर परामर्श प्रक्रिया प्रारम्भ की। अपेक्षित परामर्श और आंतरिक विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने "आपातस्थिति/ आपदाओं के दौरान दूरसंचार नेटवर्क की विफलताएँ – प्रत्योत्तर और बहाली में लगे हुए व्यक्तियों की कॉलें प्राथमिकता पर रूट करना" पर अपनी अनुशंसाएं सरकार को 26 नवम्बर, 2013 को अग्रेषित करीं।

अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई हैं :–

- यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्राथमिकता कॉल रूटिंग (पीसीआर) योजना स्थापित की जानी चाहिए कि आपदाओं के दौरान 'प्रत्योत्तर और बहाली' के लिए जिम्मेदार कर्मियों की कॉलें प्राथमिकता के आधार पर रूट की जाती हैं।

- वर्धित बहु–स्तरीय वरीयता और प्री–एम्प्शन (ईएमएलपीपी) आधारित प्राथमिकता कॉल रूटिंग (पीसीआर) को भारत में वायरलेस नेटवर्क में लागू किया जाना चाहिए, चालू कॉलों को प्री–एम्प्ट करने के अधिकार के साथ–साथ, यदि आवश्यकता हो। ईएमएलपीपी की कॉल प्री–एम्प्शन सुविधा के उपयोग की, आपातस्थितियों के दौरान पीसीआर योजना के प्रदर्शन के आधार पर, बाद में समीक्षा की जा सकती है।

- सरकार को बजटीय आवंटन/समर्थन के माध्यम से पीसीआर योजना वित्तपोषित करनी चाहिए और इसके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना चाहिए। पीसीआर योजना के लिए परिचालनात्मक व्यय राष्ट्रीय आपदा राहत कोषों (एनडीआरएफ)/एसडीआरएफ द्वारा वहन किए जाने चाहिएँ।

- भारत में पीसीआर के कार्यान्वयन में सम्मिलित लागतें निर्धारित करने के लिए, एक पायलट परियोजना का सुझाव अनुशंसाओं में दिया गया है। भादूविप्रा, टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी), दूरसंचार विभाग (डीओटी), राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनी एक परियोजना समिति पायलट परियोजना को चला सकती है। यही समिति सेवा वितरण मॉडल का सुझाव भी देगी। पीसीआर सेवाओं के लिए वसूली करने के मुद्दे पर, सेवा प्रदान करने के लिए व्यय की गई लागत पर आँकड़ें मिलने के बाद, भादूविप्रा द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि, जो भी नेटवर्क उपलब्ध है, आपातकालीन प्रत्योत्तरदाताओं की उस नेटवर्क तक एक्सेस है, प्राधिकरण ने यह अनुशंसा की है कि प्राथमिकता सेवाओं की पेशकश करने वाले सभी सेवा प्रदाताओं के लिए सर्किल के भीतर रोमिंग व्यवस्था में प्रवेश करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने यह अनुशंसा भी की है कि, केन्द्रीय गृह सचिव के अन्तर्गत, डीओटी, भादूविप्रा, एनडीएमए, टीईसी से वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग से प्रतिनिधियों से

मिलकर बनी एक स्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए। यह समिति भारत में आपातकाल दूरसंचारों के सम्बन्ध में नीति की देखरेख के लिए जिम्मेदार होगा।

## स्पेक्ट्रम व्यापार करने के लिए कार्यात्मक दिशानिर्देश पर अनुशंसाए दिनांक 28 जनवरी, 2014

2.5.6 'स्पेक्ट्रम का मूल्यॉंकन और आरक्षित मूल्य' पर अपनी अनुशंसाओं दिनांक 9 सितम्बर, 2013 में प्राधिकरण ने यह अनुशंसा की थी कि स्पेक्ट्रम व्यापार करने की देश में अनुमति दी जानी चाहिए। डीओटी ने, अपने सन्दर्भ दिनांक 11 अक्टूबर 2013 में, देश में स्पेक्ट्रम व्यापार करने की अनुमति के लिए प्राधिकरण की अनुशंसा की अपनी सैद्धान्तिक स्वीकृति संचारित की।

तदनुसार, प्राधिकरण ने 'स्पेक्ट्रम व्यापार करने पर कार्यात्मक दिशानिर्देश' पर अपनी अनुशंसाओं को 28 जनवरी, 2014 को अंतिम रूप दिया। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं :–

- स्पेक्ट्रम व्यापार करने के अन्तर्गत, स्पेक्ट्रम के केवल सीधे स्थानान्तरण की अनुमति है, अर्थात, उपयोग का स्वामित्व खरीदार को सौंप दिया जाता है। स्पेक्ट्रम पट्टे पर देने की समय के इस बिन्दु पर अनुमति नहीं है।
- स्पेक्ट्रम व्यापार करना स्पेक्ट्रम आवंटन की मूल वैधता अवधि परिवर्तित नहीं करेगा।
- वर्तमान में, स्पेक्ट्रम व्यापार करने की अनुमति केवल किसी अखिल–एलएसए (लाइसेंस सेवा क्षेत्र) आधार पर दी जाएगी अर्थात स्पेक्ट्रम का व्यापार एलएसए के किसी भाग के लिए नहीं किया जा सकता।
- विक्रेता और खरीदार को स्पेक्ट्रम व्यापार करने के बारे में, व्यापार की प्रभावी तिथि के छह सप्ताह पहले, लाइंसेसप्रदाता को सूचित करना आवश्यक होगा। फिर भी, स्पेक्ट्रम व्यापार करने के लिए लाइंसेसप्रदाता/सरकार से कोई भी अनुमति आवश्यक नहीं होगी।
- लाइंसेसप्रदाता द्वारा एक्सेस सेवाओं के लिए चिह्नित किए गए सभी स्पेक्ट्रम बैण्ड व्यापार–करने–योग्य स्पेक्ट्रम बैण्डों के रूप में माने जाएँगे। वर्तमान में 800 मेगाहट्र्ज, 900 मेगाहट्र्ज, 1800 मेगाहट्र्ज, 2100 मेगाहट्र्ज, 2300 मेगाहट्र्ज और 2500 मेगाहट्र्ज में स्पेक्ट्रम बैण्डों में स्पेक्ट्रम पहुँच सेवा के लिए आवंटित किए गए हैं।
- केवल सीएमटीएस/यूएएसएल/यूएल (एएस)/यूएल लाइसेंसधारी स्पेक्ट्रम व्यापार करने में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। किसी एलएसए के भीतर ऐसे विशेष स्पेक्ट्रम बैण्ड में लाइसेंसधारी द्वारा रखा हुआ पूरा स्पेक्ट्रम व्यापार योग्य होना चाहिए, अर्थात इसे या तो वर्ष 2010 में या बाद को किसी नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया है, या फिर जिस पर टीएसपी ने निर्धारित किए गए बाजार मूल्य (जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्णय लिया गया है) का भुगतान सरकार को पहले से ही कर दिया है।
- किसी टीएसपी को ऐसे स्पेक्ट्रम बैण्ड में किसी भी स्पेक्ट्रम का व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें इसने किसी भी स्पेक्ट्रम को व्यापार करने (या नीलामी) के माध्यम से स्पेक्ट्रम के हस्तांतरण की प्रभावी तिथि (या आवंटन की प्रभावी तिथि) से दो वर्ष की किसी अवधि के लिए प्राप्त किया है, अर्थात टीएसपी को ऐसी तिथि से कम से कम दो वर्ष के लिए स्पेक्ट्रम रखना आवश्यक है जिस पर इसने स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था।

## 800 मेगाहट्र्ज बैण्ड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य पर अनुशंसाएं दिनांक 22 फरवरी 2014

2.5.7 दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 के माध्यम से सभी सेवा क्षेत्रों में 800 मेगाहट्र्ज बैण्ड के लिए आरक्षित

मूल्य पर भादूविप्रा की अनुशंसाएं माँगी थीं। परामर्श प्रक्रिया और आंतरिक विश्लेषण के माध्यम से जाने के बाद, प्राधिकरण ने 800 मेगाहट्र्ज बैण्ड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य पर अपनी अनुशंसाएं 22 फरवरी, 2014 को सरकार को अग्रेषित कीं। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई हैं :–

- 800 मेगाहट्र्ज बैण्ड में डीओटी के पास उपलब्ध पूरा स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रखा जाना चाहिए।
- सटे हुए 5 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के कम से कम एक ढेर (अर्थात 4 वाहक) को नीलामी से पहले तराशा जाना चाहिए। वाहक पुर्नआवंटन, यदि आवश्यक हो, 800 मेगाहट्र्ज बैण्ड में विद्यमान टीएसपी के बीच किया जा सकता है, जिससे कम से कम 4 सटे हुए वाहक उपलब्ध हों। वैकल्पिक रूप से, नीलामी के लिए एनआईए स्पष्ट रूप से यह निर्धारित कर सकते हैं कि 5 मेगाहट्र्ज के केवल सटे हुए खण्ड बेचे जाएँगे। फिर भी, आवृत्तियों के पुनर्विन्यासन पर काम किया जाना चाहिए, जिस दौरान नीलामी जारी हो ताकि नीलामी के पूरा होने पर पुर्नआवंटन प्रभावी किया जाना संभव हो।
- 800 मेगाहट्र्ज बैण्ड में स्पेक्ट्रम 1.25 मेगाहट्र्ज के किसी खण्ड आकार में नीलाम किया जाना चाहिए।
- किसी नए प्रवेशी, अर्थात ऐसा कोई टीएसपी जिसके पास 800 मेगाहट्र्ज बैण्ड में कोई भी स्पेक्ट्रम रखा हुआ नहीं है, को 4 वाहकों के एक न्यूनतम के लिए बोली अवश्य लगानी चाहिए। फिर भी, किसी विद्यमान टीएसपी अर्थात ऐसा कोई टीएसपी जिसके पास 800 मेगाहट्र्ज बैण्ड में कुछ स्पेक्ट्रम रखा हुआ है, को स्पेक्ट्रम के न्यूनतम 1 खण्ड के लिए बोली लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। नए प्रवेशियों को केवल चिह्नित किए गए सटे हुए वाहक आवंटित अवश्य किए जाने चाहिएँ।
- प्राधिकरण यह अनुशंसा करता है कि 800 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की आगामी नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य औसत मूल्य–निरूपण के 80% पर नियत किया जाना चाहिए।
- आगामी नीलामी के लिए अनुशंसित आरक्षित मूल्य नीचे सारणीबद्ध हैं :–

**सारणी**

**800 मेगाहट्र्ज बैण्ड में प्रति मेगाहट्र्ज आरक्षित मूल्य**

(रु. करोड़ में)

| एलएसए | श्रेणी | प्रति मेगाहट्र्ज आरक्षित मूल्य (जैसी गणना की गई है) | अनुशंसित प्रति मेगाहट्र्ज आरक्षित मूल्य (राउण्ड ऑफ किए गए) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | मेट्रो | 450.22 | 450 |
| मुम्बई | मेट्रो | 352.13 | 352 |
| कोलकाता | मेट्रो | 101.49 | 101 |
| आंध्र प्रदेश | ए | 192.28 | 192 |
| गुजरात | ए | 211.65 | 212 |
| कर्नाटक | ए | 198.68 | 199 |

| एलएसए | श्रेणी | प्रति मेगाहट्ज आरक्षित मूल्य (जैसी गणना की गई है) | अनुशंसित प्रति मेगाहट्ज आरक्षित मूल्य (राउण्ड ऑफ किए गए) |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | ए | 282.05 | 282 |
| तमिलनाडु | ए | 246.85 | 247 |
| हरियाणा | बी | 30.37 | 30 |
| केरल | बी | 69.41 | 69 |
| मध्य प्रदेश | बी | 64.37 | 64 |
| पंजाब | बी | 62.86 | 63 |
| राजस्थान | बी | 58.85 | 59 |
| ऊ.प्र. (पूर्व) | बी | 83.92 | 84 |
| ऊ.प्र. (पश्चिम) | बी | 93.17 | 93 |
| पश्चिम बंगाल | बी | 46.45 | 46 |
| असम | सी | 26.79 | 27 |
| बिहार | सी | 61.12 | 61 |
| हिमाचल प्रदेश | सी | 13.20 | 13 |
| जम्मू व कश्मीर | सी | 8.46 | 8 |
| उत्तर पूर्व राज्य | सी | 7.55 | 8 |
| ओड़िशा | सी | 24.94 | 25 |
| **अखिल भारत** | | **2686.79** | **2685** |

## प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र

### अनुशंसाओं की सूची

- "भारत में प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)" पर अनुशंसाएं दिनांक 22 अगस्त, 2013।
- "टेलीविजन रेटिंग संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश" पर अनुशंसाएं दिनांक 11 सितम्बर, 2013।
- "केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व" पर अनुशंसाएं दिनांक 26 नवम्बर, 2013।
- "चरण-II से चरण-III तक एफएम रेडियो प्रसारकों का स्थानान्तरण" पर अनुशंसाएं दिनांक 20 फरवरी, 2014।

### भारत में प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर अनुशंसाएँ दिनांक 22 अगस्त, 2014

2.5.8 "भारत में प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमाएँ" पर अनुशंसाएं 22 अगस्त, 2013 को सरकार को अग्रेषित की गईं। ये अनुशंसाएं मोटे तौर पर प्रसारण क्षेत्र के तीन खण्डों से सम्बन्धित हैं, नाम से, प्रसारण वाहक सेवाएँ; टेलीविजन सामग्री सेवाएँ और एफएम रेडियो सेवाएँ। प्रसारण वाहक सेवाओं के लिए एफडीआई की सीमा 100% तक और 'समाचार एवम् सामयिकी' टीवी चैनलों और एफएम रेडियो सेवाओं की अपलिंकिंग के लिए एफडीआई की सीमा 49% तक बढ़ाने के लिए

अनुशंसा की गई है। यह अनुशंसा भी की गई है कि एफआईपीबी अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनाया जाए। अनुशंसित सीमाओं का सारांश आमने–सामने विद्यमान सीमाओं/ अनुमोदन मार्ग निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है :–

| | खण्ड | विद्यमान सीमाएँ/ अनुमोदन मार्ग | अनुशंसित सीमाएँ/ अनुमोदन मार्ग |
|---|---|---|---|
| प्रसारण वाहक सेवाएँ | ● डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी, मोबाइल टीवी, टेलीपोर्ट्स<br>● केबल नेटवर्क (राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर परिचालन करने वाले और डिजिटलीकरण और एड्रेसेबलता की दिशा में नेटवर्कों के उन्नयन का उपक्रम करने वाले बहुल प्रणाली परिचालक (एमएसओ)) | 74%<br><br>49% तक – स्वचालित मार्ग<br><br>49% से परे – एफआईबीपी मार्ग | 100% |
| | ● केबल नेटवर्क (अन्य एमएसओ जो एड्रेसेबलता के साथ डिजिटलीकरण की दिशा में नेटवर्कों के उन्नयन का उपक्रम नहीं कर रहे हैं और स्थानीय केबल परिचालक (एलसीओ)) | 49% स्वचालित मार्ग | 49% तक – स्वचालित मार्ग<br><br>49% से परे – एफआईबीपी मार्ग |
| टीवी सामग्री सेवाएँ | टीवी चैनलों के डाउनलिंकिंग | 100% | 100% |
| | गैर–'समाचार एवम् सामयिकी' टीवी चैनलों की अपलिंकिंग | एफआईपीबी मार्ग के माध्यम से | एफआईपीबी मार्ग के माध्यम से |
| | 'समाचार एवम् सामयिकी' टीवी चैनलों की अपलिंकिंग | | |
| एफएम रेडियो | एफएम रेडियो | 26% एफआईपीबी मार्ग के माध्यम से | 49% एफआईपीबी मार्ग के माध्यम से |

## टेलीविजन रेटिंग संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश पर अनुशंसाएं दिनांक 11 सितम्बर, 2013

2.5.9. "टेलीविजन रेटिंग संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश" पर अनुशंसाएं 11 सितम्बर, 2013 को सरकार को अग्रेषित की गईं। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं :–

i. प्राधिकरण, प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद (बीएआरसी) की तरह के उद्योग से नेतृत्व किए जाने वाले किसी निकाय के माध्यम से, टेलीविजन रेटिंगों के आत्म–नियमन का समर्थन करता है।

ii. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्तमान प्रणाली की कमियों को सम्बोधित किया जाता है, दिशानिर्देशों की अनुशंसा की गई है।

iii. रेटिंग काम करने के लिए, पात्रता की शर्तें पूरी करने वाली कोई भी संस्था आवेदन कर सकती है और एमआईबी के साथ पंजीकृत हो सकती है।

iv. एमआईबी को, भादूविप्रा की अनुशंसाओं के आधार पर, टेलीविजन रेटिंग संस्थाओं को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देशों को, दो महीने के भीतर, अधिसूचित करना है।

v. सभी रेटिंग संस्थाओं को दिशानिर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है।

vi. पंजीकरण, पात्रता के मानदण्डों, क्रॉस–होल्डिंग, कार्यप्रणाली, शिकायत निवारण, रेटिंगों की बिक्री और उपयोग, लेखापरीक्षा, प्रकटीकरण, रिपोर्ट करने की आवश्यकताओं और दंडात्मक प्रावधानों को कवर करने के लिए दिशानिर्देश।

vii. टेलीविजन दर्शकों की संख्या आँकड़ें एकत्र करने के लिए पैनल घरों की संख्या न्यूनतम 20,000 होगी; जिसे दिशानिर्देशों के प्रभावी होने के 6 महीने के भीतर स्थापित किया जाना है। इसके बाद पैनल घरों की संख्या में हर वर्ष 10,000 की वृद्धि की जाएगी जब तक पैनल आकार 50,000 तक नहीं पहुँच जाता है।

viii. पैनल घर ऐसे परिवारों के एक पूल से चयनित किए जाने हैं, जो एक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण के माध्यम से चयनित किए गए हैं जो दर्शक मापन के लिए पैनल घरों की संख्या का कम से कम 10 गुना होगा।

ix. पैनल घरों की गुप्तता और निजता बनाए रखने के लिए उद्योग द्वारा स्वैच्छिक आचार संहिता।

x. रेटिंग संस्थाओं और प्रसारकों/विज्ञापनदाताओं/विज्ञापन संस्थाओं के बीच 10% या अधिक की पर्याप्त इक्विटी होल्डिंग' पर प्रतिबंध।

xi. रेटिंग संस्था को कोई प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करनी है।

xii. रेटिंग संस्था द्वारा उत्पन्न किए गए आँकड़ें/रिपोर्टें किसी पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से सभी रुचि रखने वाले हितधारकों को, भुगतान शुल्क के आधार पर, उपलब्ध कराई जानी हैं।

xiii. रेटिंग संस्था को अपनी पूरी कार्यप्रणाली/प्रक्रियाएँ तिमाही आधार पर आंतरिक रूप से और वार्षिक रूप से किसी स्वतंत्र लेखापरीक्षक के माध्यम से लेखापरीक्षित करवानी है। सभी लेखापरीक्षा रिपोर्टें रेटिंग संस्था की वेबसाइट पर डाली जानी हैं।

xiv. दिशानिर्देशों के गैर–अनुपालन के लिए दण्डात्मक प्रावधान, जिनमें 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपए तक वित्तीय दण्ड और पंजीकरण रद्द करना सम्मिलित है।

xv. विद्यमान रेटिंग संस्था को दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए छह महीने का समय दिया जाना है।

## केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/ बाजार प्रभुत्व पर अनुशंसाएं दिनांक 26 नवम्बर, 2013

2.5.10 "केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व" पर अनुशंसाएँ 26 नवम्बर, 2013 को सरकार को अग्रेषित की गईं। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं :–

(i) राज्य को टीवी चैनल वितरण बाजार में बहु प्रणाली ऑपरेटरों (एमएसओ) के एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व का आकलन करने के लिए प्रासंगिक बाजार होना है;

(ii) बाजार प्रभुत्व प्रासंगिक बाजार में एमएसओ के सक्रिय सदस्यों की संख्या के हिसाब से बाजार में अंश के आधार पर निर्धारित किया जाना है;

(iii) हरफाइण्डाह्ल–हिर्श्कमैन सूचकांक (एचएचआई) का उपयोग किसी प्रासंगिक बाजार में प्रतिस्पर्धा या बाजार सांद्रता का स्तर मापने के लिए किया जाना है;

(iv) नियंत्रण की एक नई परिभाषा निर्धारित की गई है, जो *विधि सम्मत (डी ज्यूरे)* और *वास्तविक (डी फैक्टो)* नियंत्रण दोनों को कवर करती है;

(v) किसी प्रासंगिक बाजार में एमएसओ के बीच या किसी एमएसओ और स्थानीय केबल

ऑपरेटरों (एलसीओ) के बीच किसी भी विलय और अधिग्रहण (एमएण्डए) के लिए और ऐसी किसी भी व्यवस्था के लिए जिसका परिणाम किसी इकाई द्वारा किसी प्रासंगिक बाजार में एमएसओ/एलसीओ के 'नियंत्रण' में होता है, विनियामक का पूर्व अनुमोदन लिया जाना है। प्रस्तावों पर निर्णय विनियामक द्वारा 90 कार्य दिवस के भीतर अवगत कराया जाना है।

(vi) एमएण्डए और प्रासंगिक बाजार में एमएसओ के बीच या किसी एमएसओ और एलसीओ के बीच नियंत्रण के अधिग्रहण के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं।

### चरण-II से चरण-III तक एफएम रेडियो प्रसारकों का स्थानान्तरण पर अनुशंसाएं दिनांक 20 फरवरी, 2014

2.5.11. "चरण-II से चरण-III तक एफएम रेडियो प्रसारकों का स्थानान्तरण पर अनुशंसाएं" 20 फरवरी, 2014 को सरकार को अग्रेषित की गईं। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

(i) भादूविप्रा एफएम रेडियो प्रसारण के लिए 400 किलोहर्ट्ज के न्यूनतम चैनल अन्तराल पर, 19 अप्रैल, 2012 को जारी की गई, अपनी अनुशंसाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को दोहराता है, जो प्रभावी रूप से नीलामी के लिए हर एक शहर में एफएम चैनलों की संख्या को बढ़ाएगा।

(ii) चरण-II से चरण-III तक स्थानान्तरण पर विद्यमान एफएम चैनलों को परिचालित करने की अनुमति की अवधि पन्द्रह (15) वर्ष होगी। चरण-II की अनुमति की अवधि दस (10) वर्ष थी।

(iii) स्थानान्तरण के लिए समापन तिथि का निर्णय एफएम रेडियो के चरण-III के लिए नीलामी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद एमआईबी द्वारा लिया जाना है। फिर भी, स्थानान्तरण के लिए समापन तिथि 31 मार्च, 2015 के बाद नहीं होनी चाहिए।

(iv) स्थानान्तरण शुल्कों की गणना करने के लिए, शहर 3 समूहों एक्स, वाई और ज़ेड में वर्गीकृत किए गए हैं। यह वर्गीकरण चरण–III की नीलामी के लिए हर एक शहर में उपलब्ध एफएम चैनलों की संख्या पर आधारित है। समूह एक्स ऐसे 17 शहरों से मिलकर बना है, जहाँ चरण-III में नीलामी के लिए कोई भी चैनल उपलब्ध नहीं हैं। समूह वाई ऐसे 26 शहरों से मिलकर बना है, जहाँ नीलामी के लिए उपलब्ध चैनल उस शहर में कुल चैनलों के 1/3 या उससे कम हैं। अन्त में, समूह ज़ेड में ऐसे 42 शहर सम्मिलित हैं, जहाँ उस शहर में कुल चैनलों के 1/3 से अधिक नीलामी के लिए उपलब्ध हैं।

(v) स्थानान्तरण शुल्क की गणना कैसे करें, इस सम्बन्ध में, अनुशंसाएं तीन समूहों के लिए बदलती हैं।

- समूह एक्स के लिए, क्योंकि इसमें आने वाले शहरों के लिए कोई भी नीलामी संभव नहीं है, स्थानान्तरण शुल्क के समूह ज़ेड के शहरों में प्राप्त किए गए चरण–III की नीलामी के मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि से व्युत्पन्न किया जाना प्रस्तावित है। यह अनुशंसित है कि समूह एक्स में 17 शहरों में परिचालकों के लिए स्थानान्तरण शुल्क निम्न में से अधिक होना चाहिए;
  - ❖ शहर की चरण-II की औसत बोली को 1.5 से गुणा किया गया; या
  - ❖ शहर की चरण-II की उच्चतम बोली को चरण-III में उसी श्रेणी में समूह ज़ेड के शहरों में नीलामी के मूल्यों (आमने–सामने उनके आरक्षित मूल्य) में औसत वृद्धि से बढ़ाया गया।
- समूह वाई के शहर वो हैं, जहाँ नीलामी की जाएगी, परन्तु कुछ ही चैनलों के लिए। क्योंकि

इसे बाजार की एक दुर्लभ स्थिति समझा जाता है, इसलिए अनुशंसा यह है कि विद्यमान चैनल परिचालकों के लिए स्थानान्तरण शुल्क निम्न का अधिक होना चाहिए :–

- वाई शहर की चरण–II की औसत बोली को 1.5 से गुणा किया गया; या
- शहर की चरण–II की उच्चतम बोली को चरण–III में उसी श्रेणी में समूह ज़ेड के शहरों में नीलामी के मूल्यों (आमने–सामने उनके आरक्षित मूल्य) में औसत वृद्धि से बढ़ाया गया।

.....परन्तु, निम्न का कम होना चाहिए–

- ऊपर दिया गया; और
- शहर में प्राप्त किया गया चरण–III का वास्तविक नीलामी मूल्य।

- समूह ज़ेड के शहरों में पर्याप्त एफएम आवृत्तियाँ नीलामी के लिए उपलब्ध है और वैसे तो चरण–III में प्राप्त कि गया वास्तविक नीलामी मूल्य स्थानान्तरण शुल्क होगा।

(vi) इन सभी प्रकरणों में, चरण–II की अनुमति के अवशिष्ट मूल्य, एक *यथानुपात (प्रो–रेटा)* आधार पर गणना किया गया, को चरण–III के स्थानान्तरण शुल्क से घटाया जाना है।

(vii) चरण–III में नए शहरों के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान कार्यप्रणाली नीलामी को जोखिम में डाल सकती है।

(viii) हर एक समूह में शहर निम्नानुसार हैं :–

**समूह एक्स** – कोलकाता, इन्दौर, बड़ौदा, भोपाल, जबलपुर, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, राँची, रायपुर, ग्वालियर, जालन्धर, त्रिवेन्द्रम, कन्नूर, त्रिचूर, गंगटोक, पणजी और शिमला।

**समूह वाई** – मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, नागपुर, जयपुर, बेंगलुरू, जमशेदपुर, राजकोट, अमृतसर, वाराणसी, कोच्चि, मदुरै, भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, जोधपुर, पटियाला, उदयपुर, कोटा, पुडुचेरी, मंगलौर, हिसार और करनाल।

**समूह ज़ेड** – लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, आसनसोल, पटना, आगरा, इलाहाबाद, विजयवाड़ा, राउरकेला, मुजफ्फरपुर, कोल्हापुर, नासिक, औरंगाबाद, सोलापुर, सांगली, अहमदनगर, जलगाँव, धुले, बिलासपुर, अकोला, नांदेड़, चण्डीगढ़, अजमेर, बरेली जम्मू, श्रीनगर, बीकानेर, अलीगढ़, गोरखपुर, झाँसी, कोझीकोड, तिरुची, तिरुपति, मैसूर, तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली, गुलबर्गा, राजमुन्दरी, वारङ्गल, शिलांग, अगरतला और ईटानगर।

2.6 वर्ष 2013–14 के दौरान, प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत आवंटित किए गए अपने कार्यों के निर्वहन में, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में निम्नलिखित विनियम बनाए हैं।

## दूरसंचार क्षेत्र

### विनियमों की सूची

- दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम (ग्यारहवाँ संशोधन विनियम 2013) दिनांक 24 मई 2013।
- दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम (बारहवाँ संशोधन विनियम 2013) दिनांक 24 मई 2013।
- लघु सन्देश सेवा (एसएमएस) समापन शुल्क विनियम 2013 दिनांक 24 मई 2013।

- दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष (द्वितीय संशोधन विनियम 2013) दिनांक 10 जुलाई 2013।
- दूरसंचार मोबाइल नंबर सुवाह्यता (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 22 जुलाई 2013।
- दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (तेरहवाँ संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 22 अगस्त, 2013।
- दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 11 सितम्बर, 2013।
- मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) {संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 26 नवम्बर, 2013।
- दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 3 दिसम्बर, 2013।
- दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (चौदहवाँ संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 3 दिसम्बर, 2013।

## विनियम

### दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (ग्यारहवाँ संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 24 मई, 2013

2.6.1 दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (ग्यारहवाँ संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 24 मई, 2013 को जारी किया गया था, जो लेनदेन एसएमएसों के लिए प्रति एसएमएस 5 पैसे निर्धारित करता है। इसके आगे, विनियमों में सरकारी संस्थाओं को लेनदेन एसएमएस शुल्क से छूट देने का प्रावधान किया गया है।

### दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (बारहवाँ संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 24 मई 2013

2.6.2 दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (बारहवाँ संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 24 मई, 2013 अनिवार्य करता है कि कोई ऐसा सदस्य, जो किसी टेलीमार्केटर के रूप में प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं है, उसे किसी भी व्यावसायिक संप्रेषण करने की अनुमति नहीं है। ऐसे प्रकरण में जब, किसी शिकायत के सत्यापन पर आधारित, यह पाया जाता है कि यूसीसी ऐसे किसी सदस्य से उत्पन्न हुआ था जो किसी टेलीमार्केटर के रूप में भादूविप्रा के साथ पंजीकृत नहीं है, तो उद्गम करने वाला एक्सेस प्रदाता ऐसे सदस्य के सभी दूरसंचार संसाधनों को काट देगा और ऐसे सदस्य का नाम और पता दो वर्ष की अवधि के लिए एक काली सूची में डाल देगा, जिसे इस प्रयोजन के लिए अलग से बनाए रखी जाएगी। काली सूची में प्रवेश होने पर, सभी एक्सेस प्रदाता इस तरह के ग्राहकों को उनके द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार संसाधनों को चौबीस घंटे के भीतर काट देंगे। किसी भी पहुँच प्रदाता के द्वारा कोई भी दूरसंचार संसाधन इस तरह काली सूची में डाले गए ग्राहक को दो वर्ष तक आवंटित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान 24 जून 2013 से प्रभावी हो गया है।

### लघु सन्देश सेवा (एसएमएस) समापन शुल्क विनियम 2013 दिनांक 24 मई, 2013

2.6.3 एसएमएस समापन शुल्क ऐसे शुल्क हैं, जो उद्गम करने वाले एक्सेस प्रदाता के द्वारा समापन करने वाले एक्सेस प्रदाता को, समाप्त करने वाले एक्सेस प्रदाता के नेटवर्क पर उसके द्वारा समाप्त किए गए हर एक एसएमएस के लिए, देय हैं।

इन विनियमों के मुद्दे से पहले, एसएमएस समापन शुल्क धैर्य (फोरबियरेन्स) के अन्तर्गत थे। परामर्श प्रक्रिया, आंतरिक विश्लेषण और माननीय टीडीसैट के इस अवलोकन की दृष्टि में कि एसएमएस समापन शुल्क लागत आधारित और किए गए काम के सिद्धांत पर होने चाहिएँ, प्राधिकरण ने एसएमएस समापन शुल्क पर धैर्य (फोरबियरेन्स) की नीति की समीक्षा की और लागत आधारित एसएमएस समापन शुल्क निर्धारित किए।

इस विनियम के माध्यम से, प्राधिकरण ने लागत आधारित एसएमएस समाप्ति शुल्क प्रति एसएमएस रु. 0.02 (केवल दो पैसे) के रूप में निर्धारित किया है। विनियम 1 जून, 2013 को प्रभावी हुआ।

### दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 10 जुलाई, 2013

2.6.4 प्राधिकरण ने 'दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 15 जून, 2007 को जारी किया। विनियम के अनुसार सेवा प्रदाता के द्वारा सदस्यों से एकत्र की गई कोई भी अतिरिक्त राशि कॉर्पोरेशन बैंक में रखे जा रहे एक अलग खाते में स्थानान्तरित की जानी है। इस कोष में से, राशि का एक बड़ा भाग कॉर्पोरेशन बैंक में ही सावधि जमाओं में रखा जाता है।

यह अवलोकन किया गया कि विभिन्न बैंक ब्याज की विभिन्न दरों की पेशकश कर रहे हैं और ऐसे उदाहरण हैं जब अन्य बैंकों ने कॉर्पोरेशन बैंक की तुलना में ब्याज की अधिक ऊँची दर की पेशकश की थी। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया गया कि ब्याज की अधिक ऊँची दर अर्जित करने के लिए, अन्य अनुसूचित बैंकों को भी नियमन में सम्मिलित करना चाहिए और तदनुसार प्रासंगिक प्रावधान संशोधित कर दिए गए हैं।

भादूविप्रा में प्रभागों के पुनर्गठन के कारण, भादूविप्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले कटसेफ के सदस्यों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। इसके आगे, वर्तमान विनियम लेखापरीक्षक की पुनर्नियुक्ति के लिए कोई भी विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं करता है। प्राधिकरण ने लेखापरीक्षक की पुनर्नियुक्ति के लिए अवधि निर्दिष्ट करने का निर्णय किया और तदनुसार, टीसीईपीएफ की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षक की पुनर्नियुक्ति के लिए अधिकतम अवधि संशोधन में तीन वर्ष के रूप में नियत किया गया है।

### दूरसंचार मोबाइल नंबर सुवाह्यता (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 22 जुलाई, 2013

2.6.5 मोबाइल नंबर सुवाह्यता के कार्यान्वयन के बाद, प्राधिकरण कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों के सदस्यों से शिकायतें प्राप्त करता आ रहा था कि उनके सुवाह्यता अनुरोध को, कंपनी/कॉर्पोरेट से इस तरह की संख्या सुवाह्यता के लिए अनुमति/प्राधिकरण के अभाव के लिए श्रेणी 'संविदात्मक बाध्यता' के अन्तर्गत, दाता ऑपरेटरों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। शिकायतों की जाँच करने के बाद, यह महसूस किया गया कि कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों के लिए ऐसी किसी सुवाह्यता प्रक्रिया लाई जाए जहाँ मोबाइल नंबरों के उपयोगकर्ता ऐसे संगठन से हैं जो ऐसी मोबाइल नंबरों के मालिक हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ने, वांछित परामर्श प्रक्रिया के बाद, 22 जुलाई 2013 को दूरसंचार मोबाइल नंबर सुवाह्यता (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2013

जारी किया। ये संशोधित किए गए विनियम निम्नानुसार हैं :–

i) एक सेवा प्रदाता की 50 तक कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों की एक और सेवा प्रदाता को सुवाह्यता, कॉर्पोरेट मोबाइल संख्याओं के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्राधिकरण के पत्र के माध्यम से, किसी एकल सुवाह्यता अनुरोध में;

ii) ये संशोधन उस दिन से 90 दिन में प्रभावी बनेंगे, क्योंकि टीएसपी और एमएनपी सेवा प्रदाताओं को उनकी प्रणालियों में आवश्यक परिवर्तन करने करने के लिए समय की आवश्यकता होगी; और

iii) सम्मिलित गतिविधियों और एकल सुवाह्यता अनुरोध में संसाधित किए जाने वाले मोबाइलों की संख्या पर विचार करते हुए, प्राप्तकर्ता परिचालक द्वारा सुवाह्यता अनुरोध अग्रेषित करने के लिए, कॉर्पोरेट मोबाइल संख्याओं के लिए, 48 घंटे की अनुमति दी गई है जबकि एकल व्यक्ति सुवाह्यता अनुरोधों के लिए 24 घंटे अनछुए बने हुए हैं।

## दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिनियम (तेरहवाँ संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 22 अगस्त, 2013 को जारी किया गया

2.6.6 विनियामक ढाँचे को और अधिक कठोर बनाने के लिए, ताकि न केवल अपंजीकृत टेलीमार्केटर, परन्तु टीएसपी और इस तरह के टेलीमार्केटर्स को, उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, काम पर रखने वाली संस्थाएँ जवाबदेह बनाई जाती हैं, भादूविप्रा ने 22 अगस्त, 2013 को 'दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (तेरहवाँ संशोधन) विनियम, 2013' जारी किया जिसमें उन संगठनों के दूरसंचार संसाधनों को काट देने के लिए एक प्रावधान था जो अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स के माध्यम से टेलीमार्केटिंग करने में लगे हुए पाए गए थे।

## दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 11 सितम्बर, 2013

2.6.7 सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार उपभोक्ता के लिए शिकायतों के निवारण की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए, निवारण दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012, 5 जनवरी, 2012 को जारी किया गया था। ढाँचे को आगे मजबूत करने के लिए, दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013, 11 सितम्बर, 2013 को जारी किया गया। ये विनियम यह प्रावधान करते हैं कि शिकायत केन्द्र ई–मेल, डाक के माध्यम से और आमने–सामने भी उपभोक्ताओं के लिए पहुँचने–योग्य होगा। सेवा प्रदाताओं के द्वारा शिकायत केन्द्र की आमने–सामने पहुँच–योग्यता को ग्राहक सेवा केन्द्रों, बिक्री आउटलेटों, ब्रांड दुकानों, सम्बन्ध केन्द्रों, स्पर्श बिन्दुओं आदि के माध्यम से सुविधा दी जा सकती है और इन पहुँच बिन्दुओं को विनियमों के अनुसार शिकायत को अभिस्वीकार करने और डॉकेट संख्या जारी करने में सक्षम होना चाहिए। इसके आगे, अपीलीय प्राधिकारी तक पहुँच–योग्यता लाने के लिए, शिकायत केन्द्र के माध्यम से अपीलों के पंजीकरण को सुविधा दी गई है।

## मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) (संशोधन) विनियम 2013 दिनांक 26 नवम्बर, 2013

2.6.8 मोबाइल फोन वित्तीय लेनदेन करने के लिए ग्राहकों के लिए एक उपयोगी साधन के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। विशेषकर उनके लिए जिनके पास बैंकिंग सेवा तक सरल पहुँच नहीं है अर्थात वो लोग जिन्हें वित्तीय रूप से बाहर रखा है। भादूविप्रा ने भारत की विशाल आबादी के वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल फोन को लीवरेज करने के प्रयास में एक सुविधा देने वाली भूमिका ग्रहण की है। भादूविप्रा ने,

पिछले वर्ष के दौरान, बैंकों और टीएसपी के लिए यह व्यवस्था की है कि वे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना पर एक साथ मिल कर काम करने के लिए विस्तृत परामर्श करें। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता को पहचानते हुए, मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) विनियम को संशोधित किया गया है, जो सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह निर्देश देता है कि मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंकों और उनके अधिकृत एजेण्टों को एकीकृत ध्वनि प्रत्योत्तर (आईवीआर), लघु सन्देश सेवा (एसएमएस) और असंरचित पूरक सेवाएँ आँकड़े (यूएसएसडी) आधारित कनेक्टिविटी की सुविधा दें।

### दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (सातवाँ संशोधन) विनियम 2013 दिनांक 3 दिसम्बर, 2013

2.6.9 भादूविप्रा इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त करती आ रही थी कि उपभोक्ताओं की विशिष्ट सहमति के बिना, एसटीवी और आँकड़े टैरिफ पैक के स्वतः नवीनीकरण किए जा रहे हैं। इन विनियमों के माध्यम से, भादूविप्रा ने यह अनिवार्य किया है कि टीएसपी द्वारा एसएमएस के लिए एसटीवी और आँकड़े पैकों (7 दिन से अधिक वैधता वाले) के स्वतः नवीनीकरण केवल किसी निर्धारित "बाहर निकलने का विकल्प" प्रक्रिया के माध्यम से इस तरह के नवीकरण के लिए उपभोक्ता की किसी एक–बार की स्पष्ट सहमति लेने के बाद किया जा सकता है। विनियम किसी परिभाषित की गई प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी समय एसटीवी के स्वतः नवीकरण के "बाहर निकलने का विकल्प" के लिए किसी अलग शुल्क–मुक्त लघु कोड के लिए प्रावधान भी करते हैं। इसके आगे, एसटीवी की वैधता अवधि की समाप्ति से तीन दिन पहले, टीएसपी उपभोक्ता को, एसएमएस के माध्यम से, नवीकरण की नियत तिथि, नवीकरण के लिए शुल्कों, नवीकरण के नियम और शर्तों, और एसटीवी को निष्क्रिय करने के लिए शुल्क–मुक्त लघु कोड के बारे में लिए जानकारी प्रदान करनी होगी।

### दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (चौदहवाँ संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 3 दिसम्बर, 2013

2.6.10 बैंकों और बीमा संस्थाओं जैसी कुछ प्रमुख कंपनियों ने प्राधिकरण से पंजीकरण शुल्क और सुरक्षा जमा घटाने का अनुरोध किया था जिससे ऐसे छोटे डीलरों/एजेण्टों के लिए उनके व्यापार मॉड्यूल में प्रवेश में बाधा दूर हो जाए, जो आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर विचार किया और मुख्य विनियम में उपयुक्त संशोधन जारी किया। इन संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं :–

(i) पंजीकरण की अवधि तीन से पाँच वर्ष तक विस्तारित की गई है। विद्यमान पंजीकृत टेलीमार्केटर्स 5000/– रुपए के एक नवीकरण शुल्क का भुगतान करके उनके पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं।

(ii). पंजीकरण शुल्क 10,000/– रुपए से 5,000/– रुपए तक घटाया जाता है।

(iii) सुरक्षा जमा 50,000/– रुपए तक घटाया जाता है।

## प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र

### विनियमों की सूची

- दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएँ) इण्टरकनेक्शन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियाँ) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 दिनांक 20 सितम्बर, 2013।

- ❑ दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएँ) इण्टरकनेक्शन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियाँ) (तृतीय संशोधन) विनियम 2013 दिनांक 10 फरवरी, 2014
- ❑ इण्टरकनेक्ट अनुबन्धों का रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवाएँ) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम 2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014
- ❑ दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएँ) इण्टरकनेक्शन (सातवाँ संशोधन) विनियम 2014 दिनांक 10 फरवरी 2014

**दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएँ) इण्टरकनेक्शन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियाँ) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 20 सितम्बर, 2013**

2.6.11 इण्टरकनेक्ट विनियम में संशोधन, दूसरों के बीच में, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएँ) इण्टरकनेक्शन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियाँ) विनियम, 2012 (2012 का 9) से कुछ प्रावधानों को छोड़ देते हैं, जो एमएसओ के लिए न्यूनतम 500 चैनल की चैनल ले जाने की क्षमता और एमएसओ द्वारा प्लेसमेंट शुल्क की वसूली के बारे में से निषेध से सम्बन्धित हैं। यह यह प्रावधान भी करता है कि एमएसओ 'अवश्य प्रदान करना चाहिए' शर्त लागू करने वाले किसी विशेष चैनल के संकेतों की माँग नहीं कर सकते हैं और, उसी समय में, उस चैनल को ले जाने के लिए वाहक शुल्क की माँग नहीं कर सकते हैं।

**दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएँ) इण्टरकनेक्शन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियाँ) (तृतीय संशोधन विनियम 2013) दिनांक 10 फरवरी, 2014, (II) इण्टरकनेक्ट अनुबन्धों का रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवाएँ) (पाँचवाँ संशोधन विनियम 2014) दिनांक 10 फरवरी, 2014 और (III) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएँ) इण्टरकनेक्शन (सातवाँ संशोधन विनियम 2014) दिनांक 10 फरवरी, 2014**

2.6.12 प्राधिकरण ने, प्रसारकों से वितरण मंच परिचालकों (डीपीओ), नाम से, केबल, डीटीएच, एचआईटीएस और आईपीटीवी परिचालकों तक टीवी चैनलों के वितरण के सम्बन्ध में, 10 फरवरी 2014 को विद्यमान विनियामक ढाँचे में संशोधन अधिसूचित किए। यह बाजार की ऐसी विकृतियों को सम्बोधित करने के लिए किया गया है, जो प्रसारकों के अधिकृत एजेण्टों (एग्रीगेटर्स) द्वारा ग्रहण की गई भूमिका के कारण से हुई हैं जो केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के चरण-I और चरण-II के दौरान प्रमुख रूप से परिलक्षित हुए थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने इस सम्बन्ध में भादूविप्रा को एक सन्दर्भ भी भेजा था, जो एग्रीगेटर्स के सम्बन्ध में विनियामक ढाँचे की समीक्षा का अनुरोध करता है। इन संशोधन से प्रसारकों से डीपीओ तक टीवी चैनलों के वितरण को व्यवस्थित बना करके क्षेत्र के क्रमबद्ध वृद्धि और कुल मिलाकर विकास में योगदान करना भी अपेक्षित है। इन संशोधनों में मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं :–

i. प्रसारक, ऐसी किसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके पास उसके नाम में आवश्यक सरकारी अनुमतियाँ हों।

ii. केवल प्रसारक सन्दर्भ इण्टरकनेक्ट पेशकशें (आरआईओ) प्रकाशित करेगा और डीपीओ के साथ इण्टरकनेक्ट अनुबन्धों में प्रवेश करेगा। फिर भी, यदि कोई प्रसारक, जो इसके विनियामक दायित्वों के निर्वहन में, किसी एजेण्ट

की सेवाओं का उपयोग कर रहा है, ऐसा अधिकृत एजेण्ट केवल प्रसारक के नाम पर और उसकी ओर से कार्रवाई कर सकता है।

2.7 वर्ष 2013–14 के दौरान प्राधिकरण ने दूरसंचार और प्रसारण सेक्टरों में निम्नलिखित प्रशुल्क आदेश जारी किए :–

## दूरसंचार सेक्टर

### प्रशुल्क आदेशों की सूची

- दूरसंचार प्रशुल्क (55वां संशोधन) आदेश, 2013 दिनांक 17 जून, 2013
- दूरसंचार प्रशुल्क (56वां संशोधन) आदेश, 2013 दिनांक 26 नवंबर, 2013

### दूरसंचार प्रशुल्क (55वां संशोधन) आदेश, 2013 दिनांक 17 जून, 2013

2.7.1 एनटीपी–2012 के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य एक राष्ट्र – निःशुल्क रोमिंग के प्रति कार्य करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण ने दूरसंचार प्रशुल्क (55वां संशोधन) आदेश, 2013 दिनांक 17 जून, 2013 के अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित परिवर्तन किए :–

(क) राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए सीमा संबंधी प्रशुल्क कम किए।

(ख) उपभोक्ताओं को सुनम्यता और प्रसुविधा उपलब्ध कराने के लिए रोमिंग प्रशुल्कों हेतु विशेष प्रशुल्क वाउचर (एसटीवी) और काम्बो वाउचरों की अनुमति प्रदान की, और

(ग) विशेष रोमिंग प्रशुल्क योजनाओं का प्रस्ताव देने के लिए वायरलेस एक्सेस सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया कि वे विशेष रोमिंग प्रशुल्क योजनाओं का प्रस्ताव दें, जिनमें उपभोक्ता आंशिक रूप से निःशुल्क रोमिंग या निर्धारित प्रभारों के भुगतान के बदले पूर्णतः निःशुल्क रोमिंग का लाभ उठा सके।

ये आदेश 01 जुलाई, 2013 से लागू हैं।

### दूरसंचार प्रशुल्क (56वां संशोधन) आदेश, 2013 दिनांक 26 नवंबर, 2013

2.7.2 देश में अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय समावेश प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने दूरसंचार प्रशुल्क (56वां संशोधन) आदेश, 2013 दिनांक 26 नवंबर, 2013 के अंतर्गत यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए 1.50 रुपए प्रति आउटगोइंग यूएसएसडी सेशन के प्रशुल्क की सीमा निर्धारित की।

## प्रसारण और केबल सेवाएं सेक्टर

### प्रशुल्क आदेशों की सूची

- दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (पांचवां) (डिजिटल ऐड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स) प्रशुल्क आदेश, 2013 दिनांक 27 मई, 2013
- दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (छठां) (डायरेक्ट टू होम सर्विसेज) प्रशुल्क आदेश, 2013 दिनांक 27 मई, 2013
- दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (एक्सेसबल सिस्टम्स) प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2013 दिनांक 20 सितंबर, 2013
- दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (द्वितीय) प्रशुल्क (10वां संशोधन) आदेश, 2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014
- दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (ऐड्रेसेबल सिस्टम्स) प्रशुल्क (तीसरा संशोधन) आदेश, 2013 दिनांक 10 फरवरी, 2014

❑ दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (द्वितीय) प्रशुल्क (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, 2014 दिनांक 31 मार्च, 2014

**दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (पांचवां) (डिजिटल ऐड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स) प्रशुल्क आदेश, 2013 दिनांक 27 मई, 2013 और दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (छठां) (डायरेक्ट टू होम सर्विसेज) प्रशुल्क आदेश, 2013 दिनांक 27 मई, 2013**

2.7.3 प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (पांचवां) (डिजिटल ऐड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स) प्रशुल्क आदेश, 2013 दिनांक 27 मई, 2013 जारी किया, जिसमें डीएएस अधिसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सेटटॉप बॉक्स (एसटीबी) की आपूर्ति और संस्थापन के लिए मानक प्रशुल्क पैकेजों का उपबंध किया गया है। दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (छठां) (डायरेक्ट टू होम सर्विसेज) प्रशुल्क आदेश भी दिनांक 27 मई, 2013 को जारी किया गया था, जिसमें डीटीएच सेवाओं के उपभोक्ताओं को उपभोक्ता के परिसर में उपकरण (सीपीई) की आपूर्ति और संस्थापन के लिए मानक प्रशुल्क पैकेजों का उपबंध किया गया है।

सेवा प्रदाता को किसी उपभोक्ता द्वारा भुगतानयोग्य प्रति एसटीबी/सीपीई प्रति मास/प्रतिभूति जमा राशि किराए की भिन्न–भिन्न मानक योजनाएं दर्शाने वाली सारणी का सारांश नीचे दिया गया है:

| सेवा | प्रतिभूति जमा राशि (रुपए) | मासिक किराया (रुपए) (किराए को छोड़कर) | प्रतिभूति जमा राशि की वापसी |
|---|---|---|---|
| डीएएस | 400 | 55.66 | प्रतिभूति जमा राशि तीन वर्ष के अंदर एसटीबी/सीपीई के सौंपे जाने पर या तीन वर्ष के पश्चात लौटाई जाएगी। |
| | 800 | 50.66 | |
| डीटीएच | 500 | 71.75 | |
| | 1000 | 65.50 | |
| डीएएस | 400 | 46.80 | प्रतिभूति जमा राशि तीन वर्ष में समयोजित हो जाती है। यदि एसटीबी/सीपीई तीन वर्ष के अंदर सौंप दिया जाता है तो प्रतिभूति जमा का असमायोजित भाग लौटा दिया जाएगा। |
| | 800 | 32.93 | |
| डीटीएच | 500 | 0.66 | |
| | 1000 | 43.33 | |
| | | | |

इन प्रशुल्क आदेशों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

★ प्रशुल्क में संस्थापन और सक्रियकरण प्रभार तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षण और मरम्मत प्रभार शामिल हैं।

★ तीन वर्षों के पश्चात किसी मासिक किराए का भुगतान नहीं किया जाना है। तीन वर्ष के पश्चात एसटीबी/सीपीई उपभोक्ता की संपत्ति हो जाती है।

★ उपभोक्ता को इन पैकेजों का प्रस्ताव अनिवार्य रूप से दिया जाना है और इसके अलावा, सेवा प्रदाता, एसटीबी/सीपीई की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक योजनाओं/पैकेजों का प्रस्ताव दे सकता है।

**दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (एक्सेसबल सिस्टम्स) प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2013 दिनांक 20 सितंबर, 2013**

2.7.4 अन्यों के साथ–साथ इस प्रशुल्क आदेश में किया गया संशोधन "दोहरी शर्तों" को आशोधित करता है, जिनमें बुके दरों की तुलना में चैनलों की अ–ला–कार्टे दर विनियमित की गई हैं, जिनमें ऐसे चैनल एक भाग हैं। यह संशोधन इस स्थिति को भी स्पष्टी करता है कि सभी ऐड्रेसेबल प्लेटफार्म के उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार अ–ला–कार्टे आधार या बुके आधार या दोनों के संयोजन के आधार पर चैनल का विकल्प ले सकते हैं।

**दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (द्वितीय) प्रशुल्क (10वां संशोधन) आदेश, 2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014 और दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (ऐड्रेसेबल सिस्टम्स) प्रशुल्क (तीसरा संशोधन) आदेश, 2013 दिनांक 10 फरवरी, 2014**

2.7.5 प्राधिकरण ने वितरण प्लेटफार्म प्रचालकों (डीपीओ) अर्थात केबल, डीटीएच, एचआईटीएस और आईपीटीवी प्रचालकों को प्रसारकों से टीवी चैनलों के वितरण के संबंध में 10 फरवरी, 2014 को वर्तमान विनियामक ढांचे में संशोधन अधिसूचित किए। यह संशोधन प्रसारकों के प्राधिकृत एजेंटों (ऐग्रीगेटरों) द्वारा संभाली गई भूमिका के कारण हुई बाज़ार संबंधी विकृतियों का हल निकालने के लिए किए गए हैं, जो केबल टीवी सेक्टर के डिजिटलीकरण के चरण-I और चरण-II के दौरान पर्याप्त रूप से प्रदर्शित की गई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने भी इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को एक पत्र भेजा था, जिसमें ऐग्रीगेटरों के संबंध में विनियामक ढांचे की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था। इन संशोधनों से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वे डीपीओ को प्रसारकों से टीवी चैनलों के वितरण को सरल और कारगर बनाकर इस सेक्टर की व्यवस्थित प्रगति और समग्र विकास के प्रति योगदान करेंगे। इन संशोधनों के विशेष उपबंध निम्नलिखित हैं :–

(i) प्रसारक को एक ऐसे प्रतिष्ठान के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके पास अपने नाम में आवश्यक सरकारी अनुमतियां हों।

(ii) प्रसारक यह सुनिश्चित करेगा कि डीपीओज को चैनल/बुकेट्स उपलब्ध कराते समय उसके प्राधिकृत एजेंट प्रसारक के आरआईओ में यथाप्रस्तावित बुकेट में परिवर्तन न करें।

(iii) यदि कोई एजेंट बहुल प्रसारकों के प्राधिकृत एजेंट के रूप में कार्य करता है तो, अलग–अलग प्रसारक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा एजेंट उनके चैनलों या बुके को अन्य प्रसारकों के साथ नहीं मिलाता है। तथापि, उसी समूह से संबंधित प्रसारक कंपनियां अपने चैनल एकसाथ मिला सकती हैं।

**दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (द्वितीय) प्रशुल्क (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, 2014 दिनांक 31 मार्च, 2014**

2.7.6 दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (द्वितीय) प्रशुल्क (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, 2014 दिनांक 31 मार्च, 2014 को जारी किया गया था। इस प्रशुल्क आदेश के जरिए प्राधिकरण ने प्रशुल्क सीमाओं में 15 प्रतिशत मुद्रास्फीति संबद्ध बढ़ोत्तरी की अनुमति प्रदान की है। ये संशोधन थोक और खुदरा दोनों स्तरों पर लागू होते हैं। यह दो किस्तों में से पहला है, जिसे प्राधिकरण ने अनुमति देने का निर्णय लिया है।

पिछले पांच वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में वृद्धि के आधार पर और अन्य सुसंगत कारकों पर विचार करते हुए प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्तमान सीमाओं में समग्र 27.5 प्रतिशत की मुद्रास्फीति बढ़ोत्तरी की अनुमति दी जाएगी। तथापि, प्राधिकरण का यह विचार था कि एक बार में 27.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी बाज़ार और उपभोक्ताओं के लिए समायोजन करने हेतु उपयुक्त नहीं होगी। इसलिए प्राधिकरण ने यह विनिर्धारित किया कि यह बढ़ोत्तरी दो किस्तों में कार्यान्वित की जाए। 15 प्रतिशत की पहली किस्त 01 अप्रैल, 2014 से लागू की जाएगी। बाकी मुद्रास्फीति संबद्ध वृद्धि के लिए दूसरी किस्त 01 जनवरी, 2015 से लागू की जाएगी, जिसे बाद में अधिसूचित किया जाएगा। इससे सभी पणधारियों को इन बढ़ोत्तरियों का समायोजन करने के लिए पर्याप्त और उचित समय मिलने की आशा है।

2.8 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपने आदेश/विनियमों के अनुपालन के लिए वर्ष 2013–14 के दौरान सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित निर्देश जारी किए। इनमें से कुछ निर्देशों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :–

## दूरसंचार सेक्टर

## निर्देशों की सूची

- एमएनपीएसपीज को ऐसे मोबाइल नंबर लौटाने के लिए दिनांक 16 मई, 2013 के निर्देश, जो उन लाइसेंसधारियों को पोर्ट किए गए थे, जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे और जिन्होंने अपने प्रचालन बंद कर दिए थे, नंबर रेंज धारकों में वापस आ गए थे।
- रिपोर्टिंग फार्मेट के संबंध में वायरलेस आंकड़ा सेवाएं विनियमावली, 2012 के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानकों के कार्यान्वयन पर दिनांक 23 मई, 2013 के निर्देश।
- मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस) के अंशदान करने और नवीकरण करने के लिए उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने पर दिनांक 04 जुलाई, 2011 के निर्देश में दिनांक 10 जुलाई, 2013 का संशोधन।
- रेल दुर्घटना सूचना के लिए संक्षिप्त कोड 1072 खोलने हेतु सभी मूलभूत सेवा प्रदाताओं, एक्सेस सेवा प्रदाताओं को दिनांक 16 जुलाई, 2013 के निर्देश
- यूपीसी के फार्मेट (कॉरपोरेट मोबाइल नंबरों के लिए अलग फार्मेट) और उसकी वैधता के संबंध में दिनांक 10 फरवरी, 2010 के निर्देश में दिनांक 22 अगस्त, 2013 का द्वितीय संशोधन।
- सेवा की गुणवत्ता का अंकेक्षण और मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा नियुक्त की गई अंकेक्षण एजेंसी को और प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों को आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए सभी सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को दिनांक 18 अक्तूबर, 2013 के निर्देश।
- दूरसंचार सेक्टर में हरित प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन और कार्बन फुटप्रिंट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी एनएलडी, आईएलडी, आईएसपी, सीएमटीएस, यूएएसएल, मूलभूत सेवा प्रदायकों को दिनांक 18 नवंबर, 2013 के निर्देश।

**एमएनपीएसपीज को ऐसे मोबाइल नंबर लौटाने के लिए दिनांक 16 मई, 2013 के निर्देश, जो उन लाइसेंसधारियों को पोर्ट किए गए थे, जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे और जिन्होंने अपने प्रचालन बंद कर दिए थे, नंबर रेंज धारकों में वापस आ गए थे।**

2.8.1 एमएनपी विनियमों में यह उपबंध किया गया है कि प्राप्तकर्ता प्रचालक नेटवर्क को मोबाइल

नंबर की पोर्टिंग के पश्चात किसी भी कारण से मोबाइल नंबर कट जाता है तो, प्राप्तकर्ता ऑपरेटर नंबर कटने के 90 दिन के पश्चात नंबर कटने के बारे में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को सूचित करेगा और नंबर रेंज धारक (मूल सेवा प्रदाता, जिसे नंबर दिया गया था) को उस मोबाइल नंबर के प्रत्यावर्तन का अनुरोध करेगा।

ऐसे सेवा प्रदाता, जिन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसरण में अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं, नंबर रेंज धारक को प्रत्यावर्तन के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को सूचित नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि उक्त मोबाइल नंबर, उनके पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं द्वारा नंबर रेंज धारक को लौटा दिया जाना चाहिए।

तदनुसार, एमएनपी सेवा प्रदाताओं को दिनांक 16 मई, 2013 के निर्देश जारी किए गए थे।

### मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस) के अंशदान करने और नवीकरण करने के लिए उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने पर दिनांक 04 जुलाई, 2011 के निर्देश में दिनांक 10 जुलाई, 2013 का संशोधन।

2.8.2 इस निर्देश में यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि मूल्यवर्धित सेवाओं के एक्टिवेशन और डिएक्टिवेशन उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति के बिना न किए जाएं। सेवा प्रदाताओं को यह निर्देश दिए गए थे कि वे एक्टिवेशन के सभी रूपों – आउटबाउंड डायलिंग (ओबीडी), आईवीआरएस, वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल (डब्ल्यूएपी), मोबाइल इंटरनेट, यूएसएसडी, एसएमएस, टेली–कॉलिंग या एक्टिवेशन के किसी अन्य मोड के लिए एकसमान वीएएस एक्टिवेशन प्रक्रिया कार्यान्वित करें। उपभोक्ता से पहली सहमति प्राप्त करने के पश्चात टीएसपीज के लिए यह आवश्यक है कि वे मूल्य वर्धित सेवा उपलब्ध कराने से पहले एक तटस्थ तृतीय पक्ष के जरिए दूसरी सहमति प्राप्त करें। डिएक्टिवेशन भी टॉल फ्री संक्षिप्त कोड 155223 का इस्तेमाल करके पूरे टीएसपीज में एक सामान्य प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।

### रेल दुर्घटना सूचना के लिए संक्षिप्त कोड 1072 खोलने हेतु सभी मूलभूत सेवा प्रदाताओं, एक्सेस सेवा प्रदाताओं को दिनांक 16 जुलाई, 2013 के निर्देश

2.8.3 रेल दुर्घटना सूचना के लिए अपने नेटवर्क में संक्षिप्त कोड 1072 अप्रतिबाधित के रूप में खोलने हेतु 16 जुलाई, 2013 को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपीज) को निर्देश जारी किए गए थे अर्थात ये सेवाएं कहीं से भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थान से उपलब्ध होंगी।

### यूपीसी के फार्मेट (कॉरपोरेट मोबाइल नंबरों के लिए अलग फार्मेट) और उसकी वैधता के संबंध में दिनांक 10 फरवरी, 2010 के निर्देश में दिनांक 22 अगस्त, 2013 का द्वितीय संशोधन

2.8.4 प्राधिकरण ने कॉरपोरेट मोबाइल नंबर की पोर्टिंग और निम्नलिखित के कारण यूपीसी की वैधता के लिए यूपीसी के फार्मेट के संबंध में दिनांक 10 फरवरी, 2010 के निर्देश में दिनांक 22 अगस्त, 2013 का द्वितीय संशोधन जारी किया :–

(i) कॉरपोरेट मोबाइल नंबरों के यूपीसी की स्पष्ट रूप से पहचान करने के लिए कॉरपोरेट मोबाइल नंबरों हेतु यूपीसी के सृजन के लिए अलग फार्मेट विनिर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता थी।

(ii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने नोट किया कि यूपीसी की वैधता की अवधि की व्याख्या सेवा प्रदाताओं द्वारा भिन्न–भिन्न ढंग से की जा रही है और कुछ मामलों में सेवा प्रदाताओं ने उपभोक्ताओं के पोर्टिंग अनुरोध अस्वीकार कर दिए हैं, जो यूपीसी की वैधता के अंतिम दिन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राप्त किए गए थे।

**दूरसंचार सेक्टर में हरित प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन और कार्बन फुटप्रिंट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी एनएलडी, आईएलडी, आईएसपी, सीएमटीएस, यूएएसएल, मूलभूत सेवा प्रदायकों को दिनांक 18 नवंबर, 2013 के निर्देश**

2.8.5 अपने गुणवत्ता प्रवर्तन तंत्र के प्रभावीपन की जांच करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सेवा की गुणवत्ता का और सेवा की गुणवत्ता के ग्राहक की अवधारणा का आवधिक मूल्यांकन करता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय विनियमों और आदेशों के जरिए विनिर्धारित किए गए मानकों के कार्यान्वयन की आवधिक फील्ड जांचें करते हैं। वे अंकेक्षण और सर्वेक्षण की रिपोर्टों का विश्लेषण और मॉनीटरिंग भी करते हैं। इस संबंध में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपीज) को 18 अक्तूबर, 2013 को एक निर्देश जारी किया गया था कि वे प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों को और प्राधिकरण द्वारा नियुक्त की गई अंकेक्षण एजेंसियों को प्रत्येक अगले महीने की पांच तारीख तक सेवा की गुणवत्ता के निष्पादन पर हर महीने आंकड़े उपलब्ध कराएं।

## प्रसारण एवं केबल टीवी सेक्टर

### निर्देशों की सूची

- उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने और प्रचालनरत करने के लिए बहु–प्रणाली प्रचालकों को दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का निर्देश।
- डिजिटल ऐड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स (डीएएस) के कार्यान्वयन के लिए सभी पे प्रसारकों/ऐग्रीगेटरों को दिनांक 06 मई, 2013 का निर्देश।
- डिजिटल ऐड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स (डीएएस) के कार्यान्वयन के लिए बहु–प्रणाली प्रचालकों को दिनांक 06 मई, 2013 का निर्देश।
- संदर्भ इंटरकनेक्ट प्रस्ताव में आशोधन करने के लिए मैसर्स मीडिया प्रो एंटरप्राइज इंडिया प्रा. लिमिटेड को दिनांक 13 मई, 2013 का निर्देश।
- डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाएं (सेवा की गुणवत्ता के मानक और शिकायतों का निवारण) विनियमावली, 2007 के विनियम 10 के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड को निर्देश।
- उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने और प्रचालनरत करने के लिए डीएएस के कार्यान्वयन के चरण–II के अधिसूचित क्षेत्रों में प्रचालन करने के लिए पंजीकृत एमएसओज को दिनांक 21 नवंबर, 2013 का निर्देश।
- उपभोक्ताओं को मद के हिसाब से बिलिंग उपलब्ध कराने हेतु डिजिटल ऐड्रेसेबल सिस्टम्स (डीएएस) के जरिए केबल टीवी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले बहु–प्रणाली प्रचालकों (एमएसओज) को दिनांक 02 नवंबर, 2013 का निर्देश।
- चैनलों के पुनः संचरण हेतु इंटरकनेक्शन करार के प्रस्तुतीकरण के लिए बहु–प्रणाली प्रचालकों (एमएसओज) को दिनांक 12 दिसंबर, 2013 का निर्देश।
- एसटीबी की आपूर्ति और संस्थापन के लिए शर्तों और निबंधनों के साथ–साथ प्रशुल्क पैकेजों के ब्योरे प्रस्तुत करने हेतु बहु–प्रणाली प्रचालकों को दिनांक 13 दिसंबर, 2013 का निर्देश।

### उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने और प्रचालनरत करने के लिए बहु–प्रणाली प्रचालकों को दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का निर्देश

2.8.6 प्राधिकरण ने निम्नलिखित के लिए सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों के अनुपालन हेतु सभी बहु–प्रणाली प्रचालकों को निर्देश दिए:

(क) सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजिटल ऐड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स) विनियम, 2012 के विनियम 20 के उपबंधों का अनुपालन करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि डिजिटल ऐड्रेसेबल सिस्टमों के जरिए केबल सेवाएं उपलब्ध कराने से पहले उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली प्रचालनरत हो जाए और टीवी चैनलों के सिग्नल केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को संचारित किए जाएं, जिनके ब्योरे जैसे नाम, पता, चैनल की पसंद और बुकेट आदि उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली में दर्ज हों;

(ग) ऐसे उपभोक्ताओं के टीवी सिग्नल काटना, जिनके ब्योरे जैसे नाम, पता, चैनल की पसंद और बुकेट आदि उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली में दर्ज न किए गए हों और ऐसे उपभोक्ताओं को यह अनुमति दें कि वे अपने सेटटॉप बॉक्स सौंप दें और केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियमावली, 1994 के नियम 13 के उप–नियम (4) के उपबंधों के अनुसार उन्हें पूरी धनराशि लौटाएं; और

(घ) अंततः 07 मई, 2013 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

### डिजिटल ऐड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स (डीएएस) के कार्यान्वयन के लिए सभी पे प्रसारकों/ ऐग्रीगेटरों को दिनांक 06 मई, 2013 का निर्देश

2.8.7 प्राधिकरण ने पे चैनलों के सभी प्रसारकों को यह निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने पे चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने हेतु उन्होंने डिजिटल ऐड्रेसेबल सिस्टम्स के जरिए केबल टीवी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले बहु–प्रणाली प्रचालकों के साथ लिखित इंटरकनेक्शन करार किए हैं और ये निर्देश जारी करने की तारीख से 7 दिन के अंदर उन बहु–प्रणाली प्रचालकों के नाम प्रस्तुत किए हैं, जिनके साथ इंटरकनेक्शन करार किया गया है। इसके साथ–साथ उक्त करार में कवर किया गया सेवा क्षेत्र और वैधता की अवधि भी प्रस्तुत करें।

### डिजिटल ऐड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स (डीएएस) के कार्यान्वयन के लिए बहु–प्रणाली प्रचालकों को दिनांक 06 मई, 2013 का निर्देश

2.8.8 प्राधिकरण ने सभी बहु–प्रणाली प्रचालकों को यह निर्देश दिया है कि वे अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ किए गए अपने इंटरकनेक्शन करारों की शर्तें और निबंधन लिखित में निश्चित करें, जब कभी यह डिजिटल ऐड्रेसेबल सिस्टम्स के जरिए केबल टीवी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है और इन निर्देशों के जारी किए जाने की तारीख से 7 दिन के अंदर उन सेवा प्रदाताओं के नाम प्रस्तुत करें, जिनके साथ इंटरकनेक्शन करार किए गए हैं और उक्त करार में कवर किया गया सेवा क्षेत्र और वैधता की अवधि भी प्रस्तुत करें।

### संदर्भ इंटरकनेक्ट प्रस्ताव में आशोधन करने के लिए मैसर्स मीडिया प्रो एंटरप्राइज इंडिया प्रा. लिमिटेड को दिनांक 13 मई, 2013 का निर्देश

2.8.9 प्राधिकरण ने मैसर्स मीडिया प्रो एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह अपने इंटरकनेक्ट प्रस्ताव में आशोधन करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा (चौथा)

(ऐड्रेसेबल सिस्टम्स) प्रशुल्क आदेश के खंड 4 और दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) इंटरकनेक्शन विनियम, 2004 के विनियम 3 के उपबंधों का अनुपालन कर रहा है और इस निर्देश के जारी किए जाने के 7 दिन के अंदर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

### डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाएं (सेवा की गुणवत्ता के मानक और शिकायतों का निवारण) विनियम, 2007 के विनियम 10 के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड को निर्देश

2.8.10 प्राधिकरण ने मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह :–

(क) डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाएं (सेवा की गुणवत्ता के मानक और शिकायतों का निवारण) विनियम, 2007 के विनियम 10 के उपबंधों का अनुपालन करे;

(ख) अपने उपभोक्ताओं पर अस्थायी स्थगन शुल्क लगाना तुरंत बंद करे;

(ग) उपभोक्ताओं को अस्थायी स्थगन शुल्क, यदि कोई उन पर लगाया गया है, लौटाए और यदि किसी ऐसे उपभोक्ता को यह शुल्क लौटाना संभव नहीं है तो यह धनराशि प्राधिकरण द्वारा रखी गई दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि में जमा करें;

(घ) सभी उपभोक्ताओं, एक्टिव और नॉन–एक्टिव दोनों, जिनसे 31 अगस्त, 2007 से अस्थायी स्थगन शुल्क लिया गया है, के नाम, पते और संपर्क ब्योरे उपलब्ध कराए; और

(ङ) यह निर्देश किए जाने के 7 दिन के अंदर उपर्युक्त पैराओं (क) से (घ) तक के संबंध में अनुपालन प्रस्तुत करें।

### उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने और प्रचालनरत करने के लिए डीएएस के कार्यान्वयन के चरण–II के अधिसूचित क्षेत्रों में प्रचालन करने के लिए पंजीकृत एमएसओज को दिनांक 21 नवंबर, 2013 का निर्देश

2.8.11 प्राधिकरण ने सभी बहु–प्रणाली प्रचालकों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि डिजिटल ऐड्रेसेबल सिस्टम के जरिए केबल टीवी सेवाएं उपलब्ध कराने से पहले उनकी उपभोक्ता प्रबंधन प्रणालियां प्रचालनरत हैं और टीवी चैनलों के सिग्नल केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को संचरित किए गए हैं, जिनके चैनलों की पसंद सहित उपभोक्ता आवेदन फार्म प्राप्त कर लिए गए हैं और पूरे ब्योरे जैसे नाम, पता, चैनल की पसंद और बुकेट आदि उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली में दर्ज कर लिए गए हैं और 29 नवंबर, 2013 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

### उपभोक्ताओं को मद के हिसाब से बिलिंग उपलब्ध कराने हेतु डिजिटल ऐड्रेसेबल सिस्टम्स (डीएएस) के जरिए केबल टीवी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले बहु–प्रणाली प्रचालकों (एमएसओज) को दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 का निर्देश

2.8.12 प्राधिकरण ने सभी बहु–प्रणाली प्रचालकों को यह निर्देश दिया है कि वे :–

(क) प्री–पेड और पोस्ट–पेड दोनों भुगतान विकल्पों पर अपने उपभोक्ताओं को केबल टीवी सेवाओं का प्रस्ताव दें और उपभोक्ताओं के लिए बिल सृजित करें;

(ख) प्रत्येक महीने या किसी अन्य सहमत अवधि के लिए देय और भुगतानयोग्य प्रभारों हेतु नियमित आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता को बिल दें और 30 नवंबर, 2013 को समाप्त अवधि के लिए उपभोक्ताओं को बिल अंततः 15 दिसंबर, 2013

तक, पक्षकारों के बीच सहमति वाले बिलिंग चक्र के अनुसार दिया जाएगा;

(ग) उपभोक्ताओं को मद के हिसाब से बिल उपलब्ध कराएं, जिसमें बुकेट में चैनलों के नामों के साथ–साथ चैनलों के बुकेट या चैनलों का मूल्य, मूलभूत सेवा टियर के लिए प्रभार और उसमें शामिल चैनल, सेटटॉप बॉक्स के प्रभार, मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रभार, करों की दर और सेवा कर पंजीकरण संख्या के साथ–साथ करों के ब्योरे और मनोरंजन कर पंजीकरण संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो;

(घ) सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं द्वारा किए गए प्रत्येक भुगतान के लिए उनके द्वारा या उनके संबद्ध स्थानीय केबल प्रचालक द्वारा उपभोक्ताओं को एक उचित रसीद दी गई है;

(ङ) प्री–पेड उपभोक्ताओं को उचित लागत पर मद के हिसाब से उपयोग प्रभार से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएं, जिसमें सेवा का वास्तविक उपयोग दर्शाया गया हो; और

(च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, म्युनिसिपल और ग्रेटर मुंबई तथा कोलकाता मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के क्षेत्रों के लिए 31 दिसंबर, 2013 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

### चैनलों के पुनः संचरण हेतु इंटरकनेक्शन करार के प्रस्तुतीकरण के लिए बहु–प्रणाली प्रचालकों (एमएसओज) को दिनांक 12 दिसंबर, 2013 का निर्देश

2.8.13 प्राधिकरण ने डीएएस अधिसूचित क्षेत्रों में अपने केबल टीवी नेटवर्कों के जरिए प्रसारकों के चैनलों के पुनः संचरण के लिए प्रसारकों के साथ उनके द्वारा किए गए इंटरकनेक्शन करार प्रस्तुत करने हेतु 12 दिसंबर, 2013 को डिजिटल ऐड्रेसेबल सिस्टम्स (डीएएस) के जरिए केबल टीवी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सभी बहु–प्रणाली प्रचालकों को निर्देश दिए हैं।

### एसटीबी की आपूर्ति और संस्थापन के लिए शर्तों और निबंधनों के साथ–साथ प्रशुल्क पैकेजों के ब्योरे प्रस्तुत करने हेतु बहु–प्रणाली प्रचालकों को दिनांक 13 दिसंबर, 2013 का निर्देश

2.8.14 प्राधिकरण ने सभी बहु–प्रणाली प्रचालकों को निर्देश दिया है कि वे यह निर्देश जारी किए जाने की तारीख से 7 दिन के अंदर अपने उपभोक्ताओं को सेटटॉप बॉक्स की आपूर्ति और संस्थापन की शर्तों एवं निबंधनों के साथ–साथ सभी प्रशुल्क पैकेजों के ब्योरे प्रस्तुत करें।

2.9 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विभिन्न पणधारियों जैसे सेवा प्रदाता, उनके संगठन, उपभोक्ता परामर्श समूह/उपभोक्ता संगठन और इस क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श करता है। इसने एक ऐसी प्रक्रिया तैयार की है जो सभी पणधारियों और जनसाधारण को यह अनुमति देती है कि वे, परामर्श पेपरों पर, जब कभी मांगे जाएं, अपने विचार प्रस्तुत करके नीति निर्धारण में भाग ले सकें। परामर्श पेपरों, जो सिफारिशों/विनियमों/दूरसंचार प्रशुल्क आदेश के मुद्दे में चरम बिंदु पर पहुंच गया है, के अलावा, निम्नलिखित परामर्श पेपर भी वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किए गए थे।

## दूरसंचार सेक्टर

### परामर्श पेपरों की सूची

- "कॉलिंग कार्ड सेवाओं के लिए राजस्व साझेदारी व्यवस्थाएं" विषय पर दिनांक 14 नवंबर, 2013 का परामर्श पेपर।
- "घरेलू पट्टा सर्किटों के लिए प्रशुल्क की समीक्षा" विषय पर दिनांक 24 मार्च, 2014 का परामर्श पेपर।
- "माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ कॅरियर्स का

आबंटन और मूल्य निर्धारण" विषय पर दिनांक 28 मार्च, 2014 का परामर्श पेपर।

**"कॉलिंग कार्ड सेवाओं के लिए राजस्व साझेदारी व्यवस्थाएं" विषय पर दिनांक 14 नवंबर, 2013 का परामर्श पेपर**

2.9.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 14 नवंबर, 2013 को "कॉलिंग कार्ड सेवाओं के लिए राजस्व साझेदारी व्यवस्थाएं" विषय पर परामर्श पेपर जारी किया है। इस परामर्श पेपर का उद्देश्य इंटेलिजेंट नेटवर्क आधारित कॉलिंग कार्ड सेवाओं के लिए राजस्व साझेदारी व्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना है। परामर्श पेपर में सुसंगत पृष्ठभूमि संबंधी सूचना दी गई है और कॉलिंग कार्ड सेवाओं के लिए एक्सेस प्रदाताओं को एनएलडीओ/आईएलडीओ द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रभार निर्धारित करने की पद्धति और आवश्यकता पर चर्चा की गई है।

वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में किसी उपभोक्ता के पास यह विकल्प नहीं है कि वह अपना लंबी दूरी का कॅरियर चुन सके। उपभोक्ता एनएलडी/आईएलडी कॉलों के लिए अपने एक्सेस प्रदाता पर निर्भर होता है और एक्सेस प्रदाता ही ऐसा एनएनडीओ/आईएलडीओ चुनता है कि किसे उनके बीच पारस्परिक वाणिज्यिक करारों के आधार पर आगे कैरिज के लिए कॉल सुपुर्द की जाए। हालांकि ग्राहक अपना एक्सेस प्रदाता चुन सकता है, परंतु एनएलडीओ/आईएलडीओ की पसंद उसके पास उपलब्ध नहीं है। कॉलिंग कार्ड ऐसा एलएनडीओ/आईएलडीओ चुनने के लिए उपभोक्ता की वास्तविक पसंद उपलब्ध कराएगा, जो एनएलडी/आईएलडी कॉलों के लिए सबसे प्रतियोगितात्मक प्रशुल्क का प्रस्ताव देता है, चाहे उपभोक्ता का एक्सेस प्रदाता कोई भी हो।

**"घरेलू पट्टा सर्किटों के लिए प्रशुल्क की समीक्षा" विषय पर दिनांक 24 मार्च, 2014 का परामर्श पेपर**

2.9.2 डीएलसीज के लिए प्रशुल्क ढांचे की समीक्षा करने की दृष्टि से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इस विषय पर विभिन्न सुसंगत मुद्दों पर पणधारियों की अभ्युक्तियां प्राप्त करने के लिए 24 मार्च, 2014 को एक परामर्श पेपर जारी किया। पणधारियों से ये अनुरोध किए गए थे कि वे अपनी लिखित अभ्युक्तियां 14 अप्रैल, 2014 तक और प्रति अभ्युक्तियां 21 अप्रैल, 2014 तक प्रस्तुत कर दें।

**"माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ कॅरियर्स का आबंटन और मूल्य निर्धारण" विषय पर दिनांक 28 मार्च, 2014 का परामर्श पेपर**

2.9.3 26 नवंबर, 2012 को दूरसंचार विभाग ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह "माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ कॅरियर्स का आबंटन और मूल्य निर्धारण" विषय पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। इस पत्र के उपरांत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार विभाग से इस विषय पर कुछ सूचना मांगी। सूचना प्राप्त होने के पश्चात भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर परामर्श पेपर तैयार किया। पणधारियों के विचार के लिए परामर्श पेपर में दिए गए विशिष्ट मुद्दे निम्नलिखित हैं :–

- दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी तथा बीडब्ल्यूए प्रौद्योगिकियों के मामले में टीएसपीज को आवश्यक रूप से सौंपे जाने वाले माइक्रोवेव कॅरियरों की संख्या;
- टीएसपीज को एमडब्ल्यूए/एमडब्ल्यूबी के सौंपे जाने का वरीयताप्राप्त तंत्र अर्थात "अनन्य आधार समनुदेशन" या "लिंक–टू–लिंक" आधारित समनुदेशन;

- प्रशासनिक समनुदेशन या नीलामी के जरिए समनुदेशन;
- अतिरिक्त कॅरियरों के आबंटन के मापदंड;
- कॅरियरों का मूल्य निर्धारण तंत्र;
- 6–42 गीगाहर्ट्ज (जीएचजेड) रेंज में सभी स्पेक्ट्रम बैंडों में एमडब्ल्यूए कैरियरों के समनुदेशन के लिए विकल्पों की खोज; और
- उच्चतर फ्रीक्वेंसी बैंडों अर्थात ई–बैंड और वी–बैंड में एमडब्ल्यूए कॅरियरों का समनुदेशन।

## प्रसारण और केबल टीवी सेक्टर

### परामर्श पेपरों की सूची

- ❑ "प्रसारकों से प्लेटफार्म प्रचालकों को टीवी चैनलों का वितरण" विषय पर दिनांक 06 अगस्त, 2013 का परामर्श पेपर।

### "प्रसारकों से प्लेटफार्म प्रचालकों को टीवी चैनलों का वितरण" विषय पर दिनांक 06 अगस्त, 2013 का परामर्श पेपर

2.9.4 "प्रसारकों से प्लेटफार्म प्रचालकों को टीवी चैनलों का वितरण" विषय पर एक परामर्श पेपर 06 अगस्त, 2013 को जारी किया गया था, जिसमें पणधारियों की अभ्युक्तियां मांगी गई थीं। इस परामर्श पेपर में यह उपबंध जोड़कर विनियामक ढांचे को संशोधित करने का एक प्रस्ताव दिया गया था, जो उस भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती हों, जो विभिन्न प्लेटफार्म प्रचालकों को टीवी चैनलों के वितरण के लिए उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों को प्रसारकों द्वारा सौंपी जा सकती हों।

"प्रसारकों से प्लेटफार्म प्रचालकों को टीवी चैनलों का वितरण" विषय पर ओएचडी के दौरान पणधारियों के साथ विचार–विमर्श करते हुए प्राधिकारी और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अधिकारी

### भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यचालन और प्रचालन की समीक्षा

2.10 (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क; (ख) टेलीफोन नेटवर्क के विस्तारण; (ग) मूलभूत और मूल्यवर्धित सेवा में निजी सेक्टर के प्रवेश; (घ) तकनीकी संगतता और सेवा प्रदाताओं के साथ प्रभावी अंतःसंबंध; (ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी; (च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के कार्यान्वयन; (छ) सेवा की गुणवत्ता; और (ज) सार्वभौमिक सेवा संबंधी दायित्व के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यचालन और प्रचालन की, नीतिगत ढांचे के विशिष्ट संदर्भ में, समीक्षा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है, जिसका विस्तृत अगले पृष्ठ पर दिया गया है:

## (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

2.10.1 कुल ग्रामीण उपभोक्ता आधार, 31 मार्च, 2013 को यथास्थिति 349.22 मिलियन से बढ़कर 31 मार्च, 2014 को यथास्थिति 377.73 मिलियन हो गया है। कार्य–निष्पादन संकेतक रिपोर्ट के अनुसार कुल वायरलेस उपभोक्ताओं में से 43.96 प्रतिशत उपभोक्ता अब ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार में कमी आ रही है। ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार, 31 मार्च, 2013 के अंत में 6.71 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2014 को यथास्थिति 5.96 मिलियन था। जबकि इसी अवधि के दौरान ग्रामीण वायरलेस उपभोक्ता आधार में वृद्धि हुई है। वायरलेस ग्रामीण {मोबाइल और डब्ल्यूएलएल (एफ)} बाजार, 31 मार्च, 2013 को यथास्थिति 342.50 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2014 को यथास्थिति 371.78 मिलियन अंक पहुंच गया है। कुल वायरलेस उपभोक्ताओं में से 41.10 प्रतिशत अब ग्रामीण क्षेत्र में हैं।

## (ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तारण

2.10.2 31 मार्च, 2014 को यथास्थिति, कुल वायरलाइन उपभोक्ता आधार 28.49 मिलियन पर था। उपभोक्ता आधार में उपाश्रयी बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास क्रमशः 64.87 प्रतिशत और 12.43 प्रतिशत बाजार हिस्सा है, जबकि सभी 6 निजी प्रचालकों के पास कुल मिलाकर 22.70 प्रतिशत हिस्सा है। निजी प्रचालकों का हिस्सा 31 मार्च, 2013 को यथास्थिति 20.88 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च, 2014 को यथास्थिति 22.70 प्रतिशत हो गया है।

31 मार्च, 2013 को यथास्थिति 867.80 मिलियन के उपभोक्ता आधार की तुलना में 31 मार्च, 2014 को यथास्थिति वायरलेस उपभोक्ता आधार 904.51 मिलियन था। वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपभोक्ता आधार में 36.71 मिलियन उपभोक्ताओं तक वृद्धि हो गई है। वायरलेस सेवाओं के कुल उपभोक्ता आधार मार्च 2009 में 391.76 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2014 में 904.51 मिलियन हो गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत में 904.51 मिलियन उपभोक्ताओं में से 847.41 मिलियन (93.69 प्रतिशत) जीएसएम उपभोक्ता और 57.10 मिलियन (6.31 प्रतिशत) सीडीएमए उपभोक्ता थे।

वायरलेस खंड में जीएसएम का उपभोक्ता आधार, मार्च, 2013 के अंत में यथास्थिति 794.03 मिलियन की तुलना में मार्च, 2014 के अंत में 847.41 मिलियन उपभोक्ता था। वर्ष के दौरान जीएसएम उपभोक्ता आधार में लगभग 53.38 मिलियन उपभोक्ता तक की वृद्धि हुई।

जीएसएम सेवाओं के बाजार हिस्से और उपभोक्ता आधार के हिसाब से 205.39 मिलियन उपभोक्ता आधार के साथ मैसर्स भारती सबसे बड़ा जीएसएम सेवा प्रदाता बना हुआ है। इसके बाद 166.56 मिलियन, 135.79 मिलियन और 92.40 मिलियन के उपभोक्ता आधार के साथ क्रमशः मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स आइडिया/स्पाइस और मैसर्स बीएसएनएल का नंबर आता है।

सेल्यूलर सीडीएमए सेवाओं में उपभोक्ता आधार और बाज़ार हिस्से के हिसाब से, 28.95 मिलियन उपभोक्ता आधार के साथा मैसर्स रिलायंस, सबसे बड़ा सीडीएमए प्रचालक बना हुआ है। इसके बाद 16.74 मिलियन और 9.04 मिलियन के उपभोक्ता आधार के साथ क्रमशः मैसर्स टाटा और मैसर्स सिस्टेमा का नंबर आता है।

## (ग) मूलभूत और मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी सेक्टर का प्रवेश

2.10.3 वर्तमान में कुल 167 एक्सेस सेवा लाइसेंसधारी हैं, जो देश में मूलभूत और सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। लाइसेंस–वार ब्योरे अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं :–

| लइसेंस का प्रकार | लइसेंसों की संख्या |
|---|---|
| मूलभूत | 2 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम – बीएसएनएल और एमटीएनएल) |
| सीएमटीएस | 37 |
| यूएएस | 118 |
| यूएल (एएस) | 06 |
| यूएल | 04 |
| **जोड़** | **167** |

### (घ) तकनीकी संगतता और सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अंतःसंबंध

2.10.4 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण के लिए यह अनिवार्य है कि वह अंतःसंबद्धता की शर्तें और निबंधन निर्धारित करे और सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अंतःसंबध और तकनीकी संगतता सुनिश्चित करे। एक बहु–प्रचालक वातावरण में अंतःसंबंध, दूरसंचार व्यवसाय के अभ्यंतर में होता है। सेवा प्रदाताओं के बीच एकसमान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए अंतःसंबंध की शर्तें और निबंधन विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अंतःसंबंध प्रभार विनिर्धारित किए गए थे :–

**शॉर्ट मैसेज सर्विसेज (एसएमएस) समाप्ति प्रभार विनियम, 2013 दिनांक 24 मई, 2013**

एसएमएस समाप्ति प्रभार ऐसे प्रभार हैं, जो समाप्त करने वाले एक्सेस प्रदाता के नेटवर्क पर इसके द्वारा समाप्त किए गए प्रत्येक एसएमएस के लिए समाप्त करने वाले एक्सेस प्रदाता को आरंभक एक्सेस प्रदाता द्वारा भुगतान योग्य हैं।

इन विनियमों के जारी किए जाने से पहले एसएमएस समाप्ति प्रभार, स्थगन के अधीन थे। प्राधिकरण ने नोट किया कि हालांकि एसएमएस समाप्ति प्रभार पर स्थगन की नीति ने विगत में संतोषजनक ढंग से काम किया है जब उपभोक्ता द्वारा एसएमएस का इस्तेमाल सीमित था। बदली हुई परिस्थितियों में, विशेष रूप से वाणिज्यिक एसएमएस की संख्या में घातांकी वृद्धि, अंतःसंबद्ध सेवा प्रदाताओं के नेटवर्कों के बीच एसएमएस यातायात में बड़े असंतुलन, एसएमएस समाप्ति प्रभार एकतरफा लगाने और गैर–करार के मामले में कुछ प्रबल सेवा प्रदाताओं द्वारा कनेक्शन करने और सेवा प्रदाताओं के बीच बढ़ती मुकदमेबाजी के कारण प्राधिकरण ने एसएमएस समाप्ति प्रभारों में स्थगन की नीति की समीक्षा की और लागत आधारित एसएमएस समाप्ति प्रभार विनिर्धारित किए।

परामर्श प्रक्रिया और आंतरिक विश्लेषण के आधार पर माननीय टीडीएसएटी के इस अवलोकन के अनुरूप कि एसएमएस समाप्ति प्रभार, लागत आधारित और किया गया कार्य सिद्धांत पर होने चाहिए और बाजार में निश्चितता सृजित करने, कुछ प्रबल कंपनियों द्वारा सृजित अत्यावश्यकताओं और उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने की दृष्टि से प्राधिकरण ने 0.02 (केवल 2 पैसे) प्रति एसएमएस के रूप में लागत आधारित एसएमएस समाप्ति प्रभार विनिर्धारित किए। यह विनियम 01 जून, 2013 से लागू हुआ।

### (ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी

**(i) दूरसंचार सेक्टर में हरित प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन**

2.10.5 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 12.04.2011 की 'हरित दूरसंचार के प्रति दृष्टिकोण' विषय पर अपनी सिफारिश के अंतर्गत दूरसंचार सेक्टर में हरित प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश की है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर दूरसंचार विभाग

ने बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित सभी राष्ट्रीय लंबी दूरी के/अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं/सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा/सार्वभौमिक एक्सेस सेवा लाइसेंस/मूलभूत सेवा लाइसेंसधारियों को जनवरी, 2012 में निर्देश जारी किए। उपर्युक्त निर्देशों के उपरांत दूरसंचार विभाग ने दिनांक 18.09.2012 और 19.11.2012 के अगले स्पश्टीकरण जारी किए।

दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार, सभी सेवा प्रदाताओं को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित फार्मेट में अपने प्रचालनों का कार्बन फुटप्रिंट भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में एक वर्ष में दो बार घोषित करना चाहिए अर्थात हर वर्ष सितंबर में समाप्त अवधि के लिए छमाही रिपोर्ट 15 नवंबर तक और मार्च में समाप्त अवधि के लिए अगली छमाही की रिपोर्ट 15 मई तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाताओं के लिए भी यह अनिवार्य है कि वे अपनी एसोसिएशनों के जरिए सहमति – जन्म रूप से एक स्वैच्छिक पद्धति संहिता तैयार करें, जिसमें ऊर्जा दक्ष नेटवर्क योजना, इन्फ्रा शेयरिंग, ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का विकास और नवीकरणयोग्य ऊर्जा प्रौद्योगिकी (आरईटी) का आत्मसातकरण शामिल किया गया हो और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में स्वैच्छिक पद्धति संहिता प्रस्तुत करें।

तदनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने स्पष्टीकरणों के लिए विभिन्न बैठकें आयोजित की हैं और दूरसंचार के निर्देशों के संबंध में अपेक्षित अनुपालन प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदाताओं को पत्र और स्मारक जारी किए हैं। इस संबंध में आधार वर्ष (2011–12), एच1 और एच2 (2012–13) के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित राष्ट्रीय लंबी दूरी के/अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और एक्सेस सेवा प्रदाताओं की कार्बन फुटप्रिंट रिपोर्टें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में प्राप्त हो गई हैं। स्वैच्छिक पद्धति संहिताएं भी दूरसंचार एसोसिएशनों से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में प्राप्त हो गई हैं।

### (ii) भावी पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन)

वर्तमान में नेटवर्क वस्तुतः अलग–अलग हैं और स्थिर सेवाएं, मोबाइल सेवाएं और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। भावी पीढ़ी के नेटवर्कों में एक एकल नेटवर्क पर विभिन्न प्रकार के यातायात (आवाज, वीडियो और आंकड़े आदि) कवरेज की क्षमता है। यह अनिवार्य रूप से एक प्रबंधित आईपी आधारित (अर्थात पैकेट – स्विच्ड) नेटवर्क है, जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं को सहारा देता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में अगली पीढ़ी के नेटवर्कों की ओर अंतरण के लिए अपने प्रयास तेज किए हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने भावी पीढ़ी के नेटवर्कों (एनजीएन) पर समुचित नीति और विनियामक ढांचा स्थापित करने में सहायता करने के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया है। परामर्शी कार्य के दायरे में, एनजीएन पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना, परामर्श पेपर का एक मसौदा तैयार करना, उद्योग के लिए एनजीएन पर कार्यशाला आयोजित करना, मूल्यांकन पश्चात कार्य में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सहायता करना शामिल हैं। परामर्शदाता ने विस्तृत रिपोर्ट का मसौदा और एनजीएन पर परामर्श पेपर का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है।

प्राधिकरण, सभी सुसंगत मुद्दों पर एक एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया में पणधारियों को शामिल करने के लिए "एनजीएन में अंतरण" विषय पर एक परामर्श पेपर तैयार करने की प्रक्रिया में है।

इस अवधि के दौरान एनजीएन पर विस्तृत रिपोर्ट और परामर्श पेपर पर कार्य आरंभ कर

दिया गया था और दोनों प्रलेखों के लिए मसौदे तैयार कर लिए गए थे। सभी सुसंगत मुद्दों पर एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया में पणधारियों को शामिल करने के लिए "आईपी आधारित नेटवर्कों में अंतरण" विषय पर अंतिम परामर्श पेपर विचाराधीन है।

### (iii) प्रौद्योगिकी सार–संग्रह का प्रकाशन

नई प्रौद्योगिकी का निरंतर विकास किया जा रहा है और तकनीकी प्रणालियों में इसके अनुप्रयोग किए जा रहे हैं, जो एक दूरसंचार नेटवर्क को पूरा करते हैं। तथापि, दूरसंचार प्रौद्योगिकी में हुई प्रगतियों के साथ कम से कदम मिलाकर चलना अधिकांश दूरसंचार व्यवसायविदों के लिए कठिन हो जाता है। नई प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों का पता लगाने और उद्योग के साथ उन्हें साझा करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण "प्रौद्योगिकी सार–संग्रह" नामक एक प्रौद्योगिकी बुलेटिन प्रकाशित कर रहा है, जिसमें प्रत्येक अंक में एक प्रौद्योगिकी पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 2013–14 के दौरान, "100 गिगाबाइट इथरनेट एंड बियंड" विषय पर प्रौद्योगिकी सार–संग्रह जारी किया गया है।

### (iv) प्रबंधन सूचना प्रणाली परियोजना

प्रबंधन सूचना प्रणाली का आरंभ 01 जनवरी, 2014 को किया गया था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में प्रबंधन सूचना प्रणाली की संकल्पना सेवा प्रदाताओं से इलेक्ट्रॉनिक रूप में विभिन्न रिपोर्टें सुरक्षित रूप से प्राप्त करने के लिए की गई थी। विभिन्न डैशबोर्डों, जो सूचना का सारांश उपलब्ध करा सकते हैं, का सृजन इस परियोजना में शामिल किया गया है। इस प्रकार यह परियोजना, दक्षता और परिशुद्धता में सुधार करने में सभी पणधारियों की सहायता करती है। पणधारियों से प्राप्त आंकड़ों से, आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञता वाली रिपोर्टें भी तैयार की जा सकती हैं।

## (च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए सूचना सुरक्षा नीति बनाना और उसका कार्यान्वयन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए सूचना सुरक्षा नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंदर कार्यान्वित कर दिया गया है। बड़ी मात्रा में महत्त्वपूर्ण, संवेदनशील और गोपनीय सूचना, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा या तो संचारित की जा रही है या अवसंरचना पर रखी जा रही है और संबंधित संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह नीति, गोपनीयता, संपूर्णता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में काम में लाई जा रही सभी महत्त्वपूर्ण सूचनाओं की सुरक्षा और बचाव करने के लिए एक आंतरिक आश्वासन तंत्र के रूप में काम करेगी। यह नीति, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य के लिए इसके नेटवर्कों पर संचरित की गई और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सर्वर प्रणालियों पर स्टोर की गई या प्रोसेस की गई सभी सूचनाओं का संरक्षण कवर करती है।

## (छ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) का कार्यान्वयन

2.10.6 "एक राष्ट्र – पूर्ण मोबाइल नंबर संवहनीयता" (एफएमएनपी) के संबंध में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 में दिए गए उपबंधों के अनुसार परामर्श प्रक्रिया और इसमें शामिल विभिन्न मुद्दों की जांच पर विचार करने के पश्चात भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 25 सितंबर, 2013 को पूरे लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में एफएमएनपी पर अपनी सिफारिशें अग्रेषित कीं।

"स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य" विषय पर सरकार को भेजी गई दिनांक 09 सितंबर, 2013 की अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने, रोल–आउट दायित्वों में वर्तमान

शहरी–केंद्रिक भेदभाव में सुधार करने की दृष्टि से ग्रामीण कवरेज में वृद्धि करने के लिए रोल–आउट दायित्वों पर दी गई अपनी सिफारिशों को दोहराया।

## (ज) सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस)

2.10.7 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11(1) (ख)(v) के अंतर्गत अपने कार्य करते हुए प्राधिकरण ने मूलभूत टेलीफोन सेवा (वायरलाइन), सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और ब्रॉडबैंड सेवा के लिए सेवा मानकों की गुणवत्ता निर्धारित की। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित विभिन्न पैरामीटरों के लिए मापदंडों के संबंध में क्यूओएस विनियमों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

### मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली का अंकेक्षण

(i) मीटरिंग और बिलिंग के संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं में एकरूपता और पारदर्शिता लाने; (ii) मापन की परिशुद्धता, बिलिंग की विश्वसनीयता के संबंध में मानक विनिर्धारित करने; (iii) समय–समय पर सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए बिलिंग की परिशुद्धता मापने और मापदंडों के साथ उनका मिलान करने ताकि कार्य–निष्पादन का स्तर आंका जा सके; (iv) बिलिंग की शिकायतों का आयतन न्यूनतम करने; और (v) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग परिशुद्धता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2006 की समीक्षा की और 25 मार्च, 2013 को सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग परिशुद्धता के लिए पद्धति संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013 जारी की। इस विनियमों में सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य है कि वे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अंकेक्षकों में से किसी एक के जरिए वार्षिक आधार पर अपनी मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली के अंकेक्षण की व्यवस्था करें और प्रत्येक वर्ष की अधिक से अधिक 31 जुलाई तक उसका अंकेक्षण प्रमाण–पत्र भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में प्रस्तुत करें। विनियम में यह उपबंध भी किया गया है कि सेवा प्रदाताओं को, प्रमाण–पत्र में एजेंसी द्वारा बताई गई अपर्याप्ताओं, यदि कोई हैं, पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अधिक से अधिक 15 नवंबर तक उस पर एकीकृत कार्रवाई रिपोर्ट भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में दाखिल करनी होगी। इसके अलावा, इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अंकेक्षण रिपोर्टें और कृत कार्रवाई रिपोर्टें प्रस्तुत करने में विलंब के लिए 1,00,000/– रुपए प्रति सप्ताह की दर से वित्तीय शास्ति और गलत या अपूर्ण सूचना के लिए अधिक से अधिक 10,00,000/– रुपए प्रतिकृत कार्रवाई रिपोर्ट की दर से वित्तीय शास्ति भी लागू की है। वर्ष 2012–13 के लिए अंकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई अंकेक्षण रिपोर्टों का विश्लेषण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

### एक स्वतंत्र एजेंसी के जरिए सेवा की गुणवत्ता का उद्देश्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम और क्यूओएस विनियम में, अंकेक्षण और सर्वेक्षण के जरिए क्यूओएस मापदंड के प्रति सेवा के ग्राहक के बोध और मूल्यांकन का उपबंध किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने क्षेत्रीय आधार पर स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की है, इसलिए सर्वेक्षण का कार्य मैसर्स आईएमआरबी (दक्षिण और पूर्व क्षेत्र के लिए), मैसस वॉयस (पश्चिम क्षेत्र के लिए) को अवार्ड कर दिया गया है।

अंकेक्षण का कार्य क्षेत्रीय आधार पर मैसर्स सीएस डाटामेशन (दक्षिण क्षेत्र), मैसर्स टीयूबी

साउथ एशिया (उत्तर और पश्चिम क्षेत्र) और मैसर्स आईएमआरबी (पूर्वी क्षेत्र) को अवार्ड कर दिया गया है। अप्रैल से सितंबर, 2013 तक की अवधि (छमाही) के लिए सर्वेक्षण का कार्य कर लिया गया है और प्रेस विज्ञप्ति 30 जनवरी, 2014 को जारी की गई थी। अक्तूबर से दिसंबर, 2013 तक की अवधि के लिए अंकेक्षण का कार्य कर लिया गया है और प्रेस विज्ञप्ति 01 अप्रैल, 2014 को जारी की गई थी। जनवरी से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए अंकेक्षण रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गई हैं और इनका विश्लेषण किया जा रहा है।

## सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग परिशुद्धता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2006 की समीक्षा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मीटरिंग और बिलिंग की परिशुद्धता के लिए पद्धति संहिता के ढांचे की समीक्षा की है, जिसमें मीटरिंग और बिलिंग के मानक दिए गए हैं और 25 मार्च, 2013 को जारी की गई सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग परिशुद्धता के लिए पद्धति संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013 के जरिए बिलिंग संबंधी शिकायतों के आपतनों को न्यूनतम करने के उपबंध हैं। इसके क्रम में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मीटरिंग और बिलिंग अंकेक्षण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और जांच–सूची जारी की थी। इसके अलावा, इन विनियमों के जरिए आंकड़ा सेवाओं सहित सीडीआर का अंकेक्षण आरंभ कर दिया गया है और त्रैमासिक आधार पर निरंतर अंकेक्षण किया जा रहा है।

## अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) को नियंत्रित करने के लिए ढांचे की समीक्षा

### (क) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 24 मई, 2013

दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 24 मई, 2013 को जारी किया गया था, जिसमें कारोबार संबंधी एसएमएस के लिए 5 पैसे प्रति एसएमएस की दर विनिर्धारित की गई थी। इसके अलावा, इस विनियम में, सरकारी एजेंसियों को कारोबार संबंधी एसएमएस प्रभार से छूट देने का उपबंध किया गया है।

### (ख) 24 मई, 2013 को जारी की गई दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (बारहवां संशोधन) विनियम, 2013

किसी उपभोक्ता, जो एक टेलीमार्केटर के रूप में प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं है, को यह अनुमति नहीं है कि वह कोई वाणिज्यिक संप्रेषण कर सके। यदि किसी शिकायत के सत्यापन के आधार पर यह पाया जाता है कि यूसीसी किसी ऐसे उपभोक्ता द्वारा आरंभ किया गया है, जो एक टेलीमार्केटर के रूप में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं है तो आरंभ करने वाला एक्सेस प्रदाता ऐसे उपभोक्ता के सभी दूरसंचार संसाधन काट देगा और ऐसे उपभोक्ता का नाम और पता, इस उद्देश्य के लिए अलग से रखी जाने वाली ब्लैकलिस्ट में दो वर्ष की अवधि के लिए दर्ज करेगा। ब्लैकलिस्ट में दर्ज कर दिए जाने पर सभी एक्सेस प्रदाता 24 घंटे के अंदर, ऐसे उपभोक्ता को उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी दूरसंचार संसाधन काट देगा। दो वर्ष के लिए किसी एक्सेस प्रदाता द्वारा ऐसे ब्लैकलिस्ट किए गए उपभोक्ता को कोई दूरसंचार संसाधन आबंटित नहीं किया जाएगा। यह उपबंध 24 जून, 2013 से लागू होगा।

### (ग) 22 अगस्त, 2013 को जारी की गई दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2013

विनियामक ढांचे को और अधिक कठोर बनाने के लिए ताकि केवल अपंजीकृत टेलीमार्केटर ही नहीं बल्कि अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ऐसे टेलीमार्केटर्स में लगे दूरसंचार

सेवा प्रदाताओं को भी जवाबदेह ठहराया जा सके, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 22 अगस्त, 2013 को 'दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2013' जारी किया, जिसमें उन संगठनों के दूरसंचार संसाधन काटने का उपबंध है, जो अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स के जरिए टेलीमार्केटिंग के काम में लगे पाए जाते हैं।

**(घ) 03 दिसंबर, 2013 को जारी की गई दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2013**

अप्रार्थित वाणिज्यिक संप्रेषण कम करने की दृष्टि से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने, इन विनियमों के जरिए पंजीकरण अवधि, पंजीकरण शुल्क और आरंभिक प्रतिभूति जमा धनराशि की समीक्षा की।

**(ङ) उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम**

वर्ष 2013–14 के दौरान, उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए और उनके क्षमता निर्माण के लिए प्राधिकरण द्वारा देश के भिन्न–भिन्न भागों में कुल 128 उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किए गए थे। इनके अलावा, पूरे देश में 35 व्यावसायिक कॉलेजों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

ये उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से आयोजित किए गए थे, जिनके ब्योरे निम्नलिखित हैं:

| क्र.सं. | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम का स्थान | उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | बंगलौर | हुबली | 18.9.13 |
| | | बेलगाम | 20.9.13 |
| | | पालाक्कड | 23.10.13 |
| | | मालापुरम | 25.10.13 |
| | | उडुपी | 6.11.13 |
| | | करवार | 8.11.13 |
| | | कन्नूर | 3.12.13 |
| | | कालीकट | 5.12.13 |
| | | गुलबर्ग | 17.12.13 |
| | | रायचूर | 19.12.13 |
| | | मेडिकेरी (कोडोगु) | 21.1.14 |
| | | कोट्टायम | 29.1.14 |
| | | कोल्लम | 31.1.14 |
| | | त्रिचूर | 14.2.14 |
| | **जोड़** | **14** | |
| 2 | भोपाल | बेतुल | 17.9.13 |
| | | उज्जैन | 24.9.13 |
| | | होशंगाबाद | 9.10.13 |
| | | ग्वालियर | 24.10.13 |
| | | खण्डवा | 12.11.13 |
| | | विदिशा | 21.11.13 |
| | | सागर | 29.11.13 |
| | | छिंदवाड़ा | 11.12.13 |
| | | रायपुर | 20.12.13 |
| | | नरसिंहपुर | 9.1.14 |
| | | बिलासपुर | 23.1.14 |
| | | सतना | 5.2.14 |
| | | बालाघाट | 28.2.14 |
| | | भिलाई (दुर्ग) | 5.3.14 |
| | | देवास | 24.3.14 |
| | **जोड़** | **15** | |
| 3 | चंडीगढ़ | शिमला | 20.9.13 |
| | | धर्मशाला | 24.9.13 |
| | | बद्दी | 25.10.13 |

| क्र.सं. | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम का स्थान | उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम की तारीख |
|---|---|---|---|
| | | हमीरपुर | 31.10.13 |
| | | उद्यमपुर | 19.11.13 |
| | | कठुआ | 21.11.13 |
| | | अमृतसर | 5.12.13 |
| | | रोपड़ | 12.12.13 |
| | | देहरादून | 16.1.14 |
| | | सहारनपुर | 20.1.14 |
| | | पौंटा साहिब | 6.2.14 |
| | | संगरूर | 20.2.14 |
| | | होशियारपुर | 4.3.14 |
| | | हरिद्वार | 11.3.14 |
| | **जोड़** | **14** | |
| 4 | गुवाहाटी | ताजपुर | 21.9.13 |
| | | नगांव | 23.9.13 |
| | | अगरतला | 24.10.13 |
| | | उदयपुर | 25.10.13 |
| | | इम्फाल | 8.11.13 |
| | | ऐजवाल | 15.11.13 |
| | | दिमापुर | 10.12.13 |
| | | बोंगईगांव | 19.12.13 |
| | | नलबारी | 21.12.13 |
| | | सिल्चर | 17.1.14 |
| | | करीमगंज | 20.1.14 |
| | | डिब्रूगढ़ | 14.2.14 |
| | | जोरहाट | 24.2.14 |
| | | ईटानगर | 7.3.14 |
| | **जोड़** | **14** | |
| 5 | हैदराबाद | तिरुचिरापल्ली | 12.9.13 |
| | | हैदराबाद | 17.9.13 |
| | | सलेम | 9.10.13 |
| | | वारंगल | 18.10.13 |

| क्र.सं. | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम का स्थान | उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम की तारीख |
|---|---|---|---|
| | | पांडिचेरी | 15.11.13 |
| | | थंजावुर | 17.12.13 |
| | | तिरुनेवेली | 19.12.13 |
| | | विशाखापत्तनम | 23.12.13 |
| | | तिरुपति | 21.1.14 |
| | | विजयवाड़ा | 23.1.14 |
| | | नालगोंडा | 24.2.14 |
| | | मदुरई | 28.2.14 |
| | | एलुरु | 28.3.14 |
| | **जोड़** | **13** | |
| 6 | जयपुर | जयपुर | 19.9.13 |
| | | पाली | 25.9.13 |
| | | जोधपुर | 27.9.13 |
| | | अम्बाला | 8.10.13 |
| | | करनाल | 10.10.13 |
| | | भीलवाड़ा | 15.11.13 |
| | | अजमेर | 22.11.13 |
| | | कोटा | 16.12.13 |
| | | अलवर | 23.12.13 |
| | | हिसार | 15.1.14 |
| | | जींद | 16.1.14 |
| | | बाडमेर | 23.1.14 |
| | | झुनझुनु | 14.2.14 |
| | | कुरुक्षेत्र | 26.2.14 |
| | | श्री गंगानगर | 20.3.14 |
| | | बीकानेर | 27.3.14 |
| | **जोड़** | **16** | |
| 7 | कोलकाता | कटक | 10.9.13 |
| | | उलटाडांगा कोलकाता | 27.9.13 |
| | | चिन्सुरा | 30.10.13 |
| | | जलपाईगुड़ी | 18.11.13 |

| क्र.सं. | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम का स्थान | उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम की तारीख |
|---|---|---|---|
| | | सिलीगुड़ी | 19.11.13 |
| | | बालासोर | 3.12.13 |
| | | रानीगंज | 18.12.13 |
| | | बांकुरा | 19.12.13 |
| | | बोलपुर | 9.1.14 |
| | | पुरी | 30.1.14 |
| | | सुरी | 7.2.14 |
| | | पारादीप | 14.2.14 |
| | | राउरकेला | 28.3.14 |
| | | संबलपुर | 29.3.14 |
| | जोड़ | 14 | |
| 8 | मुंबई | नागपुर | 12.9.13 |
| | | गोवा | 26.9.13 |
| | | अहमदाबाद | 17.10.13 |
| | | वड़ोदरा | 29.10.13 |
| | | नवी मुंबई | 12.11.13 |
| | | सूरत | 7.12.13 |
| | | मुंबई | 17.12.13 |
| | | राजकोट | 24.12.13 |
| | | नासिक | 10.1.14 |
| | | अहमदनगर | 24.01.14 |
| | | दमन | 12.2.14 |
| | | वलसाद | 20.2.14 |
| | | औरंगाबाद | 11.3.14 |
| | | जलगांव | 21.3.14 |
| | जोड़ | 14 | |
| 9 | पटना | हाजीपुर | 26.9.13 |
| | | पटना | 30.9.13 |
| | | रांची | 22.10.13 |
| | | अरा | 29.10.13 |
| | | हजारीबाग | 12.11.13 |
| | | मुजफ्फरपुर | 20.11.13 |
| | | बोध गया | 20.12.13 |
| | | छपरा | 23.12.13 |
| | | बोकारो | 27.1.14 |
| | | धनबाद | 29.1.14 |
| | | राजगिर नालंदा | 20.2.14 |
| | | जमशेदपुर | 26.2.14 |
| | | देवघर | 3.3.14 |
| | | मोतिहारी | 10.3.14 |
| | जोड़ | 14 | |
| | सकल जोड़ | 128 | |

## (झ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ)

2.10.8 दिनांक 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के लिए सहायता पर 14 मई, 2012 की अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने उल्लेख किया था कि मैसर्स बीएसएनएल को दी जाने वाली सहायता, 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों को बनाए रखने के लिए दो वर्ष के लिए जारी रखी जाए। सहायता की धनराशि पहले वर्ष के लिए 1500 करोड़ रुपए और दूसरे वर्ष के लिए 1250 करोड़ रुपए हो सकती है।

## अन्य क्रियाकलाप

### प्रबंधन सूचना प्रणाली परियोजना

2.10.9 प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ वर्ष 2013–14 के दौरान किया गया था। सेवा प्रदाताओं ने इस पोर्टल के जरिए अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया है। यह पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक रूप में विभिन्न रिपोर्टों के एकत्रीकरण में सहायता करेगा और आंकड़ों के विश्लेषण के उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रिपोर्टें और डैश बोर्ड सृजित करने में

सहायता करेगा। सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर एक ट्रायल रन किया जा रहा है।

### उपभोक्ता हैंडबुक और उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम

वर्ष 2013–14 के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम के दौरान वितरण के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, क्षेत्रीय भाषाओं में दूरसंचार पर उपभोक्ता हैंडबुक छपवाने के लिए पहल की।

### सूचना पत्र

वर्ष 2013–14 के दौरान सभी मासिक सूचना पत्र, जिनमें प्राधिकरण द्वारा आरंभ किए गए महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापों/पहलों और दूरसंचार सेक्टरों में अन्य प्रगतियों का संसूचन किया गया था, सभी सीएजी को परिचालित करना जारी रखा गया।

### उपभोक्ता जागरूकता

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने वीएएस के डिएक्टिवेशन, मोबाइल नंबर संवहनीयता, अवांछनीय वाणिज्यिक कॉलों आदि के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए स्थानीय समाचार–पत्रों में पूरे देश में विज्ञापन भी जारी किए हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एफएम रेडियो और टीवी चैनलों के जरिए इस प्रकार के जनता के संदेश प्रसारण करने के लिए कदम भी उठाए हैं।

### दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण समय–समय पर दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए विभिन्न विनियम, निर्देश और आदेश जारी करता रहा है। जुलाई, 2013 के दौरान "दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013" जारी किया गया।

## (ञ) अंतर्राष्ट्रीय संबंध

### 2.10.10 द्विपक्षीय बैठकें

(i) श्री ह्यूक बू क्वॉन, उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कोरिया संप्रेषण मानक आयोग (केसीएससी) से एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 21 जून, 2013 को प्राधिकरण के साथ द्विपक्षीय बैठक करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का दौरा किया।

(ii) मालदीव प्रसारण आयोग (एमबीसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री आर के आर्नल्ड, सदस्य, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ द्विपक्षीय बैठक करने के लिए 05 जुलाई, 2013 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का दौरा किया।

(iii) श्री आर के आर्नल्ड, सदस्य, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नेतृत्व में एक दल ने होटल ताज मानसिंह, नई दिल्ली में 04 अक्तूबर, 2013 को जापान–भारत आईसीटी सरकारी निजी भागीदारी मिशन पर आंतरिक मामले और संप्रेषण (एमआईसी), जापान के लिए श्री मासाहिको योशिज़ाकी, उप मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया।

(iv) आंतरिक मामले और संप्रेषण (एमआईसी), जापान की वरिष्ठ उप मंत्री सुश्री योको कामिकावा ने नई दिल्ली में 16 जनवरी, 2014 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ बैठक करने के लिए प्राधिकरण के कार्यालय का दौरा किया था।

(v) विश्व बैंक के अनुरोध पर अवसंरचना साझेदारी समन्वयकर्ताओं के अफगान के प्रतिनिधिमंडल के लिए एक बैठक और चर्चा 26 मार्च, 2014 को आयोजित की गई थी।

(vi) निदेशक, आईटीयू–आर ने 27 मार्च, 2014 को प्राधिकरण के साथ एक द्विपक्षीय बैठक करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का दौरा किया।

2.10.11 **समझौता ज्ञापन**

(i) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण वार्सा, पोलैंड में 04 जुलाई, 2013 को जार्जियन राष्ट्रीय संप्रेषण आयोग, जार्जिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर तकनीकी और प्रौद्योगिकीय सहयोग स्थापित करके दो देशों के बीच दूरसंचार के क्षेत्र में गठबंधन को सशक्त बनाने की दृष्टि से हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने नई दिल्ली, भारत में 04 जुलाई, 2013 को वियतनाम दूरसंचार प्रायिधकरण (वीएनटीए), वियतनाम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर तकनीकी और प्रौद्योगिकीय सहयोग स्थापित करके दो देशों के बीच दूरसंचार के क्षेत्र में गठबंधन को सशक्त बनाने की दृष्टि से हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) बार्सिलोना, स्पेन में 25 फरवरी, 2014 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और एनटीआरए, मिस्र के बीच समझौता ज्ञापन के एक संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

2.10.12 **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा मेजबानी किए गए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम**

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आईटीयू) ने 05–07 फरवरी, 2014 को फिक्की, नई दिल्ली के आयोग कक्ष में आयोजित किए गए "डिजिटल प्रसारण और प्रौद्योगिकियां तथा कार्यान्वयन" विषय पर संयुक्त रूप से एक प्रशिक्षण आयोजित किया।

05–07 फरवरी, 2014 को फिक्की, नई दिल्ली में "डिजिटल प्रसारण और प्रौद्योगिकियां तथा कार्यान्वयन" विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) और एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी (एपीटी) ने नई दिल्ली में 13—14 फरवरी, 2014 को "नीति, विनियम और सेवाएं" विषय पर संयुक्त रूप से दक्षिण एशिया दूरसंचार विनियामक परिषद् (एसएटीआरसी) कार्य समूह की बैठक आयोजित की।

13—14 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली, भारत में "नीति, विनियम और सेवाएं" विषय पर एसएटीआरसी कार्य समूह की दूसरी बैठक

# भाग-III

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

*भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11, संशोधितानुसार, यह व्यवस्था करती है कि–*

(1) *भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी समाविष्ट होने पर भी, प्राधिकरण के कार्य इस प्रकार होंगे–*

(क) *निम्नलिखित मामलों, नामतः, पर स्वप्रेरणा से अथवा अनुज्ञापक (लाइसेंसर) के अनुरोध पर संस्तुतियां प्रदान करना;*

(i) *नए सेवा प्रदाता के परिचय हेतु आवश्यकता एवं समय;*

(ii) *एक सेवा प्रदाता के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के निबन्धन एवं शर्तें;*

(iii) *अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के निबन्धनों एवं शर्तों के अननुपालन हेतु लाइसेंस का प्रतिसंहरण;*

(iv) *दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतियोगिता सरलीकरण के उपाय तथा कार्यकुशलता को बढ़ाना ताकि ऐसी सेवाओं सरलता से वृद्धि की जा सके;*

(v) *सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं में तकनीकी सुधार;*

(vi) *कार्यक्रम (नेटवर्क) में उपयोग किए गए उपकरण के निरीक्षण के उपरान्त सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण के प्रकार;*

(vii) *दूरसंचार प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार उद्योग से सम्बन्धित किसी अन्य सामान्य विषय के विकास के लिए उपाय;*

(viii) *उपलब्ध स्पेक्ट्रम का दक्षतापूर्ण प्रबन्धन;*

(ख) *निम्नलिखित कार्यों का पालन करें, नामतः;*

(i) *अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के निबन्धन एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें;*

(ii) *भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम (संशोधन), 2000 के प्रारम्भ से पूर्व स्वीकृति लाइसेंस के निबन्धनों एवं शर्तों में कुछ भी समाविष्ट होते हुए भी सेवा प्रदाताओं के मध्य अंतःसंयोजन के निबन्धनों एवं शर्तों का निर्धारण करें;*

(iii) *विभिन्न सेवा प्रदाताओं के मध्य तकनीकी अनुकूलता तथा प्रभावी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करें;*

(iv) *दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने पर सेवा प्रदाताओं के मध्य उनके राजस्व सहभाजन व्यवस्था का विनियमन करना;*

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के गुणवत्ता मानक स्थापित करना एवं सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करना ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा की जा सके;

(vi) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के मध्य स्थानीय एवं लम्बी दूरी के दूरसंचार सर्किट्स उपलब्ध कराने के लिए समयावधि निर्धारित एवं सुनिश्चित करना;

(vii) विनियमों में यथालागू अनुसार अंतःसंयोजन समझौतों तथा समस्त ऐसे अन्य विषयों की पंजिका (रजिस्टर) बनाना;

(viii) उप–वाक्य (vii) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क के भुगतान पर जनसाधारण में से किसी व्यक्ति के निरीक्षण तथा विनियमों में यथा उपलब्धानुसार ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए पंजिका (रजिस्टर) का रख–रखाव करना;

(ix) सार्वभौमिक सेवा दायित्वों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ग) विनियमों द्वारा यथा निर्धारित अनुसार ऐसी दरों तथा ऐसी सेवाओं के सन्दर्भ में उद्ग्रहण (लेवी) शुल्क एवं अन्य प्रभार;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ट्राई को सौंपे गए अनुसार अथवा इसके अधिनियम के प्रावधानों के संचालनार्थ यथा आवश्यक ऐसे प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों सहित ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन;

बशर्ते कि इस उप–धारा के उप–वाक्य (क) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की सिफारिशें केन्द्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगी।

बशर्ते कि भविष्य में किसी सेवा प्रदाता को जारी की जाने वाली नई अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के सन्दर्भ में इस उप–धारा के उप–खण्ड (क) के उप–खण्डों (i) एवं (ii) में विनिर्दिष्ट विषयों के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार प्राधिकरण की सिफारिशों का संज्ञान लेगी तथा प्राधिकरण उन सरकारी सिफारिशों की तिथि से साठ दिनों की एक अवधि के अन्दर अपनी सिफारिशें अग्रसारित करेगा।

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण केन्द्र सरकार से इस उप–धारा के उप–खण्ड (क) के उप–उपखण्डों (i) एवं (ii) के अन्तर्गत की जा रही सिफारिशों के उद्देश्य हेतु यथा आवश्यकतानुसार ऐसी सूचना अथवा प्रलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है तथा सरकार को ऐसी सूचना ऐसे अनुरोध की प्राप्ति से सात दिनों की एक अवधि के अन्दर प्रेषित करनी होगी।

बशर्ते यह भी कि यदि द्वितीय परंतुक (प्रोविजो) में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर अथवा केन्द्र सरकार एवं प्राधिकरण के मध्य परस्पर अनुबन्धितानुसार ऐसी किसी अन्य अवधि के अन्दर प्राधिकरण से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं होती है, तो केन्द्र सरकार किसी भी सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी कर सकती है।

बशर्ते यह भी कि यदि केन्द्र सरकार प्राधिकरण की उस सिफारिश पर विचार करती है, जिस पर प्रथम दृष्ट्या वह यह निष्कर्ष निकालती है कि ऐसी सिफारिश स्वीकार्य नहीं हो सकती अथवा इसमें संशोधनों की आवश्यकता है, तो वह ऐसी सिफारिश को पुनः प्राधिकरण के पास उसके विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है, तथा प्राधिकरण को इस तरह के विचारार्थ प्राप्त सिफारिश पर इसकी प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर सरकार द्वारा प्रस्तुत विचारों पर पुनः विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें केन्द्र सरकार के पास भेजनी होंगी। भावी सिफारिश, यदि कोई हो, की प्राप्ति के बाद केन्द्र सरकार अन्तिम निर्णय करेगा।

(2) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में समाविष्ट किसी नियम के होते हुए भी, प्राधिकरण समय–समय पर पारित आदेश द्वारा, भारत से बाहर किसी देश को सन्देशों के संचारण की दरों सहित आधिकारिक गजट की उन दरों की अधिसूचना भी प्रदान कर सकता है, जिनके आधार पर इस अधिनिमय के अन्तर्गत भारत में और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण एकसमान दूरसंचार सेवाओं के लिए विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणी हेतु विभिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है तथा उपर्युक्तानुसार विभिन्न दरें कहां निर्धारित की जाती हैं, प्राधिकरण को इसके कारण अभिलेखित करने होंगे।

(3) उप–धारा (1) अथवा उप–धारा (2) के अन्तर्गत अपने कार्यों का निर्वहन करते समय प्राधिकरण को भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता के हित, राज्य की सुरक्षा, विदेशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, जनादेश, शिष्टता अथवा नैतिकता के विरूद्ध काम नहीं करना चाहिए।

(4) अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा अपने कार्यों का निर्वहन करते समय प्राधिकरण को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

3. प्राधिकरण ने उद्योग की वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा करने के अनुसरण में, स्वप्रेरणा से अथवा सरकार द्वारा इसे बताए गए विषयों के अनुसार अनेक सिफारिशें की हैं। अधिनियम के उद्देश्य के संचालनार्थ अनेक विनियमों को अधिसूचित किया हैय अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) निबन्धनों एवं शर्तों को प्रवर्तित करने की कार्रवाई की है तथा कई अन्य मुद्दों पर कार्य का प्रारम्भ किया है। अनेक सिफारिशी एवं विनियामक कार्यों के निर्वहन से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार सेवाओं की वृद्धि में योगदान किया है। साथ ही इसने उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रसारण एवं केबल टीवी सेवाओं का प्रसार भी किया है और देश के दूर–सुदूर विस्तारों तक दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इन निरन्तर उपायों के परिणामस्वरूप उपभोक्ता को सेवाओं की पंसद, दूरसंचार सेवा की न्यूनतम दर–सूची, सेवा इत्यादि की बेहतर गुणवत्ता जैसे सम्पूर्ण लाभ भी प्राप्त हुए हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट अनेक विषयों के सन्दर्भ में ट्राई द्वारा संचालित कुछ निर्दिष्ट कार्य नीचे दिए गए हैं :

## क) भारत से बाहर किसी देश को संचारित किए जानेवाले सन्देशों की दरों सहित भारत के अन्दर तथा भारत से बाहर दोनों की दूरसंचार दरें

3.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 (2), प्राधिकरण को आधिकारिक गजट में उन दरों को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाती है, भारत से बाहर किसी देश को सन्देश संचारण करने की दरों सहित, जिन पर भारत में तथा भारत के बाहर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसमें यह अधिकार भी उपलब्ध है कि प्राधिकरण एक समान दूरसंचार सेवाओं के लिए विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणी को विभिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है। अनेक सेवाओं हेतु लागू दर–सूची शासन प्रणाली विनिर्दिष्ट करने के अलावा, ट्राई से यह भी अपेक्षित है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बाजार में प्रचलित दर–सूचियां उसकी विनिर्दिष्ट दर–सूची शासन प्रणाली के अनुरूप हैं। इस उद्देश्य हेतु प्राधिकरण उन दरों पर नजर रखता है, जिन पर सेवा प्रदाता अनेक दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त पे चैनल्स दरों के निर्धारण हेतु प्रतिमानक विनिर्दिष्ट करने के साथ–साथ केबल सेवा दरों के निर्धारण के कार्य भी ट्राई के सुपुर्द हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र तथा प्रसारण एवं केबल क्षेत्र में ट्राई द्वारा की गई कार्रवाई के विवरणों पर चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है :–

3.1.1 ट्राई टैरिफ ऑर्डर विनियमन के माध्यम से उपभोक्ता हितों की संरक्षा करता है। टैरिफ विनियमन से उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली टैरिफ में स्पष्टता एवं पारदर्शिता बनाए रखने तथा उस बाजार में टैरिफ प्रभारों को निर्धारित करने में मदद मिलती है, जहां उचित दरों पर दूरसंचार सेवाएं प्रदान नहीं की जाती। दूरसंचार क्षेत्र में निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गए थे :–

- **दूरसंचार टैरिफ (पचपनवां संशोधन) आदेश 2013 दिनांक 17 जून, 2013**

  इस आदेश के द्वारा प्राधिकरण ने, अन्य बातों के साथ–साथ, उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं

की खरीद के लिए लचीलापन एवं सुविधा उपलब्ध कराने को रोमिंग टैरिफ हेतु विशेष टैरिफ वाउचर्स तथा कॉम्बो वाउचर्स की अनुमति प्रदान की है, राष्ट्रीय रोमिंग सेवा हेतु सीलिंग टैरिफ में कमी की है तथा वायरलेस एक्सेस सेवा प्रदाताओं को ऐसी विशेष रोमिंग टैरिफ योजनाएं चलाने की आज्ञा दी है, जिनसे उपभोक्तागण स्थायी प्रभारों के भुगतान के बदले में आंशिक रूप से निःशुल्क रोमिंग अथवा पूर्णतः निःशुल्क रोमिंग प्राप्त कर सकें।

- **दूरसंचार टैरिफ (छप्पनवां संशोधन) आदेश 2013 दिनांक 26 नवंबर, 2013**

  इस आदेश द्वारा, प्राधिकरण ने देश में अत्यधिक वित्तीय समावेशन प्राप्ति का रास्ता बनाने के लिए, यूएसएसडी–आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवाओं हेतु 1.50 रुपये प्रति आउटगोइंग यूएसएसडी सत्र की एक सीलिंग टैरिफ निर्धारित किया है।

3.1.2 प्रसारण क्षेत्र में भी, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए प्रसारण दर–सूची विनियमनार्थ डीएएस, डीटीएच हेतु अनेक टैरिफ आदेशों को अधिसूचित किया है।

### ख) (i) नए सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता एवं समय–सारणीय (ii) एक नए सेवा प्रदाता की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के निबन्धन एवं शर्तें तथा (iii) अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के निबन्धनों एवं शर्तों के अननुपालन हेतु अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) का प्रतिसंहरण पर सिफारिशें

3.2 ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 11 (1) (क) के अन्तर्गत प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वह प्रसारण एवं केबल सेवाओं के विषय में स्वप्रेरणा से अथवा लाइसेंसर अर्थात् दूरसंचार विभाग या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुरोध पर सिफारिशें करे। वर्ष 2013–14 के दौरान ट्राई द्वारा सरकार को अग्रसारित की गई सिफारिशें नीचे दी गई हैं :–

- ''स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन तथा आरक्षित मूल्य'' पर सिफारिशें दिनांक 9 सितम्बर, 2013।
- ''पूर्ण मोबाइल नंबर सुवाह्यता'' (पैन–इंडिया संख्या सुवाह्यता) पर सिफारिशें दिनांक 25 सितम्बर 2013।
- ''पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करना : एक निवेश योजना'' पर सिफारिशें दिनांक 26 सितम्बर, 2013।
- ''स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन तथा आरक्षित मूल्य'' दिनांक 9 सितम्बर 2013 पर की गई सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सन्दर्भोत्तर पर ट्राई का प्रत्युत्तर दिनांक 23 अक्टूबर, 2013।
- ''आपातकाल/आपदाओं के दौरान दूरसंचार कार्यक्रम (नेटवर्क) विफलता – प्रत्युत्तर एवं बरामदगी में कार्यव्यस्त व्यक्तियों की कॉल्स का प्राथमिक उपचार'' पर सिफारिशें दिनांक 26 नवम्बर, 2013
- ''स्पेक्ट्रम व्यापार हेतु कार्यकारी दिशानिर्देशों'' पर सिफारिशें दिनांक 28 जनवरी, 2014
- ''800 मे. ह. बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य'' पर सिफारिशें दिनांक 22 फरवरी, 2014
- ''भारत में प्रसारण क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)'' पर सिफारिशें दिनांक 22 अगस्त, 2013
- ''टेलीविजन अंकन अभिकरणों हेतु दिशानिर्देश'' पर सिफारिशें दिनांक 11 सितम्बर, 2013

- ''केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व'' पर सिफारिशें दिनांक 26 नवम्बर, 2013
- ''एफएम रेडियो प्रसारकों का फेज-II से फेज-III में स्थानान्तरण'' पर सिफारिशें दिनांक 20 फरवरी, 2014

इन सिफारिशों के विवरणों पर इस प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के भाग-II में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

## ग) तकनीकी अनुकूलता एवं प्रभावी अंतःसंयोजन

3.3 कार्यक्रमों (नेटवर्क्स) के आरपार बाधारहित दूरसंचार को सुकर बनाने के लिएयह आवश्यक है कि विभिन्न कार्यक्रमों को आपस में जोड़ा जाए। अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) शर्त भी यह निर्धारित करती है कि समस्त एक्सेस प्रदाताओं को एक–दूसरे के साथ तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लम्बी दूरी के प्रचालक कार्यक्रमों (ऑपरेटर्स नेटवर्क) के साथ जुड़ना चाहिए। तद्नुसार प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) अवधि के दौरान ट्राई ने निम्नलिखित अंतःसंयोजन प्रभार निर्धारित किए थे :–

- **लघु सन्देश सेवाएं (एसएमएस) समापन प्रभार विनियम 2013 (2013 का 7) दिनांक 24 मई, 2013**

एसएमएस समापन प्रभार वे प्रभार हैं, जो प्रारम्भिक एक्सेस प्रदाता द्वारा प्रत्येक एसएमएस हेतु आखिरी एक्सेस प्रदाता को भुग्तेय हैं, जो आखिरी एक्सेस प्रदाता के नेटवर्क पर इसके द्वारा समाप्त किए गए हैं। परामर्शन प्रक्रिया तथा आन्तरिक विश्लेषण के आधार पर तथा माननीय टीडीएसएटी के इस प्रेक्षण के अनुरूप कि एसएमएस समापन प्रभार लागत आधार एवं पूरित कार्य सिद्धान्त और बाजार में निश्चितता उत्पन्न करने के क्रम में होने चाहिए, कुछ प्रभुत्वधारी प्रचालकों द्वारा तात्कालिक आवश्यकताएं सृजित की गई हैं तथा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्राधिकरण ने प्रति एसएमएस रु. 0.02 (पैसा 2 मात्र) के अनुसार लागत आधारित एसएमएस समापन प्रभार निर्धारित किया है। विनियम 1 जून, 2013 से प्रभाव में आया।

## घ) दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने से प्राप्त राजस्व संवितरण के लिए सेवा प्रदाताओं के मध्य व्यवस्था विनियमित करना।

3.4 ट्राई ने 14 नवम्बर, 2013 को कॉलिंग कार्ड सेवाओं के लिए राजस्व संवितरण व्यवस्थाओं पर परामर्श पत्र जारी किया था। इस परामर्श पत्र का उद्देश्य इंटेलिजेंट नेटवर्क आधारित कालिंग कार्ड सेवाओं हेतु राजस्व संवितरण व्यवस्था से सम्बन्धित अनेक विषयों पर चर्चा करना है। परामर्श पत्र सुसंगत पृष्ठभूमि सूचना उपलब्ध कराते हैं तथा कॉलिंग कार्ड सेवाओं हेतु एनएलडीओ/आईएलडीओ द्वारा एक्सेस प्रदाताओं को भुगतान किए जाने वाले प्रभारों का निर्धारण करने की आवश्यकता एवं विधि–तन्त्र पर चर्चा करते हैं।

वर्तमान प्रचलित शासन–व्यवस्था में एक उपभोक्ता के पास अपने लिए लम्बी दूरी का दूरसंचार–संवाहक चुनने का विकल्प नहीं है। उपभोक्ता एनएलडी/आईएलडी कॉल्स के लिए अपने एक्सेस प्रदाता पर निर्भर है। तथा यह एक्सेस प्रदाता हैं, जो ऐसे एनएलडीओ/आईएलडीओ का चयन करते हैं, जिनके लिए, उनके मध्य हुए पारस्परिक वाणिज्यिक समझौतों पर आधारित भावी संवाहक के लिए, कॉल सौंपी जाती है। यद्यपि उपभोक्ता अपना एक्सेस प्रदाता चुन सकते हैं, लेकिन इनके पास एनएलडीओ/आईएलडीओ की पसंद उपलब्ध नहीं होती। कॉलिंग कार्ड्स किसी

एनएलडीओ/आईएलडीओ का चयन करने के लिए उपभोक्ता को एक वास्तविक पसंद उपलब्ध कराएंगे, जो एलएलडी/आईएलडी कॉल्स, यथा उपभोक्ता के एक्सेस प्रदाता पर ध्यान दिए बिना, के लिए अधिक प्रतिस्पर्द्धी दर–सूची प्रदान करते हैं।

### ड.) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के मध्य दूरसंचार के स्थानीय एवं लम्बी दूरी के सर्किट्स उपलब्ध कराने के लिए समयावधि

3.5 पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने को एक रूपरेखा उपलब्ध कराने और गैर–पक्षपाती विधि के अन्तर्गत डीएलसी/स्थानीय लीड के प्रावधान की अनुमति देने के लिए ट्राई ने 14 सितम्बर, 2007 को डीएलसी विनियम जारी किए थे। इन विनियमों में किसी भी माध्यम अर्थात् तांबा, फाइबर, वायरलेस इत्यादि पर तथा किसी पारेशण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उपलब्ध कराए गए डीएलसी एवं स्थानीय लीड शामिल हैं। तांबा, फाइबर अथवा वायरलेस की क्षमता रखनेवाले तथा लाइसेंस के अन्तर्गत डीएलसी उपलब्ध कराने के लिए अनुमति प्राप्त कर चुके समस्त सेवा प्रदाताओं के लिए इन विनियमों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि वे इन सुविधाओं को अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करें। प्राप्त किए गए प्रतिवेदनों (रिपोर्ट्स) के विश्लेषण से यह अवलोकन किया गया है कि डीएलसी विनियमों के निर्गमन के बाद से, डीएलसी/स्थानीय लीड्स के प्रावधान को सुव्यवस्थित किया गया है।

### च) अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के निबन्धनों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना

3.6 प्राधिकरण का एक कार्य लाइसेंसर, जैसे दूरसंचार विभाग (डीओटी), द्वारा सेवा प्रदाताओं को निर्गमित लाइसेंसों के निबन्धनों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। निबन्धनों एवं शर्तों के अनुपालन हेतु दिशानिर्देश भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किए गए हैं। कार्रवाई हेतु सिफारिशें भी दूरसंचार विभाग (डीओटी) को भेजी गई हैं। इस सम्बन्ध में वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों का निष्पादन किया गया था :–

- **एमएनपीएसपी को ऐसे मोबाइल नम्बरों को लौटाने का निर्देश दिया गया है, जो उन लाइसेंसधारियों के पास रखे हुए थे, जिनके लाइसेंस रद्द हो चुके थे तथा जो संख्या श्रृंखलाधारक दिनांक 16 मई, 2013 अपना प्रचालन बन्द कर चुके थे**

एमएनपी विनियम यह सुविधा प्रदान करता है कि यदि प्राप्तिकर्ता प्रचालक नेटवर्क के पास मोबाइल नम्बर को रखने के उपरान्त किसी कारणवश मोबाइल नम्बर को काट दिया जाता है, तो प्राप्तिकर्ता प्रचालक ऐसे विच्छेदन के 90 दिनों के उपरान्त, नम्बर रेंज होल्डर (मूल सेवा प्रदाता, जिसे नम्बर सौंपा गया था) को ऐसे मोबाइल नम्बर के एक अनुरोध के साथ ऐसे विच्छेदन के बारे में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को सूचित कर सकेंगे। सेवा प्रदाता, जो निर्णय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अपना प्रचालन बन्द कर चुके हैं, वे नम्बर रेंज होल्डर के मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को सूचित नहीं कर सकते। इसलिए ट्राई ने निर्णय किया है कि उक्त नम्बरों को मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं द्वारा उनके पास उपलब्ध अभिलेख के अनुसार नम्बर रेंज होल्डर को वापस कर देना चाहिए।

## छ) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

3.7 ट्राई ने (i) सेवा प्रदाताओं द्वारा मीटरिंग एवं बिलिंग के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में एकरूपता एवं पारदर्शिता लाने; (ii) बिलिंग के मापदण्ड, विश्वसनीयता की शुद्धता से सम्बन्धित मानक निर्धारित करने; (iii) समय–समय पर सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई बिलिंग की शुद्धता मापने तथा मानदण्डों से उनकी तुलना करने, ताकि निष्पादन के स्तर का निर्धारण हो सके (iv) बिलिंग शिकायतों के भार को कम करना; (v) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हित की संरक्षा करने के क्रम में 25 मार्च, 2013 को सेवा गुणवत्ता (मीटरिंग एवं बिलिंग शुद्धता हेतु कार्य संहिता) विनियम, 2006 की समीक्षा की थी तथा सेवा गुणवत्ता (मीटरिंग एवं बिलिंग शुद्धता हेतु कार्य संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013 जारी किया था। विनियम सेवा प्रदाताओं को आज्ञा देता है कि वे ट्राई द्वारा अधिसूचित किसी भी लेखा–परीक्षक के माध्यम से वार्षिक आधार पर अपनी मीटरिंग एवं बिलिंग प्रणाली के लेखा–परीक्षण की व्यवस्था करें तथा प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक उसका एक लेखा–परीक्षा प्रमाण–पत्र ट्राई के पास प्रस्तुत करें। विनियम यह आज्ञा भी देता है कि सेवा प्रदाताओं को प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण द्वारा दर्शाई गई अपर्याप्तताओं, यदि कोई हों, पर दोषनिवारक कार्रवाई करनी होगी तथा उस पर तैयार कार्रवाई प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अधिकतम 15 नवम्बर तक ट्राई के पास दर्ज करनी होगी। इसके अलावा इन विनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ट्राई लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों (रिपोर्ट्स) एवं कार्रवाई प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलम्ब हेतु रु. 1,00,000/– प्रति सप्ताह की दर पर वित्तीय हतोत्साहन भी लागू कर चुका है तथा गलत अथवा अपूर्ण जानकारी के लिए प्रति कार्रवाई प्रतिवेदन की वित्तीय हतोत्साहन राशि अधिकतम 10,00,000/– रुपये है। लेखा–परीक्षकों द्वारा वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तुत किए गए लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों का ट्राई द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है।

## ज) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतियोगिता सुविधाजनक बनाने तथा कार्यकुशलता का संवर्द्धन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि ऐसी सेवाओं में वृद्धि को सुगम किया जा सके

3.8.1 ट्राई ने हमेशा उन नीतियों को बनाने के सद्प्रयास किए हैं, जो वर्तमान विकास, सरलता एवं व्यावहारिकता के क्रम में समकालीन हैं। उसका प्रतियोगिता, अवसंरचना, राजस्व एवं उपभोक्ता कल्याण पर वांछित प्रभाव है। यह इस तथ्य से अभिज्ञ रहा है कि समुचित व्यवसाय कार्यनीतियों के निरूपण, प्रतियोगिता संवर्द्धन तथा उसके फलस्वरूप उपभोक्ता को नवाचार के लाभ देने के लिए विनियामक निश्चितता आवश्यक है। ट्राई प्रतियोगिता में वृद्धि करने तथा पूरी गम्भीरता से प्रतियोगी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश को आसान करने के कार्य संचालित कर चुका है। सिफारिशों/विनियमों/दर–सूची आदेशों/निर्देशों इत्यादि के रूप में अपनाए गए उपाय उद्योग के विकास में प्रमुख सिद्ध हुए हैं।

3.8.2 दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं के प्रचालन में प्रतियोगिता को सुगम बनाने तथा कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए ट्राई ने वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित विनियम जारी किए हैं :

- दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (ग्यारहवां संशोधन विनियम 2013) दिनांक 24 मई, 2013

- दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (बारहवां संशोधन विनियम 2013) दिनांक 24 मई, 2013
- दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (द्वितीय संशोधन विनियम 2013) दिनांक 10 जुलाई, 2013
- दूरसंचार मोबाइल नम्बर सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 22 जुलाई, 2013
- दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (तेरहवां संशोधन विनियम 2013) दिनांक 22 अगस्त, 2013
- दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (द्वितीय संशोधन विनियम 2013) दिनांक 11 सितम्बर, 2013
- दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल सम्बोधनीय केबल टेलीविजन प्रणालियां) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 दिनांक 20 सितम्बर, 2013
- मोबाइल बैंकिंग (सेवा गुणवत्ता) (संशोधन विनियम 2013) दिनांक 26 नवम्बर, 2013
- दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (सातवां संशोधन विनियम 2013) दिनांक 3 दिसम्बर 2013
- दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (चौदहवां संशोधन विनियम 2013) दिनांक 3 दिसम्बर, 2013
- दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल सम्बोधनीय केबल टेलीविजन प्रणालियां) (तृतीय संशोधन) विनियम 2013 दिनांक 10 फरवरी, 2014
- अंतःसंयोजन समझौता पंजिका (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) (पांचवा संशोधन) विनियम 2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014
- दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (सातवां संशोधन) विनियम 2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014

इन विनियमों के विवरणों का इस प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के भाग-II में विवेचन किया जा चुका है।

## झ) विनियमों द्वारा यथानिर्धारित ऐसी दरों तथा ऐसी सेवाओं के सन्दर्भ में शुल्कों एवं अन्य प्रभारों की उगाही

3.9 भा.दू.वि.प्रा. दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं के लिए टैरिफ नीतियों का निर्णय करने को अधिदेशित है। ट्राई टैरिफ विनियम के माध्यम से उपभोक्ता के हितों की निगरानी करता है। टैरिफ विनियम उपभोक्ताओं को प्रदान किए जानेवाले टैरिफ ऑफर्स में स्पष्टता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा ऐसे बाजार में टैरिफ प्रभारों का निर्धारण करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, जहां सही दरें लागू नहीं होतीं। इस दिशा में निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गए थे :–

- दूरसंचार टैरिफ (पचपनवां संशोधन) आदेश 2013 दिनांक 17 जून, 2013
- दूरसंचार टैरिफ (छप्पनवां संशोधन) आदेश 2013 दिनांक 26 नवम्बर, 2013
- दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (पांचवा) (डिजिटल सम्बोधनीय केबल टीवी प्रणालियां) टैरिफ आदेश 2013 दिनांक 27 मई, 2013
- दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (छटवां) (डायरेक्ट टु होम सेवाएं) टैरिफ आदेश 2013 दिनांक 27 मई, 2013
- दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (एक्सेसिबल प्रणालियां) टैरिफ (द्वितीय संशोधन) आदेश 2013 दिनांक 20 सितम्बर, 2013

- दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (दसवां संशोधन) आदेश 2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014
- दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (एक्सेसिबल प्रणालियां) टैरिफ (द्वितीय संशोधन) आदेश 2013 दिनांक 10 फरवरी, 2014
- दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (ग्यारहवां संशोधन) आदेश 2014 दिनांक 31 मार्च, 2014

इन टैरिफ आदेशों के विवरणों का इस प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के भाग II में पहले ही विवेचन किया जा चुका है।

### ञ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

3.10 प्राधिकरण ने ग्रामीण वायरलाइन संयोजनों हेतु सहायता पर अपनी सिफारिशें दिनांक 14 मई 2012 में मै. बीएसएनएल के लिए उस सहायता की सिफारिश की है, जो 1 अप्रैल 2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायर–लाइन संयोजनों की पुष्टि हेतु दो वर्षों तक निरन्तर मिल सकती है। सहायता राशि प्रथम वर्ष के लिए 1500 करोड़ रुपये तथा द्वितीय वर्ष के लिए 1250 करोड़ रुपये हो सकती है।

### ट) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास से सम्बन्धित मामले तथा दूरसंचार उद्योग से सम्बन्धित किसी अन्य सामान्य मामले में केन्द्र सरकार को दी गई सलाह के विवरण

3.11 दूरसंचार एवं प्रसारण केबल क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित मामलों में ट्राई द्वारा केन्द्र सरकार को दी गई सलाह के विवरण नीचे दिए गए हैं :–

- ''भारत में प्रसारण क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)'' पर सिफारिशें दिनांक 22 अगस्त, 2013
- ''स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन एवं आरक्षित मूल्य'' पर सिफारिशें दिनांक 9 सितम्बर, 2013
- ''टेलीविजन कोटिनिर्धारण अभिकरणों हेतु दिशानिर्देश'' पर सिफारिशें दिनांक 11 सितम्बर, 2013
- ''पूर्ण मोबाइल नम्बर सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)'' (पैन–इंडिया नम्बर सुवाह्यता) पर सिफारिशें दिनांक 25 सितम्बर, 2013
- ''पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सेवाओं का सुधार करना : एक निवेश योजना'' पर सिफारिशें दिनांक 26 सितम्बर, 2013
- ''स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन एवं आरक्षित मूल्य'' दिनांक 9 सितम्बर, 2013 पर की गई सिफारिशें पर दूरसंचार विभाग के सन्दर्भोत्तर पर ट्राई का प्रत्युत्तर दिनांक 23 अक्टूबर, 2013
- केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व पर सिफारिशें दिनांक 26 नवम्बर, 2013
- आपातकाल/आपदाओं के दौरान दूरसंचार कार्यक्रम विफलता – प्रत्युत्तर एवं बरामदगी में कार्यव्यस्त व्यक्तियों की काल्स का प्राथमिक उपचार'' पर सिफारिशें दिनांक 26 नवम्बर, 2013
- ''स्पेक्ट्रम व्यापार हेतु कार्यकारी दिशानिर्देश'' पर सिफारिशें दिनांक 28 जनवरी, 2014
- ''एफएम रेडियो प्रसारकों के फेज-II से फेज-III में स्थानान्तरण'' पर सिफारिशें दिनांक 20 फरवरी, 2014
- ''800 मे.ह. बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य'' पर सिफारिशें दिनांक 22 फरवरी, 2014

इन सिफारिशों के विवरण प्रतिवेदन के भाग-II में दिए गए हैं।

## ठ) सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करना तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जानेवाली ऐसी सेवाओं के संवर्द्धनात्मक सर्वेक्षण के विवरण।

3.12.1 **बुनियादी एवं सेल्युलर मोबाइल सेवाएं** – भा.दू.वि.प्रा. उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप सेवा प्रदाताओं से प्राप्त निष्पादन निगरानी प्रतिवेदन (पीएमआर) के माध्यम से भा.दू.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित मानकों के समक्ष बुनियादी एवं सेल्युलर मोबाइल सेवा के निष्पादन की निगरानी करता है। सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करने के क्रम में भा.दू.वि.प्रा. ने नेटवर्क सेवा गुणवत्ता प्राचलों एवं उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता प्राचलों हेतु निर्धारित मानक का पालन नहीं करने के लिए बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रचालकों पर बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) सेवा गुणवत्ता मानकों तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 8 नवम्बर 2012 के माध्यम से वित्तीय हतोत्साहन निर्धारित किया है। ये विनियम गलत प्रतिवेदन करने तथा सेवा गुणवत्ता मानकों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के समक्ष वित्तीय हतोत्साहनों का प्रतिनिवारण भी करते हैं।

3.12.2 **ब्रॉडबैंड सेवा** – ट्राई ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा गुणवत्ता पर सृजित विनियम दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 द्वारा त्रैमासिक निष्पादन निगरानी प्रतिवेदनों (पीएमआर) के माध्यम से ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता मानकों के समक्ष सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की निगरानी करता है। ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा त्रैमासिक रूप से जमा किए गए प्रतिवेदनों का क्यूओएस मानक के सन्दर्भ में उनके निष्पादन का निर्धारण करने के लिए विश्लेषण किया जाता है। मानकों की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ करने को, ट्राई ने सेवा प्राचल गुणवत्ता मानक का पालन नहीं करने के लिए ब्रॉडबैंड सेवा प्रचालकों पर वित्तीय हतोत्साहनों हेतु 24 दिसम्बर, 2012 को ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा गुणवत्ता (संशोधन) विनियम, 2012 जारी किया था।

3.12.3 **नेटवर्क/अंतःसंयोजन बिन्दु प्रतिवेदन** – ट्राई अनेक सेवा प्रदाताओं के मध्य पीओआई पर संकुचन के स्तर की मासिक आधार पर निगरानी कर रहा है। यह प्रचालन सुगमता को प्रकट करता है, जिसके द्वारा किसी नेटवर्क का कोई उपभोक्ता दूसरे नेटवर्क के उपभोक्ता के साथ बात करने में सक्षम है। यह प्रचालन को भी प्रतिबिम्बित करता है कि दो नेटवर्क्स के मध्य अंतःसंयोजन कितना प्रभावी है। ट्राई द्वारा इस प्राचल हेतु क्यूओएस विनियमों में अधिसूचित मानक <0.5% है। ट्राई बुनियादी एवं सेल्युलर मोबाइल सेवाओं की सेवा गुणवत्ता मानकों के सम्बन्ध में, उनके निष्पादन का निर्धारण करने के लिए, मासिक पीओआई संकुचन प्रतिवेदन प्राप्त करता है।

## भाग-IV

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य–निष्पादन

# क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले

4. इस भाग में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामलों पर और विशेष रूप से संगठन, वित्त–पोषण, मानव संसाधन, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण और संगोष्ठी के क्षेत्र शामिल हैं, और कुछ सामान्य मामलों से संबंधित सूचना निम्नांकित पैराग्राफों में दी गई है।

## (क) संगठन

4.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) उपर्युक्त नाम द्वारा निगमित एक निकाय है, जिसके पास उत्तरोत्तर उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा है, और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन चल एवं अचल, दोनों ही प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारण करने व निपटान करने तथा उसका अनुबंध करने की शक्ति प्राप्त है तथा वह उक्त नाम से वाद कर सकेगा अथवा उस पर वाद किया जा सकेगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 28 मार्च, 1997 को अधिनियमित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत की गई थी।

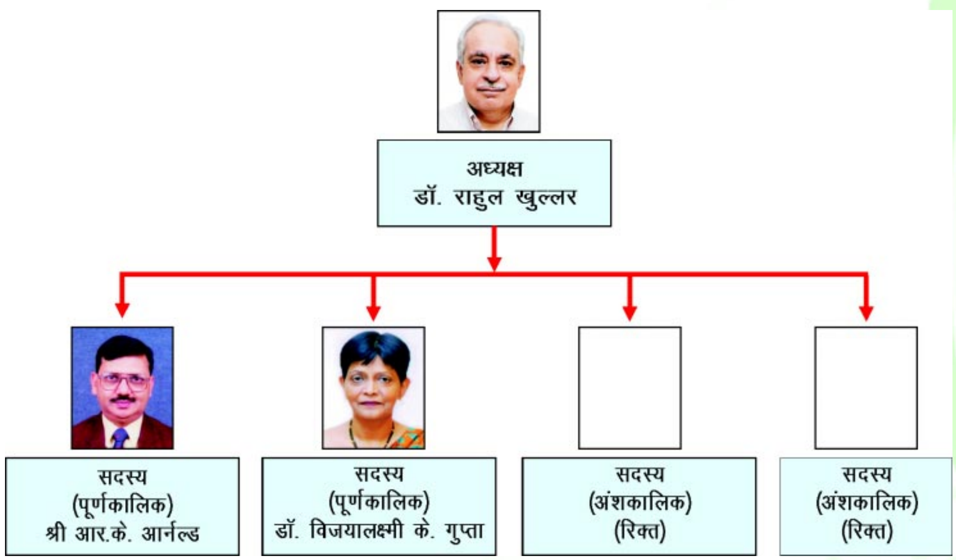

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य तथा अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण का गठन पिछले पृष्ठ पर दिया गया है।

## (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का सचिवालय (मुख्यालय)

4.2 प्राधिकरण का सचिवालय, सचिव की अध्यक्षता में कार्य करता है और उसकी सहायता के लिए सात प्रभाग प्रमुख होते हैं, जो निम्नलिखित है :–

**(i) सामान्य प्रशासन (ए); (ii) प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एवं सीएस); (iii) उपभोक्ता हित और सेवा की गुणवत्ता (सीए एवं क्यूओएस); (iv) वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एवं ईए) (v) विधि; (vi) नेटवर्क्स, स्पेक्ट्रम तथा लाइसेन्स कार्य (एनएसएल); (vii) प्रौद्योगिकीय विकास (टीडी)।**

## सामान्य प्रशासन

4.2.1 सामान्य प्रशासन प्रभाग, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में मानव संसाधन विकास की योजना और नियंत्रण के साथ–साथ, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी समस्त विनियमों/निदेशों/आदेशों के प्रवर्त्तन सहित समस्त प्रशासनिक व कार्मिक प्रकार्यों के लिए उत्तरदायी है। सामान्य प्रशासन प्रभाग पर, प्रशासन एवं कार्मिक अनुभाग, सामान्य प्रशासन अनुभाग, संचार अनुभाग, अंतरराष्ट्रीय संबंध अनुभाग, आरई एवं आरओ अनुभाग, ओएल अनुभाग, एमआर अनुभाग तथा आरटीआई अनुभाग के प्रबंधन व इसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व है। विनियमन प्रवर्त्तन के मोर्चे पर, यह प्रासंगिक विनियम के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तथापि, सामान्य प्रशासन प्रभाग सभी प्रभागों के संबंध में सूचना की समन्वित उपलब्धता सुनिश्चित करता है तथा प्राधिकरण के उपयोग हेतु सूचना मिश्रित करता है। प्रभाग इसके आईआर अनुभाग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन भी करता है, जिसमें समस्त अंतरराष्ट्रीय संगठनों/निकायों जैसेकि आईटीयू, एपीटी, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ, एडीबी, एसएटीआरसी, ओईसीडी तथा अन्य देशों में विनियामक निकाय सम्मिलित हैं।

## प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एण्ड सीएस) प्रभाग

4.2.2 प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एण्ड सीएस) प्रभाग पर प्राधिकरण को प्रसारण, केबल टीवी तथा एफएम रेडियो सेक्टरों के लिए अंतरसंयोजन, सेवा की गुणवत्ता तथा टैरिफ पहलुओं के संबंध में समग्र विनियामक ढांचा निर्धारित करने हेतु सलाह देने का दायित्व है, ताकि सेवा प्रदाताओं के बीच कारगर अंतरसंबंध, सेवा की निर्धारित गुणवत्ता तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ मानदंडों और सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेन्स शर्तों के अनुपालन का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। बी एण्ड सीएस प्रभाग प्रसारण, केबल टीवी तथा एफएम रेडियो सेक्टरों के आधुनिकीकरण/अंकीयकरण से संबंधित मुद्दों की जांच ओर उसके संबंध में सुझाव देने अथवा आवश्यक विनियामक ढांचा निर्धारित करने हेतु भी उत्तरदायी है। प्रभाग को उपभोक्ताओं सहित सभी पणधारकों के हित संरक्षण के लिए निर्धारित विनियमों, उपायों में दी गई व्यवस्था के अनुसार शिकायतों का अनुवीक्षण तथा अनुवर्तन और प्रसारण, केबल टीवी तथा एफएम रेडियो सेक्टरों में नई सेवाएं

प्रारंभ करने के संबंध में सुझाव देने का दायित्व भी सौंपा गया है।

## उपभोक्ता मामले और सेवा की गुणवत्ता (सीए एवं क्यूओएस) प्रभाग

4.2.3 सीए एवं क्यूओएस प्रभाग दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ता समर्थन के विकास तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु किए गए विभिन्न उपायों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच सामान्य जागरूकता पैदा करने हेतु उत्तरदायी है। यह प्रभाग देश भर के उपभोक्ता संगठनों तथा गैर–सरकारी संगठनों का ट्राई में पंजीकरण सुकर बनाता है तथा उनके साथ उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अन्योन्य क्रिया करता है। उपभोक्ता हित संरक्षण के लिए प्रभाग की अन्य गतिविधियों में देश के सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता शिक्षा कार्यशालाओं का आयोजन, ट्राई में पंजीकृत उपभोक्त संगठनों को जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर उपभोक्ता शिक्षा कार्यशालाओं के आयोजन में सहायता तथा परंपरागत उपभोक्ता शिकायतों का संचालन शामिल हैं।

यह प्रभाग, सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानदंड निर्धारित करने; सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हित संरक्षण के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के आवधिक सर्वेक्षण संचालन हेतु उत्तरदायी है। अंतरसंयोजित अनुबंधों तथा विनियम में प्रावधानित ऐसे अन्य सभी मामलों की पंजिका अनुरक्षित करना भी इस प्रभाग का दायित्व है।

## वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एवं ईए) प्रभाग

4.2.4 एफ एवं ईए प्रभाग दूरसंचार सेवाओं की लागत निर्धारण विधियों एवं लागत निर्धारण, लेखा पृथक्करण तथा सेवा प्रदाताओं के वित्तीय विवरण के विश्लेषण से संबंधित सभी पहलुओं पर सलाह प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। प्रभाग समय समय पर दूरसंचार सेवाओं के लिए उपयुक्त टैरिफ नीति तैयार करने; भारत में टैरिफ विनियमन के अधीन आने वाली विभिन्न दूरसंचार सेवाओं, जिनमें घरेलू पट्टाकृत सर्किट, अंतरराष्ट्रीय निजी पट्टाकृत सर्किट और सेलुलर मोबाइल सेवाओं में राष्ट्रीय रोमिंग सम्मिलित हैं, के लिए टैरिफ निर्धारण के विषय में प्राधिकरण को सलाह देता है। प्रभाग प्राधिकरण को लागत आधारित अंतरसंयोजन प्रभार निर्धारण तथा भारत में दूरसंचार सेवा बाजार के विभिन्न खंडों में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के उपायों के मामलों पर भी सलाह देता है। यह प्रभाग "भारतीय दूरसंचार कार्य–निष्पादन संकेतक रिपोर्ट" का संकलन और त्रयमासिक आधार पर प्रकाशन भी करता है।

सलाहकार (एफ एवं ईए) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का आंतरिक वित्तीय सलाहकार भी है तथा प्राधिकरण को सभी वित्तीय मामलों, आय एवं व्यय लेखा, वित्तीय लेखापरीक्षा तथा वित्तीय लेन–देन की संवीक्षा के विषय में सलाह प्रदान करता है।

## नेटवर्क्स, स्पेक्ट्रम और लाइसेन्स मामले (एनएसएल) प्रभाग

4.2.5 एनएसएल प्रभाग अंतरसंयोजन के निबंधन एव शर्तों के निर्धारण, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच कारगर अंतरसंयोजन सुनिश्चित करने, अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) निर्धारण और उनकी नियमित समीक्षा, केबल लैंडिंग स्टेशनों से संबंधित ऑप्टिकल एक्सेस मुद्दों तथा एक्सेस प्रभारों सहित अंतरसंयोजन मुद्दों के संचालन हेतु उत्तरदायी है। यह प्रभाग प्राथमिक, राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एनएलडी) तथा

अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) लाइसेंसों की लाइसेंस शर्तों और प्रभाग द्वारा जारी विनियमों/निर्देशों/आदेशों के अनुपालन के अनुवीक्षण हेतु भी उत्तरदायी है।

प्रभाग स्पेक्ट्रम के प्रबंधन से जुड़े मुद्दों हेतु उत्तरदायी है, जिनमें, अन्य के साथ, इनके अभीष्ट उपयोग तथा इनकी पुनरसंरचना भी सम्मिलित है। यह नई बेतार प्रौद्योगिकियां लागू करने तथा संबंधित विनियामक मुद्दों का निपटान भी करता है। प्रभाग मोबाइल आपरेटरों को जारी किए गए विभिन्न लाइसेन्सों के निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन; मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सहित बेतार सेवाओं के विभिन्न मुद्दों/पहलुओं से संबंधित सुझावों; दूरसंचार सेवाओं के लिए उपलब्ध स्पेक्ट्रम के सर्वसामान्य सेवा दायित्वों तथा कुशल प्रबंधन से संबंधित मामलों का अनुपालन; मोबाइल सेवाओं से संबंधित त्रयमासिक पीएमआर तैयार करने तथा आईटीयू/एपीटी अध्ययन समूह गतिविधियों हेतु सहायता से जुड़े मुद्दों को भी निपटाता है।

### विधि प्रभाग

4.2.6 विधि प्रभाग प्राधिकरण को सभी विधिक और विनियामक मुद्दों पर सलाह देने हेतु उत्तरदायी है। यह प्रभाग उन सभी वाद मामलों की व्यवस्था करता है, जिनमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक पक्ष है।

### प्रौद्योगिकी विकास (टीडी) प्रभाग

4.2.7 दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास का एक कालावधि में विनियामक पद्धतियों के विकास के ढंग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नए प्रकार के नेटवर्क्स तथा प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए एक सहायक विनियामक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, एक कालावधि में निश्चितता प्रदान करती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण प्रौद्योगिकी चलन, उनके उपयोग तथा विकास को समझने तथा चिन्हित करने के उद्देश्य के साथ दूरसंचार में तकनीकी अनुसंधान हेतु क्षमता निर्माण का प्रयास करता है ताकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण संचार बाजार के नियंत्रण में सेवा–प्रदाताओं, उपभोक्ताओं और नागरिकों की कठिनाइयों की समझ के साथ विवेकपूर्ण निर्णय कर सके। प्रभाग अगली पीढ़ी के नेटवर्क्स दूरसंचार क्षेत्र हेतु विनिर्माण, पर्यावरण, अवसंरचना प्रबंधन, वैद्युत–चुम्बकीय विकिरण तथा सार्वजनिक सुरक्षा और विभिन्न रूपों में अभिसरण से जुड़े मुद्दों का संचालन करता है। नियंत्रण के संबंध में नए विकास तथा उन क्षेत्रों की जटिलताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण होंगी, जहां नए अथवा भिन्न विनियामक अथवा गैर–विनियामक प्रत्युत्तर अपेक्षित हैं। प्रभाग को आईटी संसाधनों के प्रबंधन का कार्य दायित्व भी सौंपा गया है, जिसमें स्थानीय और सुदूरवर्ती सर्वर तथा टेक्नोलॉजी डाइजेस्ट का प्रकाशन सम्मिलित है, जिसके प्रत्येक अंक में एक प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

## (ग) मानव संसाधन

4.3.1 **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का कर्मचारी संख्या बल (31.03.2014 को)**– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सचिवालय (मुख्यालय) में 183 कर्मचारी (31.03.2014 को) कार्य संचालन कर रहे हैं, जो इसके कार्यों के निर्वहन में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करते हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है, परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (मुख्यालय) में दिनांक 31.03.2014 को कार्यरत कर्मचारियों का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है :–

| क्र.सं. | पद | स्वीकृत | वास्तविक |
|---|---|---|---|
| 1. | सचिव | 01 | 01 |
| 2. | प्रधान सलाहकार/सलाहकार | 14 | 12 |
| 3. | संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार | 35 | 23 |
| 4. | वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव | 03 | 03 |
| 5. | वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी | 37 | 27 |
| 6. | पीपीएस | 02 | 02 |
| 7. | तकनीकी अधिकारी | 12 | 06 |
| 8. | अनुभाग अधिकारी | 19 | 16 |
| 9. | पीएस | 14 | 09 |
| 10. | लाइब्रेरियन | 1 | — |
| 11. | सहायक | 48 | 43 |
| 12. | पीए | 18 | 14 |
| 13. | स्टेनो "घ" | 01 | — |
| 14. | कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक | 01 | — |
| 15. | एलडीसी | 07 | 06 |
| 16. | चालक | 15 | 13 |
| 17. | पीसीएम आपरेटर | 02 | 02 |
| 18. | डिस्पैच राइडर | 01 | 01 |
| 19. | अनुचर | 08 | 05 |
| | **योग** | **239** | **183** |

## दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (मुख्यालय) में सचिव, प्रधान सलाहकार/सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम/धारित पद |
|---|---|
| 1. | श्री सुधीर गुप्ता<br>सचिव |
| 2. | श्री एन. परमेश्वरन<br>प्रधान सलाहकार<br>(बी एवं सीएस) |

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम/धारित पद |
|---|---|
| 3. | श्री सुरेश कुमार गुप्ता<br>प्रधान सलाहकार<br>(सीए एवं क्यूओएस) (टीडी) |
| 4. | रिक्त<br>प्रधान सलाहकार<br>(एफ एवं ईए) |

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम/धारित पद |
| --- | --- |
| 5. | रिक्त<br>प्रधान सलाहकार (एनएसएल) |
| 6. | श्री सी.पी.एस. बक्शी<br>सलाहकार (प्रशासन) |
| 7. | श्री वसी अहमद<br>सलाहकार (बी एवं सीएस)-I |
| 8. | श्री सुनील कुमार सिंघल<br>सलाहकार (बी एवं सीएस)-II |
| 9. | श्री अग्नेश्वर सेन<br>सलाहकार (बी एवं सीएस) |
| 10. | श्री अरविंद कुमार<br>सलाहकार (एनएसएल)-I |
| 11. | श्री संजीव बंझल<br>सलाहकार (एनएसएल)-II |
| 12. | श्री अमित मोहन गोविल<br>सलाहकार (विधि) |
| 13. | श्री ए रॉबर्ट जेरार्ड रवि<br>सलाहकार<br>(सीए एवं क्यूओएस) |
| 14. | श्री मनीष सिन्हा<br>सलाहकार (एफ एवं ईए) |
| 15. | श्री मारूति प्रसाद तंगिराला<br>सलाहकार (एफ एवं ईए) 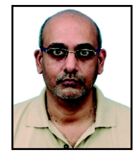 |

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण प्रारंभ में सरकारी मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सांविधिक और स्वायत्त निकायों से प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं। दूरसंचार, आर्थिक कार्य, वित्त, प्रशासन इत्यादि में प्रासंगिक अनुभवी ये प्रतिनियुक्त प्रारंभ में दो वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किए जाते हैं और तदुपरांत, यदि अपेक्षित होता है, संबंधित सरकारी विभागों/संगठनों को उनकी प्रतिनियुक्ति आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध भेजा जाता है। विद्यमान प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति में विस्तार करवा पाना बहुधा अत्यधिक कठिन सिद्ध होता है। यद्यपि, प्राधिकरण के कार्यों का दायरा, स्तर और जटिलताएं निरंतर बढ़ रही हैं, प्राधिकरण को प्रशिक्षित और अनुभवी कार्मिक, उनके मूल विभागों को वापस भेजे जाने के कारण, खोने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतएव, प्राधिकरण ने विशिष्ट महारत और कौशलधारक अधिकारियों और स्टाफ का एक वर्ग, उनको भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में स्थायी रूप से समाहित करने के विकल्प के साथ तैयार किया है।

**4.3.2 भर्ती** – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए पदाधिकारियों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में समाहित कर अधिकारियों तथा स्टाफ का अपना स्वयं का संगठन तैयार कर लिया है। तथापि, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकांश व्यक्ति, विशेषकर वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारी स्थायी समावेशन का विकल्प नहीं अपनाते हैं। इसलिए, इसके सचिवालय के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/पीएसयूज से प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों की भर्ती अभी तक जारी है। इसके दो कारण हैं। पहला, विद्यमान पारिश्रमिक पैकेज, प्राधिकरण द्वारा आवृत्त क्षेत्रों में विशेषज्ञता और कौशलधारी स्वतंत्र प्रतिभा को आकर्षित नहीं करता है। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों के मध्य, संबद्ध कौशल प्रमुख रूप से मंत्रालयों में अथवा सरकार के स्वामित्वाधीन दूरसंचार आपरेटरों के पास उपलब्ध है। तथापि, प्राधिकरण सेवा के अनाकर्षक निबंधन एवं शर्तों के कारण विशेषज्ञताधारी जनशक्ति भर्ती करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है।

**4.3.3 प्रशिक्षण** – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण इसके स्टाफ के लिए दूरसंचार और प्रसारण के क्षेत्र में विशेषकर टैरिफ तथा सेवा मानदंडों, सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं से संबंधित अन्य मामलों पर सर्वेक्षण संचालन से संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने हेतु मानव संसाधन पहलों को सर्वाधित महत्व प्रदान करता है। यह पहल, इसके अधिकारियों तथा स्टाफ के लिए और विशेष रूप से प्राधिकरण के लिए परामर्शी प्रक्रिया में, परामर्श प्रलेख तैयार करने तथा प्राप्त सुझावों एवं प्रत्युत्तरों का विश्लेषण करने दोनों माध्यम से और खुला मंच चर्चा के दौरान भी, कारगर ढंग से भाग लेने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। इससे दूरसंचार सेक्टर के नियंत्रण में उठने वाले विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए नीति संरचना विकसित करने में भी सहायता मिली है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के चयन और विरचना में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण बृहद स्तर नीति के लिए तथा नीतियों के कार्यान्वयन और अनुवीक्षण के लिए प्रासंगिक तकनीकी–आर्थिक परिचालन विववरण के संचालन हेतु विविध कौशल प्रदान करने का प्रयास करता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष कार्यक्रमों की पहचान अथवा विरचना और संचालन की आवश्यकता है। प्राधिकरण अपने अधिकारियों को, संगठन के भीतर उनकी विशेषज्ञता और आगे विकसित करने के लिए "संस्थानिक क्षमता निर्माण परियोजना" के अधीन अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित करता है। इस वर्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कुछ अधिकारी विभिन्न संस्थाओं तथा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु भेजे गए थे। अधिकारियों को इन प्रशिक्षणों के माध्यम से बहुमूल्य जानकारियां प्राप्त हुई हैं तथा इन जानकारियों से उनके विनियामक कार्य के संबंधित क्षेत्र में उनका कौशल समृद्ध हुआ है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में अंतः गृह प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं की एक उपयुक्त प्रणाली भी मौजूद है, जिसके अंतर्गत प्रख्यात राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को इसके अधिकारियो के साथ दूरसंचार क्षेत्र में नवीनतम विकास के संबंध में अन्योन्यक्रिया के लिए आमंत्रित किया जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ये कदम इसके अधिकारियों तथा स्टाफ की क्षमता निर्माण हेतु उठाए गए हैं।

## (घ) सेमिनार/कार्यशालाएं

4.4 सम्पूर्ण विश्व में हो रहे विकास की गति के साथ चलने के क्रम में, प्राधिकरण ने अपने स्टाफ के सदस्यों को 22 अंतरराष्ट्रीय आयोजनों,

बैठकों तथा परिसंवाद में भेजा, जिससे न केवल इसकी अपनी नीति बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव/जानकारी प्राप्त करने तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास की बराबरी बनाए रखने अपितु भारत और अन्य देशों में प्रमुख विनियामक चिन्ताओं के मुद्दे पर फोकस किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देने और भारत को उभरती वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाने में भी सहायता मिली है।

## (ङ) कार्यालय परिसर

4.5 भारत सरकार की नीति के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सरकारी पूल से कार्यालय परिसर प्राप्त करने हेतु एक पात्र कार्यालय है। परंतु, वर्ष 1997 में इसकी स्थापना के समय से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण किराए के परिसर में कार्य कर रहा है। विगत समय में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने संचार एवं आईटी मंत्रालय के माध्यम से अपना स्वयं का कार्यालय परिसर प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयास किए, किन्तु सभी प्रयास निष्फल रहे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को दूरसंचार सेक्टर तथा प्रसारण और केबल सेवाओं के नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त विनियामक निकाय के रूप में अपना स्वायत्त चरित्र अक्षत रखने के लिए अपने स्वयं के कार्यालय परिसर की आवश्यकता है। वर्तमान में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का कार्यालय एमटीएनएल के स्वामित्वाधीन भवन में किराया आधार पर अवस्थित है।

## (च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के स्टाफ के लिए आवासीय क्वार्टर्स

4.6 भारत सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर भर्ती होने वाले कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा विशेष लाइसेन्स शुल्क के भुगतान पर सामान्य पूल आवास प्रतिधारित करने तथा प्राधिकरण को कर्मचारियों से सामान्य लाइसेन्स शुल्क वसूल करने की अनुमति है। प्रतिधारण की अनुज्ञेय अवधि कर्मचारी के सेवावार्धिक्य तथा अथवा प्राधिकरण में उनके कार्यकाल जारी रहने तक, जो भी पूर्वतर है, होगी। सामान्य पूल आवासीय आवास के आबंटन हेतु पात्रता दिल्ली में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सचिवालय में नियुक्त अधिकारियों तक सीमित होगी, जो प्राधिकरण में उनकी भर्ती से पहले प्राधिकरण द्वारा सम्पदा निदेशालय को विशेष लाइसेन्स शुल्क के भुगतान पर सामान्य पूल से आवास के आबंटन हेतु पात्र थे। पूर्ववर्ती स्थिति के चलते, सम्पदा निदेशालय अधिकारियों अथवा स्टाफ को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में समाहित किए जाने के बाद उनको न तो सामान्य पूल आवास से आबंटन कर रहा है और न ही पहले से आबंटित आवास प्रतिधारण की अनुमति दे रहा है।

## (छ) निधीयन

4.7 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक स्वायत्त निकाय है तथा पूर्णतया भारत की समेकित निधि से प्राप्त अनुदान द्वारा निधीकृत है। प्राधिकरण का वर्ष 2013–14 हेतु कुल व्यय 55.05 करोड़ रुपये था; इसमें 10.40 करोड़ रुपये की राशि "संस्थानिक क्षमता निर्माण परियोजना" के अधीन कुछ परामर्श तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय की गई थी।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मत है कि एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में कारगर ढंग से निष्पादन के क्रम में, इसका निधीयन उनसे, जिन्हें यह नियंत्रित करता है, प्रशासनिक लागत के रूप में वसूल किए गए लाइसेन्स शुल्क के एक गौण अंश से किया जाना चाहिए तथा इसको अपने कर्मचारियों के निबंधन एवं शर्तों के निर्धारण में नम्यता का

अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि यह वरिष्ठ तथा अन्य स्तरों पर भी गैर–सरकारी स्रोतों से प्रतिभाओं/प्रोफेशनल्स की भर्ती कर सके। यह उल्लेखनीय है कि कुछ अन्य राष्ट्रीय विनियामक निकाय जैसेकि आईआरडीए तथा एसईबीआई का निधीयन उनके नियंत्रणाधीन सेक्टर से वसूल किए गए शुल्क से किया जाता है और अतएव ये प्राधिकरण इन निधियों को अपने कार्यों की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकने हेतु समर्थ हैं।

## (ज) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय

4.8 प्राधिकरण द्वारा देश में विभिन्न अवस्थितियों में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय कार्यालय खोलने हेतु मंजूरी प्रदान की गई थी। परंतु वर्ष 2013–14 के दौरान केवल 09 (नौ) क्षेत्रीय कार्यालय कार्यशील बनाए गए हैं। लाइसेंसशुदा क्षेत्रीय कार्यालय की अवस्थितियां – आवृत्त सेवा क्षेत्र निम्नानुसार हैं :–

| क्र.सं. | क्षेत्रीय कार्यालय की अवस्थिति | लाइसेन्स – आवृत्त सेवा क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | कोलकाता | (i) पश्चिम बंगाल<br>(ii) कोलकाता<br>(iii) उड़ीसा |
| 2 | पटना | (i) बिहार |
| 3 | लखनऊ | (i) उत्तर प्रदेश (पूरब)<br>(ii) उत्तर प्रदेश (पश्चिम) |
| 4 | चंडीगढ़ | (i) हिमाचल प्रदेश<br>(ii) पंजाब<br>(iii) जम्मू एवं कश्मीर |
| 5 | हैदराबाद | (i) आंध्र प्रदेश<br>(ii) तमिलनाडु |
| 6 | भोपाल | (i) मध्य प्रदेश |
| 7 | बेंगलुरू | (i) कर्नाटक<br>(ii) केरल |
| 8 | मुंबई | (i) महाराष्ट्र<br>(ii) मुंबई<br>(iii) गुजरात |
| 9 | गुवाहाटी | (i) असम<br>(ii) पूर्वोत्तर |
| 10 | जयपुर | (i) राजस्थान<br>(ii) हरियाणा |
| 11 | दिल्ली | (i) दिल्ली |

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टाफ की संख्या (31.03.2014 को)** – 31.03.2014 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय (कार्यालय) का संख्या निम्नानुसार थी :–

| क्र.सं. | पद | स्वीकृत | वास्तविक |
|---|---|---|---|
| 1 | सलाहकार | 11 | 9 |
| 2 | संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार | 22 | 0 |
| 3 | वरि. अनुसंधान अधिकारी | 22 | 11 |
| 4 | सहायक | 11 | 6 |
| | **योग** | **66** | **26** |

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कार्यालयों में सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण (31.03.2014 को)**

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम/पद | |
|---|---|---|
| 1 | रूपा पाल चौधरी<br>सलाहकार<br>कोलकाता | |
| 2 | अरूण कुमार<br>सलाहकार<br>पटना | |
| 3 | रिक्त<br>सलाहकार<br>लखनऊ | |
| 4 | अमरीश कुमार मिढा<br>सलाहकार<br>चंडीगढ़ | |
| 5 | जी. मुरलीधर<br>सलाहकार<br>हैदराबाद | |

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम/पद | |
|---|---|---|
| 6 | अरविंद सिन्हा<br>सलाहकार<br>भोपाल | |
| 7 | डॉ. सिबिचेन के. मैथ्यू<br>सलाहकार<br>बेंगलुरू | |
| 8 | मदन मोहन<br>सलाहकार<br>मुंबई | |
| 9 | अमित कुमार भट्टाचार्य<br>सलाहकार<br>गुवाहाटी | |
| 10 | रामदेव आर्य<br>सलाहकार<br>जयपुर | |

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम/पद |
|---|---|
| 11 | रिक्त<br>सलाहकार<br>दिल्ली |

4.8.1 उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) की भूमिका और कार्य हैं :–

(i) टैरिफ से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन और दूरसंचार, प्रसारण एवं केबल सेवाओं के खुदरा टैरिफ का कारगर अनुवीक्षण सुनिश्चित करना;

(ii) विनियामक तथा विपणन पहलुओं के संबंध में सेवा प्रदाताओं के साथ समुचित समन्वय करना;

(iii) सेवा की गुणवत्ता का अनुवीक्षण तथा उपभोक्ता शिकायतों का संचालन;

(iv) खुला मंच चर्चा (ओएचडी)/ट्राई के उपभोक्ता समर्थन समूहों (सीएजी) की बैठकें आयोजित करना;

(v) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सर्वेक्षण का समन्वय तथा अनुवीक्षण करना;

(vi) जिला/ब्लॉक स्तर तक सीएजी का विकास तथा सीएजीज के साथ निकट अन्योन्यक्रिया;

(vii) उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करना;

(viii) दूरसंचार विभाग के "टीईआरएम" प्रकोष्ठ के साथ निकट अन्योन्यक्रिया;

(ix) मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी (एमएनपी) विनियमों और अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) विनियमों का अनुवीक्षण तथा कार्यान्वयन; तथा

(x) प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यों सहित ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना, जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मुख्यालय द्वारा इसको सौंपे गए हैं अथवा ट्राई अधिनियम के प्रावधानों के पालन हेतु आवश्यक हैं।

## (झ) सूचना का अधिकार अधिनियम

4.9 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण पर भी लागू है। तदनुसार, अधिनियम के प्रावधानों की संगति में, प्राधिकरण द्वारा ट्राई में एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पदनामित किया गया है तथा उसकी सहायता के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रधान सलाहकार/सलाहकार स्तर के अधिकारी अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी तथा पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन प्रकाशनार्थ अपेक्षित सूचना ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

वर्ष 2013–14 की अवधि में, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन 868 आवेदन प्राप्त किए गए। ये सभी आवेदन तत्परता के साथ निपटाए गए तथा उनके उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर प्रेषित कर दी गई है।

## (ञ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण हेतु आईएस/आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणन

4.10 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को दिसम्बर, 2004 में आईएसओ 9001:2000 प्रदान किया गया था। यह तीन वर्ष की वैधता अवधि के साथ तीन बार 2007, 2010 तथा 2013 में नवीनीकृत किया गया था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण आईएसओ मानक आईएस/आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणन की वर्तमान श्रृंखला नवम्बर, 2016 तक वैधता के साथ प्रदान की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

(क्यूएमएस) के कार्यान्वयन तथा प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन हेतु बीआईएस ने दिसम्बर, 2004 से प्रत्येक वर्ष एक बार निगरानी ऑडिट और तीन नवीनीकरण ऑडिट भी किए हैं। गुणवत्ता–ऑडिटर्स ने क्यूएमएस कार्यप्रणाली संतोषजनक पाई तथा बीआईएस द्वारा जारी लाइसेंस जारी रखने की अनुशंसा की।

अर्द्ध–वार्षिक आधार पर आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट संचालन से भी प्रणाली में निरंतर सुधार सुनिश्चित हुआ है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में इस प्रयोजन हेतु 43 आंतरिक गुणवत्ता ऑडिटर्स मौजूद हैं। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा सचिव द्वारा भी प्रत्येक माह तथा शीर्ष प्रबंधन द्वारा वर्ष में एक बार की जाती है।

## (ट) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

4.11 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों, राजभाषा नियमावली, 1976 तथा राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा समय–समय पर जारी अन्य प्रशासनिक अनुदेशों के कार्यान्वयन हेतु सचिव, ट्राई के अधीक्षण में एक राजभाषा अनुभाग कार्यरत है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण संघीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु पूर्ण प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न प्रभागों की अनुवाद आवश्कताओं की पूर्ति भी करता है, जब कभी भी विनियम, प्रेस विज्ञप्तियां, निविदा सूचनाएं, गजट अधिसूचनाएं तथा अन्य प्रलेख द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सभी प्रभागों तथा अनुभागों द्वारा संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण सलाहकार (प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) द्वारा किया जाता है। ओएलआईसी की बैठक नियमित रूप से तिमाही आधार पर आयोजित की जाती है। इन बैठकों में, सरकारी काम–काज में हिन्दी के उपयोग में निरंतर वृद्धि पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा तथा इस संबंध में भावी कार्य–योजना तैयार की जाती है। राजभाषा संबंधी कार्य को गति प्रदान करने के लिए समिति के सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। रिपोर्ट की अवधि में ओएलआईसी की तीन बैठकें दिनांक 27 जून, 2013, 27 सितम्बर, 2013 तथा 27 दिसम्बर, 2013 को आयोजित की गई हैं।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा दूरसंचार विभाग से प्राप्त निदेशों के अनुपालन में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में 16 अगस्त, 2013 से 14 सितम्बर, 2013 तक "हिन्दी माह" का अयोजन किया गया। इस अवधि में विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं यथा हिन्दी निबन्ध लेखन, कविता पाठ, भाषण, टिप्पणी लेखन/पाण्डुलेखन इत्यादि का आयोजन किया गया। वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी पदस्तर तक के अधिकारियों तथा स्टाफ ने इस प्रतियोगिता में बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। हिन्दी दिवस के अवसर पर, राजभाषा नियमों/विनियमों के अनुपालन सुनिश्चयन हेतु अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का एक संदेश 14 सितम्बर, 2013 को अधिकारियों/स्टाफ के मध्य प्रसारित किया गया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा 16 सितम्बर, 2013 को आयोजित एक समारोह में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रतिभा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। "हिन्दी माह" सम्पूर्ण सितम्बर, 2013 के दौरान सरकारी काम–काज में हिन्दी के अधिकतम उपयोग हेतु प्रोत्साहन तथा प्रचार में सफल सिद्ध हुआ।

दैनिक सरकारी काम—काज में हिन्दी के प्रयोग में निरंतर वृद्धि के क्रम में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विगत पांच वर्षों से एक वार्षिक प्रोत्साहन स्कीम नामतः वार्षिक प्रोत्साहन योजना जारी है। इस स्कीम के अंतर्गत स्कीम की अवधि के दौरान अपना अधिकतम सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए प्रति वर्ष दस अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह स्कीम स्टाफ के मध्य बहुत लोकप्रिय हुई है तथा स्टाफ पूरे वर्ष अपना सरकारी कार्य अधिकतम हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित हुआ है।

अधिकारियों/स्टाफ को हिन्दी में टिप्पणी तथा प्रारूप लेखन कार्य सुकर बनाने के लिए तथा उनको संघ सरकार की राजभाषा नीति के बारे में सूचित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में नियमित रूप से कार्यशालाएं संचालित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं के दौरान शब्दकोश, प्रशासनिक शब्दावलियां, सहायता/संदर्भ पुस्तकें इत्यादि उन प्रतिभागियों को वितरित की जाती हैं, जो उनको अपना कार्य हिन्दी में करने हेतु सहायता प्रदान करती हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में 27 जून, 2013 तथा 27 दिसम्बर, 2013 को दो कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

द्विभाषी पत्रिका "ट्राई दर्पण" भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की अंतः गृह प्रतिनिधि पत्रिका है तथा यह वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट अवधि में "ट्राई दर्पण" के दो अंक (अंक सं. 13 एवं 14) प्रकाशित किए गए हैं। इन अंको को प्राधिककरण के भीतर तथा दूरसंचार विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है।

**अध्यक्ष और सदस्य (पूर्णकालिक), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 16 सितम्बर, 2013 को आयोजित हिन्दी पखवाड़ा समारोह के अवसर पर**

अध्यक्ष और सदस्य (पूर्णकालिक), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रतिभा प्रमाणपत्र प्रदान करते हुए

# (ख) वर्ष 2013–14 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखापरीक्षित लेखे

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखों पर 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की पृथक लेखपरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जैसा जनवरी 2000 में संशोधित किया गया है) की धारा 23 (2) के साथ पठित, की धारा 19(2) के तहत, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार संलग्न बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त हो गए वर्ष के लिए आय और व्यय खाते/प्राप्तियाँ और भुगतान खाते का लेखापरीक्षण किया है। ये वित्तीय कथन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रबन्धन की जिम्मेदारी हैं। हमारी ज़िम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय कथनों पर कोई राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक ऑडिट रिपोर्ट में "सर्वश्रेष्ठ लेखा प्रथाओं, लेखा मानकों और प्रकटीकरण मानदण्डों, आदि के साथ अनुपालन वर्गीकरण के सम्बन्ध में केवल लेखा उपचार पर भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता–सहित प्रदर्शन पहलुओं, आदि, यदि कोई हो, के साथ अनुपालन के सम्बन्ध में लेन–देन के लिए वित्तीय लेनदेनों पर ऑडिट अवलोकन निरीक्षण रिपोर्ट/ सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से पृथक से रिपोर्ट किए गए हैं।

3. हमने हमारी लेखापरीक्षा भारत में समान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक यह आवश्यक करते हैं कि हम ऐसा तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा नियोजित करें और आयोजित करें कि वित्तीय कथन वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में

वित्तीय बयानों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले प्रमाणों की, एक परीक्षण के आधार पर, जाँच करना सम्मिलित है। किसी लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबन्धन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्याँकन करना और साथ ही वित्तीय कथनों की कुल मिला कर प्रस्तुति का मूल्याँकन करना भी सम्मिलित है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

i. हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ii. इस रिपोर्ट के द्वारा निपटाई गई बैलेंस शीट और आय और व्यय खाते/प्राप्तियाँ और भुगतान खाते भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जैसा जनवरी 2000 में संशोधित किया गया है) की धारा 23(1) के तहत लेखा महानियंत्रक द्वारा अनुमोदित किए गए 'खातों के समरूप प्रारूप' में बनाए गए हैं।

iii. हमारी राय में, खातों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्डों की उचित पुस्तकें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा बनाए रखी गई हैं।

iv. हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:

**क. आय और व्यय खाता**

**अन्य आय (टिप्पणी 18) 1573.61 लाख रुपए**

2013–14 के दौरान किए गए दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 के उल्लंघन के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए वित्तीय हतोत्साहनों के खाते में मैसर्स वोडाफोन से 31 मार्च 2014 को प्राप्त किए गए डिमांड ड्राफ्ट के सम्मिलित न किए जाने के कारण से, उपरोक्त को 103.41 लाख रुपए से रुपयों से अधिकथित (अण्डरस्टेटेड) किया गया है। राशि का गैर–लेखांकन महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 6(ग) के उल्लंघन में था जिसके अनुसार पंजीकरण शुल्क, ग्राहक शिक्षा शुल्क, टेलीमार्केटर्स पर अर्थदण्ड और वित्तीय हतोत्साहनों के कारण प्राप्त हुआ धन नकद आधार पर खाते में लिया गया था।

इसका परिणाम अधिशेष और साथ ही मौजूदा परिसम्पत्तियों के 103.41 लाख रुपए के द्वारा अधिकथन (अण्डरस्टेटमेण्ट) में हुआ।

**ख. सहायता में अनुदान**

4222 लाख रुपए की सहायता में अनुदानों (गैर–योजना) {विगत वर्ष के सहायता में अनुदानों में से व्यय नहीं की गई शेष राशि 347 लाख रुपए (गैर–योजना) और वर्ष के दौरान प्राप्त हुए 3875 लाख रूपए (0.00 करोड़ रुपए मार्च 2014 में प्राप्त किए गए थे) सहित} में से, भादूविप्रा 3932 लाख रुपए (गैर–योजना) की राशि का उपयोग कर सका, 290 लाख रुपए (गैर–योजना) के एक शेष को 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त अनुदान के रूप में छोड़कर।

आगे, 1069 लाख रुपए के सहायता में अनुदान (योजना) {भादूविप्रा के पास रखे हुए विगत वर्षों के अनुदान (योजना) में से 344 लाख रुपए (योजना) का व्यय नहीं की गई शेष राशि और वर्ष के दौरान प्राप्त हुए 725 लाख रुपए सहित (0.00 करोड़ रुपए मार्च 2014 में प्राप्त किए गए थे)} में से, भादूविप्रा 970 लाख रुपए (योजना)

की राशि का उपयोग कर सका, 99 लाख रुपए (योजना) के एक शेष को 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त अनुदान के रूप में छोड़कर।

v. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे अवलोकनों के अन्तर्गत, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट के द्वारा निपटाई गई बैलेंस शीट और आय और व्यय खाते/ प्राप्तियाँ और भुगतान खाते, खातों की पुस्तकों के साथ सहमति में हैं;

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कथित वित्तीय कथन, लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पठित, और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण विषयों और इस ऑडिट रिपोर्ट के संलग्नक–I में उल्लिखित अन्य विषयों के अन्तर्गत, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं :–

क. जहाँ तक कि यह 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मामलों की स्थिति की बैलेंस शीट (योजना और गैर–प्लैट दोनों) से सम्बन्धित है; और

ख. जहाँ तक कि यह उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष (योजना और गैर–योजना दोनों) की आय और व्यय खाते से सम्बन्धित है।

**भारत के सीएण्डएजी के लिए और उनकी ओर से**

**स्थान : दिल्ली**
**दिनांक : 12 दिसम्बर 2014**

**(आर बी सिन्हा)**
**लेखापरीक्षा महानिदेशक (पीएण्डटी)**

## पृथक ऑडिट रिपोर्ट का संलग्नक–I

*(31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के खातों पर उसी तिथि की पृथक ऑडिट रिपोर्ट के अनुच्छेद 4 (vi) में संदर्भित किया गया)*

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, लेखापरीक्षा की सामान्य प्रगति में हमारे द्वारा जाँच की गई पुस्तकों और रिकॉर्डों के अनुसार और हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:

### (1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

भादूविप्रा ने अगस्त 2009 तक स्वतंत्र प्रभार वाला एक पूर्णकालिक तकनीकी अधिकारी (आंतरिक लेखापरीक्षा) नियुक्त किया है। उसके बाद, आंतरिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त प्रभार वाले एसओ (लेखा) ने वित्तीय वर्ष 2012–13 तक भादूविप्रा–सामान्य लेखाओं के खातों और भुगतान किए गए वाउचरों का निरीक्षण किया। 2011–12 तक आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टें आवश्यक सुधारात्मक उपायों के लिए संयुक्त सलाहकार (आइएफए/लेखा) को जमा की गईं। प्रशासन प्रभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। 2012–13 के बाद से आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सम्बन्धित प्रभागों को भेजी जाती हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में वर्ष 2010–11 में लेखापरीक्षा के अवलोकन के अनुसार, भादूविप्रा के प्राधिकरण ने आंतरिक प्राधिकरण टिप्पणी संख्या 50/2012 दिनांक 3.5.2012 के माध्यम से आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए प्रशासनिक सेटअप को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया और यह निर्णय लिया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षक सचिव भादूविप्रा को रिपोर्ट किया करेगा। वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एसआरओ) आंतरिक लेखापरीक्षा की नियुक्ति 29 मई 2013 को की गई।

### आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन का कार्यक्षेत्र और कार्य की प्रकृति, अधीनस्थ कार्यालयों की संख्या, संगठन की मज़बूती, व्यय की प्रकृति और मात्रा आदि पर निर्भर करता है। **संगठन के कर्तव्यों और कार्यों को निर्दिष्ट करने वाला आंतरिक लेखापरीक्षा का मैनुअल भादूविप्रा में विद्यमान दशाओं के विशेष संदर्भ के साथ, तैयार नहीं किया गया है, वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा, योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं।** फिर भी, वित्त, लेखा और प्रशासनिक कार्यों में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की समीक्षा' पर अध्ययन रिपोर्ट में आंतरिक लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में कुछ प्रावधान निहित हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा लेखांकन को लेखा और वित्तीय मामलों में नियमों और विनियमों, प्रणाली और प्रक्रियाओं का पालन करने की सीमा का पता लगाने के लिए कार्यकारी कार्यालयों में बनाए रखे गए प्रारंभिक खातों की जाँच करनी चाहिए। जाँच सभी लेखा रिकॉर्डों की जाँच कवर करेगी, जिनमें बिना माँगे गए वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) खातों, वेतन निर्धारण, ऋणों और अग्रिमों, संगठन की समीक्षा और महंगे उपकरणों और मशीनरी की परिचालन दक्षता से सम्बन्धित रिकॉर्ड और भण्डारों, उपकरणों और लाइब्रेरी की पुस्तकों के भौतिक सत्यापन से सम्बन्धित रिकॉर्डों की परीक्षा सम्मिलित है।

आंतरिक लेखापरीक्षा के मैनुअल में लेखापरीक्षा के नियोजन, निष्पादन, कर्तव्यों, मात्रा, लेखापरीक्षा की आवृत्ति, लेखापरीक्षा की निष्कर्ष रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और अन्य बातों के अलावा अनुसरण

की कार्रवाई के बारे में प्रावधान निहित होने चाहिएँ। लेखापरीक्षा के जोखिम आधारित दृष्टिकोण को वार्षिक आंतरिक योजना के लिए अनुसरण किया जाना चाहिए। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सभी हितधारकों को आश्वासन का तर्कसंगत स्तर प्रदान करना चाहिए।

आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य सभी महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों को कवर नहीं करता है और यह केवल लेखा, प्रशासन और वित्त तक ही सीमित है।

## आंतरिक लेखापरीक्षा के कर्तव्य

आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होने चाहिएँ

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ निर्धारित की गई लेखांकन प्रक्रियाओं का अध्ययन कि वे सही, पर्याप्त और किन्हीं भी दोषों या खामियों से मुक्त हैं;

(ii) समय–समय पर जारी एवं निर्धारित की गई प्रक्रियाओं और आदेशों के क्रियान्वयन पर नज़र रखना;

(iii) लेखा इकाइयों के भुगतानों और लेखा काम की संवीक्षा और जाँच;

(iv) खातों के सभी रिकॉर्डों की आवधिक समीक्षा;

(v) एकल योजनाओं का मूल्य निरूपण, निगरानी करना और मूल्याँकन;

(vi) आंतरिक नियंत्रणों की व्यापक रूप में पर्याप्तता और प्रभावशीलता, और विशेष रूप से वित्तीय प्रणालियों की सुदृढ़ता और वित्तीय और लेखांकन रिपोर्ट की विश्वसनीयता का आकलन;

(vii) जोखिम कारकों की पहचान और निगरानी करना, ऐसे कारकों सहित जो परिणामी बजट में निहित हैं;

(viii) प्रगति के दौरान सुधारों को सुविधा देने के लिए निगरानी की कोई प्रभावी प्रणाली प्रदान करना।

भादूविप्रा में आंतरिक लेखापरीक्षा को ऊपर उल्लिखित कर्तव्य नहीं सौंपे गए हैं।

## लेखापरीक्षा की मात्रा

आंतरिक लेखापरीक्षा को पिछले निरीक्षण के बाद से या नई इकाइयों के मामले में, कार्यालय के गठन के बाद से, किसी कार्यालय द्वारा बनाए रखे गए सभी लेखा रिकॉर्डों की एक सामान्य समीक्षा करनी चाहिए। सामान्य समीक्षा के अलावा, इसे, आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रभारी के द्वारा चयनित अवधि के लिए, एक वर्ष में कम से कम एक महीने के लेखा रिकॉर्डों की एक विस्तृत जाँच भी करनी चाहिए। विस्तृत जाँच के लिए चयनित महीने को छोड़कर अन्य महीने के बिलों/ वाउचरों/ मामलों आदि का प्रतिशत आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा। जाँचों की सीमा और प्रकृति में निम्न सम्मिलित होना चाहिए:

(क) डीडीओ कार्यालयों में बनाए रखे जाने के लिए आवश्यक लेखा रिकॉर्डों की विस्तृत संवीक्षा;

(ख) डीडीओ द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं सहित, भुगतान और लेखा प्रक्रियाओं का सत्यापन। यह विशेष रूप से देखा जाएगा कि घटना से पहले की जाँच और बाद की जाँच का कार्यक्षेत्र और सीमा पर्याप्त है और सेवानिवृत्ति के मामलों आदि के समापन के लिए प्रक्रियाओं का विधिवत अवलोकन किया जाता है।

(ग) बिलों से की गई वसूलियाँ और कटौतियाँ व्यवस्थित हैं; ब्याज की शुद्धता और लेखाकरण जहाँ भी आवश्यक हो;

(घ) विभिन्न अनुसूचियों (ब्रॉडशीट्स), आपत्ति पुस्तकों और रिटर्नों के कैलेंडर का रखरखाव ठीक से किया जा रहा है। यह आगे देखा जाएगा कि कार्यक्रमों को मासिक आधार पर नियमित रूप से बंद किया जाता है, कार्यक्रमों और लैजर के आंकड़ों के बीच अन्तरों का विश्लेषण किया

जाता है और उनके तत्काल मंजूरी के लिए कदम उठाए जाते हैं।

(ञ) प्रक्रिया में ऐसी किसी भी खामी का पता लगाने के कार्यालय के प्रमुख के द्वारा अभ्यास में लाए गए नियंत्रणों और जाँचों की सीमा और आवृत्ति का सत्यापन, जो या तो एकल रूप से या मिलीभगत में धोखाधड़ी या गबनों का कारण बन सकती हैं। जहाँ भी आवश्यक हो, इस तरह की खामी को दूर करने के लिए कदमों का सुझाव दिया जाना चाहिए;

(च) मंजूरी देने और खरीद की प्रक्रियाओं की संवीक्षा, ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे किसी भी दोष या खामी से मुक्त हैं; अनुबन्ध के नियम और शर्तों के सम्बन्ध में अनुबन्धों की जाँच करना;

(छ) परिसम्पत्तियों आदि के निपटान के लिए पालन की गई प्रक्रियाओं की जाँच करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे स्थापित की गई कबाड़ घोषित करने और निपटान की प्रक्रियाओं के अनुसार हैं;

(ज) उन्हें प्रशासित करने वाले नियमों और आदेशों के साथ एवं सही अंकगणितीय गणनाओं के अनुसार ही भुगतान किए जाते हैं;

(झ) वित्तीय और लेखांकन निहितार्थों वाले क्षेत्रों में कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा अपनाई गई जनरल कार्यालय प्रबन्धन प्रक्रियाओं की संवीक्षा, ताकि प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण को कसने, व्यय में बचतें या लेखांकन को व्यवस्थित बनाने के लिए उपायों का सुझाव देना।

लेखापरीक्षा की मात्रा और अभ्यास की जाने वाली जाँचों की सीमा और प्रकृति का प्रावधान नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा (आईएएन के संलग्नक ix) में कवर किए गए क्षेत्र अपर्याप्त हैं।

## प्राप्तियों की जाँच करना

भादूविप्रा में सम्बन्धित प्रभाग मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि भादूविप्रा के सभी राजस्वों (शुल्क/ अर्थदण्ड आदि) या देय राशियों का सही ढंग से और ठीक से मूल्यॉंकन किया जाता है, वसूली की जाती है और सम्बन्धित खाते में जमा किया जाता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा को यह देखने के लिए अनिवार्य जाँचें करनी चाहिएँ कि क्या भादूविप्रा ने सभी राजस्व प्राप्तियों और वापसियों के संग्रह और लेखांकन पर प्रभावी जाँच के लिए पर्याप्त विनियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित किया है है, और कि क्या वे सही ढंग से पालन की जाती हैं। उपरोक्त के लिए प्रभागों द्वारा अभ्यास की गई जाँचों की प्रकृति का पता भी लगाया जाना है।

प्राप्तियों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा में, आंतरिक लेखापरीक्षा को इस तरह की परीक्षण जाँचों के द्वारा निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए जैसी आवश्यक मानी जा सकती हैं:

(क) कि मांगों को विनियमों/ कानून या संसद के अधिनियम द्वारा आवश्यक किए गए तरीके से तुरंत उठाया जाता है और भादूविप्रा को देय कोई भी राशि पर्याप्त कारणों के बिना इसकी किताबों में बकाया नहीं छोड़ी गई है;

(ख) कि संग्रह और वापसी का खाते के उचित शीर्षक के अन्तर्गत, नियमित रूप से और ठीक से लेखांकन किया जाता है

(ग) कि लेवी या संग्रह में इरादतन चूक या लापरवाही के खिलाफ और वापसी की व्यवस्था करने में, जहाँ भी देय है, समुचित सुरक्षा उपाय अस्तित्व में हैं;

(घ) कि संग्रह की गई सभी प्राप्तियाँ तुरंत बैंक को प्रेषित की जाती हैं,

प्राप्तियाँ आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित नहीं की जाती हैं।

## आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति

जबकि आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति काफी हद तक आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन के कर्मचारियों की संख्या और साथ ही इसके कार्यक्षेत्र में आने वाली इकाइयों की संख्या पर निर्भर है, विवेकपूर्ण नियोजन और प्राथमिकता देना परिणामों को अनुकूलित करने के लिए आवश्यक है। निरीक्षण के लिए दिनों की संख्या और उनकी आवृत्ति का निर्णय लेनदेनों की प्रकृति, आवण्टन की राशि, पिछले लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में बकाया राशियाँ, और खातों के सामान्य स्वास्थ्य पर लिया जा सकता है। फिर भी कम से कम महत्वपूर्ण इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा हर वर्ष करना वांछनीय होगा।

आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति का प्रावधान किया गया है।

## निरीक्षण रिपोर्टें

आंतरिक लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी एफए और सचिव के ध्यान में लाया जाना चाहिए। ऐसे प्रक्रियागत जोखिमों जो ध्यान में आ सकते हैं या ऐसे किन्हीं भी सुझावों जो आंतरिक लेखापरीक्षा के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, के आकलन को समीक्षा के अन्तर्गत प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक सहायता के रूप रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाना चाहिए। साथ ही, किसी भी ऐसी बड़ी प्रणालीगत कमी, जिसे तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाना चाहिए और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के प्रभारी सचिव को आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिन्दुओं के निपटान पर प्रगति को देखना चाहिए।

आंतरिक लेखापरीक्षा की खोजें मोटे तौर पर छोटी हैं और प्रकृति में प्रक्रियागत हैं और प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए अनुशंसाओं और सुझावों का अभाव है।

*भादूविप्रा द्वारा निष्पादित कार्यों के आकार और प्रकृति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली अपर्याप्त है।*

## (2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

भादूविप्रा ने कर्मचारियों/ अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन के निर्धारण, सलाहकार की शर्तों के विस्तारण, व्यक्तिगत दावों के निपटान, टीए के दावों, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों और विभिन्न मामलों पर विनियमों के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा भादूविप्रा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बनाई है। कुछ विचलन के साथ, उसी का पालन प्रतिदिन के कामकाज में किया जाता है। नकद की प्राप्तियाँ और वितरण और नकद पुस्तक का रखरखाव प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुपालन में ठीक से किया गया है। नकदी का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से किया गया है और नकदी शेष की अधिकतम सीमा, जैसी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई है, बनाए रखी गई थी। दो प्रकार की धनराशियाँ – एक योजना धनराशि और दूसरी गैर–योजना धनराशि भादूविप्रा द्वारा बनाए रखी गई है और प्रत्येक धनराशि के लिए खातों की पृथक पुस्तकों को बनाए रखा जाता है। भादूविप्रा सामान्य कोष दूरसंचार विभाग द्वारा बनाए रखा जाता है। योजना और गैर–योजना शीर्षकों के अन्तर्गत भारत सरकार से भादूविप्रा को अनुदान इस कोष में जमा किए जाते हैं। भादूविप्रा का व्यय योजना और गैर–योजना शीर्षकों के अन्तर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा अनुदानों की रिहाई में से पूरा किया जाता है और प्राप्त किए गए अनुदान के सम्बन्ध में उपयोगीकरण प्रमाणपत्रों को भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

योजना निधियों का उपयोग गैर–योजना गतिविधियों के लिए किया गया है। टी.ए. बिल उचित प्रारूप में जमा नहीं किए जाते हैं। इसलिए, टी.ए. दावों का विनियमन अनुचित प्रतीत हो रहा है। यहाँ तक कि गैर–अधिकृत कर्मचारियों को हवाई यात्रा करने की अनुमति दी गई है। वेतन बिल रजिस्टर में प्रविष्टियाँ ठीक से नहीं की जाती हैं। ध्येय (मिशन) कथन तैयार नहीं किया गया है। इसलिए, उद्देश्यों को स्थापित नहीं किया गया है। फिर भी, भादूविप्रा अधिनियम का उद्देश्य भादूविप्रा के उद्देश्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अच्छी तरह से परिभाषित किए गए उद्देश्य ध्येय (मिशन) कथन के साथ संरेखण में स्थापित किए जा सकते हैं। वार्षिक बजट तैयार किए गए हैं, परन्तु मासिक और त्रैमासिक व्यय योजना तैयार नहीं की गई है। प्रशिक्षण और विकास नीति तैयार नहीं की गई है। प्रशिक्षण आवश्यकता का विश्लेषण नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है। अधिप्राप्ति/ खरीद मैनुअल तैयार नहीं किया गया है। मद–क्रमानुसार उपभोज्य मात्रा के उच्चतम और निम्नतम स्तर तय नहीं किए गए हैं और बनाए नहीं रखे गए हैं। प्रस्तुत किए गए बिलों में सेवा कर/ वैट/ बिक्री कर आदि की पंजीकरण संख्या का अभाव होता है। लेखांकन मैनुअल तैयार नहीं किया गया है। अनुबन्ध रजिस्टर को बनाए नहीं रखा गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों की परिसम्पत्ति का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। सरकार के नियमों/ आदेशों/ निर्देशों का अक्षरशः और भावगत पालन नहीं किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलना, पदों के सृजन की शक्तियों, एएमए के पैनलीकरण से सम्बन्धित मुद्दों का निपटान नहीं किया गया है।

***हमारी राय में, संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है और इसके आकार और इसके कार्यों की प्रकृति के अनुरूप नहीं है।***

## (3) अचल परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली

अचल सम्पत्तियों के रजिस्टरों को हस्तलिखित और साथ ही कम्प्यूटरीकृत प्रारूप में बनाए रखा जाता है। परिसम्पत्तियों/ भंडारों का भौतिक सत्यापन करने के लिए समिति का गठन किया जा रहा है। पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन लेखापरीक्षा के कहने पर किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों की परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

***हमारी राय में, संगठन की परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली पर्याप्त है और इसके आकार और इसके कार्यों की प्रकृति के अनुरूप है, ऊपर इंगित किए गए विचलनों को छोड़कर।***

## (4) माल (इन्वेण्ट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

माल (इन्वेण्ट्री) के उचित रिकॉर्ड बनाए रखे गये हैं। वर्ष 2013–14 के लिए माल (इन्वेण्ट्री) का भौतिक सत्यापन किया गया है।

***हमारी राय में, माल (इन्वेण्ट्री) के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त है और इसके आकार और इसके कार्यों की प्रकृति के अनुरूप है।***

## (5) वैधानिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

अंशदायी भविष्य निधि सहित किसी भी अन्य वैधानिक देय राशि के सम्बन्ध में कोई विवादित राशि भुगतान–योग्य नहीं थी।

## वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
## 31—03—2014 की स्थिति के अनुसार तुलन—पत्र

(राशि—रुपये)

| | अनुसूची | गैर—योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| संग्रह/पूंजीगत निधि | 1 | 13,10,72,337 | 1,03,77,491 | 45,79,41,975 | 34,20,37,200 |
| आरक्षित एवं अधिशेष | 2 | | | | |
| निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि | 3 | | | | |
| प्रतिभूति ऋण एवं उधार | 4 | | | | |
| अप्रतिभूति ऋण एवं उधार | 5 | | | | |
| अस्थगित क्रेडिट देयताएं | 6 | | | | |
| चालू देयताएं एवं प्रावधान | 7 | 15,80,28,429 | 10,37,97,618 | 8,81,89,019 | 4,39,42,049 |
| **कुल** | | **28,91,00,766** | **11,41,75,109** | **54,61,30,994** | **38,59,79,249** |
| **परिसंपत्तियां** | | | | | |
| स्थायी परिसंपत्तियां | 8 | 2,11,42,180 | 2,14,97,306 | 6,12,44,135 | 1,69,52,230 |
| निवेश — निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से | 9 | | | | |
| निवेश — अन्य | 10 | | | | |
| वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | 11 | 26,79,58,586 | 9,26,77,803 | 48,48,86,859 | 36,90,27,019 |
| विविध खर्च (बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए) | | | | | |
| **कुल** | | **28,91,00,766** | **11,41,75,109** | **54,61,30,994** | **38,59,79,249** |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 24 | | | | |
| आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां | 25 | | | | |

**ह0/—**
**सलाहकार (एफएवंईए)**

**ह0/—**
**सचिव**

**ह0/—**
**सदस्य**

**ह0/—**
**अध्यक्ष**

## वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
## 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि–रुपये में)

| | अनुसूची | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| **आय** | | | | | |
| बिक्री/सेवाओं से आय | 12 | | | | |
| अनुदान/सब्सिडी | 13 | 41,00,00,000 | 41,00,00,000 | 22,00,00,000 | 20,00,00,000 |
| शुल्क/अंशदान | 14 | | | | |
| निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय – निधियों में अंतरित) | 15 | | | | |
| रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय | 16 | | | | |
| अर्जित ब्याज | 17 | 2,41,775 | 3,07,830 | - | 902 |
| अन्य आय | 18 | 15,73,61,030 | 3,39,96,050 | | |
| तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) और प्रगति पर कार्य | 19 | | | | |
| **कुल (क)** | | **56,76,02,805** | **44,43,03,880** | **22,00,00,000** | **20,00,00,902** |
| **व्यय** | | | | | |
| स्थापना व्यय | 20 | 20,40,57,521 | 18,35,87,137 | | |
| अन्य प्रशासनिक व्यय आदि | 21 | 23,66,98,713 | 20,17,65,448 | 10,08,29,431 | 9,63,24,480 |
| अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय | 22 | | | | |
| ब्याज | 23 | | | | |
| मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप) | | 57,75,308 | 56,38,783 | 32,24,977 | 24,26,065 |
| **कुल (ख)** | | **44,65,31,542** | **39,09,91,368** | **10,40,54,408** | **9,87,50,545** |

| | अनुसूची | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख) | | | | | |
| विशेष आरक्षित को अंतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें) | | | | | |
| सामान्य आरक्षित को/से अंतरण | | | | | |
| संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष | | 12,10,71,263 | 5,33,12,512 | 11,59,45,592 | 10,12,50,357 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 24 | | | | |
| आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां | 25 | | | | |

| ह0/– | ह0/– | ह0/– | ह0/– |
|---|---|---|---|
| **सलाहकार (एफएवंईए)** | **सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

## वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
## 31–03–2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

### अनुसूची 1 – संग्रह/पंजीगत निधि

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| वर्ष के आरंभ में शेष | 1,03,77,491 | (4,30,03,291) | 34,20,37,200 | 24,06,55,674 |
| जोड़ें/घटाएं: संग्रह/पंजीगत निधि की ओर योगदान | -3,76,417 | 68,270 | -40,817 | 1,31,169 |
| जोड़ें/(कटौती) : आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष | 12,10,71,263 | 5,33,12,512 | 11,59,45,592 | 10,12,50,357 |
| **वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र** | **13,10,72,337** | **1,03,77,491** | **45,79,41,975** | **34,20,37,200** |

### अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| 1. पूंजी रिजर्व | - | | - | - |
| पिछले लेखा के अनुसार | - | - | | - |
| वर्ष के दौरान जमा | - | | - | - |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | - | - | - | - |
| 2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व | - | - | - | - |
| पिछले लेखा के अनुसार | - | - | - | - |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - | - | - |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | - | - | - | - |
| 3. विशेष रिजर्व | - | - | - | - |
| पिछले लेखा के अनुसार | - | - | - | - |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - | - | - |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | - | - | - | - |
| 4. सामान्य रिजर्व | - | - | - | - |
| पिछले लेखा के अनुसार | - | - | - | - |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - | - | - |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** | **-** | **-** |

ह0/–
सलाहकार

## अनुसूची–3 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि

(राशि–रुपये में)

| | निधिवार ब्यौरा | | | | कुल | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | निधि डब्ल्यू डब्ल्यू | निधि एक्स एक्स | निधि वाई वाई | निधि जेड जेड | योजनेत्तर चालू वर्ष 2013-14 | योजनेत्तर पिछला वर्ष 2012-13 | योजना चालू वर्ष 2013-14 | योजना पिछला वर्ष 2012-13 |
| क) निधि का प्रारंभिक शेष | | | | | | | | |
| ख) निधि में जमा राशियां | | | | | | | | |
| i. दान/अनुदान | | | | | | | | |
| ii. निधियों में से किए निवेश से आय | | | | | | | | |
| iii. अन्य प्राप्तियां (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति) | | | | | | | | |
| **योग (क+ख)** | | | | | | | | |
| ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय | | | | | | | | |
| i. पूंजीगत व्यय | | | | | | | | |
| - स्थायी परिसंपत्तियां | | | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| - अन्य | | | | | | | | |
| **कुल** | | | | | | | | |
| ii. राजस्व व्यय | | | | | | | | |
| - वेतन, मजदूरी और भत्ते इत्यादि | | | | | | | | |
| - किराया | | | | | | | | |
| - अन्य प्रशासनिक व्यय | | | | | | | | |
| **कुल** | | | | | | | | |
| **योग (ग)** | | | | | | | | |
| **वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)** | | | | | | | | |

टिप्पणियां:–

1) अनुदानों से संबंध शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण प्रासंगिक शीर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।

2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां अलग निधियों के रूप में दर्शाई जाएं तथा अन्य किसी निधि में शामिल नहीं की जानी चाहिए।

ह0/–
**सलाहकार**

## अनुसूची 4 – प्रतिभूति ऋण एवं उधार

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| 1. केन्द्र सरकार | - | - | - | - |
| 2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| 3. वित्तीय संस्थाएं | - | - | - | - |
| 4. बैंक - | - | - | - | |
| क) सावधि–ऋण | - | - | - | - |
| – ब्याज प्रोद्भूत और देय | - | - | - | - |
| ख) अन्य–ऋण (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| – ब्याज प्रोद्भूत और देय | - | - | - | - |
| 5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां | - | - | - | - |
| 6. डिबेंचर और बॉण्ड | - | - | - | - |
| 7. अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| **योग** | - | - | - | - |

**टिप्पणी** :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

## अनुसूची 5 – अप्रतिभूति ऋण एवं उधार

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| 1. केन्द्र सरकार | | - | | - |
| 2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें) | | - | | - |
| 3. वित्तीय संस्थाएं | | - | | - |
| 4. बैंक - | | - | | |
| क) सावधि–ऋण | | - | | - |
| – ब्याज प्रोद्भूत और देय | | - | | - |
| ख) अन्य–ऋण (निर्दिष्ट करें) | | - | | - |
| – ब्याज प्रोद्भूत और देय | | - | | - |
| 5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां | | - | | - |
| 6. डिबेंचर और बॉण्ड | | - | | - |
| 7. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | - | | - |
| **योग** | | - | | - |

**टिप्पणी** :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

ह0/–
**सलाहकार**

## अनुसूची 6 – आस्थगित क्रेडिट देयताएं

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| 1. पंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के आडमान द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां | - | - | - | - |
| 2. अन्य | - | - | - | - |

**टिप्पणी** :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

## अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| **क. चालू देयताएं** | | | | |
| 1) स्वीकार्यता | - | - | - | - |
| 2) विविध ऋणदाता | - | - | - | - |
| क) वस्तुओं के लिए | - | - | - | - |
| ख) अन्य | - | - | - | - |
| 3) प्राप्त अग्रिम | - | - | - | - |
| 4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं: | - | - | - | - |
| क) प्रतिभूति ऋण/उधार | - | - | - | - |
| ख) अप्रतिभूति ऋण/उधार | - | - | - | - |
| 5) सांविधिक देयताएं | - | - | - | - |
| क) अतिदेय | - | - | - | - |
| ख) अन्य | - | - | - | - |
| 6) अन्य चालू देयताएं | - | - | - | - |
| 1) ट्राई सामान्य निधि (ईएमडी) के लिए | 14,15,900 | 10,80,000 | 3,16,942 | 77,50,000 |
| 2) टेलीमार्किटर्स पंजीकरण शुल्क के लिए | - | - | - | - |
| 3) ग्राहक शिक्षा शुल्क के लिए | - | - | - | - |
| 4) टेलीमार्किटर्स से जुर्माना | - | - | - | - |
| **कुल (क)** | **14,15,900** | **10,80,000** | **3,16,942** | **77,50,000** |
| **ख. प्रावधान** | | | | |
| 1. कराधान के लिए | | | | |
| 2. ग्रेच्युटी | 2,57,04,542 | 1,88,34,059 | - | - |
| 3. अधिवर्षिता/पेंशन | | | | |
| 4. संचित अवकाश नकदीकरण | 2,81,82,416 | 2,05,16,769 | - | - |
| 5. व्यापार वारंटी/दावे | | | | |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट करें) व्यय के लिए प्रावधान | 10,27,25,571 | 6,33,66,790 | 8,78,72,077 | 3,61,92,049 |
| **कुल (ख)** | **15,66,12,529** | **10,27,17,618** | **8,78,72,077** | **3,61,92,049** |
| **कुल (क+ख)** | **15,80,28,429** | **10,37,97,618** | **8,81,89,019** | **4,39,42,049** |

ह0/–

सलाहकार

## अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां गैर–योजना

(राशि–रुपये में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान कटौती | वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन | वर्ष के आरंभ में | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान कटौती | वर्ष के अंत तक योग | चालू वर्ष के अंत तक | पिछले वर्ष के अंत तक |
| क. स्थायी परिसंपत्तियां | | | | | | | | | | |
| 1. भूमि - - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| क) फ्रीहोल्ड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) लीज़होल्ड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. भवन | | | | | | | | | | |
| क) फ्रीहोल्ड भूमि पर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) लीज़होल्ड भूमि पर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. संयत्र मशीनें एव उपकरण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. वाहन | 64,85,438 | 21,98,774 | - | 86,84,212 | 36,94,038 | 4,45,643 | | 41,39,681 | 45,44,531 | 27,91,400 |
| 5. फर्नीचर, फिक्सचर | 1,93,71,691 | 5,42,509 | | 1,99,14,200 | 1,21,48,421 | 15,31,907 | | 1,36,80,328 | 62,33,872 | 72,23,270 |
| 6. कार्यालय उपस्कर | 1,18,60,295 | 4,40,803 | 6,23,600 | 1,16,77,498 | 94,26,205 | 8,06,242 | 5,89,467 | 96,42,980 | 20,34,518 | 24,34,090 |

*(क्रमशः...)*

## अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां गैर–योजना (जारी...)

(राशि–रुपये में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान कटौती | वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन | वर्ष के आरंभ में | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान कटौती | वर्ष के अंत तक योग | चालू वर्ष के अंत तक | पिछले वर्ष के अंत तक |
| 7. कंप्यूटर / पेरिफिरल | 3,07,96,344 | 12,00,925 | 69,676 | 3,19,27,593 | 2,56,57,634 | 14,87,831 | 57,869 | 2,70,87,596 | 48,39,997 | 51,38,710 |
| 8. इलैक्ट्रिक संस्थापन | 65,97,068 | 10,73,649 | | 76,70,717 | 29,10,786 | 13,81,497 | | 42,92,283 | 33,78,434 | 36,86,282 |
| 9. पुस्तकालय पुस्तकें | 37,71,498 | 9,462 | | 37,80,960 | 35,47,944 | 1,22,188 | | 36,70,132 | 1,10,828 | 2,23,554 |
| 10. ट्यूबवैल एवं जल आपूर्ति | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **चालू वर्ष का योग** | **7,88,82,334** | **54,66,122** | **6,93,276** | **8,36,55,180** | **5,73,85,028** | **57,75,308** | **6,47,336** | **6,25,13,000** | **2,11,42,180** | **2,14,97,306** |
| **पिछला वर्ष** | **7,59,15,134** | **30,66,958** | **99,758** | **7,88,82,334** | **5,18,37,511** | **56,38,783** | **91,266** | **5,73,85,028** | **2,14,97,306** | **2,40,77,623** |
| **ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर** | | | | | | | | | | |
| **कुल** | | | | | | | | | | |

ह0/–
सलाहकार

## अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां योजना

(राशि–रुपये में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान कटौती | वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन | वर्ष के आरंभ में | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान कटौती | वर्ष के अंत तक योग | चालू वर्ष के अंत तक | पिछले वर्ष के अंत तक |
| क. स्थायी परिसंपत्तियां | | | | | | | | | | |
| 1. भूमि - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| क) फ्रीहोल्ड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) लीज़होल्ड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. भवन | | | | | | | | | | |
| क) फ्रीहोल्ड भूमि पर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) लीज़होल्ड भूमि पर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. संयत्र मशीनें एवं उपकरण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. वाहन- - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5. फर्नीचर, फिक्सचर | 12,74,926 | 4,49,788 | - | 17,24,714 | 1,00,197 | 1,43,895 | - | 2,44,092 | 14,80,622 | 11,74,729 |
| 6. कार्यालय उपस्कर | 17,24,815 | 1,29,793 | 29,000 | 18,25,608 | 1,48,050 | 3,29,738 | 7,212 | 4,70,576 | 13,55,032 | 15,76,765 |

*(क्रमशः...)*

## अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां योजना (जारी...)

(राशि–रुपये में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान कटौती | वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन | वर्ष के आरंभ में | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान कटौती | वर्ष के अंत तक योग | चालू वर्ष के अंत तक | पिछले वर्ष के अंत तक |
| 7. कंप्यूटर / पेरिफिरल | 1,62,27,886 | 4,69,59,089 | - | 6,31,86,975 | 2,126,372 | 26,99,897 | - | 48,26,269 | 5,83,60,706 | 1,41,01,514 |
| 8. इलैक्ट्रिक संस्थापन | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. पुस्तकालय पुस्तकें | 3,64,407 | - | - | 3,64,407 | 2,65,185 | 51,447 | - | 3,16,632 | 47,775 | 99,222 |
| 10. ट्यूबवैल एवं जल आपूर्ति | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **चालू वर्ष का योग** | **1,95,92,034** | **4,75,38,670** | **29,000** | **6,71,01,704** | **26,39,804** | **32,24,977** | **7,212** | **58,57,569** | **6,12,44,135** | **1,69,52,230** |
| **पिछला वर्ष** | **3,64,407** | **1,92,27,627** | **-** | **1,95,92,034** | **2,13,739** | **24,26,065** | **-** | **26,39,804** | **1,69,52,230** | **1,50,668** |
| ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर | | | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | | | |

ह0/–
सलाहकार

## अनुसूची 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में | - | - | - | - |
| 2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां | - | - | - | - |
| 3. शेयर | - | - | - | - |
| 4. डिबेंचर एवं बॉण्ड | - | - | - | - |
| 5. सहायक और संयुक्त उद्यम | - | - | - | - |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## अनुसूची 10 – अन्य निवेश

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में | - | - | - | - |
| 2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां | - | - | - | - |
| 3. शेयर | - | - | - | - |
| 4. डिबेंचर एवं बॉण्ड | - | - | - | - |
| 5. सहायक और संयुक्त उद्यम | - | - | - | - |
| 6. अन्य (बैंक एफडीआर) | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** | **-** | **-** |

ह0/–
सलाहकार

## अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| **क. चालू परिसंपत्तियां:** | | | | |
| 1. सामान | | | | |
| क) स्टोर्स और स्पेयर्स | - | - | - | - |
| ख) लूज टूल्स | - | - | - | - |
| ग) स्टॉक–इन–ट्रेड | - | - | - | - |
| तैयार माल | - | - | - | - |
| कार्य प्रगति पर | - | - | - | - |
| कच्चा माल | - | - | - | - |
| 2. विविध ऋण | | | | |
| क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया ऋण | - | - | - | - |
| ख) अन्य | - | - | - | - |
| 3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित) | 1,20,060 | 99,902 | | 1 |
| 4. बैंक शेष: | | | | |
| क) अनुसूचित बैंकों के साथ | - | - | | - |
| - चालू खाता ट्राई सामान्य निधि पर | 3,17,85,009 | 3,69,34,014 | 1,04,79,312 | 4,21,75,612 |
| - चालू खाता पंजीकरण शुल्क पर | 2,32,000 | 1,34,000 | | - |
| टेलीमार्किटर्स से जुर्माना | 1,65,26,783 | 1,26,64,131 | | - |
| - बचत खाता ग्राहक शिक्षा शुल्क पर | 6,07,46,851 | 2,10,74,128 | | - |
| - बचत खाता वित्तीय निवर्तक पर | 11,35,56,707 | 102,867 | | - |
| ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ | | | | |
| - चालू खाता पर | - | - | - | - |
| - जमा खाते पर | - | - | - | - |
| - बचत पर | - | - | - | - |
| 5. डाकघर बचत खाता | - | - | - | - |
| **कुल (क)** | **22,29,67,410** | **7,10,09,042** | **1,04,79,312** | **4,21,75,613** |

ह0/–
**सलाहकार**

# अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| **ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां** | | | | |
| 1. ऋण | | | | |
| क) स्टाफ | 17,70,800 | 23,46,494 | | |
| ख) संस्थान के समान गतिविधियों/ उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं | | | | |
| ग) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को टीए, एलटीसी एवं त्यौहार अग्रिम) | 20,12,480 | 6,08,469 | 9,07,547 | 8,30,606 |
| 2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसूलीयोग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशिः | | | | |
| क) पूंजीगत खाते पर | 3,75,00,000 | 1,50,00,000 | 47,35,00,000 | 32,60,00,000 |
| ख) पूर्व भुगतान | | | | |
| ग) अन्य | 8,59,928 | 9,52,544 | | 20,800 |
| 3. प्रोद्भूत आय | | | | |
| क) निधार्रित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर | | | | |
| ख) निवेश – अन्य पर | | | | |
| ग) ऋण एवं अग्रिम पर | 22,86,559 | 22,73,619 | | |
| घ) अन्य (देय आय में वसूली न गई राशि सहित) | | | | |
| 5. दावे प्राप्तयोग्य | 5,61,409 | 4,87,635 | | |
| **कुल (ख)** | **4,49,91,176** | **2,16,68,761** | **47,44,07,547** | **32,68,51,406** |
| **कुल (क + ख)** | **26,79,58,586** | **9,26,77,803** | **48,48,86,859** | **36,90,27,019** |

**ह0/–**
**सलाहकार**

## अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| 1. बिक्री से आय | - | - | - | - |
| क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री | - | - | - | - |
| ख) कच्चे माल की बिक्री | - | - | - | - |
| ग) स्क्रैप से बिक्री | - | - | - | - |
| 2. सेवाओं से आय | - | - | - | - |
| क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार | - | - | - | - |
| ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं | - | - | - | - |
| ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली | - | - | - | - |
| घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति) | - | - | - | - |
| ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| (अपरिवर्तनीय अनुदान एवं प्राप्त सहायता) | | | | |
| 1) केन्द्र सरकार | 41,00,00,000 | 35,00,00,000 | 20,00,00,000 | 16,00,00,000 |
| 2) राज्य सरकार (रें) | | | | |
| 3) सरकारी एजेंसियां | | | | |
| 4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय | | | | |
| 5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन | | | | |
| 6) अन्य (निर्दिष्ट करें) | | | | |
| **कुल** | **41,00,00,000** | **35,00,00,000** | **20,00,00,000** | **16,00,00,000** |

ह0/–
सलाहकार

## अनुसूची 14 – शुल्क/अंशदान

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| 1. प्रवेश शुल्क | - | - | - | - |
| 2. वार्षिक शुल्क/अंशदान | - | - | - | - |
| 3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क | - | - | - | - |
| 4. परामर्श शुल्क | - | - | - | - |
| 5. अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** | **-** | **-** |

टिप्पणीः–प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिएं।

## अनुसूची 15 – निवेशों से आय

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से किए गए निवेश से हुई आय का निधि में अंतरण) | | | | |
| 1) ब्याज | | | | |
| क) सरकारी प्रतिभूतियों पर | - | - | - | - |
| ख) अन्य बॉण्ड/डिबेंचर | - | - | - | - |
| 2) लाभांश | - | - | - | - |
| क) शेयरों पर | - | - | | - |
| ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर | - | - | - | - |
| 3) किराया | - | - | - | - |
| 4) अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| **कुल** | | | | |
| **निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित** | | | | |

**ह0/–**
**सलाहकार**

## अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| 1. रॉयल्टी से आय | - | - | - | - |
| 2. प्रकाशन से आय | - | - | - | - |
| 3. अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| 1) सावधि जमा पर | | | | |
| क) अनुसूचित बैंकों के साथ | - | - | - | - |
| ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ | - | | - | - |
| ग) संस्थाओं के साथ | - | - | | - |
| घ) अन्य | - | | - | - |
| 2) बचत खाते पर | | | | |
| क) अनुसूचित बैंकों के साथ | - | - | - | - |
| ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ | - | - | - | - |
| ग) संस्थाओं के साथ | - | - | | - |
| घ) अन्य | - | - | - | - |
| 3) ऋणों पर | - | - | - | - |
| क) कर्मचारी/स्टाफ | 2,41,775 | 3,07,830 | | 902 |
| ख) अन्य | - | - | - | - |
| 4) देनदारों तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज | - | - | - | - |
| **कुल** | **2,41,775** | **3,07,830** | | **902** |

टिप्पणी :–स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाए।

ह0/–
सलाहकार

## अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| 1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ | - | - | - | - |
| क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां | 2,04,184 | 7,976 | - | - |
| ख) अनुदानों अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां | - | - | - | - |
| 2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन | - | - | - | - |
| 3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क | - | - | - | - |
| 4. विविध आय | 69,631 | 12,948 | - | - |
| 5. टेलीमार्केटर से पंजीकरण शुल्क | 98,000 | 1,34,000 | - | - |
| 6. टेलीमार्केटर से ग्राहक जागरूकता शुल्क | 3,96,72,723 | 2,10,74,128 | - | - |
| 7. टेलीमार्केटर से जुर्माना | 38,62,652 | 1,26,64,131 | - | - |
| 8. वित्तीय निरूत्साहन | 11,34,53,840 | 1,02,867 | - | - |
| **कुल** | **15,73,61,030** | **3,39,96,050** | **-** | **-** |

## अनुसूची 19 – निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि/(कमी)

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| क) अंतिम स्टॉक | | | | |
| - तैयार माल | - | - | - | - |
| - चल रहे कार्य | - | - | - | - |
| ख) घटाएं प्रारंभिक स्टॉक | | | | |
| - तैयार माल | - | - | - | - |
| - चल रहे कार्य | - | - | - | - |
| **कुल वृद्धि/(कमी) (क–ख)** | **-** | **-** | **-** | **-** |

ह0/–
सलाहकार

## अनुसूची 20 – स्थापना व्यय

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| क) वेतन एवं मजदूरी | 16,34,81,888 | 14,81,20,191 | - | - |
| ख) भत्ते एवं बोनस | 2,85,789 | 2,81,905 | - | - |
| ग) भविष्य निधि में योगदान | 44,84,133 | 39,99,696 | - | - |
| घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें) | | | - | - |
| ड़) स्टाफ कल्याण खर्च | 5,20,248 | 3,70,997 | - | - |
| च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ | 2,40,44,617 | 1,72,14,233 | - | - |
| छ) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को एलटीसी, मेडिकल और स्टाफ को ओटीए) | 1,12,40,846 | 1,36,00,115 | - | - |
| **कुल** | **20,40,57,521** | **18,35,87,137** | **-** | **-** |

ह0/–
सलाहकार

## अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| क) खरीद | - | - | - | - |
| ख) मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय | - | - | - | - |
| ग) कार्टेज और कैरिज प्रभार | - | - | - | - |
| घ) विद्युत एवं पॉवर | 17,44,264 | 13,28,867 | - | - |
| ड़) जल प्रभार | | - | - | - |
| च) बीमा | 1,17,588 | 85,572 | - | - |
| छ) मरम्मत एवं रखरखाव | 22,74,934 | 29,01,482 | - | - |
| ज) सीमा शुल्क | | - | - | - |
| झ) किराया, दर और कर | 16,21,96,118 | 12,52,33,548 | - | - |
| ञ) वाहन चालन एवं रखरखाव | 29,46,056 | 31,12,701 | - | - |
| ट) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार | 74,56,065 | 73,48,120 | - | - |
| ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी | 55,88,511 | 80,05,444 | - | - |
| ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय | 1,12,54,973 | 1,58,97,237 | - | - |
| ण) सेमिनार / कार्यशाला पर व्यय | 38,992 | 2,72,026 | - | - |
| त) अंशदान व्यय | 4,35,857 | 1,60,165 | - | - |
| थ) शुल्क पर व्यय | | | - | - |
| द) लेखापरीक्षकों का पाश्रिमिक | 2,40,955 | 1,43,906 | - | - |
| ध) आतिथ्य–सत्कार पर शुल्क | 13,41,827 | 24,62,785 | - | - |
| न) पेशेवर शुल्क | 2,61,57,462 | 2,47,10,012 | - | - |
| प) अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान | | - | - | - |
| फ) बट्टे खाते डाला गया अवूसलनीय शेष | | - | - | - |
| भ) पैकिंग प्रभार | | - | - | - |
| म) मालभाड़ा एवं अग्रेषण व्यय | | - | - | - |
| य) वितरण व्यय | | - | - | - |
| र) विज्ञापन एवं प्रचार | 11,17,796 | 9,53,084 | - | - |
| व) अन्य | | - | - | - |
| (i) अन्य (सुरक्षा, हाउसकीपिंग आदि को भुगतान) | 1,37,87,315 | 91,50,499 | - | - |
| (ii) क्षमता निर्माण पर खर्च | | - | 10,08,29,431 | 9,63,24,480 |
| **कुल** | **23,66,98,713** | **20,17,65,448** | **10,08,29,431** | **9,63,24,480** |

ह0/–
सलाहकार

## अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान | - | - | - | - |
| क) संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**टिप्पणी:** संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें।

## अनुसूची 23 – ब्याज

(राशि–रुपये में)

| | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
| क) सावधि ऋणें पर | - | - | - | - |
| ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित) | - | - | - | - |
| ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**ह0/–**
**सलाहकार**

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

## 31.3.2014 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

(राशि–रुपये में)

| प्राप्ति | गैर–योजना चालू वर्ष 2013-14 | गैर–योजना पिछला वर्ष 2012-13 | योजना चालू वर्ष 2013-14 | योजना पिछला वर्ष 2012-13 |
|---|---|---|---|---|
| **I. आरंभिक शेष** | | | | |
| क) हाथ में नकदी | 99902 | 89739 | 1 | |
| i) चालू खाते में | 36934014 | 22693590 | 42175612 | 11298897 |
| ii) जमा खाते में | | | | |
| iii) बचत खाते – दंड | 12664131 | 5233705 | | |
| पंजीकरण शुल्क | 134000 | 96000 | | |
| ग्राहक शिक्षा शुल्क | 21074128 | 12888337 | | |
| वित्तीय निवर्तक | 102867 | | | |
| **II. प्राप्त अनुदान** | | | | |
| क) केंद्र सरकार से | 387500000 | 397600000 | 72500000 | 145000000 |
| ख) राज्य सरकार से | | | | |
| ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें) (पूंजी एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदान को अलग–अलग दर्शाया जाए) | | | | |
| **III. निम्न में निवेश से आय** | | | | |
| क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि | | | | |
| ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश) | | | | |
| **IV. प्राप्त ब्याज** | | | | |
| क) बैंक जमा पर | | | | |
| ख) ऋण, अग्रिम आदि | 228835 | 72150 | | 902 |
| ग) विविध | | | | |

| भुगतान | गैर–योजना चालू वर्ष 2013-14 | गैर–योजना पिछला वर्ष 2012-13 | योजना चालू वर्ष 2013-14 | योजना पिछला वर्ष 2012-13 |
|---|---|---|---|---|
| **I. व्यय** | | | | |
| क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप) | 178887124 | 176455183 | | |
| ख) प्रशासनिक (अनुसूची 21 के अनुरूप) | 208028204 | 206176565 | 96248996 | 113069400 |
| **II विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान** (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए) | | | | |
| **III. किए गए निवेश एवं जमा** | | | | |
| क) निर्धारित/बंदोबस्ती से | | | | |
| ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य) | | | | |
| **IV. स्थायी परिसंपत्तियां एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय** | | | | |
| क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद | 5520075 | 3138079 | 766715 | 4016195 |
| ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय | | | | |
| **V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी** | | | | |
| क) भारत सरकार को | | | | |
| ख) राज्य सरकार को | | | | |
| ग) निधियों के लिए अन्य प्रदाताओं को (उपभोक्ता संरक्षण निधि) | | | | |
| टेलीमार्किटर्स के पंजीकरण शुल्क के लिए | | | | |
| ग्राहक शिक्षा शुल्क के लिए | | | | |

*(क्रमशः...)*

(राशि–रुपये में)

| प्राप्ति | गैर–योजना |  | योजना |  | भुगतान | गैर–योजना |  | योजना |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |  | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 | चालू वर्ष 2013-14 | पिछला वर्ष 2012-13 |
|  |  |  |  |  | VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज) |  |  |  |  |
| V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| विविध आय को | 69631 | 12948 |  |  | VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ऋण एवं अग्रिम और प्रतिभूति जमा | 1031994 |  | 7433058 |  |
| VI. उधार ली गई राशि |  |  |  |  | VIII. अंतिम शेष |  |  |  |  |
| VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें) |  |  |  |  | क) हाथ में नकदी | 120060 | 99902 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | ख) बैंक शेष |  |  |  |  |
| प्रतिभूति जमा से | 335900 | 177000 |  | 2950000 | 1) चालू खाता में – ट्राई सामान्य निधि | 31785009 | 36934014 | 10479312 | 42175612 |
|  |  |  |  |  | i) चालू खाता में – पंजीकरण शुल्क | 232000 | 134000 |  |  |
| परिसंपत्तियों की बिक्री से | 204184 | 11506 |  |  | ii) जमा खाता में |  |  |  |  |
| ऋण एवं अग्रिम और प्रतिभूति जमा से | - | 2146810 | 252468 | 11409 | 2) बचत खाता |  |  |  |  |
| पंजीकरण शुल्क से | 98000 | 38000 |  |  | i) ग्राहक शिक्षा शुल्क | 60746851 | 21074128 |  |  |
| ग्राहक शिक्षा शुल्क से | 39672723 | 8185791 |  |  | ii) टेलीमार्किटर्स से दंड | 16526783 | 12664131 |  |  |
| टेलीमार्किटर्स से लिए दंड से | 3862652 | 7430426 |  |  | iii) वित्तीय निवर्तक | 113556707 | 102867 |  |  |
| वित्तीय निवर्तक से | 113453840 | 102867 |  |  |  |  |  |  |  |
| **कुल** | **616434807** | **456778869** | **114928081** | **159261208** | **कुल** | **616434807** | **456778869** | **114928081** | **159261208** |

**ह0/–**
**सलाहकार (एफएवंईए)**

**ह0/–**
**सचिव**

**ह0/–**
**सदस्य**

**ह0/–**
**अध्यक्ष**

## अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

**1. लेखा परंपराएं**

(क) गैर–योजना और योजना दोनों के लिए उचित और स्पष्ट वित्तीय विवरण लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके पत्र सं एफ. सं.19 (1)/विविध/2005/टीए/450–490 दिनांक 23.07.2007 द्वारा अनुमोदित ''खातों के एकसमान प्रारूप'' में तैयार किए गए हैं।

(ख) चालू वर्ष अर्थात, 2013–14 के लिए लेखा संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा की विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) खाता बहियों में सभी निर्विवादित और ज्ञात देनदारियों के लिए प्रावधान किया गया है।

(घ) आंकड़ों को निकटतम रुपयों में समेकित कर दिया गया है।

(ड.) तथ्यों और इस मामले में शामिल कानूनी पहलुओं के सावधानी से मूल्यांकन के बाद आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया गया है।

**2 स्थायी परिसंपत्तियां**

स्थायी परिसंपत्तियों को आवक भाड़े, शुल्कों और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष खर्च को समावेशी अधिग्रहण की लागत में दर्शाया गया है।

**3. मूल्यह्रास:**

(क) नीचे उल्लिखित वर्गों को छोड़कर जिन पर मूल्यह्रास की उच्च दर लागू की गई है, जैसा कि पिछले वर्षों के खातों में लागू किया जाता रहा है, स्थायी संपत्ति पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की चौदहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर, सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया गया है :–

| वर्ग | कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्यह्रास दर | लागू मूल्यह्रास दर |
|---|---|---|
| कार्यालय उपस्कर | 4.75% | 10.00% |
| फर्नीचर और फिक्स्चर | 6.33% | 10.00% |
| विद्युत उपस्कर | 4.75% | 10.00% |
| एयर कंडीशनर | 4.75% | 10.00% |
| पुस्तकें और प्रकाशन | 4.75% | 20.00% |

कार्यालय उपस्करों में शासकीय प्रयोजनों के लिए अधिकारियों को प्रदान किए गए मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 04.05.2007 दिनांकित आदेश संख्या 2–1/97–लैन द्वारा दूरसंचार विभाग के समान पैटर्न के अनुसार इन हैंडसेटों को तीन साल में उपलब्ध/नष्ट हो गया, लिखने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2007–08 से मोबाइल हैंडसेटों पर 33.33% की दर से मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा 19.03.2009 दिनांकित आदेश संख्या 23–24/2008/जीए (एलटी) के मार्फत यह निर्णय भी लिया गया है कि ट्राई अधिकारियों को जारी किए गए लैपटॉप का जीवनकाल अब से चार साल माना जाएगा। तदनुसार, लैपटॉप पर 25% की दर से मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के परिवर्धन के संबंध में, मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर माना जाता है।

(ग) 5000/ – रुपये या कम की लागत की प्रत्येक परिसंपत्तियां पूरी तरह से प्रदान की जाती हैं।

**4. विदेशी मुद्रा लेनदेनः**

विदेशी मुद्राओं में नामित लेन–देन को लेन–देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

**5. सेवानिवृत्ति लाभ**

(क) प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में 31.03.2014 के लिए समय–समय पर बुनियादी नियमों के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

(ख) नियमित कर्मचारियों के मामले में, वर्ष 2013–14 के लिए अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी का प्रावधान बीमांकिक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

**6. सरकारी अनुदानः**

(क) चालू वर्ष के दौरान विशिष्ट स्थायी संपत्तियों के संबंध में कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) सरकारी अनुदान का हिसाब सरकार द्वारा अनुमोदित आरई 2013–14 के आधार पर किया गया है।

(ग) टेलीमार्किटर्स और वित्तीय निवर्तक पर दंड के खाते में प्राप्त राशि का नकदी आधार पर हिसाब किया गया है।

## अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

**1. आकस्मिक देयताएंः**

संस्था के खिलाफ ऋण के रूप स्वीकार नहीं किए गए दावे, वर्तमान वर्ष में (शून्य) (पिछले वर्ष शून्य)

**2. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमः**

प्रबंधन की राय में, मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम में व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर एक मूल्य है, जो कम से कम तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।

**3. कराधानः**

ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 32 के अनुसार, ट्राई को संपत्ति और आय पर कर से छूट दी गई है।

**4. अनुदान**

2013–14 अर्थात् लेखा वर्ष के दौरान, ट्राई के सामान्य कोष में गैर–योजना शीर्ष के तहत हस्तांतरण के लिए अनुमोदित अनुदान 41.00 करोड़ रुपए था, जिसमें से 38.75 करोड़ रुपए की राशि दूरसंचार विभाग से अनुदान के रूप में प्राप्त की गई थी। दूरसंचार विभाग से प्राप्य 3.75 करोड़ रुपए की राशि अनुसूची–11 में ''अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसूलीयोग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशि'' शीर्ष के तहत दिखाया गया है।

इसी तरह, खाते के ट्राई सामान्य निधि में योजना शीर्ष के तहत हस्तांतरण के लिए 22.00 रुपये का अनुदान अनुमोदित किया गया था, जिसके खिलाफ दूरसंचार विभाग से 7.25 करोड़ रुपए की राशि

अनुदान के रूप में प्राप्त की गई थी। दूरसंचार विभाग से प्राप्य 47.35 करोड़ रुपए को अनुसूची –11 में दिखाया गया है।

**5. दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 से संबंधित लेन–देन**

"दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार, ट्राई ने पंजीकरण शुल्क, ग्राहक शिक्षा शुल्क, टेलीमार्किटर्स और वित्तीय निवर्तक पर दंड के लिए कॉरपोरेशन बैंक में चार खाते खोले हैं। 31 मार्च 2014 को 98,000/– रुपए, 3,96,72723/– रुपए, 3862652/– रुपए और 11,34,53840/– रुपए की राशि क्रमशः पंजीकरण शुल्क, ग्राहक शिक्षा शुल्क, टेलीमार्किटर्स और वित्तीय निवर्तक पर दंड के रूप में प्राप्त की गई है। इस राशि को अनुसूची 18 में – 'अन्य आय' के रूप में दिखाया गया है।

**6. पिछले वर्ष के आंकड़े:**

जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष अर्थात् पूर्व अवधि से संबंधित व्यय/आय को पूंजीगत निधि के माध्यम से ले जाया गया है।

**7. विदेशी मुद्राओं में लेनदेन**

| | |
|---|---|
| विदेशी मुद्रा में व्यय : गैर–योजना शीर्ष | *प्रकाशन की सदस्यता के लिए आईटीयू को 30,900/– रुपये की राशि का भुगतान किया गया था।* |
| विदेशी मुद्रा में व्यय : योजना शीर्ष | |
| (क) **यात्रा:** | अधिकारियों को विदेश यात्रा के टीए/डीए खर्च के लिए 3,10,80,412/– रुपये की राशि का भुगतान किया गया।<br>फिरा इंटरनेशनल डी बार्सिलोना को भागीदारी शुल्क के लिए 2,90,962/– रुपये की राशि का भुगतान किया गया था।<br>आईटीयू को वार्षिक सदस्यता शुल्क के लिए 3,02,393/– रुपये की राशि भुगतान किया गया। |
| (ख) वित्तीय संस्थाओं, बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा में विप्रेषण और ब्याज का भुगतान | *शून्य* |
| (ग) **अन्य व्यय:** | *शून्य* |

**8.** 1 से 25 तक की अनुसूचियों को संलग्न किया गया है और उन्हें 31 मार्च 2014 के तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ह0/–** | **ह0/–** | **ह0/–** | **ह0/–** |
| **सलाहकार (एफएवंईए)** | **सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

# (ग) वर्ष 2013–14 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखे

**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखे पर 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

हमने भारत सरकार, असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333(ई) दिनांक 10 अप्रैल, 2003 के अंतर्गत जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली, 2003 में नियम 5(5) के साथ पठित नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा के संलग्न तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, श्रेष्ठ लेखांकन पद्धति, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के साथ वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा, सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा आयोजना तथा निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस संबंध में युक्तिसंगत

आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण तथ्यों की गलत बयानी से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थन प्रदान करते साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण शामिल है। किसी लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलन तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय को युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:–

(i) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली, 2003 के नियम 5 अंतर्गत महालेखा–नियंत्रक द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक समान प्रारूप'' में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा द्वारा लेखे की बहियों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है।

(iv) हम यह सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा–बहियों के अनुसार हैं।

(v) हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपर्युक्त उल्लिखित मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **अनुबंध–1** में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

(क) जहां तक यह 31 मार्च, 2014 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अंशदायी भविष्य निधि लेखा के तुलन–पत्र से संबंधित हैं; और

(ख) जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा से संबंधित हैं।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से**

**ह./–**
**(आर. बी. सिन्हा)**
**महानिदेशक–लेखापरीक्षा (डाक एवं तार)**

**स्थान : दिल्ली**
**दिनांक : दिसम्बर 2014**

## पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध–I

***(31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 4(v) में यथानिर्दिष्ट)***

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, नियमित लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा निरीक्षित बहियों और अभिलेखों तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हम आगे सूचित करते हैं कि:–

**(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

*संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है। परन्तु आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा एकक कार्यक्षेत्र एवं आपत्तियों के निवारण के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है।*

**(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

*हमारी राय में संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।*

## वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
## 31 मार्च, 2014 को तुलन पत्र

(राशि–रुपये में)

| | अनुसूची | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| **संग्रह/पूंजीगत निधि** | | | |
| ट्राई – सीपीएफ सदस्य खाता | 1 | 86462501.00 | 75210083.00 |
| आरक्षित एवं अधिशेष | 2 | 4734742.76 | 3454192.83 |
| निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि | 3 | | - |
| प्रतिभूति ऋण एवं उधार | 4 | | - |
| अप्रतिभूति ऋण एवं उधार | 5 | | - |
| अस्थगित क्रेडिट देयताएं | 6 | | - |
| चालू देयताएं एवं प्रावधान | 7 | 0.00 | - |
| **कुल** | | **91197243.76** | **78664275.83** |
| **परिसंपत्तियां** | | | |
| स्थायी परिसंपत्तियां | 8 | | - |
| निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से | 9 | | - |
| निवेश – अन्य | 10 | 84300000.00 | 72495101.00 |
| वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | 11 | 6897243.76 | 6169174.93 |
| विविध खर्च (बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए) | | | - |
| **कुल** | | **91197243.76** | **78664275.93** |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 24 | | |
| आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां | 25 | | |

**ह0/–**
**श्री. जे. एस. भाटिया**
**संयुक्त सलाहकार (लेखा)**
**पूर्व–पदेन न्यासी**

**ह0/–**
**श्री. वी.के. सक्सेना**
**उप–सलाहकार (प्रशासन)**
**पूर्व–पदेन न्यासी**

**ह0/–**
**श्री एस.बी. सिंह**
**संयुक्त सलाहकार (विधि)**
**न्यासी**

**ह0/–**
**श्रीमती पूनम खुराना**
**पी.ए (बी एण्ड सीएस)**
**न्यासी**

**ह0/–**
**श्री सी.पी.एस बक्शी**
**सलाहकार (प्रशासन)**
**पूर्व–पदेन अध्यक्ष**

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
## 31.3.2014 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि–रुपये में)

| | अनुसूची | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| **आय** | | | |
| बिक्री/सेवाओं से आय | 12 | - | - |
| अनुदान/सब्सिडी | 13 | - | - |
| शुल्क/अंशदान | 14 | - | - |
| निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय – निधियों में अंतरित) | 15 | 3685145.65 | 6140194.98 |
| रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय | 16 | - | - |
| अर्जित ब्याज | 17 | 3235300.29 | 3036935.54 |
| अन्य आय | 18 | 939509.11 | 0.00 |
| तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोत्तरी (कमी) और प्रगति पर कार्य | 19 | - | - |
| **कुल (क)** | | **7859955.05** | **9177130.52** |
| **व्यय** | | | |
| स्थापना व्यय | 20 | 30000.00 | 0.00 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय आदि | 21 | 2514.12 | 589812.69 |
| अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय | 22 | - | - |
| ब्याज | 23 | 6546891.00 | 5133125.00 |
| म्यूचूअल फंडों में निवेश मूल्य में कमी | | | |
| मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप) | | | |
| **कुल (ख)** | | **6579405.12** | **5722937.69** |

*(क्रमशः...)*

(राशि–रुपये में)

| | अनुसूची | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| **व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख)** | | 1280549.93 | 3454192.83 |
| निवेशों के मूल्य में ह्रास होने के कारण विविध व्यय में कुछ सीमा तक अतंरित परंतु बटट्े खाते में नहीं डाला गया। | | | - |
| सामान्य आरक्षित को/से अंतरण | | 1280549.93 | 3454192.83 |
| संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष | | | |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 24 | | |
| आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां | 25 | | |

**ह0/–**
**श्री. जे. एस. भाटिया**
**संयुक्त सलाहकार (लेखा)**
**पूर्व–पदेन न्यासी**

**ह0/–**
**श्री. वी.के. सक्सेना**
**उप–सलाहकार (प्रशासन)**
**पूर्व–पदेन न्यासी**

**ह0/–**
**श्री एस.बी. सिंह**
**संयुक्त सलाहकार (विधि)**
**न्यासी**

**ह0/–**
**श्रीमती पूनम खुराना**
**पी.ए (बी एण्ड सीएस)**
**न्यासी**

**ह0/–**
**श्री सी.पी.एस बक्शी**
**सलाहकार (प्रशासन)**
**पूर्व–पदेन अध्यक्ष**

## वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
## 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

### अनुसूची 1 – ट्राई – सीपीएफ सदस्य खाता

(राशि–रुपये में)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में शेष | 75210083.00 | 55671067.00 |
| घटाएं: पिछले वर्ष के लिए समायोजन | 343030.00 | |
| जोड़ें: सदस्यों के खाते में अंशदान | 11595448.00 | 19539016.00 |
| जोड़ें (कटौतीं): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष | | |
| **वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र** | **86462501.00** | **75210083.00** |

### अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि–रुपये में)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. पूंजी आरक्षित: | | |
| पिछले खाते के अनुसार | | |
| वर्ष के दौरान जमा | | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | | |
| 2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित: | | |
| पिछले खाते के अनुसार | | |
| वर्ष के दौरान जमा | | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | | |
| 3. विशेष आरक्षित: | | |
| पिछले खाते के अनुसार | | |
| वर्ष के दौरान जमा | | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | | |
| 4. सामान्य आरक्षित: | | |
| पिछले खाते के अनुसार | 3454192.83 | - |
| वर्ष के दौरान जमा | 1280549.93 | 3454192.83 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | | |
| **कुल** | **4734742.76** | **3454192.83** |

ह0/–
सलाहकार

## अनुसूची–3 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि

(राशि–रुपये में)

| | निधिवार ब्यौरा | | | | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | निधि डब्ल्यू डब्ल्यू | निधि एक्स एक्स | निधि वाई वाई | निधि जेड जेड | | |
| क) निधि का प्रारंभिक शेष<br>ख) निधि में जमा राशियां<br>i. दान/अनुदान<br>ii. निधियों में से किए निवेश से आय<br>iii. अन्य प्राप्तियां (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति) | | | लागू नहीं | | | |
| **योग (क+ख)** | | | | | | |
| ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय<br>i. पूंजीगत व्यय<br>- स्थायी परिसंपत्तियां<br>- अन्य | | | | | | |
| **कुल** | | | | | | |
| ii. राजस्व व्यय<br>- वेतन, मजदूरी और भत्ते इत्यादि<br>- किराया<br>- अन्य प्रशासनिक व्यय | | | | | | लागू नहीं |
| **कुल** | | | | | | |
| **योग (ग)** | | | | | | |
| **वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)** | | | | | | |

**टिप्पणियां:–**

1) अनुदानों से संबंध शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण प्रासंगिक शीर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।

2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां अलग निधियों के रूप में दर्शाई जाएं तथा अन्य किसी निधि में शामिल नहीं की जानी चाहिए।

**ह0/–**
**सलाहकार**

## अनुसूची 4 – प्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि–रुपये में)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. केंद्र सरकार | | |
| 2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें) | | |
| 3. वित्तीय संस्थाएं | | |
| 4. बैंक | | |
| क) सावधि ऋण | | लागू नहीं |
| - ब्याज प्रोद्भूत एवं देय | | |
| ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें) | | |
| - ब्याज प्रोद्भूत एवं देय | | |
| 5. अन्य संस्थान और एजेंसियां | | |
| 6. डिबेंचर और बॉण्ड | | |
| 7. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **कुल** | | |

**टिप्पणी** :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

## अनुसूची 5 – अप्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि–रुपये में)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. केंद्र सरकार | | |
| 2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें) | | |
| 3. वित्तीय संस्थाएं | | |
| 4. बैंक | | |
| क) सावधि ऋण | | लागू नहीं |
| - ब्याज प्रोद्भूत एवं देय | | |
| ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें) | | |
| - ब्याज प्रोद्भूत एवं देय | | |
| 5. अन्य संस्थान और एजेंसियां | | |
| 6. डिबेंचर और बॉण्ड | | |
| 7. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **कुल** | | |

**टिप्पणी** :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

**ह0/–**
**सलाहकार**

## अनुसूची 6 – आस्थगित क्रेडिट देयताएं

(राशि–रुपये में)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. पूंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के आडमान द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां | | लागू नहीं |
| 2. अन्य | | |
| **कुल** | | |

**टिप्पणी** :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

## अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान

(राशि–रुपये में)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| **क. चालू देयताएं** | | |
| 1) स्वीकार्यता | | |
| 2) विविध ऋणदाता | | |
| क) वस्तुओं के लिए | | |
| ख) अन्य | | |
| 3) प्राप्त अग्रिम | | |
| 4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं: | | |
| क) प्रतिभूति ऋण / उधार | | लागू नहीं |
| ख) अप्रतिभूति ऋण / उधार | | |
| 5) सांविधिक देयताएं | | |
| क) अतिदेय | | |
| ख) अन्य | | |
| 6) अन्य चालू देयताएं | | |
| **कुल (क)** | | |
| **ख. प्रावधान** | | |
| 1. कराधान के लिए | | |
| 2. ग्रेच्युटी | | |
| 3. अधिवर्षिता / पेंशन | | |
| 4. संचित अवकाश नकदीकरण | | |
| 5. व्यापार वारंटी / दावे | | |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **कुल (ख)** | | |
| **कुल (क+ख)** | | |

**ह0 / –**

**सलाहकार**

## अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां योजना

(राशि–रुपये में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान कटौती | वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन | वर्ष के आरंभ में | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान कटौती | वर्ष के अंत तक योग | चालू वर्ष के अंत तक | पिछले वर्ष के अंत तक |
| **क. स्थायी परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | |
| 1. भूमि | | | | | | | | | | |
| क) फ्रीहोल्ड | | | | | | | | | | |
| ख) लीज़होल्ड | | | | | | | | | | |
| 2. भवन | | | | | | | | | | |
| क) फ्रीहोल्ड भूमि पर | | | | | | | | | | |
| ख) लीज़होल्ड भूमि पर | | | | | | | | | | |
| ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर | | | | | | | | | लागू नहीं | |
| घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं | | | | | | | | | | |
| 3. संयत्र मशीनें एवं उपकरण | | | | | | | | | | |
| 4. वाहन | | | | | | | | | | |
| 5. फर्नीचर, फिक्सचर | | | | | | | | | | |
| 6. कार्यालय उपस्कर | | | | | | | | | | |

(क्रमशः...)

## अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां योजना (जारी...)

(राशि–रुपये में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान कटौती | वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन | वर्ष के आरंभ में | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान कटौती | वर्ष के अंत तक योग | चालू वर्ष के अंत तक | पिछले वर्ष के अंत तक |
| 7. कंप्यूटर / पेरिफिरल | | | | | | | | | | |
| 8. इलैक्ट्रिक संस्थापन | | | | | | | | | | |
| 9. पुस्तकालय पुस्तकें | | | | | | | | | | |
| 10. ट्यूबवैल एवं जल आपूर्ति | | | | | | | | | | लागू नहीं |
| 11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां | | | | | | | | | | |
| **चालू वर्ष का योग** | | | | | | | | | | |
| **पिछला वर्ष** | | | | | | | | | | |
| **ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर** | | | | | | | | | | |
| **कुल** | | | | | | | | | | |

**ह0/–**
**सलाहकार**

## अनुसूची 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश

(राशि–रुपये में)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में | | |
| 2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां | | |
| 3. शेयर | | लागू नहीं |
| 4. डिबेंचर एवं बॉण्ड | | |
| 5. सहायक और संयुक्त उद्यम | | |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **कुल** | | |

## अनुसूची 10 – अन्य निवेश

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में | 50700000.00 | 43226753.00 |
| *दीर्घावधि निवेश - रुपये 4,67,00,000* | | |
| *चालू निवेश - रुपये 40,00,000* | | |
| 2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां | | |
| 3. शेयर | | |
| 4. डिबेंचर एवं बॉण्ड | | |
| 5. सहायक और संयुक्त उद्यम | | |
| 6. अन्य (बैंक/पीएसयू में सावधि जमा) *दीर्घावधि* | 33600000.00 | 29268348.00 |
| **कुल** | **84300000.00** | **72495101.00** |

## अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| **क. चालू परिसंपत्तियां:** | | |
| 1. सामान | | |
| क) स्टोर्स और स्पेयर्स | - | - |
| ख) लूज टूल्स | - | - |
| ग) स्टॉक–इन–ट्रेड | | |
| तैयार माल | - | - |
| कार्य प्रगति पर | - | - |
| कच्चा माल | - | - |
| 2. विविध ऋण | | |
| क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया ऋण | - | - |
| ख) अन्य | - | - |
| 3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित) | | |

*(क्रमशः...)*

## अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी...)

(राशि–रुपये में)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 4. बैंक शेषः | | |
| क) अनुसूचित बैंकों के साथ | | |
| - चालू खाते पर | - | - |
| - जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित) | 2049273.02 | 952504.33 |
| - बचत खाते पर | 147833.74 | 328102.91 |
| ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ | | |
| - चालू खाते पर | - | - |
| - जमा खाते पर | - | - |
| - बचत खाते पर | - | - |
| 5. डाकघर बचत खाता | | |
| **कुल (क)** | **2197106.76** | **1280607.24** |
| **ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां** | | |
| 1. ऋण | | |
| क) स्टाफ | - | - |
| ख) संस्थान के समान गतिविधियों/ उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं | - | - |
| ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - |
| 2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसूलीयोग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशिः | | |
| क) पूंजीगत खाते पर | - | - |
| ख) पूर्व भुगतान | - | - |
| ग) अन्य | - | - |
| 3. प्रोद्भूत आय | | |
| क) निधार्रित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर | - | - |
| ख) निवेश – अन्य पर | 4700137.00 | 4888567.59 |
| ग) ऋण एवं अग्रिम पर | - | - |
| घ) अन्य (देय आय में वसूली न गई राशि सहित) | - | - |
| 4. दावे प्राप्तयोग्य | - | - |
| **कुल (ख)** | **4700137.00** | **4888567.59** |
| **कुल (क + ख)** | **6897243.76** | **6169174.83** |

**ह0/–**
**सलाहकार**

## अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि–रुपये में)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. बिक्री से आय | | |
| क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री | | |
| ख) कच्चे माल की बिक्री | | |
| ग) स्क्रैप से बिक्री | | |
| 2. सेवाओं से आय | | |
| क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार | | लागू नहीं |
| ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं | | |
| ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली | | |
| घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति) | | |
| ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **कुल** | | |

## अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| (अपरिवर्तनीय अनुदान एवं प्राप्त सहायता) | | |
| 1) केन्द्र सरकार | | |
| 2) राज्य सरकार (रें) | | |
| 3) सरकारी एजेंसियां | | लागू नहीं |
| 4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय | | |
| 5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन | | |
| 6) अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **कुल** | | |

## अनुसूची 14 – शुल्क/अंशदान

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. प्रवेश शुल्क | | |
| 2. वार्षिक शुल्क/अंशदान | | |
| 3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क | | लागू नहीं |
| 4. परामर्श शुल्क | | |
| 5. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **कुल** | | |

**टिप्पणीः**– प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए।

ह0/–
**सलाहकार**

## अनुसूची 15 – निवेशों से आय

(राशि–रुपये में)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से किए गए निवेश से हुई आय का निधि में अंतरण) | | |
| 1) ब्याज | | |
| क) सरकारी प्रतिभूतियों पर | 3685145.65 | 1304402.39 |
| ख) अन्य बॉण्ड/डिबेंचर | | |
| 2) लाभांश | | |
| क) शेयरों पर | | |
| ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर | | |
| 3) किराया | | |
| 4) अन्य – म्यूचुअल फंड की बिक्री से प्राप्त आय | - | 4835792.59 |
| **कुल** | **3685145.65** | **6140194.98** |

**निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित**

## अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. रॉयल्टी से आय | | |
| 2. प्रकाशन से आय | | लागू नहीं |
| 3. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **कुल** | | |

## अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1) सावधि जमा पर | | |
| क) अनुसूचित बैंकों के साथ | 2099107.49 | 1037381.09 |
| ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ | | |
| ग) संस्थाओं के साथ | 1094825.00 | 1901887.45 |
| घ) अन्य | | |
| 2) बचत खाते पर | | |
| क) अनुसूचित बैंकों के साथ | 41367.00 | 97667.00 |
| ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ | - | - |
| ग) संस्थाओं के साथ | - | - |
| घ) अन्य | - | - |
| 3) ऋणों पर | | |
| क) कर्मचारी/स्टाफ | - | - |
| ख) अन्य | - | - |
| 4) देनदारों तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज | - | - |
| **कुल** | **3235300.29** | **3036935.54** |

**ह0/–**
**सलाहकार**

## अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि–रुपये में)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ | | |
| क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां | - | - |
| ख) अनुदानों अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां | - | - |
| 2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन | - | - |
| 3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क | - | - |
| 4. विविध आय | 939509.11 | - |
| **कुल 939509.11** | **-** | |

## अनुसूची 19 – निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि/(कमी)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| क) अंतिम स्टॉक | | |
| - तैयार माल | | |
| - चल रहे कार्य | | लागू नहीं |
| ख) घटाएं प्रारंभिक स्टॉक | | |
| - तैयार माल | | |
| - चल रहे कार्य | | |
| **कुल वृद्धि/(कमी) (क–ख)** | | |

## अनुसूची 20 – स्थापना व्यय

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| क) वेतन एवं मजदूरी | | |
| ख) भत्ते एवं बोनस | | |
| ग) भविष्य निधि में योगदान | | |
| घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें) | | |
| ड़) स्टाफ कल्याण खर्च | | |
| च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ | | |
| छ) अन्य – *डीएलआईएस रुपये 30,000/-* | 30000.00 | - |
| **कुल** | **30000.00** | **-** |

ह0/–
**सलाहकार**

## अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि–रुपये में)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| क) खरीद | - | - |
| ख) मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय | - | - |
| ग) कार्टेज और कैरिज प्रभार | - | - |
| घ) विद्युत एवं पॉवर | - | - |
| ड़) जल प्रभार | - | - |
| च) बीमा | - | - |
| छ) मरम्मत एवं रखरखाव | - | - |
| ज) सीमा शुल्क | - | - |
| झ) किराया, दर और कर | - | - |
| ञ) वाहन चालन एवं रखरखाव | - | - |
| ट) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार | - | - |
| ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी | - | - |
| ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय | - | - |
| ण) सेमिनार/कार्यशाला पर व्यय | - | - |
| त) अंशदान व्यय | - | - |
| थ) शुल्क पर व्यय | - | - |
| द) लेखापरीक्षकों का पाश्रिमिक | - | - |
| ध) आतिथ्य–सत्कार पर शुल्क | - | - |
| न) पेशेवर शुल्क | - | - |
| प) अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान | - | - |
| फ) बट्टे खाते डाला गया अवूसलनीय शेष | - | - |
| भ) पैकिंग प्रभार | - | - |
| म) मालभाड़ा एवं अग्रेषण व्यय | - | - |
| य) वितरण व्यय | - | - |
| र) विज्ञापन एवं प्रचार | - | - |
| व) अन्य – बैंक एवं वित्त प्रभार | 2514.12 | 589812.69 |
| **कुल** | **2514.12** | **589812.69** |

## अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान | | |
| ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी | | लागू नहीं |
| **कुल** | | |

**टिप्पणीः** संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें।

## अनुसूची 23 – ब्याज

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| क) सावधि ऋणें पर | - | - |
| ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित) | - | - |
| ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) – *सदस्यों को देय ब्याज* | 6546891.00 | 5133125.00 |
| **कुल** | **6546891.00** | **5133125.00** |

**ह0/–**

**सलाहकार**

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
## 31.3.2014 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

(राशि–रुपये में)

| प्राप्ति | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | भुगतान | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. आरंभिक शेष** | | | **1. व्यय** | | |
| क) हाथ में नकदी | | - | क) स्थापना व्यय | 30000.00 | 0.00 |
| ख) बैंक शेष | | | ख) प्रशासनिक व्यय | 2514.12 | 589812.69 |
| i) चालू खाते में | | - | | | |
| ii) जमा खाते में | | - | | | |
| iii) बचत खाते में | 328102.91 | 753015.41 | | | |
| **II. प्राप्त अनुदान** | | | **II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान** | | |
| क) भारत सरकार से | | | (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए) | | |
| ख) राज्य सरकार से | | | | | |
| ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें) (पूंजी एवं राजव्य व्यय के लिए अनुदान को अलग–अलग दर्शाया जाए) | | | | | |
| **III. निम्न में निवेश से आय** | | | **III. किए गए निवेश एवं जमा** | | |
| क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि | | | क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से | | |
| ख) स्वयं की निधियां (म्युचूअल फंड में निवेश पर) | | 4830508.82 | ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य) | 34500000.00 | 49200442.50 |
| | | | (निवेश – फ्लेक्सी खाता) | 1096768.69 | |
| **IV. प्राप्त ब्याज** | | | **IV. स्थायी परिसंपत्तियां एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय** | | |
| क) बैंक जमा पर | 1894885.89 | 642445.48 | क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद | | |
| ख) ऋण, अग्रिम आदि | | | ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय | | |
| ग) विविध | 5393898.00 | 3600266.00 | | | |

*(क्रमशः...)*

## 31.3.2014 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण *(जारी...)*

(राशि–रुपये में)

| प्राप्ति | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | भुगतान | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| **V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)** | | | **V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी** | | |
| विविध आय को | 596479.11 | | क) भारत सरकार को | | |
| | | | ख) राज्य सरकार को | | |
| **VI. उधार ली गई राशि** | | | ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को | | |
| **VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)** | | | **VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)** | 179907.36 | 533632.60 |
| शुल्क | | | | | |
| पूंजीगत निधि | | | **VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)** | | |
| प्रकाशन की बिक्री | | | अंतिम भुगतान | 6759244.00 | 6397140.00 |
| परिसंपत्तियों की बिक्री | | | अग्रिम एवं निकासी | 8203600.00 | 3976800.00 |
| सदस्यों से अंशदान | 14800500.00 | 11149095.00 | | | |
| ट्राई से अंशदान | 4454291.00 | 3994277.00 | **VIII. अंतिम शेष** | | |
| शेष का अंतरण | 0.00 | 8960704.00 | क) हाथ में नकदी | | |
| अग्रिमों का पुनः भुगतान | 756610.00 | 675755.00 | ख) बैंक शेष | | |
| एफडी की परिपक्वता/म्युचूअल फंड का नकदीकरण | 22695101.00 | 25538811.99 | i) चालू खाते में | | |
| ट्राई सामान्य निधि से ब्याज कमी की वसूली | 0.00 | 881052.00 | ii) जमा खाते में | | |
| | | | iii) बचत खाते मे | 147833.74 | 328102.91 |
| **कुल** | **50919867.91** | **61025930.70** | **कुल** | **50919867.91** | **61025930.70** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ह0/–** | **ह0/–** | **ह0/–** | **ह0/–** | **ह0/–** |
| **श्री. जे. एस. भाटिया** | **श्री. वी.के. सक्सेना** | **श्री एस.बी. सिंह** | **श्रीमती पूनम खुराना** | **श्री सी.पी.एस बक्शी** |
| **संयुक्त सलाहकार (लेखा)** | **उप–सलाहकार (प्रशासन)** | **संयुक्त सलाहकार (विधि)** | **पी.ए (बी एण्ड सीएस)** | **सलाहकार (प्रशासन)** |
| **पूर्व–पदेन न्यासी** | **पूर्व–पदेन न्यासी** | **न्यासी** | **न्यासी** | **पूर्व–पदेन अध्यक्ष** |

## अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

**1. लेखा परंपराएं :**

i) वित्तीय विवरण लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके पत्र सं एफ. सं.19 (1)/विविध/2005/टीए/450–490 दिनांकित 23.07.2007 द्वारा अनुमोदित ''खातों के एकसमान प्रारूप'' में तैयार किए गए हैं।

ii) लेखा चालू वर्ष अर्थात् 2013–14 के लिए संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

iii) अनुसूची 10 (निवेश – अन्य) में दिखाया गया निवेश कीमत पर लिया गया है।

## अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

**आकस्मिक देयताएं:**

1. संस्था के खिलाफ कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे – शून्य

**खातों पर टिप्पणियां**

1. निवेश, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) की दिनांक 14 अगस्त, 2008 की अधिसूचना जो 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी है, में निर्धारित पैटर्न पर किए गए है।

2. अनुसूची 10 (निवेश–अन्य) में दर्शाये गए निवेशों में सरकारी प्रतिभूतियों में 5,07,00,000.00 रुपए की राशि और दूसरों (बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सावधि जमा) में 3,36,00,000.00 रुपए की राशि का निवेश शामिल है। सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में से 4,67,00,000.00 रुपए की राशि दीर्घावधि के निवेश हैं क्योंकि इन्हें इनके बनाए जाने की तारीख से एक वर्ष से अधिक के लिए धारित किया जा रहा है और 40,00,000.00 रुपए की राशि का 91 डीटीबी में निवेश किया गया है, जो 10.04.2013 को परिपक्व हो जाएंगी। सावधि जमा में किए गए सभी निवेश बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दीर्घावधि निवेश हैं।

3. पूर्व कर्मचारियों के ट्राई योगदान से संबंधित 3,43,030/– रुपये की बकाया राशि, प्रतिदेय नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्राधिकरण के साथ 5 साल तक की सेवा पूरी नहीं की, उसे लेखा बहियों में वापस लिखा गया है।

4. जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| श्री. जे. एस. भाटिया | श्री. वी.के. सक्सेना | श्री एस.बी. सिंह | श्रीमती पूनम खुराना | श्री सी.पी.एस बक्शी |
| संयुक्त सलाहकार (लेखा) | उप–सलाहकार (प्रशासन) | संयुक्त सलाहकार (विधि) | पी.ए (बी एण्ड सीएस) | सलाहकार (प्रशासन) |
| पूर्व–पदेन न्यासी | पूर्व–पदेन न्यासी | न्यासी | न्यासी | पूर्व–पदेन अध्यक्ष |

# प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची

| | |
|---|---|
| 2जी | दूसरी पीढ़ी |
| 3डी | त्रि आयामी |
| 3जी | तीसरी पीढ़ी |
| एडीबी | एशियाई विकास बैंक |
| एडीसी | एक्सेस डेफिसिट प्रभार |
| एजीआर | समायोजित सकल राजस्व |
| एएमएफआई | भारतीय म्युचुअल फंड संघ |
| एपीटी | एशिया पैसेफिक टेलीकम्युनिटी |
| एआरपीयू | प्रति उपयोकर्ता औसत आय |
| एयूएसपीआई | एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया |
| बीआईएस | भारतीय मानक ब्यूरो |
| बीएसएनएल | भारत संचार निगम लिमिटेड |
| बीएसओ | बुनियादी सेवा प्रचालक |
| बीएसटी | बुनियादी सेवा टियर |
| बीडब्ल्यूए | ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस |
| सी एण्ड एस | केबल एवं सैटेलाइट |
| सीएजी | उपभोक्ता समर्थक समूह |
| सीएएस | सर्शत उपागम प्रणाली |
| सीडीएमए | कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस |
| सीएलएस | केबल लैंडिंग स्टेशन |
| सीएमटीएस | सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा |
| सीओएआई | सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया |
| सीपीई | ग्राहक परिसर उपकरण |
| सीपीजीआरएएमएस | एकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली |
| सीपीपी | कॉलिंग पार्टी पे |
| सीटीएस | कॉर्डलैस दूरसंचार प्रणाली |
| सीयूटीसीईएफ | दूरसंचार उपभोक्ता जागरूकता एवं संरक्षण निधि संबंधी समिति |
| डीएएस | डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली |
| डीआईटी | सूचना प्रौद्योगिकी विभाग |

| | |
|---|---|
| डीएलसी | घरेलू लीज्ड सर्किट |
| डीओटी | दूरसंचार विभाग |
| डीपीओ | वितरण मंच संचालक |
| डीएसएल | डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन |
| डीटीएच | डायरेक्ट–टु–होम |
| ईबीआईटीडीए | ब्याज, कर, मूल्यह्रास एवं परिशोधन पूर्व आय |
| ईईटीटी ग्रीस | हैलेनिक टेलीकम्युनिकेशंस एंड पोस्ट कमीशन |
| ईकेएन | स्वीडिश एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी बोर्ड |
| एफडीआई | विदेशी प्रत्यक्ष निवेश |
| एफएम | फ्रीक्वेंसी माड्युलेशन |
| एफटीए | फ्री–टु–एयर |
| जीएमपीसीएस | ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम |
| जीएसएम | ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल्स |
| एचडी | हाई डेफिनेशन |
| एचआईटीएस | हैडइंड–इन–द–स्काई |
| आईबीएस/डीएएस | इंडोर भवन सामधान एवं वितरित एंटीना प्रणाली |
| आईसीओ | स्वतंत्र केबल ऑपरेटर |
| आईसीटी | सूचना और संचार प्रौद्योगिकी |
| आईआईएस | भारतीय विज्ञान संस्थान |
| आईआईटी | भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान |
| आईएलडी | अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी |
| आईएमटी–एडवांस्ड | अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार – उन्नत |
| आईएन | आसूचना नेटवर्क |
| आईपी–। | अवसंरचना प्रदाता |
| आईपीटीवी | इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन |
| आईपीवी6 | इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 |
| आईआरडीए | बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण |
| आईएसपी | इंटरनेट सेवा प्रदाता |
| आईटीएसपी | इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदाता |
| आईटीयू | अंतर्राष्ट्रीय दूसंचार संघ |

| | |
|---|---|
| आईयूसी | इंटरकनेक्ट यूजर चार्जेज |
| आईवीआर | इंटीग्रेटेड वॉयस रिस्पांस |
| आईएक्सपी | इंटरनेट विनिमय केन्द्र |
| जेएनएनयूआरएम | जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय ग्रामीण नवीनीकरण मिशन |
| एलएएन | स्थानीय एरिया नेटवर्क |
| एलसीओ | स्थानीय केबल प्रचालक |
| एलटीई | दीर्घावधि मूल्यांकन |
| एम एण्ड ए | विलयन एवं अधिग्रहण |
| एम/ओ आई एडं बी | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय |
| एमसीएक्स | भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड |
| एमईए | विदेश मंत्रालय |
| एमएनपी | मोबाइल नम्बर सुवाह्यता |
| एमओयू | मिनट्स ऑफ यूज़ेज़ |
| एमपीएलएस | बहुल्य – प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग |
| एमएसओ | मल्टी सिस्टम ऑपरेटर |
| एमटीएनएल | महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड |
| एमवीएनओ | मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर |
| एमडब्ल्यू | मीडियम वेव |
| एमडब्ल्यूए | माइक्रोवेव एक्सेस |
| एमडब्ल्यूबी | माइक्रोवेव बैकबोन |
| एनसीडीईएक्स | नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड |
| एनडीएमए | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण |
| एनसीपीआर | राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिमान रजिस्टर |
| एनडीआरएफ | राष्ट्रीय आपदा राहत कोष |
| एनजीएन | नेक्स्ट जेनेरेशन नेटवर्क |
| एनजीओ | गैर–सरकारी संगठन |
| एनआईए | आवेदन आमंत्रण सूचना |
| एनआईटी | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान |
| एनएलडी | राष्ट्रीय लंबी दूरी |
| एनटीपी'99 | नई दूरसंचार नीति' 1999 |

| | |
|---|---|
| ओईसीडी | आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन |
| ओएचडी | खुला मंच चर्चा |
| पीएबीएक्स | प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज |
| पीसीओ | पब्लिक कॉल ऑफिस |
| पीसीआर | प्राथमिकता कॉल रूटिंग |
| पीएमआर | निश्पादन निगरानी रिपोर्ट |
| पीओआई | प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्षन |
| पीओपी | प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेंस |
| पीएसयू | सरकारी क्षेत्र के उपक्रम |
| क्यूएमएस | गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली |
| क्यूओएस | सेवा गुणवत्ता |
| आरएएन | रेडिया एक्सेस नेटवर्क |
| आर–डीईएल | रूरल–डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन |
| आरएफ करियर्स | रेडियो फ्रीक्वेंसी वाहक |
| आरआईओ | संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव |
| आरटीआई एक्ट | सूचना का अधिकार अधिनियम |
| एसएटीआरसी | दक्षिण एषियाई दूरसंचार विनियामक परिषद |
| एसडीआरएफ | राज्य आपदा राहत कोष |
| एसईबीआई | भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड |
| एसआईएम | सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल |
| एसएमएस | शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस |
| एसटीबी | सेट टॉप बॉक्स |
| एसटीवी | विशेष प्रशुल्क वाउचर |
| एसयूसी | स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क |
| एसयूके | स्टार्ट अप किट |
| एसडब्ल्यू | शार्ट वेव |
| टीएएम | टेलीविजन दर्शक मापन |
| टीसीईपीएफ | दूरसंचार उपभोक्ता जागरूकता एवं संरक्षण निधि |
| टीसीओ | परीक्षण एवं प्रमाणन संगठन |
| टीसीपीआर, 2012 | दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 |

| | |
|---|---|
| टीडीएसएटी | दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण |
| टीईसी | दूरसंचार इंजीनियरी सेंटर |
| टीईएमओ | दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण संगठन |
| टीएमएफ | दूरसंचार विनिर्माण निधि |
| टीआरएआई | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण |
| टीआरसीएसएल | दूरसंचार विनियामक आयोग, श्रीलंका |
| टीआरडीएफ | दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास निधि |
| टीएसओ | दूरसंचार मानक संगठन |
| टीएसपी | दूरसंचार सेवा प्रदाता |
| टीटीओ | दूरसंचार टैरिफ आदेश |
| यूएएसएल | यूनिवर्सल एक्सेस सर्विस लाइसेंस |
| यूसीसी | अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण |
| यूएसओएफ | सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि |
| यूएसएसडी | गैर–अवसंरचनात्मक अनुपूरक सेवा आंकड़े |
| वीएएस | मूल्यवर्धित सेवा |
| वीएनटीए | वियतनाम दूरसंचार प्राधिकरण |
| वीपीटी | ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन |
| वीएसएटी | वैरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल |
| डब्ल्यूएलएल | वायरलैस इन लोकल लूप |
| डब्ल्यूटीओ | विश्व व्यापार संगठन |